C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXIII, Eleventh Session, 2017/1939 (Saka)
No. 16, Wednesday, March 22, 2017/Chaitra 01, 1939 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 281 to 285	11-75
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 286 to 300	76-132
Unstarred Question Nos. 3221 to 3450	133-651

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 652-657

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA 658-659

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
31st Report 660

STATEMENTS BY MINISTERS 661-664

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 287th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Department of Space

Dr. Jitendra Singh 661

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 274th Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 259th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology 662

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 278th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology 663

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 286th Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 278th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology 664

Shri Y.S. Chowdary

MATTERS UNDER RULE 377 699-730

(i) Need to provide free medical facilities and loan to senior citizens, differently-abled persons and mentally challenged children under various centrally sponsored schemes

Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi 700

(ii) Need to improve the BSNL mobile service in Maharajganj Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Pankaj Chowdhary 701

(iii) Need to name Muzaffarpur railway station and Barahat railway station in Bihar after Shaheed Khudi Ram Bose and Shaheed Satish respectively

Shri Ashwini Kumar Choubey 702

(iv) Need to provide clean drinking water in Kairana Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh and also set up a super speciality hospital in western Uttar Pradesh

Shri Hukum Singh 703-704

(v) Need to enhance the rate of honorarium of Aanganwadi workers in Uttar Pradesh

Shri Ajay Misra Teni 705

(vi) Need to run a direct train service between Jaipur and Shirdi

Shri Ramcharan Bohara 706

(vii) Need to provide pensions to all differently-abled, widows and old age people under the BPL category

Shri Naranbhai Kachhadia 707

(viii) Need to declare Karoi-Rashmi-Kapasan-Bhadsora state highway in Rajasthan as a National Highway

Shri Chandra Prakash Joshi 708

(ix) Regarding proposed eight laning of National Highway No. 8 connecting Mumbai with Ahmedabad

Shri Chintaman Navasha Wanga 709

(x) Need to re-open the closed Jute Mills in West Bengal

Shri George Baker 710

(xi) Need to provide houses to people affected by incidents of fire

Shri Daddan Mishra 711

(xii) Need to formulate a comprehensive scheme for construction of underground reservoirs in Bundelkhand region of Uttar Pradesh

Kunwar Puhpendra Singh Chandel 712-713

(xiii) Need to set up an International Research Institute of Yoga and Ayush in Uttarakhand

Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank 714

(xiv) Need to provide quality grocery items in CSD Canteen, Lucknow, Uttar Pradesh

Shri Sharad Tripathi 715

(xv) Need to provide irrigation facilities in Sabarkantha Parliamentary Constituency, Gujarat under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

Shri D. S. Rathod 716

(xvi) Need to curb increasing cyber crimes in the country

Shrimati Darshana Vikram Jardosh 717

(xvii) Regarding release of funds for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

Shri Anto Antony 718

(xviii) Need to provide funds for Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana

Shrimati Ranjeet Ranjan 719

(xix) Need to continue with the present system of admission to Bachelor of Veterinary Sciences and Animal Husbandry Course in Tamil Nadu

Shri K. Ashok Kumar 720

(xx) Need to promote cultivation of millet crop in the country

Dr. Ratna De (Nag) 721

(xxi) Regarding rising healthcare cost in the country

Shri Rabindra Kumar Jena 722

(xxii) Need to provide affordable houses to workers and pensioners of Mumbai Port Trust

Shri Rahul Shewale 723-724

(xxiii) Need to set up a Central University in Rayalseema region and a Tribal University in Vizianagaram in Andhra Pradesh

Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi) 725-726

(xxiv) Regarding granting of special category status to Andhra Pradesh

Shri Y. V. Subba Reddy 727

(xxv) Need to start domestic flight service from Bhagalpur, Bihar

Shri Shailesh Kumar 728

(xxvi) Need to replicate environment-friendly water treatment model of Punjab all over the country

Shri Kaushalendra Kumar 729

(xxvii) Need to construct the road connecting District Headquarters with National Highway in Idukki district of Kerala

Adv. Joice George 730

FINANCE BILL, 2017 731-911

Shri Nishikant Dubey 731-739

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 740-744

Shri Shivkumar Udasi 745-751

Shrimati Ranjeet Ranjan 752-756

Shri Abhishek Singh 757-762

Shri Badruddin Ajmal 763-769

Shri Subhash Chandra Baheria 770-773

Shri Jai Prakash Narayan Yadav 774-776

Shri Dushyant Chautala 777-779

Shrimati Hemamalini 780-784

Prof. K.V. Thomas 785-789

Shri Idris Ali 790-791

Shri Kaushalendra Kumar 792-794

Dr. Yashwant Singh 795-798

Shri N.K. Premachandran 799-802

Dr. Shrikant Eknath Shinde 803-810

Shri Bhartruhari Mahtab 811-821

Shri Thota Narasimham 822-825

Shri Dharambir 826-828

Shri Dharam Vira Gandhi 829-830

Shri Vincent H. Pala 831-832

Shri Rajesh Ranjan 833-835

Shri Ram Charan Bohra 836-838

Shri Rajeev Satav 839-841

Shri Arun Jaitley 842-856

Motion to Consider	860
Clauses 2 to 184 and 1	860-911
Motion to Pass	911

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	923
Member-wise Index to Unstarred Questions	924-930

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	931
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	932-933

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, March 22, 2017/Chaitra 01, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now Question Hour. Question No. 281, Prof. Chintamani Malviya

(Q. 281)

प्रो.चिंतामणि मालवीय: अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत ही योग्य और सक्षम मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने रेलवे में बहुत निर्णायक परिवर्तन किए हैं, गुणात्मक सुधार किए हैं और हमारी रेल को 21वीं सदी की रेल बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और वह सफलता की ओर बढ़ रहे हैं।

मैं अपने प्रश्न के माध्यम से यह बात उन तक पहुंचाना चाहूंगा कि मैं इसलिए भी उनके प्रति उज्जैन की जनता की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 245 करोड़ रुपये की उज्जैन-फतेहाबाद रेल लाइन स्वीकृत की। मैं उनका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न काफी तोड़ा-मरोड़ा गया है, मैं यह भी सूचना उन तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन कुल मिलाकर मेरा प्रश्न यह है कि जो सांसद हैं, उनकी कार्यक्रम में बहुत अनिश्चितता रहती है। क्या उनको किसी एक यूनिक नम्बर से जोड़ा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि दो घण्टे पहले भी यदि किसी सांसद का कहीं जाने का कार्यक्रम होता है तो उसका टिकट कनफर्म हो सके, ऐसी कोई योजना है? अगर ऐसा हो तो बहुत सार्थक होगा और हमें काम करने में भी आसानी होगी।

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, यह बिल्कुल आवश्यक है कि हमारे जो सम्मानित सांसद हैं, वह अपने देश की सेवा में और जब राज्य सभा, लोक सभा का सदन चलता है, उस समय वे अलग-अलग कामों की वजह से व्यस्त रहते हैं। इसीलिए उन्हें कम से कम समय में शॉर्ट नोटिस पर उनको टिकट मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन साथ ही हम उसमें और परिवर्तन कर रहे हैं। उसके बारे में मैंने एक प्रपोजल बनाकर लोक सभा और राज्य सभा के सचिवालय को भेजा है, जिसमें हम यह कोशिश करेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंटरनेट के माध्यम से अपनी यूनिक आईडेंटिटी से टिकट बुक कर पाएंगे और उसको कैंसिल भी कर पाएंगे। कुछ लोगों ने इसी सदन में कुछ समय पहले चिंता भी जताई थी कि मल्टीपल बुकिंग की जाती है, कैंसिलेशन की सुविधा नहीं होती है। वह समस्या भी इससे हल हो जाएगी, क्योंकि हमारे सम्मानित सांसद जब भी अपना टिकट कैंसिल करना चाहेंगे तो वे उसके तहत आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए हमने यह एक नई व्यवस्था बनाई है तथा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय को एक प्रपोजल भेजा है। जैसे ही वह मान्य कर लेते हैं, हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री रवीन्द्र कुमार राय: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य, प्रो. चिंतामणी जी ने भी कहा और मैं भी इस बात को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न किया है और उन्होंने भी जो मूल प्रश्न किया है, वे दोनों पत्र मैंने निकलवाये हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप दोनों का मिलाकर प्रश्न आया होगा।

श्री रवीन्द्र कुमार राय: उसके अतिरिक्त इसमें विषय घुसाये गये हैं। इस तरह से तोड़-मरोड़ करने वाली बात को अन्यथा न लिया जाए, लेकिन हमारे कुछ कर्मी ऐसे हैं, जो सांसदों के मुंह से ही सांसदों के खिलाफ कुछ बुलवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे जरूर देखा जाए।

HON. SPEAKER: I will see it. जरुर देखूंगी, मैं दोनों के मूल प्रश्न निकालूंगी और चैक करूंगी।

श्री रवीन्द्र कुमार राय: दोनों को देखा जाए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कम से कम समय में आरक्षण को रद्द करने की सुविधा भी उपलब्ध कराना और यदि कोई आरक्षित प्रतीक्षा सूची में हो तो क्या उसे ट्रेन में ही कंफर्मेशन की सुविधा दी जा सकती है, क्या इस पर भी मंत्री जी विचार करने की कोशिश करेंगे?

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, जैसा अभी बताया कि यूनिक आइडेन्टिटी के द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के सैक्रेटरिएट के पास हमने प्रपोजल भेजा है, उसके अप्रूव होने के बाद हम इस पर फौरन कार्रवाई करेंगे। उसके तहत कोई भी सम्माननीय सासंद यदि अपना टिकट कैंसिल कराना चाहेंगे तो अपनी यूनिक आइडेन्टिटी से वह कर पायेंगे। यह सिर्फ सांसदों के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे देश में सफर करने वाले सभी लोगों के लिए हमने इस सुविधा की शुरूआत की है। ट्रेन चलने के बाद भी यदि कोई वेट लिस्टेड पैसेंजर या अन्य कोई भी हो, उनके लिए अभी कुछ ट्रेनों में यह प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई है। जिसमें टी.टी.ई. सिर्फ अपने हैंड हेल्ड टर्मिनल से टिकट कंफर्म करेगा और उसका लिंकेज डायरेक्टली सैंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम से होगा। उसका लाभ यह होगा कि आजकल जो लोग टिकट बुक करते हैं और बाद में टी.टी.ई. के साथ मिलकर जो कारनामें चलते हैं, इससे हम उनके ऊपर भी पूरी तरह से काबू पा सकेंगे। यह सुविधा हमने शुरू की है और मैं संसद में कहना चाहता हूं कि आज ही से इस सुविधा की शुरूआत की जायेगी। हम लोगों ने यह तय किया है कि विकल्प योजना 1 अप्रैल से शुरू की जायेगी, जिसमें कोई भी वेट लिस्टेड पैसेंजर यदि किसी एक ट्रेन में उसने टिकट की बुकिंग की है, लेकिन उसे उसमें कंफर्म सीट नहीं मिल रही है तो जो दूसरी ट्रेन उसी डेस्टिनेशन में जायेगी, चाहे वह राजधानी ट्रेन भी हो, भले ही उसने आर्डिनेरी टिकट बुक किया होगा और यदि राजधानी ट्रेन में जगह अवेलेबल होगी तो उसे उसी दाम पर

सफर करने का हम मौका देंगे। मैं मानता हूं कि सबके लिए यह भी एक बहुत अच्छी सुविधा है और आज ही से इसकी शुरूआत की जायेगी। जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि आम आदमी के लिए सोचकर हमें क्या-क्या करना चाहिए, यह सोचकर रेलवे में हम लोग काम करें, यह उसका अगला कदम है।

SHRI G. HARI: Madam Speaker, Tatkal scheme is forcing railway passengers to buy tickets by paying extra money. In most of the trains, the seats reserved for Tatkal scheme are so high that sometimes even the tickets reserved under Tatkal are not sold. Therefore, Tatkal quota should be provided only after assessing the actual requirement and it should not be kept for the purpose of enhancing revenues of the Railways. I would like to know whether the hon. Minister will direct the Railways to assess the actual requirement of Tatkal quota in each train so that the poor people can get tickets without paying additional amount of money.

SHRI SURESH PRABHU: Madam, as the hon. Member is aware, the scheme that we announced just now will result in helping such passengers. At the same time, it is a fact that there are touts who misuse the system. Therefore, we want to introduce a system, and I would request all the hon. Members of Parliament to support it, of AADHAAR-based Know Your Customer (KYC) norm which the banks have. I have directed the IRCTC to find out how we can use AADHAAR for deciding who is a genuine registered user and who is using the IRCTC facility. Today we are seeing that there is a possibility of misuse because concrete information is not available and the identity of the user is not established. So, if AADHAAR-based KYC norm is introduced, we would be able to ensure automatically that only genuine passengers book the tickets and touts will not be able to do it.

श्री छेदी पासवान: अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न इससे थोड़ा हटकर है, लेकिन जनहित में बहुत जरूरी है। जैसे राजधानी में हम लोग चलते हैं और राजधानी दिल्ली के आसपास पहुंचती है तो उसमें प्रसारण होता है कि अब हम दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं। उसी तरह हम चाहते हैं कि वर्तमान समय में अधिकतर गाड़ियां लेट चल रही हैं। बहुत सारे यात्री आस लगा कर 4-5 घंटे बैठे रहते हैं कि अब स्टेशन आ रहा है- अब स्टेशन आ रहा है। प्रसारण नहीं होने की वजह से 4-5 घंटे यात्रियों को परेशान होना पड़ता है और स्टेशन का

इंतजार करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से राजधानी रेलगाड़ियों में प्रसारण की व्यवस्था है, उसी तरह देश की सभी रेलगाड़ियों में स्टेशन पर पहुंचने से 2-5 मिनट पहले यह प्रसारित कर दिया जाए कि हम फलाँने स्टेशन पर पहुंचने जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को कुछ सुविधा मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री सुरेश प्रभु: मैडम, जो नई ट्रेन्स आ रही हैं, उन सभी में जीपीएस बेस्ड एलर्ट सिस्टम लगाने की शुरूआत की गई है। अंत्योदय ट्रेन्स में भी जीपीएस बेस्ड सिस्टम है, वहां पर डिजिटल डिस्प्लेज़ लगाए जाएंगे कि अगला स्टेशन कौन सा आ रहा है। एक सुझाव यह भी था कि उसमें अनाउंसमेंट किया जाए। लेकिन जो ट्रेन रात को चलती है, उसमें एनाउंसमेंट करेंगे तो जो लोग सोए हुए होते हैं, उनके लिए वह वेक-अप एलार्म हो जायेगा, स्टेशन का एलर्ट नहीं होगा। इसलिए हमने एक नई सुविधा शुरू की है कि टिकट बुकिंग करने के समय यदि आप रिक्वैस्ट करते हैं तो आपके मोबाइल पर एसएमएस एलर्ट ट्रेन आने के पहले आ जाएगा। इस सुविधा की शुरूआत की गई है।

(Q. 282)

श्री रामदास सी. तडस : अध्यक्ष महोदया, वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ रेल मार्ग की काफी दिन से मांग थी। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि इस काम की शुरूआत हो गई है। इस ट्रेन रूट का कार्य काफी विलम्ब से चल रहा है, साथ ही साथ रेलवे पुलों का निर्माण कार्य जो रूका हुआ है, वह कब तक पूरा होगा? मेरा प्रश्न यह है कि इस कार्य के लिए अभी तक महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्र सरकार से कितनी राशि मिली है?

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, महाराष्ट्र सरकार के साथ हम लोगों ने एक समझौता किया है। उस समझौते के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग महाराष्ट्र के लिए कार्यान्वित कर रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, तो उसमें वह लाइन भी है और साथ ही सब-अर्बन रेलवे के कुछ स्टेशंस और लाइन भी हैं और मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। इसीलिए, जैसा आपने कहा कि इसमें बिल्कुल धन नहीं दिया गया था, तो पर्याप्त मात्रा में इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने खुद राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ, रेल के अधिकारियों के साथ एक रिव्यु बैठक इस प्रोजेक्ट के बारे में थी। उसके ऊपर भी काम चल रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम इसके ऊपर पूरा ध्यान देकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। विदर्भ महाराष्ट्र का ऐसा क्षेत्र है, जहां बहुत सालों से, बहुत सदियों से सही मायने में निवेश न करने के कारण वह बैकवर्ड रीजन भी रहा है, उसको डेवल्प करने के लिए हम पूरी मात्रा में कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामदास सी. तडस: महोदया, वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ प्रस्तावित रेल मार्ग, पूरी तरह से महाराष्ट्र के पिछड़े इलाके समझे जाने वाले विदर्भ और मराठवाड़ा से जोड़ता है। इस रेल मार्ग को पूरा करने के लिए क्या कोई समय-सीमा निर्धारित करने की योजना है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें?

श्री सुरेश प्रभु: मैडम, जैसा मैंने कहा कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3168 करोड़ रूपये है, इसमें महाराष्ट्र सरकार को जो चालीस प्रतिशत पैसा देना है, उस संबंध में उनके साथ समझौता भी हो गया है। आज तक जो काम हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि अगले तीन-चार सालों में वह पूरा होने चाहिए। लैंड एक्विजीशन के जो इश्यूज़ हैं, उनको भी शॉर्ट करने के बाद मुझे लगता है कि इस काम में और भी तेजी आ जाएगी।

श्रीमती भावना गवली (पाटील): महोदया, वर्धा-नांदेड़-यवतमाल रेलवे लाइन को सन् 2009-10 में मंजूरी मिली थी, लेकिन तकरीबन आठ-नौ साल के बाद भी अभी भी उसके लैण्ड एक्विज़िशन का काम ही चल रहा है। मंत्री जी से मेरा एक प्रश्न है कि जैसे गडकरी साहब ने रोड हाइवेज़ में लैण्ड एक्विज़िशन करने के

लिए जो कानून लागू किया है, चार गुना पैसे किसानों को उनकी जमीन के दिए जाएंगे, इसी प्रकार से क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि यह प्रोजैक्ट हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें? जैसा कि मंत्री जी ने खुद बोला है और विदर्भ है भी एक बैकवर्ड रीजन। क्या डायरेक्ट खरीदी पद्धति से हम इस पर कार्यवाही करेंगे, यह मेरा प्रश्न है?

श्री सुरेश प्रभु: मैडम, रेलवे जो भूमि अधिग्रहण करती है, जो कानून आज भी लागू है, उसी कानून के तहत करती है, इसलिए राज्य सरकार जो अमाउंट तय करती है, यदि महाराष्ट्र सरकार तय करेगी कि इतनी कॉस्ट लैण्ड एक्विज़िशन होगी, वह पूरी मात्रा में रेल की तरफ से दिया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि रेल की तरफ से उसकी कीमत को लेकर कोई इश्यू है। यह इश्यू इतना ही है कि लैंड एक्विजीशन करने के लिए लोगों की कन्सेंट भी लेनी चाहिए। आप भी वहाँ के सांसद हैं, तो यदि आप लोगों की कन्सेंट लेने में हमें सहायता करेंगी तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी इम्मिडिएटली लैंड एक्विजीशन में सहयोगी रहेगी।

श्री राजीव सातव: महोदया, मैं यहाँ से प्रश्न पूछने की अनुमति चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष : जी, वह तो हमेशा है।

श्री राजीव सातव: महोदया, यह जो सवाल है, यह मराठवाड़ा और विदर्भ को जोड़ने वाले यवतमाल, पुसूद के रास्ते से नांदेड़ और वर्धा के बीच में जो नई लाइन जा रही है, उसके सम्बन्ध में है। मंत्री जी ने जिस प्रकार से इसके लिए अलॉटमेंट किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। मंत्री जी, मुख्य सवाल यह है कि अगर लैंड एक्विजीशन के इश्यूज अगले 10-10 साल तक पेन्डिंग रहेंगे या टाइम बाउन्ड तरीके में हम इसे नहीं लेंगे तो 15 साल तक यह परियोजना पूरी नहीं हो पायेगी। इसलिए आपके रेलवे बोर्ड के ऑफिसर्स और स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये दोनों मिलकर इसके बारे में अभी से काम करेंगे तो यह टाइम बाउन्ड तरीके से होगा। मेरा इसमें मूल सवाल यह है कि वर्धा की तरफ से तो आपने काम शुरू किया है, नांदेड़ की तरफ का लैंड एक्विजीशन का काम हो रहा है, तो अगर दोनों तरफ से काम शुरू हो जायेगा तो यह परियोजना जल्दी हो पायेगी। आप इसमें टाइम बाउन्ड तरीके में कुछ करेंगे, इसके बारे में सरकार एन्श्योर करे।

श्री सुरेश प्रभु : जैसा मैंने कुछ समय पहले बताया कि इसके बारे में रिव्यू कुछ समय पहले हमने किया था। जो भी लैंड एक्विजीशन को लेकर इसमें इश्यूज आ रहे थे, उनसे किस तरह से निपटा जाये, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई है। हर जिले के एक-एक अधिकारी को भी उसके बारे में कहा गया है। जितना भी धन उसके लिए पर्याप्त मात्रा में जरूरी है, वह भी ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों ने उसको आदेश दे दिया है।

आपका जो सुझाव है, उसके बारे में भी हमने सोचा था कि क्या दूसरी तरफ से भी काम शुरू किया जा सकता है, तो लैंड एक्विजीशन का थोड़ा प्रोग्रेस होगा तो दोनों तरफ से करके हम इसको बहुत जल्द समय सीमा निर्धारित करके उसको पूरा करेंगे।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Let me start by congratulating the hon. Finance Minister and the Railway Minister for sanctioning three major projects of Mumbai suburban railway, namely CST-Panvel elevated link, Bandra-Virar elevated link and Vasai-Diva-Panvel quadrupling, the total cost of which amounts to Rs.28,546 crore.

Along with these specific projects many projects for capacity expansion have been undertaken on the suburban section under MUTP II and MUTP III. Similarly, there have been demands from various sections for quadrupling the section between Kalyan and Karjat as this section of suburban railway has seen rapid growth in terms of population in the last few years. Recently, there was a big agitation by commuters at Badlapur station because of the frequent failure in services. There was a riot like situation. It was really a pressure cooker like situation there.

Therefore, my specific question to the hon. Railway Minister is whether there is any plan to undertake quadrupling of Kalyan-Karjat section and whether it will consider any such project if the State Government is ready to share the expenditure.

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, यह प्रश्न कॉस्ट शेयरिंग के ऊपर है। यदि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आकर हमारे साथ जो भी समझौता करने को तैयार है, तो मैं सदन को कहना चाहता हूँ कि हम उसके साथ समझौता करेंगे। मैं आप सबकी जानकारी के लिए एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो पहला बजट प्रेजेंट किया था तो हमारे प्रधान मंत्री जी का एक कान्सेप्ट कोआपरेटिव फेडरेलिजम है, उसके तहत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैंने खत लिखा था और मुझे कहने में खुशी है कि 17 राज्यों ने इस बात को मान लिया है कि हम जॉइंट वेंचर बनायेंगे, सिर्फ कॉस्ट शेयरिंग नहीं, तो ओनरशिप शेयरिंग भी और उसके तहत नये-नये जो प्रोजेक्ट लिये जा रहे हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ी मात्रा में नये प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करने के लिए गति आ जायेगी। हम जरूर इसके ऊपर भी विचार करेंगे कि और भी जब कोई योजना आती

है, जैसे कि हमारे खड़गे साहब के समय में कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ भी इस तरह का समझौता हुआ था, उसको भी हम लोग तेजी से ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : गोपाल शेट्टी जी, पूना में कौन सा कॉस्ट शेयरिंग है?

श्री गोपाल शेट्टी : महोदया, मैं एकदम शॉर्ट क्वेश्चन करूँगा। मैं मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत डिटेल में उत्तर दिया है। मुम्बई शहर के बारे में (एमयूटीपी) फेज-टू का उल्लेख है, (एमयूटीपी) फेज-थ्री का उल्लेख है और बड़े पैमाने पर मुम्बई शहर में काम चल रहा है। मेरा सवाल यह है कि ऐलिवेटिड कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो मुम्बई शहर के लोगों को बहुत बड़ी दिलासा मिलेगी, क्योंकि महोदया, प्रधान मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, वे बहुत ही संवेदनशील हैं। मुम्बई शहर में आज भी प्रतिवर्ष तीन हजार से भी ज्यादा लोग रेल से गिरकर और कटकर मरते हैं। सभी कामों में प्रोग्रेस है, लेकिन मृत्यु की दर में भी प्रोग्रेस होती जा रही है। यह अच्छी बात नहीं है। इस मृत्यु दर को मंत्री जी कैसे कम करेंगे, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो मुम्बई शहर के लोगों को बहुत बड़ी दिलासा मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष : एक्चुअली यह प्रश्न अलग है, लेकिन अगर आपको उत्तर देना हो तो दीजिए।

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, जैसा कि मैंने कहा, छत्रपति शिवार्जी टर्मिनस से लेकर पनवेल तक, विरार-बसई-पनवेल 140 किलोमीटर और बांद्रा से विरार तक जो एलीवेटेड कॉरिडोर बनेंगे तो उसके कारण ट्रेनों में गति भी आ जाएगी। मुम्बई शहर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, उससे हमें भी दुःख होता है, मैं भी मुम्बई का रहने वाला हूं। लोगों की जो मौतें गिरने से होती हैं, इसके लिए तो भीड़ ही कारण है। इस कॉरिडोर की वज़ह से ट्रेनों में भीड़ कम हो जाएगी। साथ ही, मौत की दूसरी जो वज़ह है, वह यह है कि वहां रेल लाइन के दोनों साइड्स पर झुग्गी-झोपड़ियां बसी हैं। लोग लाइन को ट्रेसपास करते हैं। उसके लिए वॉल भी बनाया गया। हमने नया वॉल बनाने की भी शुरूआत की है। इसके लिए भी अगर राज्य सरकार के साथ कुछ समझौता होता है कि उन लोगों को अच्छी ज़गह पर कैसे रि-सेटल किया जाए तो मुझे लगता है कि मौत का यह जो कारण है, वह कारण भी उससे हल हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, बिहार में अगर किसी प्रदेश की कॉस्ट शेयरिंग है तो उसके बारे में प्रश्न पूछिए।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से माननीय विद्वान मंत्री से हम जानना चाहते हैं कि नई रेल लाइन सुलतानगंज से बांका-बेलहर, जो झारखण्ड में देवघर तक जाती है और बरियारपुर से मननपुर - खड़गपुर - बरहट नई रेल लाइन, जिसकी स्वीकृति भी है, योजना में भी यह दिया

हुआ है, इसके लिए सर्वे भी हुआ है, तो यह योजना कब से शुरू होगी? इसमें राशि आबंटित कर इसे कब से पारित किया जाएगा?

माननीय अध्यक्ष : केवल कॉस्ट शेयरिंग के ऊपर ही प्रश्नों के उत्तर देना है। इधर-उधर पूरी रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर प्रश्नों के उत्तर नहीं देना है।

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, यदि जय प्रकाश जी अपनी राज्य सरकार से बात करके उनके साथ समझौता करने की बात करें, जैसा कि यह प्रश्न है, इसमें अन्य राज्यों ने मान लिया है, आपका राज्य भी अगर इसके लिए मान जाए, तो इसके बारे में कार्रवाई की जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष : सुरेश अंगडी जी, अगर कॉस्ट शेयरिंग से संबंधित प्रश्न हो, तो प्रश्न पूछिए। पूरी रेलवे मिनिस्ट्री के बारे में सवाल नहीं पूछना है।

SHRI SURESH C. ANGADI: Thank you, Madam. A long pending survey has been done for construction of a direct rail line between Dharwad and Belgaum. Now, we are wasting around four hours' time for reaching Belgaum from Dharwad. The State Government is ready to share the 50 per cent of the cost including land for this. I would like to request the hon. Minister, on behalf of Shri Pralhad Joshi and myself, to expedite the said work. I would also like to request that the Belgaum Railway Station be modernized. Thank you.

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, कुछ दिनों पहले इस सदन में दस घंटे से भी ज्यादा समय तक अच्छी बहस हुई। माननीय सदस्यों ने रेल के बारे में अच्छे सुझाव दिए हैं। हम लोगों ने उसे पूरा नोट किया है और उसके बारे में जो भी काम करने की आवश्यकता होगी, वह करेंगे।

मैडम, सभी सदस्यों की जानकारी के लिए मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये सभी सवाल इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ा अन्तर है। बहुत सालों से रेल की परियोजनाएं पूरी न होने के कारण लोगों की समस्या बढ़ी हुई है। लोगों की सबसे ज्यादा जो मांग है, वह डबलिंग के बारे में है। इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक सिर्फ 15,000 किलोमीटर डबलिंग का काम हुआ था। पिछले ढाई सालों में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 12,600 किलोमीटर डबलिंग के काम को सैंक्शन किया। पहले 40-50 हजार करोड़ रुपए का इसमें सालाना निवेश किया जाता था। सिर्फ पिछले ढाई सालों में इसके लिए इसी संसद ने 3,50,000 करोड़ रुपए के बजट को मान्यता दी। हम लोगों ने इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए काम किया। पहले जो दिन में चार किलोमीटर होता था, उसे बढ़ाकर हमने आठ किलोमीटर किया। अगले साल हम इसे दस किलोमीटर करेंगे।

मैडम, मैं इसके लिए ज्वायंट वेन्चर के ऊपर इसीलिए बल दे रहा था। इसके लिए जो ज्वायंट वेन्चर कंपनी फॉर्म हो रही है, 17 राज्यों के साथ जो फॉर्म हुआ है, इसमें आठ-दस राज्यों से आगे काम चल गया है। इससे उसको इम्प्लीमेंट करने की ज्वायंट वेन्चर कंपनी की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी वैंडविड्थ बढ़ेगी। अलग-अलग लोग काम करेंगे और हर ज्वायंट वेन्चर के लिए अलग-अलग बैंक बनाकर हमने बैंकों को ही उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को कहा है। इसलिए, यह काम भी बढ़ेगा। एक ज्वायंट वेन्चर द्वारा प्रतिदिन दस किलोमीटर का काम करने की जो आज हमने स्पीड हासिल की है तो दस स्टेट्स अगर दस-दस किलोमीटर का काम करेंगे और ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में यह 100 किलोमीटर भी हो सकता है। तीन सालों के बाद ऐसा हो सकता है। ऐसा होने पर ही हमारे देश की और सारी समस्याएं हल होंगी। हम राज्य सरकारों को ज्वायंट वेन्चर के साथ जुड़ने के लिए इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा कि कहीं लैंड एक्वीजीशन का इश्यू आता है, जैसे कुछ राज्यों में लॉ एण्ड ऑर्डर के इश्यूज आते हैं, कहीं पर इन्वायरनमेंट क्लियरेंस के इश्यूज आते हैं तो इन सभी इश्यूज के ऊपर हम और राज्य सरकार लड़े नहीं और यदि हम साथ में काम करेंगे तो आज जो अलग-अलग प्रश्न आ रहे हैं, और जो बजट पर डिस्कशन के समय भी आए थे, इन सबके ऊपर मूलगामी उपाय यही हो सकता है।

(Q. 283)

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है – 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।' हम लोग देखते हैं कि इस देश में इतने ज्यादा केसेज बकाया हैं। अगर हाई कोट्र्स की बात करें तो उनमें आठ लाख से ज्यादा केसेज बकाया हैं। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोट्र्स में जाएं तो वहां 75 लाख से ज्यादा केसेज में फैसला नहीं हो पाया है। आज की तारीख में आम जनता तो सिविल कोर्ट में जाना पसन्द नहीं करती है, क्योंकि वह सोचती है कि अगर वहां जाएंगे तो उसके दो जेनरेशंस तक वहां से उसे इन्साफ नहीं मिलेगा।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि वर्ष 2010 में एक फैसला हुआ था कि पुराने केसों के लिए एक बकाया समिति बनेगी। लेकिन, यू.पी.ए. सरकार में जैसे हर बार होता था, वैसे ही उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और कानून मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि हमारी सरकार जब आई तो वर्ष 2015 के अप्रैल में यह फैसला हुआ और हाई कोट्र्स के जजों ने यह माना कि इसके लिए बकाया समिति बननी चाहिए। वह 19 राज्यों में बनी भी, लेकिन मेरा मूल प्रश्न यह है कि जो बकाया समिति बनी, क्या उसकी इफिशियंसी का कोई मापदण्ड है कि वह कितना काम कर रही है? पिछले दस सालों से पुराने सिविल और क्रिमिनल के जो पेंडिंग केसेज हैं, उनमें से कितना इस कमेटी ने सॉल्व किया? जबकि हर ज़गह इफिशियंसी की जांच होती है तो यह जो बकाया समिति बनी है, क्या उनके जजों ने बैठकें की या नहीं, और क्या बैठकें करके उन्होंने यह ध्यान दिया कि ये केसेज निपटाएं जाएंगे या नहीं, इस संबंध में मैं बकाया समिति के बारे में सारे प्रश्नों के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, अनुभवी सांसद डॉ. जायसवाल ने जो प्रश्न पूछा है, केसेज का डिस्पोजल जल्दी हो, न्याय त्वरित हो, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। आपको मालूम है कि भारत के संविधान के अनुसार न्यायपालिका आज़ाद है। केन्द्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, हमारा काम है, न्यायपालिका सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए हम उसका पूरा सहयोग करें। माननीय सदन को मैं बहुत विनम्रता के साथ बताना चाहूंगा कि वर्ष 1993 से एक सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही थी, जिसके अन्तर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5,479 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें पिछले दो सालों में मोदी जी की सरकार में 2,034 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आप देख लीजिए वर्ष 1993 से आज तक 5,479 करोड़ रुपए और उसमें 2,034 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है।

हमने और क्या काम किए हैं? हमने हाई कोट्र्स के जजों की संख्या को 173 बढ़ाया है। हमने डिस्ट्रिक्ट कोट्र्स में जजों की संख्या को 1200 बढ़ाया है। 14वें वित्त आयोग के आलोक में हमने राज्य

सरकारों से आग्रह किया है कि आप 1,800 फास्ट ट्रैक कोट्र्स और इस्टैबलिश करें, जिसमें महिलाओं के लिए, एच.आई.वी. एड्स के मरीजों के लिए, बच्चों के लिए, पुराने केसेज को हम और एक्सपेडाइट कर सकें।

आज मैं सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि सामान्यतः यह काम विधि मंत्री का होता है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आप फास्ट ट्रैक कोट्र्स को जल्दी इस्टैबलिश कराएं, ताकि लीगल जस्टिस मिले। हम यह सारी कार्रवाई कर रहे हैं।

जहां तक संजय जी का प्रश्न है कि एरियर्स कमेटी के जजेज कैसा काम करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग का सवाल है तो क्षमा करें, यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैं इतना अवश्य करूंगा कि इस सदन की चिंता उचित प्रकार से न्यायपालिका को बताऊंगा कि सदन ने यह चिंता प्रकट की है और कोर्ट स्वयं एरियर कमेटी के परफॉर्मेंस को मॉनीटर करे। I am sorry to say that the government does not wish to have any role in this.

डॉ. संजय जायसवाल: महोदया, मंत्री जी ने तो यह कह दिया कि न्यायपालिका आज़ाद है और हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन, जब हम क्लास-6 के स्टूडेंट थे और जब सोशल स्टडीज पढ़ते थे, तब हम यह पढ़ते थे कि कानून बनाना लोक सभा का काम है। लेकिन, हम लोग अभी एक नई परंपरा देख रहे हैं। चाहे मेडिकल काउंसिल की बात करें, क्रिकेट की बात करें तो आजकल कानून सुप्रीम कोर्ट बना रही है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा इश्यू बहुत सीरियस है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए एन.ई.ई.ई.टी. का मामला लीजिए। पहले केवल मैनेजमेंट कोटा में घूस चलती थी कि एक करोड़ रुपए लिए जाते थे। आज यह हो रहा है कि हर स्टूडेंट की फीस सात लाख रुपए के बदले पन्द्रह लाख रुपए कर दी गयी है। उसके लिए कोर्ट जिम्मेवारी नहीं लेती है।

मेरा यह कहना है कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया में जो सुप्रीम कोर्ट ... * कर रहा है, चाहे वह क्रिकेट हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो या चाहे दूसरी चीज़ें हों, क्या उस पर रोक लगाने के लिए मंत्री जी बताएंगे कि यह संसद भी आज़ाद है सुप्रीम कोर्ट से? क्या मंत्री जी यह बात भी बताएंगे?

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्षा जी, मैं सदन का एक सदस्य भी हूं और देश का विधि मंत्री भी हूं। सदन की सर्वोच्चता रहे, इसमें हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और प्रामाणिकता है। लेकिन, सदन को मालूम होगा, उस समय मैं कानून मंत्री था, प्रधानमंत्री जी ने मुझे वह विभाग दिया था और हम 'नेशनल ज्यूडिशियल

---

* Not recorded.

कमीशन' एक्ट लाए थे। दोनों हाउसेज से उसे सर्वानुमति से पारित किया था। अब कोर्ट ने एक निर्णय लिया और हमने उसे स्वीकार किया है। लेकिन, उस पर हमारी रिज़र्वेशंस हैं।

लेकिन मैं एक बात माननीय श्री जायसवाल जी के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहूंगा, मैं संविधान के छात्र के रूप में जहां तक भारत के संविधान को समझता हूं, कानून बनाना सदन का काम है, आदेश क्रियान्वित करना कार्यपालिका का काम और उसको इंटरप्रेट करना जुडिशियरी का काम है। आज इन्होंने क्रिकेट तथा मेडिकल काउंसिल की जो बात कही, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात अवश्य करूंगा...(व्यवधान) कि केशवानन्द भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के थर्टिन बेंच ने कहा है कि संविधान के कुछ मूल तत्व है, There are certain basic structures of the Constitution and Separation of Power is also a basic structure. By Separation of Power I mean Executive will do its own function; Parliament will do its own function and the Judiciary will do its own function -- Parliament to enact; Executive to formulate and execute and Judiciary to interpret. In this light, if Separation of Power principle is binding on all, I am sorry to say that it is equally binding on the Judiciary. That is all I would like to say.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : स्तंभ टकराने से तो इमारत नहीं हिलती है।

…(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, हमारे मंत्री महोदय ने मूल प्रश्न का उत्तर बहुत ही विस्तार में दिया है। हमने तो न्यायालय की प्रबंधन की बात की थी, लेकिन आपने प्रबंध दिया है। आज काम अच्छा हो रहा है, इसके जवाब में आपने आंकड़ा नहीं दिया है कि आपने पहले क्या-क्या कार्यवाही की है। इसी सदन में आपने एक महीने पहले कहा था कि 28 लाख 40 हजार से ज्यादा सिविल केस और 10 लाख 47 हजार से ज्यादा क्रिमिनल केस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। अभी जैसा कि श्री संजय जायसवाल जी ने कहा कि Justice delayed is justice denied; वैसे ही यह भी कहावत है कि Justice hurried is justice buried. तो इसमें एक दुविधा है। मैं समझता हूं कि कहीं क्वांटिटी की खातिर क्वालिटी ऑफ दी जजमेंट बिगड़ न जाए और ऐसा हो भी सकता है। आज कनाडा जैसे कई देशों में ऐसे प्रबंध बनाए गए है जो नेशनल वॉच डॉग का काम करती है। आखिर जूडिशियरी क्या कर रही है, इसकी क्वालिटी ऑफ डिलिवरी-मैकेनिज्म क्या है, डिले क्यों हो रहा है, पेंडेंसी क्यों हो रही है, कहां तक आइन्स से हो रहा है, कहां तक लाइन्स से हो रहा है। क्या हमारी सरकार इसके लिए नेशनल वॉच डॉग बनाने की जरूरत महसूस कर रही है?

अभी यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कानून बना लेती है, निर्देश दे रही है। तो क्या हाई कोर्ट्स में कम से कम और सुप्रीम कोर्ट में इन-कैमरा के जगह पर आप ऑन-कैमरा की व्यवस्था करेंगे कि नहीं? जैसे हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसे पूरा देश देख रहा है, वैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी क्या देश की जनता को यह जानने का अधिकार है या नहीं है, इसकी आजादी है कि नहीं है। यह मालूम होनी चाहिए और ऑन-कैमरा होनी चाहिए, हकीकत मालूम हो कि कहां से क्या हो रहा है, क्यों एक गरीब को इतना दिन न्याय के लिए इंतजार करना पड़ता है? जहां पर न्याय देने की जरूरत है, वहां पर न्याय देने के लिए वर्षों तक तैयार नहीं है। जहां न्याय देने की जरूरत ही नहीं है, वहां वह खुद कह रहा है कि हम न्याय देने के लिए तैयार है, आप मांगोगे तो न्याय की डिलिवरी होगी। यह जो न्याय देने में फर्क हो रहा है, उसको आप कैसे दूर करेंगे?

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्षा जी, माननीय श्री सलीम साहब ने अपने टिप्पणियों में हमारे कुछ काम की प्रशंसा की है, इसके लिए मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि I am not at all ignoring the management also. We are also doing that. लेकिन सलीम साहब आप एक बात को समझेंगे, क्योंकि आप बहुत ही अनुभवी सांसद है। कोर्ट का मैनेजमेंट कैसा हो, केसेस का डिस्पोजल कैसा हो, इसमें सरकार की भूमिका नहीं है और होनी भी चाहिए। हमारी सरकार न्यायपालिका की आजादी का पूरा सम्मान करती है। न्यायपालिका की तरफ से सदन में उत्तर देने का दायित्व कानून मंत्री के रूप में मेरा है, तो मैं काम कर रहा हूं। आपकी चिंताओं से उनको अवगत कराने का काम भी मेरा है। अभी आपने पेंडेंसी की बात कही है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के पेंडेंसी में कमी आई है। मेरे पास जो वर्ष 2009 से नवंबर 2016 तक के आंकड़े हैं, मैं एक ही बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में 62 हजार 16 केसेस पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट्स में भी इसमें कमी आई है। अभी 30.09.2016 का आंकड़ा मेरे पास है। सारे हाई कोर्ट्स में 40 लाख 12 हजार केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन जहां तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात है, आपने सही कहा कि वह चिंता की बात है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 30.09.2016 तक के आंकड़े भी है, अभी 2 करोड़ 85 लाख केसेस देश के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है। आपकी बात सही है कि शायद यह ऑन-लाइन रहेगा तो लोग इसे देख सकेंगे, इसमें एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा। But it has logistical problems. There are more than 19000 Districts Courts in India; there are 26 High Courts in India having so many courts in every High Court. And there are Supreme Court and many courts. इसमें एक लॉजिस्टिकल प्राब्लम भी है। ...(व्यवधान) सारी जगह हम कैमरा लगाएं, जैसे हम सदन को देखते हैं। सदन तो दो हैं, देश को इसका

अधिकार है और हमें भी पूरा अधिकार है। आपका सुझाव विचार योग्य सुझाव है, लेकिन इसमें कई लॉजिस्टिकल मामले हैं, उनका विचार करना पड़ेगा।...(व्यवधान)

SHRI K.H. MUNIYAPPA : Madam, the Law Minister is a very good lawyer. I was also a practicing advocate in the High Court of Karnataka.

I want to know his reply to two parts of my question. The first part is the most important area. I want to know whether the Parliament is supreme or the Judiciary is supreme. Once the Parliament has enacted the National Judicial Commission Act, why has it not been implemented and how has the Supreme Court rejected it? Knowing it very well, without consulting or discussing with the Judiciary, how have you passed this Bill? This Government has failed on this issue.

The Government which is in power is formed by the largest Party, the BJP. You have got the majority. Has the Government got powers under the Constitution to take such a decision? If that is there, then why have you failed in this matter? A very bad message is going to the country that weakens the democracy, the Parliament and the Constitution. You are silent on this issue of talking to the Supreme Court. We are supreme according to the Constitution. At least you have to clarify as to why you are silent on this issue.

My second part of the question is this. There should be 60 judges in the High Court of Karnataka but only 30 judges are there according to my information. When are you going to fill up the vacancies of judges? This is a very serious matter. You are a senior lawyer in the Supreme Court. Please explain these points to the nation.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, he is a very seasoned Member. As I understand, Parliament is supreme and Judiciary interprets the laws. We came with the National Judicial Commission Act with complete consensus. The Supreme Court challenged it and they held that it impinges upon the independence of the Judiciary. In the Parliament and publicly also, I have made a comment that we have our reservation as far as reasoning is concerned. But we have accepted

the judgment for the sake of judicial efficiency and appointment. For one year, the process was stalled because of pendency of the case.

But, hon. Speaker, since he has raised a larger issue, I would like to share one thing with this House. The only reasoning given by the Supreme Court is that since the Law Minister is involved with the process, if a judge is appointed by that process, he may not be impartial in his conduct and temperament. This is what the litigant may feel.

I would like to say in this House in all humility that all the leaders present here have been a part of the Government in various points of time. The Prime Minister is the leader. He works through his Ministers. The Prime Minister of India today is the main player in the appointment of the President of India, the Vice President of India, the CVC, the Chief Election Commissioner, the Public Service Commission and the three Army Chiefs. The people of India entrusts the Prime Minister the duty to safeguard the integrity and the security of India. The Prime Minister possesses the nuclear button. The Prime Minister can do so much of work entrusted by the people of India but the Prime Minister, through the Law Minister, cannot be trusted to appoint a fair judge. It is a very loaded question. Sometime, this House will have to discuss and debate that. I have been saying that very publicly.

I am very forthright in articulating the rights of the Parliament as far as autonomy in the Constitutional Amendment is concerned but they have the right to interpret. They said that independence of the Judiciary is the basic structure and therefore, we are quashing it. We have to debate it some time. I thought that the view of the Government must be known to you.

As regards the specific case of Karnataka, the appointments are in process. But do not forget one thing. The Collegium starts the appointment process. It comes to us, we take the IB feedback, the feedback of the Chief Minister and the Governor. It goes to the collegium in the Supreme Court. A record 30 per cent of the recommendations of the high courts are turned down by the Supreme Court. In

your case also, I am sorry to say, many of the nominations are remitted by the Supreme Court. But I am fast tracking it.

I want to just inform this hon. House that in the last one year the Narendra Modi Government has made 126 appointments to the high courts which is the highest ever in the last 30 years, apart from nine Supreme Court judges. We are doing our best and we will continue to do that.

SHRI PRALHAD JOSHI: I wanted to ask about the Judicial Commission and further about the functioning of the courts. Now that he has already replied to that question, I have changed my question.

Putting on record, the Government for the first time has openly come out – the hon. Minister has also written to the Law Ministers of the State Governments and the Chief Ministers – saying that the Government is a party to nearly 46 per cent of the total cases pending in various courts. About 3.14 crore cases are pending. Out of that 46 per cent means, nearly in 50 per cent of the cases the Government is the litigant.

That is why, my specific question is, whether the Government intends to formulate or review the existing National Litigation Policy in order to introduce compulsory arbitration/alternate dispute resolution mechanism for inter-State and other such Government agencies related fresh disputes in order to reduce the litigation burden upon the courts.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: It is the constant endeavour of the Government to emphasise that un-called for Government litigation must be reduced. I am grateful to the hon. Prime Minister that he personally asked me to initiate the process. He is right. I have myself written to all the Chief Ministers and all the Law Ministers that un-called for, unnecessary and frivolous litigations must be avoided. That is one thing that I would like to emphasise.

As regards the larger issue of further cooperation is concerned, surely we are working together. Arbitration architecture also we are fast tracking. I have constituted a very high powered Committee headed by Justice Srikrishna, a very

eminent former Judge of the Supreme Court to give us concrete suggestions as to how to expedite it further.

One information I would like to convey to hon. Member, Shri Pralhad Joshi. We are also encouraging the larger dispute settlements through the Lok Adalats. In 2015, 2.25 crore cases were settled by the National Lok Adalat, in 2016, 1.04 cases were settled; and in 2017, in the last two and a half months, 6,39,000 cases have been settled. This is an on-going process and we wish to expedite it further.

SHRI THOTA NARASIMHAM: Thank you Madam for giving me the opportunity.

I would like to ask the hon. Minister the following questions: whether the Government of India has any proposal to increase 'judge-population' ratio so as to facilitate speedy disposal of cases in the State of Andhra Pradesh. What steps have been taken so far by the Government of India for establishment of a high court in Andhra Pradesh after bifurcation?

HON. SPEAKER: You can ask only one question. That is all.

SHRI THOTA NARASIMHAM: Does the Government of India have any proposal to establish a high court bench at Vizag and Tirupati in Andhra Pradesh? Please give the details of average disposal of cases by the High Court in a month as well as by the District/Taluka Courts in Andhra Pradesh.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Many questions have been asked.

HON. SPEAKER: You can answer only one question. You can choose one question and answer it.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I have to reply to one question.

As far as the establishment of Andhra Pradesh High Court is concerned, surely if a new State has come into being, there must be a separate high Court. Why not? Telangana is a new State, like Chhattisgarh, Uttarakhand, etc. As far as creation of new high court is concerned, you know that there is a particular law, the bifurcation law, according to which Hyderabad will continue to remain Capital

for ten years, etc. I have been in touch with the Chief Ministers of both the States. I would like expeditious erection of infrastructure in the State of Andhra Pradesh where the new high court can function.

While I compliment your Chief Minister for the manner in which the new capital is coming, I would also urge you too that please get a new high court building done at the earliest and I will expedite it.

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, through you, I would like to remind the hon. Minister that possibly he would remember that I supported the Bill and in his speech he thanked me at least five times.

The point is that we have the power to legislate an Act or pass the Bill but the interpreter of the Constitution is the Supreme Court of India. We have to accept it. Whether I like or dislike, under the constitutional provisions, I have to accept. Now, the Supreme Court has declared *ultra vires* to a certain extent, and wanted to inter into talks with you. I read from the newspapers. I do not know exactly what it is. You can tell the correct position about the Memorandum of Procedure. I am not saying that the hon. Prime Minister or the hon. Chief Minister or the hon. Law Minister should not have any say. I am not at all saying that. This is a very important issue.

HON. SPEAKER: I know. Please put your question.

SHRI KALYAN BANERJEE: Kindly excuse me. I am not at all saying that. The problem today in the country is a good number of vacancies. This has to be resolved. Yes, you have appointed 126 Judges. I do agree. At the same time, you may tell me as to how many retirements took place during this year. It is more than 150 or 180. In the Kolkata High Court, there is a vacancy of 50 per cent. I am making a request or asking a question – you may take it in whatever form you like – I am not on technicality, I am on the substantive thing.

HON. SPEAKER: This is Question Hour, not for discussion.

SHRI KALYAN BANERJEE: What I am asking is this. What is the recourse you have now taken to resolve the problem and to fill up all vacancies in the High Courts?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I will again compliment Kalyan Babu for having asked a very pertinent question. Madam, this fact must be brought on record. We came to power on 26^{th} of May, 2014. In August, 2014, this House passed the National Judicial Commission Bill. By November, 2014 it was ratified by 50 per cent of the States. It was challenged in the Supreme Court. For the whole of 2015, it was kept pending in the Supreme Court. In December, 2015, they gave the judgement that Collegium system needs to be improved. I am sorry to state that for one year MoP remained pending in which our role is minimum. Now, they have sent a proposal. The Government would take a call.

Yes, you are right that vacancies also occur because of retirement. But Kalyan Babu being a very eminent lawyer, he also knows it that the initiation of the process is to be done by the High Court Collegium. I hope, he knows that very well. … (*Interruptions*) Then, let me share with this House that I would like to have the view of the Chief Minister, why not? I should like to have the view of the Governor, why not? I would like to have the proper intelligence input. All this process takes its own time and go to the Supreme Court. I can only assure you, we are fast tracking it, and we shall continue to fast track it.

(Q. 284)

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: Despite thorium power plants being more efficient, having less radioactive output, world over research on uranium has been done to an extensive level. But research on world over on thorium power plants is not there. If anything, India is on the cutting edge because for technologically advanced countries like the USA, Japan, they don't have thorium. So, it is not very strategic to focus on thorium but for us, it is highly imperative because we have a large thorium deposits in the world.

In the answer, the hon. Minister had mentioned that the thorium based power plants in Kalpakkam will come up after 2050. there must be some reason. Is it because of R&D funding of thorium-based power plants? Or is it because of lack of uranium-233 availability in the country?

DR. JITENDRA SINGH: I am glad that the hon. Member has raised this question and he has also himself partly answered it. Indeed, it is true that India has the largest reservoir of thorium. India can also take credit for having the only reactor in the world which is using uranium-233 process from thorium. That is known as Kamini Reactor located at Kalpakkam in Tamil Nadu. Therefore, a day would come – and we look forward to it with pride – when India would set an example of Thorium based generation of nuclear power and that nuclear energy would also meet most of the increasing energy needs of the country.

As far as the timeline that the hon. Member has mentioned, actually the process technically happens in three stages. We are in Stage I. We are on the verge of entering Stage II. I would like to share with this House, with all humility, that the present Government, under the hon. Prime Minister, has tried to fast track all these processes which are part of the Nuclear Programme. As far as this part *per se* is concerned, which the hon. Member has mentioned, in January this year itself a proposal was brought in the Cabinet and passed to enter into the Second Generation Advanced Heavy Water Reactor using Thorium which would be operational by 2026, not 2050. However, I agree with the hon. Member that 2050

is the final time limit when we would be entering into the Third Stage or Third Generation and we would have a very large scale generation of nuclear energy through Thorium. It would also be of economic and commercial utilisation.

But having said that, let me also add over here, just as I mentioned a few moments ago, that the present Government has taken a number of other measures to fast track this. For example, only about a few months back, I think a unique proposal was passed by the Cabinet to have joint ventures in nuclear plant installation which we did not have earlier during the last 60 years of the Atomic Energy Programme since it was started by Dr. Bhaba in 1956. Going by this joint venture, we would have the Government PSUs engaging themselves with the Nuclear Power Corporation of India Limited. They would be doing the funding part, the Nuclear Power Corporation will be providing the technical know-how and, therefore, it will help us in expanding our Nuclear Power Programme.

I think, I can also reasonably take credit that in the last three years we have brought the Nuclear Power Programme to other parts of the country where it did not exist earlier. For example in North India, just about a year-and-a-half back we have started work on a Nuclear Power Plant in Gorakhpur in Haryana which would be functional in another three or four years and would produce very cost effective energy.

DR. SHASHI THAROOR: Thorium is in Kerala.

DR. JITENDRA SINGH: No, I am talking besides that. Thorium is one thing. But what I am saying is about the fast tracking of the process. Thorium, of course, is on the beaches and to add to what hon. Member Dr. Shashi Tharoor is saying, it is on the beaches of Kerala and Tamil Nadu. It is part of the seven associated minerals. That is why it is known as the 'beach mineral'. Therefore, that is one aspect. But what I am saying is that a host of other measures have already been taken to fast track the Nuclear Power Programme of India.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: Madam, India is importing Uranium. But Uranium deposits are being discovered, including huge deposits in Telangana.

Hyderabad also has a Nuclear Fuel Plant. It supplies nuclear fuel to the entire country and Hyderabad also companies like MTAR which manufactures critical components for Atomic Power Plants. Now, I would like to ask the Minister as to what the plans for Telangana are. Is the Government planning to mine Uranium in Telangana and how will Telangana benefit from that if they are planning to do so?

DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, as far as the exploration of Uranium is concerned to which the hon. Member is hinting, certainly soon after this Government came into power in 2014, under the guidance of the hon. Prime Minister, we laid before us the target of making our generation capacity three times in the next 10 years from 2014, that is, up to 2024. The hon. Member has rightly said that it would be possible only if we have sufficient reserves of Uranium, some of them exported and some of them explored from our domestic sources. Therefore, several new areas or new regions are also being explored. We have, for example, the Atomic Mineral Directorate (AMD), under the Department of Atomic Energy, which has Regional Offices. Recently I was there in one of its offices in Nagpur and that was the first time in 70 years that a Union Minister was visiting that Centre.

What I am trying to emphasise is that we are actively pursuing it. Then, we are also exploring in the States like Bihar, Meghalaya, some of those areas, which were virgin hitherto. Certainly, the exploration is also going to increase. We hope that, now, if we have reserves of about 4700 million tonnes or so, it would also, in course of time, increase to twice or thrice.

Therefore, our atomic energy capabilities will be among the frontline nations of the world.

SHRI B. VINOD KUMAR: What about Telangana?

DR. JITENDRA SINGH: This is an on-going process. What happens is that wherever we find the possibility including Telangana, which was a part of the erstwhile Andhra Pradesh and which is one of the main States including Andhra

and Tamil Nadu, we constantly keep exploring. Sometimes, we succeed; sometimes, we do not; and sometimes, we half succeed.

But certainly, Andhra Pradesh and Telangana are the main focuses of uranium exploration.

SHRI DUSHYANT SINGH : Hon. Speaker, I would like to ask the hon. Minister that in light of the long duration of time required in order to fully reap the benefits of our vast thorium reserves under the Third Stage of Indian Nuclear Power Programme, is the Government, now, looking at the reactor design like the Accelerator Driven System (ADS), the Advanced Heavy Water Reactor and the Compact High Temperature Reactor, which allow more direct use of thorium in parallel with sequential Three Stage Programme?

If yes, has any action been taken on these lines among the present level of progress?

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker, I appreciate the question put by the hon. Member. As I said a few moments earlier, in January itself this year, the Cabinet passed a provision for the Advanced Heavy Water Reactor; and this is a pressurized heavy water reactor. We are already into it. As I said, very soon, we are in the process of making our nuclear generation capacity multiple times more than what it exits today.

(Q. 285)

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Madam, I would like to thank the hon. Minister for a complete and detailed reply, and I appreciate the challenges that Aadhaar has. So, he has not made it mandatory. So, it is very kind of him, especially for the concession of the senior citizens.

I would like to take this opportunity to ask him that what more efforts is the hon. Minister making for making cashless effectively, especially in the rural parts of India. In urban parts of India, it is very well implemented, especially in the metros. But what about rural parts of India?

SHRI SURESH PRABHU: Madam, cashless could be the ultimate destination. But less cash is the immediate priority; and to do that, there are quite a few measures, which have been taken. I would like to say that, in fact, now, 62 per cent of the reserved tickets booked are on the internet with 68 per cent revenue for the Railways. It has improved considerably, and improving constantly because of the efforts that we are putting in. We are putting 10,000 PoS machines through the SBI in the remote areas; these are not the cities I am talking about. We are doing all kinds of things. We are integrating seven payment gateways for accepting debit and credit cards. Thirteen direct debit card integration has already taken place. Thirty net-banking integrations with banks and 44 net-banking through one payment aggregator and eight prepaid instruments (with three cash cards and five e-wallets) have already happened. We are also working on making sure that more and more people come. So, automatic vending machines are put. Then, 'Go-India' smart card is already put in place.

So, these are all the measures, which have been taken, including using post offices. Now, we have appealed to many banks, which are there in the far-flung areas where people can go and book the tickets.

So, this is what we are trying to do to increase the reach of ticket booking. We are trying to go to the passengers rather than the passengers coming to us and trying to book their tickets.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Madam, just earlier also, he talked about touts, which still seems to be a challenge. So, are we all committed that touting that happens in railway tickets, where especially the poor people are getting fleeced, will be totally eradicated by the initiative taken by the hon. Minister?

SHRI SURESH PRABHU: Madam, this has to be an on-going process. One of the best ways to tackle it is by using technology. As we progress on using technology more and more, the identity of the person who is booking the ticket can be properly established.

Actually, what is touting, Madam? He either impersonates or using somebody else's identity to book the ticket and then sell it at a premium. The only way we can address this challenge is by ensuring that we sell tickets only to genuine passengers who want to travel. That is why, we are using technology to make that happen. As I said earlier and you asked, Aadhaar is being used primarily for senior citizens which will ensure that, at least, we have proper database of senior citizens. Today, it is not pre-examined and we do not know who the senior citizen is. I may look like a senior citizen, which I am sure you do agree, but I may not be the senior citizen. Therefore, we must make sure that we use proper technology and establish identity.

HON. SPEAKER: Shri Kirti Vardhan Singh – not present.

Now, the Question Hour is over.

12.00 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-प्रसुविधाएं) संशोधन नियम, 2016, जो 27 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.170 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 6679/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): Madam, on behalf of Shri Rajen Gohain, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) on the progress made in the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against vacancies reserved for them in recruitment and promotion categories on the Railways for the year ending 31st March, 2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6680/16/17]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, थोड़ा शांति रखें।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Research Development Corporation, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the National Research Development Corporation, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6681/16/17]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6682/16/17]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2015-2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6683/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.)): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6684/16/17]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the year 2015-2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6685/16/17]

(5) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 6686/16/17]

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह तो स्कूल से भी ज़्यादा हल्ला हो रहा है।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI P.P. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the ERNET India, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the ERNET India, New Delhi, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6687/16/17]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Software Technology Parks of India, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Software Technology Parks of India, New Delhi, for the year 2015-2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6688/16/17]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 89 of the Information Technology Act, 2000:-

(i) The Digital Signature (End entity) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.660(E) in Gazette of India dated 26th August, 2015.

(ii) The Information Technology (Security Procedure) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.661(E) in Gazette of India dated 26th August, 2015.

(iii) The Information Technology (Certifying Authorities) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.662(E) in Gazette of India dated 26th August, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 6689/16/17]

<u>12.02 hours</u>

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 20th March, 2017, agreed to the following amendments made by the Lok Sabha at its sitting held on the 9th March, 2017, in the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016:-

<u>ENACTING FORMULA</u>

1. That at page 1, line 1, ***for*** the word "Sixty-seventh", the word "Sixty-eighth" be ***<u>substituted.</u>***

<u>CLAUSE-1</u>

2. That at page 1, line 3, ***for*** the figure "2016", the figure "2017" be ***<u>substituted."</u>***

(ii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immunodeficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2017 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 21st March, 2017."

2. Madam Speaker, I lay on the Table the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immunodeficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2017 as passed by Rajya Sabha on the 21st March, 2017."

____

12.02 ½ hours

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'BILLS AND RESOLUTIONS
31st Report

KUNWAR BHARATENDRA SINGH (BIJNOR): I beg to present the Thirty-first Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.03 hours

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 287th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Department of Space*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 287th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Department of Space.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : Order in the House please. ये क्या हो रहा है?

…(व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6690/16/17.

12.03 ½ hours

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 274th Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 259th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 274th Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 259th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology.

(b)Status of implementation of the recommendations contained in the 278th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 278th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6691/16/17 and LT 6692/16/17 respectively .

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 286th Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 278th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 286th Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 278th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6693/16/17.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कुछ सदस्यों से विभिन्न विषयों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमने किसी भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : अध्यक्ष महोदया, मैं शून्य काल में अपने क्षेत्र राजगीर के लोक महत्व की बात सदन में उठाना चाहता हूं।

महोदया, नालंदा 800 वर्ष प्राचीन विश्वविद्यालय है। इस ज्ञान की भूमि को हमारे नेता नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से विश्व के मानचित्र में इस विश्वविद्यालय ने अपनी पहचान स्थापित की है। नालंदा में ही पावापुरी और कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मस्थली है। इन दोनों तीर्थस्थलों पर हजारों जैन धर्मानुयायी व अन्य तीर्थ यात्री दर्शन करने आते हैं। राजगीर के बेनु वन विहार में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ कई चतुर्मास किए थे। यह स्थान बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बौद्ध शक्तिपीठ की भांति है। बौद्ध ग्रंथ विनय के अनुसार बेनुवन स्थल केंद्र बौद्ध संघ के लिए परम पवित्र स्थल है, जो भगवान बुद्ध के बताए मार्गों की झलक प्रस्तुत करती है। यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तप एवं साधना का केंद्र बन चुका है। आज इस महापवित्र स्थल की सुरक्षा, संरक्षण एवं इसे अधिक विकसित कर पुराने वैभव को लौटाने की आवश्यकता है। राजगीर में ही रत्नागिरी पर्वत पर अवस्थित भगवान बुद्ध की प्रिय तपस्थली गिर्द्धकूट है, जहां सूर्योदय के समय ध्यान और तप की मुद्रा में भगवान बुद्ध विराजमान रहते थे। गिर्द्धकूट पर्वत को ही गौरव प्राप्त है कि ज्ञान प्राप्ति के पूर्व एवं ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था। इस स्थल पर बौद्ध अनुयायियों को पूजा करते वक्त भगवान बुद्ध की अनुभूति महसूस होती है।

मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि राजगीर आने वाले चाहे गुजरात के पर्यटक हों, चाहे बंगाल के पर्यटक हों, इनके आने के लिए सीधी ट्रेन की व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री प्रेम दास राई को श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवनीत सिंह – उपस्थित नहीं।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदया, देश के औद्योगिक महानगरों को जहरीला बनाने वाले फर्नेस ऑयल और रबर ऑयल के लगातार उपयोग होने से महानगरों में रहने वाले लोगों में जानलेवा प्रदूषण का खतरा बना हुआ है। इसके उपयोग पर 20 साल पहले पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन देखने में आ रहा है कि देश के जो औद्योगिक महानगर हैं जैसे दिल्ली, मुम्बई, चैन्नेई, कानपुर, कोटा, गाजियाबाद, विशाखापट्टनम आदि स्थानों में देखने में आ रहा है कि फर्नेश ऑयल और रबर ऑयल का आज भी व्यापक मात्रा में उपयोग हो रहा है और इसके उपयोग होने से जो धुंआ निकलता है, वह हवा में कार्बन मोनोआक्साइड जैसी जहरीली गैसों को छोड़ता है। इस कारण कैंसर और अस्थमा रोगों की वृद्धि हो रही है। वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, लेकिन कई शिकायतों के बाद अभी दिल्ली के आस-पास की जो औद्योगिक ईकाइयां हैं, वहां पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने एक टीम भेजी थी। उसने वजीराबाद, वजीरपुर, जी.टी. करनाल रोड, समयपुर बादली और दूसरी औद्योगिक ईकाइयों का भी निरीक्षण किया और पाया कि वहां फर्नेश ऑयल और रबर ऑयल का बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। फर्नेश ऑयल (जला हुआ काला तेल) और रिफाइनरी का बाय प्रोडक्ट होता है, औद्योगिक ईकाइयों में बॉयलर और टर्बाइनर को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसी से वायु प्रदूषक तत्व पैदा होते हैं, जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में फर्नेश ऑयल पांच सौ से आठ सौ गुना अधिक वायु प्रदूषक तत्व पैदा करता है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि महानगरों की जो औद्योगिक ईकाइयां हैं, उनमें फर्नेश ऑयल और रबर ऑयल का जो प्रयोग किया जा रहा है, इस पर पूरी तरह से रोक लगाने की कार्यवाही तुरंत की जाए, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री हरीश मीणा, श्री हरिओम सिंह राठौड़, श्री ओम बिरला और श्री राहुल कास्वां को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शैलेश कुमार - उपस्थित नहीं।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : महोदया, आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदया, मैं कल्याण संसदीय क्षेत्र से आता हूं और यहां तेजी से आबादी का विस्तार हो रहा है। यहां की आबादी तीस लाख से ज्यादा है। अधिकांश लोगों को रोजी-रोटी कमाने के लिए मुम्बई आना-जाना पड़ता है। ऐसे में रेलवे ही एकमात्र माध्यम है, जो कि अब पूरी तरह से सैच्युरेट हो चुका है। यात्रियों की कई प्रमुख मांगें हैं, लेकिन उनकी एक प्रमुख मांग है कि अम्बरनाथ और बदलापुर दो उपनगरीय स्थानों के बीच एक नया स्थान चिकलौली स्थान बनाया जाए, जिसकी वजह से इन दो स्थानों पर इकट्ठा होने वाली भीड़ कम हो सके। अम्बरनाथ और बदलापुर स्थानों के बीच साढ़े सात किलोमीटर का फासला है और मुम्बई के कई ऐसे स्थान हैं, जिनके बीच केवल दो किलोमीटर की दूरी है या इससे भी कम दूरी है। ऐसे में अम्बरनाथ और बदलापुर की आबादी को ध्यान में रखते हुए दो स्थानों के बीच नया स्थान चिकलौली स्थान का होना अनिवार्य है। मैं कई बार रेल मंत्रालय को इस बारे में लिख चुका हूं। मध्य रेलवे ने कुछ साल पहले सर्वे भी किया था और इन स्थानों का इंजीनियरिंग स्किल प्लान और एबैस्ट्रैक्ट फाइनेंशियल एस्टीमेट मान्यता के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है।

मेरी आपके माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री जी से विनती है कि यह मामला लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द निर्णय लेकर आवश्यक धनराशि आवंटित करने की मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri Om Prakash Yadav – Not present.

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Madam Speaker, through you, I would like to draw the attention of the House and the Government to the problem of poor internet connectivity in the North-Eastern States. There is a substantial asymmetry in the distribution and effective use of internet resources in the North-Eastern Region.

Just recently, banks had been closed for the last two weeks because of poor connectivity. When we speak of Digital India and E-Governance, these will not be successful until and unless we have the connectivity in the North-East. The banks

and other service providers are having that problem. How do we expect an E-Governance service or a cashless transaction in these areas? I have my headquarters in Tuting. Yingkiang, Anini, Hayliang, Changlang and Khonsa are very far off places and it is very difficult to get internet connectivity there.

Hence, the Government has to think a lot about it, and especially when parties have even got contracts for laying of the fibre optic cable, that work also, because of red-tapism, is still not being done. The Government should kindly look into this. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Kumari Sushmita Dev and Shri Radheshyam Biswas are permitted to associate with the issue raised by Shri Ninong Ering.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, the Union Government has been implementing Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) to provide basic service and build amenities in cities with more than one lakh population across the country since 2015. In Odisha, around nine cities with a population of 28.5 lakh are being covered now, which have a population of more than one lakh. But there are another 101 towns and cities which also have a population of more than 28 lakh. My request to the Government would be that it should come down, instead of fixing it with only one lakh and above. The Government should bring it down to 35,000 and above so that urban amenities also can be provided to those townships and municipalities where AMRUT programme is implemented.

This was the system which was being implemented during the JNNURM programme under the Urban Infrastructure Development for Small and Medium Towns but that was stopped since 31st March, 2014. Therefore, I would also request this Government not only restrict it to only one lakh population but also to bring it down to 35,000. Instead of 50:50 basis where the State Government is giving 50 per cent and the Union Government is giving 50 per cent, make it, at least, to 80:20 so that the respective urban bodies can also develop infrastructure in those towns.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया।

इस वक्त असम में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वहाँ 48 लाख लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ की सरकार ने परमीशन दी, इसके लिए कैबिनेट मीटिंग हुई और जो लिंकेज सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया था, वहाँ तीन साल से एनआरसी सर्टिफिकेट का काम शुरू है। उन एनआरसी सर्टिफिकेट्स के लिए लिंकेज के जिन-जिन सर्टिफिकेट्स को परमीशन दिया गया था, सबको पूरा करके लगभग 80-85 लाख लोगों का एनआरसी सर्टिफिकेट तैयार हो गया। अचानक वहाँ के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि वहाँ की जो औरतें हैं, जो शादी के बाद एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, जो बच्चे हैं, वर्ष 1989 से पहले असम में बर्थ सर्टिफिकेट का कोई मसला ही नहीं था। लगभग 48-49 लाख लोगों को साइड में करके एनआरसी प्रिपेयर किया जाएगा तो पूरे असम में इसके लिए हंगामा मचा हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसमें लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एटॉर्नी जनरल का हस्तक्षेप चाहता हूँ, ताकि इसका कोई न कोई हल निकाला जाए। इसका कोई ऐसा सब्सटीट्यूट होना चाहिए, कोई न कोई ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि लोगों की यह परेशानी दूर हो। इसमें सारे कम्युनिटीज के लोग हैं, कोई एक कम्युनिटी के ही लोग नहीं है। इसलिए इस मामले में स्पेशियली ध्यान दिया जाए।

HON. SPEAKER: Shri Gaurav Gogoi, Shri Radheshyam Biswas and Shri Naba Kumar Sarnia are permitted to associate with the issue raised by Shri Badruddin Ajmal.

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रतापराव जाधव - not there. कहाँ चले जाते हैं। श्री पशुपति नाथ सिंह।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत धनबाद और बोकारो झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण औद्योगिक जिले हैं। देश में धनबाद को कोयले की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ कई केंद्रीय प्रतिष्ठान हैं। इन केंद्रीय प्रतिष्ठानों में मुख्यतः कोल माइंस प्रोवेडेन्ट फंड का मुख्यालय, सेंट्रल रिसर्च स्टेशन, आई.आई.टी., इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, डी.वी.सी के दो प्रोजेक्ट - मैथन और पंचेत हैं। बोकारो में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बोकारो स्टील प्लांट तथा उसके आस-पास बहुत सी इंडस्ट्रीज एवं कोलयरियाँ हैं। इन दोनों स्थानों पर आधुनिक हवाई-अड्डे के माध्यम से हवाई सेवाओं की

नितांत आवश्यकता है। हालांकि, धनबाद में पुरानी तकनीक से बना हुआ हवाई-अड्डा है। वहाँ बी.एस.एल का पुराना हवाई-अड्डा भी पूर्व से बना हुआ है। इन हवाई-अड्डों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि धनबाद और बोकारो में आधुनिक हवाई अड्डा बनाकर वहाँ हवाई सेवा चालू की जाए, जिसकी वर्तमान समय में नितांत आवश्यकता है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 22 मार्च के दिन आज बिहार दिवस है। आज के शुभ दिन पर हम इस सदन के माध्यम से समूचा बिहारवासी और समूचा भारतवासी के शुभकामना देई थीं। हम अइसन क्षेत्र से चुनकर आवाही, जेकर देश के बहुत पुराना इतिहास हे, बहुत सुन्दर और अच्छा इतिहास हे। मगध साम्राज्य के इतिहास देश के इतिहास में उल्लेखनीय हे। मगध क्षेत्र में एक से एक विद्वान होयलन, एक से एक संत होयलन, जे दुनिया के शांति के संदेश देलन। भगवान महावीर, मगध के चक्रवर्ती सम्राट अशोक जे दुनिया के अहिंसा के संदेश देलन। मगध विक्रमादित्य और तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ हल, नालन्दा विश्वविद्यालय जहाँ हल, अइसन उज्ज्वल और बड़ा क्षेत्र मगध साम्राज्य के इतिहास कोई से छिपल न हे, जहाँ भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक और मौर्य वंश के चन्द्रगुप्त, चाणक्य सहित अइसन लोग होयलन कि जेकर कारण एक समय भारत से भी बड़ा नक्शा मगध साम्राज्य के हल। देश में जे 14 महाजनपद हल, ओकरा में एगो मगध भी हल। हियां चाणक्य होयलन, चन्द्रगुप्त होयलन। चाणक्य के लिखल अर्थशास्त्र के किताब दुनिया में आज भी सबसे अच्छा और सही मानल जाहे। राजनीति शास्त्र पर जे ज्ञान और संदेश ऊ देलन ओकर उदाहरण आज भी दुनिया में देल जाहे। लेकिन सबसे दुख के बात हे कि एतना सुन्दर इतिहास वाला क्षेत्र, जेकर एतना बड़ा साम्राज्य हो, जहाँ के बिम्बिसार होइलन, ओही गिरिब्रज पहले एकर राजधानी हल, जे आज के राजगृह हे। जब मगध के सम्राट अशोक होइलन, त ऊ एकर राजधानी पाटलीपुत्रा ले गैइलन, जे आज बिहार के राजधानी पटना हे। अइसन सुन्दर इतिहास वाला क्षेत्र में जौन भाषा बोलल जा हे- मगही, जे बहुत मीट्ठा भाषा हे, जेकरा में अपनापन के बहुत भाव हे, दुख के साथ हमरा रउरा से आग्रह करी पड़ी थे कि ई भाषा के संविधान के आठवीं अनुसूची में आज तक दर्ज ना कइल गेल। जबकि एकरा से मिलता-जुलता भाषा पाली हे, जे मगध विश्वविद्यालय में पढ़ावल भी जाहे, ई खातिर हम रऊआ के माध्यम से भारत सरकार से मांग करे ला चाही थी और रऊरा से भी एगो आग्रह हे कि रऊआ आसन से सरकार के निदेश देऊ कि मगही भाषा के संविधान के आठवीं सूची में शामिल कइल जाए

ताकि हमनीं मगही भाषी, जे देश-दुनिया में फैलल ही, हमनी के भाषा के सम्मान मिले। हमनी के एकर एगो सुखद अनुभूति हे। एकरा खातिर हम राऊर आशीर्वाद चाही थी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री कौशलेन्द्र कुमार एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : आपने मगधी भाषा में बहुत अच्छा बोला है।

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

रीवा जिले से होकर जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग जाते हैं, उन सभी को फोर लेन का किया जा रहा है। उनमें से कुछ का कार्य पूर्ण हो चुका है। जहां काम पूरा नहीं हुआ है, वहां भी एजेंसियां कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर मनगवां से चाक के लिए और बेला से सतना के बीच के क्षेत्र में जो एजेंसी काम कर रही है, उसने लगभग डेढ़ वर्ष से काम बंद किया हुआ है और वह हिला-हवाली कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 मनगवां से चाक और बेला से सतना का निर्माण शीघ्राशीघ्र पूर्ण कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री गणेश सिंह को श्री जनार्दन मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : अध्यक्ष जी, मेरा निर्वाचन क्षेत्र कोल बैल्ट है और यहां डब्ल्यूसीएल की माइंस बहुत ज्यादा हैं। डब्ल्यूसीएल किसानों से जमीन लेती है तो उनको कहा जाता है कि उनको मुआवजा और नौकरी दी जाएगी। हमारे किसान उनके बहकावे में आकर अपनी जमीन दे देते हैं और उनसे एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट के अनुसार उनको जो मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए, वह माइन चालू होने के दो साल बाद देते हैं। उनको नौकरी देने का जो आश्वासन है, उसमें वह उनको लैबर की नौकरी देते हैं, उनकी शिक्षा के अनुसार नौकरी नहीं देते हैं। इसके अलावा उनको पांच-छः साल बाद नौकरी दी जाती है, जिससे हमारे किसान का बच्चा ओवरऐज हो जाता है। उसके बाद उनको ओवरऐज बताकर उनको नौकरी नहीं दी जाती है। इन सब पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेरी दूसरी विनती है कि सिंगोरी माइन में उनको न पैसा दिया गया और न ही नौकर दी गयी, लेकिन कांट्रेक्टर को वहां काम करने के लिए भेज दिया गया, जिससे वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई और किसानों से झगड़ा हो गया। वहां की पुलिस ने यह कहकर डब्ल्यूसीएल का पक्ष लिया कि वह गवर्नमेंट की कम्पनी है और किसानों पर मुकद्मा दाखिल करके उनको जेल भेज दिया गया। किसानों पर डब्ल्यूसीएल के

द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, इसे रोकने की आवश्यकता है। इसके अलावा पुनर्वास की पॉलिसी के बावजूद भी डब्ल्यूसीएल ने अभी तक इन लोगों का पुनर्वास नहीं किया है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, नई माइंस खोल रहे हैं और कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में जाने के बाद स्थिति अलग होती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इस विषय पर गम्भीरता से ध्यान दे।

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि मेरा लोक सभा क्षेत्र लालगंज है और वहां आजादी के बाद भी रेल लाइन की सुविधा नहीं है। बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है और वहां से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसके अलावा गोरखपुर भी हम लोगों का धार्मिक स्थल है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती है कि इसकी पूरी दूरी दो सौ किलोमीटर की है और बनारस से लालगंज, आजमगढ़, दोहरीघाट होते हुए गोरखपुर तक की रेल लाइन की सुविधा प्रदान करें और आने वाले बजट में उसे समाहित करके हम लोगों को अनुग्रहित करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री शरद त्रिपाठी को श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

HON. SPEAKER: Shri A. Anwhar Raajhaa -- not present.

Shri Baijayant Jay Panda.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Madam, thank you for giving me this opportunity to raise the issue of enforced shutdowns of mobile and broadband services in various parts of the country.

There has been an increase in number suspending such services and these orders are issued under Section 144 of the Criminal Procedure Code by the State Governments in spite of separate rules issued by the Union Government under the Information Technology Act. Madam, these are blanket orders. There is no clarity on the time limit for suspension of services and it has been estimated last year that the financial loss to the country was about Rs. 650 crore. Five such orders have already been passed in February this year.

Madam, with the growing of digital economy, there is a pressing need to have a rule-based system for such suspension because of security concerns. Hence, the Union Government must formulate such rules.

I would like to give some specific suggestions. The Union Government should notify that only in case of emergency or in case of security threat, it must be done, not arbitrarily. It should be in an escalating system. For example, the Superintendent of Police should be allowed to enforce such suspension of mobile or broadband services one day at a time for a week; the DG Police should be allowed to do it one week at a time for three weeks; the Chief Secretary may extend such suspension for one month at a time up to maximum of three months; and the Cabinet of the State has to take a decision. It cannot be indefinite suspension of mobile and internet services.

Finally, I would like to say that even in times of disruption during the imposition of Section 144, exceptions are made so that people can go and buy some milk or food. Such similar provisions have to be there. We are causing a great harm to the country without this.

HON. SPEAKER: Shri Sanjay Kaka Patil – Not present.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Thank you, Madam, for letting me raise an important issue regarding the lives of the poor plantation labourers in the State of Kerala, especially, in my constituency.

As we know, the plantation industry has been suffering from a lot of issues for long because of the policy decisions of the Government, the no-liberal policies of the Government, indiscrimination in import of tea and other plantation products from abroad to India and other issues. But, the victims of all these issues are the poor plantation labourers. The plantation laborers are being denied their wages, medical facilities, accommodation, sanitation facilities, access to banking system and other amenities. All the facilities required under the Plantations Labour Act are also being denied citing the prevailing issues and problems in the plantation sector.

In my constituency, two plantations remained closed for last fifteen years. More than 30,000 of the plantation labourers are denied all the facilities including what is required for their daily sustenance also. Some of them are even forced to

migrate to other places and their families are also suffering. More than 35,000 plantation labourers in Idukki are facing this problem and almost all the plantation labourers in Kerala are also suffering from this kind of issue. Therefore, I urge upon the Government to introduce and declare a special package for the plantation laborers in Kerala for the purpose of ensuring their survival and sustenance.

HON. SPEAKER: Shri P. K. Biju, Shri Badruddin Ajmal, Dr. A. Sampath, Shri Sankar Prasad Datta, Shri M. B. Rajesh and Shri M. K. Raghavan are permitted to associate with the issue raised by Shri Joice George.

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं सदन के माध्यम से आज पूरे बिहार की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं कि बिहार आज स्थापना दिवस मना रहा है।

महोदया, छोटी-छोटी भाषाओं का उत्तरोत्तर विकास हो, मैं इसका पक्षधर हूं और आज देश में करीब 22 छोटी-छोटी भाषाओं को संविधान की अठम अनुसूची में शामिल भी किया गया है। यह सुखद बात है, खुशी भी है। पूरे देश में लगभग 25 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, बिहार में और देश में छिटपुट जगहों पर भी भोजपुरी बोली जाती है। सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी जैसे सुरीनाम और मॉरीशियस में भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन दुःखद बात यह है कि अब तक भोजपुरी को संविधान की अठम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आप हमारी न्याय की प्रतिमूर्ति हैं, आपसे न्याय की उम्मीद है, मैं आपसे मांग करता हूं कि भोजपुरी को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल कराने हेतु संबंधित विभाग को आदेश देने की कृपा करेंगी।

HON. SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Shri Jagdambika Pal, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shrimati Neelam Sonker are permitted to associate with the issue raised by Shri Chhedi Paswan.

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, आपने एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वह बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देने के मुद्दे को उठाने का मैंने काम किया है। जैसा कि आप जानती हैं कि बिहार एक अत्यंत ही गरीब राज्य है। पिछड़ा राज्य है, उसके पास किसी तरह की सोर्सेज नहीं हैं। उस परिस्थिति में विधान सभा के चुनाव में माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि बिहार को एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देंगे, लेकिन

उसके बाद अभी लगभग डेढ़ साल होने वाला है, परंतु किसी तरह की कोई सहायता बिहार राज्य को नहीं मिली है। जैसा कि आप जानती हैं कि बिहार प्रायः बाढ़ और सुखाड़ से जूझता रहता है। उसके पास किसी तरह की कोई इकोनोमिक सोर्सेज नहीं हैं। उस परिस्थिति में अगर बिहार को विशेष राज्य का पैकेज नहीं दिया जायेगा तो बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि बिहार के लिए जो एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है, वह तुरंत दें, अन्यथा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा की जाए। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सीवान के करीब-करीब हर गांव में लोग कैंसर रोग से ग्रसित हैं। जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो हर गांव में 15 से 20 मरीज ऐसे होते हैं, जो कैंसर रोग से ग्रसित होते हैं। वे निहायत ही गरीब लोग होते हैं, जो साधन-सम्पन्न नहीं हैं और वे उचित इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। हम आज भी अपने डेरे पर लाकर 15-20 रोगियों को रखते हैं, उन्हें खाना खिलाने का प्रयास करते हैं।

हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि एक विशेष जांच टीम बिहार राज्य के सीवान में भेजकर जांच कराई जाए कि आखिर इसका क्या कारण है? ऐसे कौन से तत्व का अभाव है कि वहां के लोगों को कैंसर रोग हो रहा है तथा उनके इलाज हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित करने की कृपा की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी तथा डा.ए.सम्पत को श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय सदन इस बात से पूरी तरह से परिचित है कि देश में किसानों की हालत बहुत ही दयनीय और बदतर है। किसान अपनी फसल को बेचकर उत्पादन लागत भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में दाल का उत्पादन करने वाले किसान अपनी दाल की फसल को बेचने के लिए कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। किसानों को बाजार में अपनी उत्पादन लागत भी नहीं मिल पा रही है। सरकार द्वारा जो खरीद केन्द्र न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल लेने के लिए निर्धारित किये गये हैं, वे काफी कम हैं और किसानों को अपनी दाल की फसल को बेचने के लिए खरीद केन्द्रों पर बहुत लम्बी कतारें लगानी पड़ती हैं। जो छोटे-छोटे किसान हैं, उन्हें अपनी पांच बोरी, दस बोरी दाल फसल बेचने के लिए वहां 15-15, 20-20 दिन का मुकाम करना पड़ता है। इसके अलावा खरीद केन्द्रों में बोरों की भी बहुत कमी है, इसी वजह से केन्द्र दो दिन चालू

रहता है तो पांच दिन बंद रहता है। इससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए कल्याण कार्य भी नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश में किसानों को कर्जमुक्त बनाने की पहल की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश के सत्ताधारी नेताओं ने किसानों का कर्ज माफ करने का आश्वासन दिया है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी कर्जमुक्त करने की बहुत जरूरत है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र के किसानों को कर्जमुक्त किया जाए। आज किसानों की हालत बहुत दयनीय हो गई है। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों को फसल की लागत के ऊपर पचास प्रतिशत मुनाफा मिलना चाहिए। इसलिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए।

अंत में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बुवाई की गई दालों की फसल को काट रहे किसानों को उनकी उत्पादन लागत से ज्यादा मूल्य मिलना चाहिए और देश में स्वामीनाथन रिपोर्ट को शीघ्र लागू करना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रताप राव जाधव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): Madam, today is World Water Day. About 80 per cent of India's water is provided by ground water. But during the last many decades, due to overuse of ground water, there is 65 per cent dip in water level in India's well. Uttar Pradesh, Telangana, Bihar, Uttarakhand, Maharashtra and Haryana are top States with highest proportion of fall in the water level in wells. The NDA Government under the dynamic leadership of the Prime Minister Shri Narendra Modiji have taken various steps to provide clean drinking water to the people. The Government has also started 'Namami Gange' action plan for providing clean water. But, it is also a hard fact that in spite of the efforts of the many decades to provide clean water, India is world's tenth thirsty countries in the world. By 2050, over 40 per cent of world's population is likely to be living in areas facing severe water stress. In rural India, near about 63 million people lack access to safe water which is highest globally. According to India's official ground water assessment, more than one-sixty of the country's ground

water supply is over used. The UN Climate Change panel warns that an estimated fifty per cent of malnutrition cases are linked to diseases from unsafe water and inadequate sanitation. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए।आपकी बात हो गई है।

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव।

…(व्यवधान)

श्री रत्न लाल कटारिया: मैडम, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) Women and girls are typically responsible for collecting water and often spend hours walking between their home and the nearest water source. I demand from the Water Resources Minister to tell as to what corrective steps have been taken to provide clean and safe drinking water to the people of the country.

HON. SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Dr. Kirit P. Solanki are permitted to associate with the issue raised by Shri Rattan Lal Kataria.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Madam, I would like to draw the attention of the House and the hon. Minister of Science and Technology towards the issue concerning the Giant Metrewave Radio Telescope situated in Kodad in Junnar Taluka of Pune District of my constituency. As per the directives issued by the Central Government, any kind of industrial activity is prohibited in the radius of 30 kilometres from the location of the GMRT. Apparently, transmission signals or any kind of radiation emitting from industrial equipment can hamper the functioning of the GMRT. I am proud of the fact that such a critical project in the field of Astrophysics is in my parliamentary constituency. Yet, there are certain challenges being faced by the local citizens due to the presence of the GMRT. The prohibition of setting up industries in the vicinity of this installation has rendered many local youth in this region virtually jobless. It is imperative that we protect the interests of local citizens while allowing the smooth functioning of such a project of national importance.

I strongly suggest the Central Government to create a sustainable economic model for this affected region by initiating tourism related activities. This way, economic opportunities for the region would be easily available. It would not hamper in the operation of the GMRT in any way. Also, due to the lack of any industrial activity, people of this region have been deprived of good roads, potable water and regular electric supply. The presence of projects of national importance should enhance the infrastructure in surrounding areas. Unfortunately, in this case, the situation is reversed. I would request the Central Government to look into this matter with utmost urgency and alleviate the hardships faced by the local citizens of Khodad. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ये क्या है? शून्य-काल में ऐसे लंबा-चौड़ा नहीं पढ़ते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बस हो गया। ये क्या है? ज़ीरो-ऑवर में एक पेज का पढ़ते नहीं हैं। ज़ीरो-ऑवर में केवल इश्यु उठाना होता है।

…(व्यवधान)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Madam, I thank you for allowing me to speak during 'Zero Hour'.

It is very important to save the Satkosia Gorge on River Mahanadi which flows in Odisha and Chhattisgarh before reaching the Bay of Bengal.

Satkosia Gorge Sanctuary consists of Satkosia Tiger Reserve, Mahanadi Elephant Reserve and Gharial Research and Conservation Unit.

Satkosia Tiger Reserve covers 963.87 square kilometres which was notified in 2007. The Reserve spreads over four districts of Odisha, namely, Angul, Cuttack, Nayagarh and Boud. It has tremendous genetic and ecological importance as it is the portion of Deccan Biography Zone. It has a significant elephant population of around 300 in number. The Sanctuary is also important being the natural habitat of two endangered species of fresh water crocodiles, namely,

Gharial and Mugger and a sizeable population of Tiger, Leopard, Gaur, Sambar and barking deer. A large number of giant squirrels are sighted in the canopy cover of the forest. Rare and endangered birds and butterflies are very common in the 22 kilometre large stock of Satkosia Gorge of Mahanadi River. The aforementioned things will be damaged if the barrage proposed by Chhattisgarh Government is constructed. Hence, I would request the Union Government to cancel the environmental clearance to save the Satkosia Gorge on Mahanadi River of Odisha.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Dr. Manoj Rajoria are permitted to associate with the issue raised by Shri Nagendra Kumar Pradhan.

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Madam, mid-day meal scheme is an important scheme being implemented in the country for a long time. It helps about 30 crore poor students. The Government has now given instructions that all the students should have AADHAAR. The Supreme Court has given an instruction that Central Government aided projects should not be linked to AADHAAR. If the Government does not withdraw its instruction, about 10 crore poor students would go without mid-day meals under the scheme which would lead to an increased number of school dropouts. I think the Government should look into this matter. This is concerned with the poor students in the country. So, this insistence on implementation of AADHAAR in mid-day meal scheme should be withdrawn.

HON. SPEAKER: Adv. Joice George and Shri C.N. Jayadevan are permitted to associate with the issue raised by Prof. K.V. Thomas.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Madam, I would like to raise a very important issue. Please look at these two photographs, Madam.

HON. SPEAKER: Do not show photographs, say what you want to.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY: These relate to the two incidents of racial attacks that happened in Bengaluru. Racial attacks on the people of the North-Eastern region, particularly students, have been increasing day by day. The Bezbaruah Committee constituted by the Government of India has recommended

that a legislation be made to check this kind of atrocities and racial attacks upon the people of the North-Eastern region. I urge the Government that such a legislation should be enacted by the Parliament. Secondly, a special police cell in each and every metro city of our country should be set up. Third, one Citizens Committee should be formed to address this kind of situations. Otherwise, this kind of incidents will happen more and more and they cannot be stopped. So, to stop these incidents, action should be taken at the earliest.

… (*Interruptions*)

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): Madam, the Government of Karnataka is not taking care at all. When the BJP Government was there in Karnataka, students from the North-East were well taken care of. Now it is ...* Government. We have requested many times but the Government of Karnataka is not taking care of the students who are coming all the way from the North-East for studies. So, Madam, I urge upon the Union Government to direct the State Government to take action in this regard. We associate with Mr. Chaudhury. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is okay. Not like this.

Shri Suresh Angadi, Shri Pralhad Joshi, Shri P.C. Mohan, Shri Prem Das Rai, Dr. A. Sampath, Shri Kaushalendra Kumar, Shri M.B. Rajesh, Shri Sankar Prasad Datta, Adv. Joice George, Shri C.N. Jayadevan and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Jitendra Chaudhury.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Madam, jute is one of the main commercial crops of our country. Jute fibre is an industrial product and it is used to prepare biodegradable, eco-friendly and cheap bags. Jute growers in the country are facing problems as they are not getting the right price for their produce. Jute cultivation is turning out to be a non-profitable venture for the farmers due to

* Not recorded.

increase in prices of jute seeds, fertilizers, pesticides and other inputs. Due to high investment involved in the cultivation of jute, jute farmers have to go for loans. Jute being a cash crop, insurance facility is not available for jute farmers. Jute cultivation is practiced in my Constituency Arambag which is a flood-prone area. During flood situations the jute farmers face a great loss because of fall in production of jute. Therefore, it is the responsibility of the Central Government to fix a remunerative price for jute, provide free and compulsory insurance for the jute crops, and organize workshop programmes, train jute farmers in new technology, and constitute a jute growers welfare fund to meet the various needs of the jute farmers.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Aparupa Poddar.

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के खेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे युवा देश भारत है, लेकिन विश्व के ओलम्पिक में जब हमारे यहाँ के खिलाड़ी पदक लेकर नहीं आते हैं तो एक बहुत बड़ी चिन्ता पूरे देशवासियों को होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाएँ हैं, उनकी पहचान नहीं होती, उनको अवसर नहीं मिलता है। इसी वज़ह से, हम दुनिया में मुकाबले से पीछे रह जाते हैं। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में एक प्रयोग किया। मैं 'सांसद ट्रॉफी' कराता हूं और उसमें सभी तरह के खेलों का आयोजन करता हूं। पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक यह आयोजन कराता हूं और उसमें अच्छे खिलाड़ियों की पहचान करता हूं।

मैं भारत सरकार के खेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खेलों का प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र हमारे लोक सभा संसदीय क्षेत्र सतना में अवश्य दें। मैंने इस मामले को पहले भी उठाया है।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री शरद त्रिपाठी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : मैडम, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र राँची के कांके प्रखण्ड में ढीपाटोली में एक मिलिट्री छावनी है। हम कई वर्षों से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। वहां गांव वालों को काफी परेशान किया जाता है। गांव वालों ने उसके लिए मिट्टी के मोल ज़मीन दी और आज उन्हें रास्ता के लिए परेशान किया जाता है। उन्हें न ही रास्ता दिया

जाता है और न ही उनके घरों की मरम्मत कराई जाती है और तालाबों पर भी रोक लगाई जाती है। इस तरह से, वहां पर लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहां एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वह रास्ता भी पी.डब्ल्यू.डी. का है और वर्षों से उसे बंद कर रखा है। लेबर, किसान, विद्यार्थी, सारे लोगों को उसी रास्ते से आना पड़ता है। अभी मिलिट्री गांव में घेरा देने की काम कर रही है।

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसे प्राथमिकता दें। यह सवाल बार-बार उठाया गया है। गांव वालों को छावनी के द्वारा जो परेशान किया जा रहा है, इसकी जांच करके उसकी स्थायी व्यवस्था की जाए कि ग्रामीणों को आने-जाने से न रोका जाए। उन्हें दिक्कत है। वहां जाली लगी हुई है, नहीं तो वहां पर एक दीवार बना दें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राम टहल चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Hon. Speaker Madam, I want to raise a very important issue in my constituency and in my valley. The river Barak is the second largest river system in Asom and northeast. Due to massive erosion, there is huge loss to life and property. I am happy to see that the Government of India is initiating a Rs. 4,000 project for bank erosion problem of river Brahmaputra. I have written to the State Government and I would request that rather than doing piecemeal work, the Government of India in consultation with the State Government should take up the problem of erosion of river Barak.

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को कुमारी सुष्मिता देव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, गरीब मज़दूरों का सहारा नरेन्द्र मोदी जी हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं है।

महोदया, मैं यह बात आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001 और वर्ष 2002 में अंडमान इंडस्ट्रीज के मज़दूरों की वी.आर.एस. पेमेन्ट 2 करोड़ 64 लाख रुपए ड्यूज़ थे। आदरणीय उप राज्यपाल प्रोफेसर मुखी जी ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के चीफ सेक्रेटरी, अंडमान के डिप्टी कमिश्नर, सबके साथ मिलकर तय किया कि इस संबंध में कुछ मदद की जाए और इन्होंने निर्णय लिया। मज़दूरों को 2 करोड़ 64 लाख रुपए की पेमेन्ट जल्दी मिलने वाली है।

मेरा एक आग्रह है कि पी.एम.बी. को जो यह ज़मीन मिल रही है, इसी पर ड्राइडक बनाया जाए। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोगों को उनके बकाए रुपए के साथ उसका ब्याज भी दिया जाए।

जय हिन्द। भारत माता की जय।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री बिष्णु पद राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : अध्यक्ष महोदया जी, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे शून्य काल में मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र मिश्रिख की बात रखने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान कन्नौज से सीतापुर मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं तथा माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि जनहित में कन्नौज से सीतापुर वाया मल्लावां, संडीला, कोथावा, नैमिारण्य तीर्थ के फोर-लेन सड़क का निर्माण कार्य अतिशीघ्र कराया जाए। इससे उत्तर प्रदेश में व्यापारिक कार्यों को गति मिलेगी। नैमिषारण्य एवं मिश्रिख के तीर्थ स्थानों पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती अंजू बाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सौमित्र खान (बिशनपुर) : मैडम, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैडम, मैं बिशनपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे बिशनपुर लोक सभा क्षेत्र के अंदर बिशनपुर सिटी को हेरिटेज सिटी घोषित किया जाए। आपके माध्यम से माननीय मत्री जी से मेरी यही विनती है, यही मांग है।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Hon. Speaker Madam, this is a very important issue pertaining to the road connectivity in Araku Parliamentary Constituency. The Pradhan Mantrai Gram Sadak Yojana is formulated to create connectivity to the habitations under poverty reduction programme. I thank the hon. Prime Minister and the Union Government for evolving a scheme to provide connectivity to more than 100 habitations. In Visakhapatnam, the performance of PMGSY is very poor. Since 2013, Rs.236 crore is left over with 42 works pending. The Government has not taken any decision on this and because of that further proposals from the district are being affected.

I wish to request the Union Government and the Minister through you, Madam, to take action against the non-performing proposals.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kothapalli Geetha

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you Madam for giving me an opportunity. Today is the World Water Day. The climatic change has led to an unprecedented drought like situation in many parts of the country. Our water bodies have nearly dried out. There is a terrific scarcity of fresh water across the country. The gravity of drought in our State is such that it is the worst one to have hit the State in the past 115 years. As we have now to counter the impact of global warming and climate change, we must focus on long-term sustainable goals. This is the result of the relentless exploitation of the environment. Madam, we are indulging in deforestation, filling paddy for construction works and cutting trees. As a result the entire flora and fauna has been damaged. These types of activities are going on in the whole of the country and that is why we are facing acute water scarcity.

We must focus to meet the immediate challenges of environmental issues. In many parts of the country fresh drinking water has become a luxury. In the rural and tribal areas people are being forced to migrate to other places. We have a lot of ponds and canals. I would suggest that the Government should have a concrete project, with the support of the State Governments, to fill our ponds and canals and to recoup them in a proper way as then only our water scarcity issue can be resolved. I, therefore, appeal the Government to do things in a major way and also allow flexibility of MGNREGA. Through MGNREGA we can indulge in these activities.

HON. SPEAKER: S/Shri M.K. Raghavan, Sankar Prasad Datta, M.B. Rajesh, Adv. Joice George and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): माननीय अध्यक्षा जी, धन्यवाद। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहूंगा, क्योंकि नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट पर सरकार का पूरा ध्यान गया है। जो प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और मॉडल मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम हैं, इनमें इंटर-अप्रैब्लिटी की सुविधा होनी चाहिए, ताकि बहुत सारी कंपनियों की जो मोबाइल वॉलेट्स हैं और जो बाकी सुविधाएं है। मान लीजिए एक दुकानदार के पास एस.बी.आई. बॅडी है और मेरे पास उपभोक्ता के नाते पेटीएम है, तो मैं पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाता हूं। इसी तरह से पहले एटीएम की दिक्कत होती थी कि एटीएम में दूसरा कार्ड नहीं चलता था, लेकिन जब इंटर-अप्रैब्लिटी उस पर चालू कर दी, तो हम हर जगह से कैश निकाल सकते हैं। इसका लाभ उपभोक्ता को मिला है।

माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो इंटर-अप्रैब्लिटी है, उसे प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम में लागू करनी चाहिए, ताकि ग्राहक को असुविधा न हो। किसी भी तरह का ग्राहक किसी भी दुकानदार के पास जाकर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सके, ताकि उसका लाभ मिल सके।

HON. SPEAKER: S/Shri Nishikant Dubey, Bhairon Prasad Mishra, Daddan Mishra, Jagdambika Pal, and Sharad Tripathi are permitted to associate with the issue raised by Shri Anurag Singh Thakur.

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं आपके संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण विषय को लाना चाहती हूं। श्रीमती आरती देवी जो बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और मेरे चुनाव क्षेत्र में उसका मायका है, जिसकी दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 को प्रसव के दौरान सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की घोर लापरवाही व लालची प्रवृत्ति के कारण श्रीमती आरती देवी व उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसकी शिकायत थाना-मितौली में दर्ज की गई, लेकिन थाना प्रभारी ने डॉक्टर के सरकारी कर्मचारी होने का कारण बताते हुए एफ.आई.आर दर्ज करने से मना कर दिया। बाद में पीड़ित परिवार द्वारा इसकी शिकायत लिखित में दिनांक 28.10.2016 को मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश और महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दी गई, परंतु अभी तक इस पर कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है। मैडम, आपसे अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करने की कोशिश की जाए। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Rekha Verma.

SHRI PARTHA PRATIM RAY (COOCH BEHAR): Thank you Madam for giving me an opportunity. The enclaves between India and Bangladesh were exchanged recently, that is in 2015. Fortunately, most of the Bangladeshi enclaves were situated in the Indo-Bangladesh border area of district Cooch Behar, that is in my parliamentary constituency. The then Bangladeshi Enclave Karala II was also exchanged and it is now the new land of India. Unfortunately, more than 500 people, who are inhabitants of Karala II, lead an imprisoned live due to fencing which was made before the exchange of enclave. After the exchange of enclave, the fencing is now situated inside one kilometre of Indian land from the zero point. We know the fencing is generally situated 150 metres inside the Indian land from the zero point. In these circumstances, for the betterment of the inhabitants of newly Indian citizens of Karala-II- the then enclave- the fencing of this portion should be shifted within the 150 metres inside the Indian land from the zero point.

SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): Thank you, Madam for giving me the opportunity to speak today. जो चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके बारे में विनती करना चाहता हूं। पंजाब विधान सभा और हरियाणा विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने के बावजूद कि इस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाए, कल को 23 मार्च है, शहीद भगत सिंह हिंदुस्तानी स्वतंत्रता संग्राम के वह नायक हैं, जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र में अपने जान की बलि देकर इस देश में स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देश में अगर श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर हवाई अड्डा है, नेता जी सुभाष चन्द्र के नाम पर हवाई अड्डा है, शिवाजी महाराज के नाम पर हवाई अड्डा है, तो शहीद भगत सिंह के नाम पर चण्डीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण करने में सरकार को क्या दिक्कत है? मैं विनती करता हूं कि कल 23 मार्च को इस मुद्दे पर जरूर ध्यान दिया जाए और उसे डिक्लेयर किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री दुष्यंत चौटाला, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री एम.बी.राजेश और श्री शंकर प्रसाद दत्ता को श्री धर्म वीर गांधी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Thank you, Madam. According to NEET 2017, now the upper age-limit of the general candidates is also applicable to

special category candidates. Previously, this age limit was not applicable to special category candidates. It is because of this age limit that the special category candidates are unable to apply to NEET 2017 through online. So, I request the Government to take note of this and remove this hurdle being faced by special category candidates in applying to NEET 2017. I also request you to remove this upper age limit. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Adv. Joice George and Shri Sankar Prasad Datta are permitted to associate with the issue raised by Shri M.B. Rajesh.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Madam Speaker, for giving me the opportunity to raise a very urgent and a matter of public importance.

Madam, the Gulf passengers from Kerala are facing serious problems regarding air tickets fare. The Air India and other airlines are charging high fare from the passengers. The Standing Committee on Transport and Tourism strongly criticized this in their Report which is submitted in the Parliament. Madam, during the festival season and vacation time, the Air India and other airlines unnecessarily increase the air tickets fare for the gulf passengers in Kerala. This is not affordable for the poor passengers. The majority of the passengers are poor workers in the Gulf countries. Therefore, I would like to urge upon the Government to intervene in this matter and fix up the reasonable fare for the Gulf passengers from Kerala Sector to Gulf Sector. Thank you, Madam.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं अत्यन्त लोक महत्व, अविलम्बनीय और तात्कालिक प्रश्न की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

देश के सभी राज्यों में कार्यरत जो आंगनबाड़ी की सहायिका और कार्यकर्ती हैं, उनकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे जनगणना हो, पल्स पोलियो हो या केन्द्र सरकार के

साक्षरता के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम हों। प्रधान मंत्री जी की खुद भी चिंता है, लेकिन उनके मानदेय में सभी राज्यों में बहुत भिन्नता है। आज उनको मनरेगा से भी कम पैसा मिलता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए। राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को देखते हुए उन्हें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री सुरेश सी. अंगड़ी और श्रीमती ज्योति धुर्वे को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12.58 hours

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Matter under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 and are desirous of laying them, may personally hand over text of the matter at the Table of the House within twenty minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter have been received at the Table within the stipulated time.

* Treated as laid on the Table.

(i)Need to provide free medical facilities and loan to senior citizens, differently-abled persons and mentally challenged children under various centrally sponsored schemes

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी(अहमदनगर) : हमारे देश में ऐसे लाखों वरिष्ठ नागरिक, निशक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति, और मंदबुद्धि बालक हैं जिनको पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। सामान्य बीमा कम्पनियां उनका बीमा नहीं करती है। पैंसठ वर्ष की उमर पूरी कर चुके वरिष्ठ नागरिकों का बीमा निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा नहीं किया जाता। जबकि अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसी प्रकार मंदबुद्धि बालक और निशक्त व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा सहित कई चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। निशक्त व्यक्तियों और मंदबुद्धि बालक के परिवार के लोगों को उनकी चिकित्सा के लिए उनके पास उपलब्ध साधनों के अलावा बहुत ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है। और उन्हें मजबूरन कर्जा उठाना पड़ता है। हालांकि वरिष्ठ नागरिक, निशक्त व्यक्ति और मंदबुद्धि बालकों को चिकित्सा, बीमा और स्वास्थ्य देखरेख सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पूरी जिम्मेदारी लेना आवश्यक हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि वरिष्ठ नागरिक, निशक्त व्यक्ति और मंदबुद्धि बालकों को चिकित्सा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए तथा ऐसे वरिष्ठ नागरिक, निशक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति को मुद्रा योजना स्टैंड अप इंडिया या कौशल विकास के तहत कर्ज उपलब्ध करवा कर उन्हें सुनिश्चित जीवन जीने का अधिकार प्रदान करने का अवसर दिया तो उनको राहत मिलेगी।

(ii) Need to improve the BSNL mobile service in Maharajganj Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जनपद महराजगंज, उत्तर प्रदेश में बी.एस.एन.एल की घटिया सेवा तथा आये दिन होने वाले फाल्ट से पूरे जनपद के बी.एस.एन.एल मोबाइल सिम धारकों तथा लैण्ड लाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है। जनपद में बी.एस.एन.एल सेवाओं के ठप्प रहने से सरकारी कार्य भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यह समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है। शासन की योजना गांव-गांव में संचार सुविधाओं को पहुंचाने की है किंतु इन जनपद में आवश्यक उपकरणों के अभाव में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद महराजगंज, उत्तर प्रदेश में संचार सेवाओं को ठीक कराने का आदेश देने की कृपा करें तथा इसके लिए आवश्यक जेनरेटर, मॉडम, केबल, इन्डोर/आउट डोर मॉडम, डब्ल्यू.एल.एल. सेट, ड्राप वायर, बॉड बैण्ड, वाई मैक्स तथा टेलीफोन व मोबाइल की सुचारू रूप से सेवा प्राप्त हो सके।

(iii) Need to name Muzaffarpur railway station and Barahat railway station in Bihar after Shaheed Khudi Ram Bose and Shaheed Satish respectively

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): पूरे देश में अंग्रेजों को हटाने के लिए आंदोलन हुआ था जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। आप जानते हैं कि इस देश में ऐसे कई शहीदों के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वह नहीं हो पाया। मुजफ्फरपुर, बिहार में शहीद खुदी राम बोस ने 18 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। उन्हें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ा था। किंतु दुःख की बात है कि शहीद खुदी राम बोस की चिता स्थल पर शौचालय बने हुए थे जिसे जनता ने तोड़ा भी किंतु आज तक न ही उस मलबे को हटाया गया और न ही उनकी चिता स्थल पर कोई शहीद स्मारक बनाया गया। इसी प्रकार शहीद सतीश की पटना के सचिवालय पर तिरंगा झंडा फहराते हुए अंग्रेजों की गोलियों से जान गई उसमें सात लोग शहीद हुए थे।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि शहीद खुदी राम बोस के नाम पर मुजफ्फरपुर स्टेशन और उनकी चिता स्थल को शहीद स्मारक के रूप में बनाया जाए। साथ ही शहीद सतीश के गांव खडाहरा स्थित बाराहाट (बाँका जिला) का नाम शहीद सतीश स्टेशन रखा जाए।

(iv)Need to provide clean drinking water in Kairana Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh and also set up a super speciality hospital in western Uttar Pradesh

श्री हुकुम सिंह (कैराना): देश की राजधानी दिल्ली के सभी प्रमुख चिकित्सालयों में रोगियों की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि कोई भी चिकित्सालय समुचित उपचार देने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों की है। मिलावटी खानपान व प्रदूषित पेयजल के उपयोग के कारण हैपेटाइटिस बी, सी, कैंसर, गुर्दे व हृदय रोग जैसे भंयकर बीमारियां बढ़ती जा रही है। प्रमुख नदियां हों या स्थानीय जलाशय सभी का पानी पूर्ण रूप से जहरीला हो चुका है। उद्योगों द्वारा भी जहरीले रसायन सीधे नदियों में प्रवाहित किये जा रहे हैं। निजी नलों के द्वारा उपलब्ध उपरी स्तर का पानी पूर्णतः जहरीले रसायनों से युक्त हो चुका है। मेरे लोक सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली के अंतर्गत 3 विधान सभा जनपद शामली में है तथा 2 विधान सभा (नकुड व गंगोह) जनपद सहारनपुर में है। इन पांचों विधान सभाओं में विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ जल न मिलने की वजह से बीमारियों ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां कैंसर, हैपेटाइटिस-सी, हृदय रोग के मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ न रही हो। जनपद सहारनपुर में ननौता विकास खंड के पास कृष्णा नदी के तट पर बसे गांव भनेडा खेमचन्द की स्थिति तो यह हो चुकी है कि नदी प्रदूषण के परिणामस्वरूप गांव के दर्जनों लोग कैंसर व अन्य रोगों से ग्रसित होकर अपने प्राण त्याग चुके हैं। नदी की स्थिति यह है कि सामान्य व्यक्ति के लिये किनारे पर खड़ा होना भी संभव नहीं है। निरन्तर स्थानीय स्तर पर प्रयास करने के बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है । मेरे द्वारा पूर्व में भी सदन के समक्ष इस संबंधं में चर्चा की गई परंतु कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक अमल में नहीं लाई गई।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन पांचों विधान सभाओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पानी की टंकी स्थापित की जाये तथा नदी को प्रदूषित करने वाले समस्त् औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्यवाही की जाये और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष रूप से शामली या सहारनपुर में एक सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय की स्थापना की जाये।

(v) Need to enhance the rate of honorarium of Aanganwadi workers in Uttar Pradesh

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक असमानता दूर करने, जीवन स्तर बेहतर करने व प्रारम्भिक शिक्षा व अक्षरज्ञान के क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों व इनमें कार्यरत कर्मचारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस राष्ट्रीय योजना के संचालन व प्रबंध में राज्य सरकारों का भी दखल रहता है। इनके काम को देखते हुए इनके वेतनवृद्धि व सुविधाओं को बढ़ाने तथा कार्यविधि की समीक्षा करने की आवश्यकता है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में क्योंकि प्रदेश सरकार की अक्षमता की वजह से केंद्र द्वारा दी जाने वाली निधि व सुविधाओं का उपयोग नहीं हो पा रहा है तथा भवन निर्माण की योजनाएं लंबित पड़ी है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों के बढ़े वेतन को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाये तथा आंगनबाड़ी कर्मियों को बीमा, पदोन्नति, पुष्टाहर ढुलाई रेट की समीक्षा करने के साथ-साथ आंगनबाड़ी के नये बन रहे भवनों की गुणवत्ता जांच भी करायी जाये।

(vi) Need to run a direct train service between Jaipur and Shirdi

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर)ः मेरा संसदीय क्षेत्र जयपुर राजस्थान की राजधानी होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। यहां देश-विदेश से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। शिरडी एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान होने के नाते जयपुर से शिरडी यात्रियों का बहुत आना जाना रहता है। जयपुर एवं शिरडी के मध्य कोई सीधी रेल सेवा नहीं होने के कारण यात्रियों को बहुत परेशानी होती है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जयपुर की जनता की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए जयपुर से शिरडी के मध्य सीधी रेल सेवा प्रारंभ की जाये जिससे कि यात्रियों का आना जाना सुगम हो सके।

(vii) Need to provide pensions to all differently-abled, widows and old age people under the BPL category

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): वर्तमान सरकार का पूरा प्रयास है कि वृद्धजन, शारीरिक रूप से अःश्क्त लोगों, विधवा महिलाओं इत्यादि सभी को पेंशन सुविधा मिले जिससे ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकें, परंतु वास्त्व में ऐसा नहीं हो पर रहा है। इस संबंध में यह प्रावधान बना रखा है कि जिन वद्ध एवं वृद्धा, शारीरिक रूप से अशक्त लोगों एवं विधवा महिलाओं के पास बी.पी.एल. कार्ड है इन्हें यह पेंशन की सुविधा मिल पाएगी। अगर इन वर्गों के पास बी.पी.एल. कार्ड नहीं है तो इन वर्गो को वृद्धा पेंशन, विक्लांग पेंशन एवं विधवा पेंशन से वंचित होना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि पंचायत स्तर पर जल्द सर्वे कराकर बी.पी.एल. की नई सूची तैयार की जाये जिससे वृद्ध और वृद्धाएं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, विकलांग, विधवा एवं गरीब लोगों की पहचान कर उन्हें पेंशन दिलवाई जाये।

(viii) Need to declare Karoi-Rashmi-Kapasan-Bhadsora state highway in Rajasthan as a National Highway

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़)ः मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के राजमार्ग संख्या 758 एवं 76 के मध्य स्थित कारोई-राशमी-कपासन-भादसोड़ा (लगभग 62 किमी.) सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 एवं 76 के मध्य स्थित कारोई-राशमी-कपासन-भादसोड़ा (लगभग 62 किमी.) सड़क मार्ग पर मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुण्डिया, दीवाना शाहबाबा की दरगाह, शनिधाम मंदिर एवं लाखों लोगों की आस्था का केन्द्र श्री सांवलियाँजी का प्रसिद्ध स्थल स्थित है। इस सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित किये जाने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उन्नत यात्रा मार्ग उपलब्ध हो पाएगा। विशेषकर गुजरात से आने वाले हजारों श्रद्धालु जो नाथद्वारा आते हैं उन्हें श्री सॉवलियाजी पर पहुॅचने एवं यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थलों हेतु बेहतर मार्ग उपलब्ध हो पाएगा।

अतः मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूँ कि राजमार्ग संख्या 758 एवं 76 के मध्य स्थित कारोई-राशमी-कपासन-भादसोड़ा (लगभग 62 किमी.) सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल किया जाये।

(ix) Regarding Proposed eight laning of National Highway No. 8 connecting Mumbai with Ahmedabad

SHRI CHINTAMAN NAVASHA WANGA (PALGHAR): Mumbai/Ahmedabad National Highway No. 8 is a six lane Highway. Government has proposed to extend this National Highway of six lane to eight lane. This Highway is having heavy traffic and vehicles from Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Diu Daman and Dadra Nagar Haveli are going to Mumbai, Western Maharashtra, Konkan and South India through this Highway. But after crossing Gholbunder Bridge, this Highway is only four lane Highway from Gholbunder Bridge to Kashimira. The distance from Gholbunder Bridge to Kashimira is about 8 to 11 Kms. Due to four lane Highway, people going to Mumbai and returning from Mumbai and also from Thane city are facing heavy traffic. I, therefore, request the Government to extend this highway from four lane to eight lane immediately.

(x) Need to re-open the closed Jute Mills in West Bengal

SHRI GEORGE BAKER (NOMINATED): As we all know, jute is biodegradable and is preferred all over the world. The UNESCO has strongly recommended the use of jute and natural fibre for packaging of food materials. Jute industry is one of the oldest industries and it is the most labour intensive industry in eastern India. There were more than hundred jute mills and three lakh jute mill workers in the country. This industry has played an important role in earning foreign exchange as well as providing livelihood to lakhs of families and has helped our economy to grow. But now, however the condition of these Jute Mills and their workers, especially in West Bengal is worsening day by day, because many jute mills have closed down and some are on the verge of closing down. This has adversely affected thousands of workers and their family members as they have been thrown out of employment. At present, they are hard pressed for their day-to-day expenses and are taking recourse to loans for their daily expenditure.

I, therefore, urge upon the Government of India to kindly re-open the closed Jute Mills in West Bengal and revamp the National Jute Development Corporation of India.

(xi) Need to provide houses to people affected by incidents of fire

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : मैं सरकार का ध्यान अप्रैल माह से जून माह तक गांवों में बने घास-फूंस के कच्चे मकानों में लगने वाली आग से गांव के गांव जलकर स्वाहा हो जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति उन गरीब परिवारों के लिए बड़ी भयावह होती है जो तिनका-तिनका जोड़कर घर के जरूरी सामान इकट्ठा किए होते हैं। हमारा देश दुनिया में कितना भी चकम उठे लेकिन जब तक ऐसे गरीबों को पक्की छत और जीवन की सुरक्षा नहीं मिलती है, सब बेकार है। मेहनत करके दो वक्त की रोटी कमाने वाले गरीब के पास इतना धन इकट्ठा नहीं हो पाता है कि वह टिकाउ और मजबूत पक्के मकान बना सके, अतः फसलों की कटाई आदि से मजदूरी करके जो अनाज आदि कच्चे मकानों में साल भर के लिए रखते हैं वह गर्मी के मौसम में आग लगने से स्वाहा हो जाता है। अतः मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे गरीबों को जिनके पास रहने को आवास नहीं है उनके लिए पक्के मकान बनाकर दिए जाने का प्रावधान सुनिश्चित करके इसका क्रियान्वयन करवाए। पिछले वर्ष हमारे संसदीय क्षेत्र के बलरामपुर जनपद में गैसड़ी कोतवाली के रननूडीह गांव में लगी भीषण आग से लगभग 43 घर जलकर स्वाहा हो गए थे। उनमें रखा सारा अनाज और सामान भी जल चुका था। सब कुछ स्वाहा हो जाने के बाद प्रशासन इतनी मदद भी नहीं कर पाता कि वे अपने आवास में पुनः जा सके। अतः इस पर ध्यान दें और भारत सरकार इसके स्थायी निदान की व्यवस्था करे।

(xii) Need to formulate a comprehensive scheme for construction of underground reservoirs in Bundelkhand region of Uttar Pradesh

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र बुंदेलखंड से आता हूँ और यहां पानी की बहुत गंभीर समस्या है। बुंदेलखंड में पानी की कमी हमेशा से नहीं थी और जल संग्रहण के महत्व को इस क्षेत्र के द्वारा बहुत पहले ही समझ लिया गया था तथा विभिन्न तालाब और झीलों का निर्माण इस क्षेत्र में विभिन्न कालखंडों में किया जाता रहा है। जिस प्रकार तेलंगाना में जल संरक्षण हेतु काकतीय मिशन प्रारंभ किया गया है, उसी प्रकार के जल संग्रहण के लिए युद्ध स्तरीय प्रयास बुंदेलखंड में भी करने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड में नवीन भूमिगत जलाशयों के निर्माण के साथ साथ इनकी पुनर्भरण की विस्तृत योजना निर्माण की आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलारपुर बांध, गझगावां बांध को इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से जोड़कर मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों को तत्काल जल संतृप्त किया जाना नितांत आवश्यक है। इस क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल निवारण का यही एकमात्र उपाय है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। महोबा, चरखारी, कुलपहाड़, श्रीनगर, राठ, तिंदवारी, हमीरपुर, कबरई इत्यादि अनेक क्षेत्रों में बहुत गंभीर जल संकट है। इस क्षेत्र की महिलाएं एवं बच्चों को सर पर या साईकिल पर बहुत दूर से पानी लेने जाना पड़ता है और उनका पूरा दिन पानी के प्रबंध में लग जाता है। इस कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, महिलाओं पर काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है, युवाओं का पलायन हो रहा है और इसका सबसे बुरा असर वृद्धजनों पर हो रहा है। वे अकेले हो जाते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पशुओं के लिए चारा और पानी का प्रबंध नहीं हो पाता है व किसानों के द्वारा अपने जानवरों को चारा और पानी की तलाश में खुला छोड़ दिया जाता है, जिसको इस क्षेत्र में अन्ना प्रथा कहा जाता है। अन्ना प्रथा बुंदेलखंड की बहुत गंभीर समस्या है और यदि उचित कार्य योजना के माध्यम से जल प्रबंधन की व्यवस्था कर दी जाए तो न सिर्फ बुंदेलखंड में सिंचाई अपितु पेयजल की समस्या का दीर्घकालिक समाधान हो सकेगा।

(xiii) Need to set up an International Research Institute of Yoga and Ayush in Uttarakhand

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): आयुर्वेद अर्थात् आयु का विज्ञान एक शाश्वत चिकित्सा पद्धति है जो न केवल तन को बल्कि मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करने की बात करती है। विश्व के 60 प्रतिशत से अधिक लोग पारम्परिक दवाइयों का उपयोग करते है। चरकसंहिता और सुश्रुत संहिता में क्रमशः 341 और 760 पौधों का वर्णन है और मुख्यतः हिमालय ही इनका उद्गम स्थल है। विकसित देशों से 40 प्रतिशत से अधिक लोग जड़ी बूटी का सेवन करते है। भारत की 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनता आयुर्वेदिक दवाइयों पर निर्भर है। आयुर्वेद की लोकप्रियता पूरे विश्व में लगातार बढ़ रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रकृति ने हमें आयुर्वेद जड़ी बूटियों का असीम खजाना दिया है। पिछले कुछ वर्षों से आयुष क्षेत्र में 20-25 प्रतिशत की विकास दर देखी गई जोकि अत्यंत उत्साहजनक है। उत्तराखण्ड देवभूमि होने के साथ पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। जैव विविधता के क्षेत्र में विश्व के श्रेष्ठ स्थानों व हिमालय से घिरा यह प्रदेश 65 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र से आच्छादित है। ऐसी स्थिति में आयुष संबंधी किसी भी महत्वकांक्षी योजना के लिय यह स्वाभाविक उपयुक्त केन्द्र है। योग एवं आयुर्वेद में संस्कृत की महत्ता के मद्देनज़र हमने इसे द्वितीय राजभाषा बनाकर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। मेरा संसदीय क्षेत्र हरिद्वार तथा ऋषिकेश योग एवं अध्यात्म की राजधानी है। यहां पर विश्व भर से लोग अध्यात्म की खोज में आते है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तराखंड में योग एवं आयुष का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थापित करने की कृपा करें। उक्त शोध संस्थान में योग एवं आयुर्वेद पर शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संसाधन जुटाए जाएं।

(xiv) Need to provide quality grocery items in CSD Canteen, Lucknow, Uttar Pradesh

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): मैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को रियायती दरों पर सामान उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई सी.एस.डी. कैंटीनों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन के सामने उठाना चाहता हूँ। इन कैंटिनों में सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को सस्ते सामान के नाम पर घटिया एवं अत्यंत निम्न गुणवत्ता का सामान उपलब्ध कराया जाता है।

लखनऊ में स्थित सी.एस.डी. कैंटीन में 'बजाज' कम्पनी द्वारा अत्यंत निम्न गुणवत्ता का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस विषय में व्यापक रूप से जांच कराये जाने की आवश्यकता है, जिससे देश की सीमा पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा करने वाले जवानों के खून-पसीने की कमाई को इस प्रकार से नष्ट होने से बचाया जा सके। भारत सरकार द्वारा रियायती दरों पर सामान उपलब्ध कराने की सुविधा, जिसके वास्तविक हकदार देश के वीर प्रहरी हैं, का फायदा ये कंपनियों अनैतिक रूप से ले रही है। खराब सामान उपलब्ध कराये जाने से सैनिकों की गाढ़ी कमाई तो व्यर्थ होती ही है, साथ ही इन्हें मानसिक आघात भी पहुंचता है।

अतः इस विषय में गंभीर जांच की आवश्यकता है तथा नियमों में इस प्रकार सुधार किये जायें कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त छूट उपयुक्त पात्रों को मिल सके।

(xv) Need to provide irrigation facilities in Sabarkantha Parliamentary Constituency, Gujarat under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा) : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए बजट केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता है और इससे राज्य सरकार सिंचाई योजना बनती है। खासतौर पर यह बजट बड़ी सिंचाई योजना के लिए उपयोग में लिया जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सांबरकांठा (गुजरात) क्षेत्र में पर्वतीय विस्तार की मात्रा अधिक है जहां वनवासी एवम् अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक निवास करते हैं जिनके पास काफी कम उपजाऊ जमीन है और पानी की भी भारी कमी है, यह लोग आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं हैं इसलिए ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए खास योजना बनाना जरूरी है और केन्द्र सरकार ऐसे विस्तारों में प्राथमिकता से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आदेश करें। इस कार्य से लोग अपने गांव में रहकर खेती कर सकेंगे और उनको दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा जिसका फायदा उनके कुटुंब बालकों एवं उनकी शिक्षा को होगा और सिंचाई योजना के लिए सांसद की राय लेकर तय किया जाना चाहिए।

इस प्रश्न के समाधान के लिए मंत्रालय इसे प्राथमिकता दे, ऐसी मेरी विनती है।

(xvi) Need to curb increasing cyber crimes in the country

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : हमारे देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के कारण एवं स्मार्ट फोन का ज्यादा उपयोग होने की वजह से आए दिन साइबर क्राइम में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। यह क्राइम पुलिस विभाग के लिए काफी सरदर्द का मामला है क्योंकि हमारे राज्यों की पुलिस के पास अत्याधुनिक तकनीक एवं साधन उपलब्ध नहीं हैं जिससे वे ऐसे क्राइम की तह तक जाकर उसका पता लगा पाने में सक्षम नहीं हो पाते। राज्यों की पुलिस के पास प्रशिक्षित साइबर टेकनोलॉजिस्ट भी नहीं है जिससे वे इस क्राइम पर नियंत्रण पाने में सफल हो सकें। अभी सोशल मीडिया का व्यापक पैमाने पर उपयोग होने की वजह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया का बहुत ही उपयोग हो रहा है जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या है।

मेरा केन्द्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि आई.टी. और कम्युनिकेशन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से सभी राज्य सरकारों को आवश्यक अत्याधुनिक तकनीकी संसाधन एवं वित्तिय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से प्रयास करे जिससे देश में बढ़ रहे साइबर क्राइम के ऊपर नियंत्रण पाया जा सके।

(xvii) Regarding release of funds for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I take this opportunity to draw the attention of this August House and the Government towards the plight of lakhs of workers, engaged in Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS). These workers in many States are in acute financial crisis due to the non-payment of their wages. In my Parliamentary Constituency Pathanamthitta in Kerala alone, the pending amount for the last year amounts to Rs. 314.72 lakh. It should be noted that thc MGNREGA workers are among the most vulnerable sections of society in terms of their economic condition. Most of them draw their sustenance from seasonal jobs and struggle to make their ends meet. Therefore, MGNREGS seems to be a great relief to the underprivileged masses in the country. Therefore, the holding up of payment to MGNREGA workers is a human rights issue. Hence, I humbly request the Government to kindly release funds to various States so that MGNREGA workers will get the required relief.

(xviii) Need to provide funds for Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : मैं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना** के संबंध में बताना चाहती हूँ। भारत सरकार के द्वारा 11 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरूआत की गई थी। इसका उद्देश्य एक आदर्श भारतीय गाँव के बारे में महात्मा गाँधी की व्यापक कल्पना को वर्तमान परिप्रेश्य में ध्यान में रखते हुए एक यथार्थ रूप देकर एवं इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रत्येक वर्ष एक ग्राम पंचायत को गोद लेकर विकसित कर मॉडल ग्राम पंचायत बनाना है लेकिन इस योजना के तहत ग्राम पंचायत को विकसित करने के लिए कोई ठोस डिजाइन एवं बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में पाँच साल में पाँच ग्राम पंचायत को विकास कैसे होगा? मौजूदा योजना के प्रारूप में खामियों की वजह से पिछड़े इलाकों में सड़क से लेकर पानी और संचार जैसी सुविधाएँ मुहैया कराना मुश्किल साबित हो रहा है। जब तक इसके प्रारूप में आधारभूत बदलाव नहीं किया जाता तब तक इस योजना की भावना के अनुरूप गाँवों को सभी सुविधाओं से सुसज्जित करना मुश्किल है। प्राधानमंत्री जी सांसदों के फंड से आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए कहते है। **एमपीलैड** में कितना फंड होता है कि ग्राम पंचायत को विकसित कर मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जाए। शायद यही कारण है कि अब तक लोक सभा एवं राज्य सभा के अधिकार सांसदों ने आदर्श ग्राम पंचायत का चयन नहीं किया है। सांसदों की चिंता योजना की डिजाइन और फंडिंग तक सीमित नहीं है। ज्यादातर सांसदों द्वारा अभी तक ग्राम पंचायत का चयन इसलिए नहीं किया गया है कि उन्हें डर है कि अगर वे अपने इलाके में किसी एक गाँव को चुनते हैं तो दूसरे गाँवों के लोग उनसे नाराज हो सकते हैं। अगर भारत सरकार सही मायने में इस तरह से ग्राम पंचायत का विकास चाहती है तब सबसे पहले इस योजना को ठीक करते हुए इस योजना के लिए अलग से इतने बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक सांसद प्रत्येक वर्ष एक नहीं अपितु पाँच ग्रामों को गोद लेकर विकसित करे एवं इसकी पूरी जिम्मेदारी सांसदों को दी जानी चाहिए।

अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की खामियों को दूर करते हुए अलग से इतनी बजट की व्यवस्था की जाए कि प्रत्येक सांसद एक नहीं हर साल पाँच ग्राम पंचायत को गोद लेकर विकसित कर मॉडल ग्राम पंचायत बनाये ताकि सही ढंग से एक आदर्श भारतीय ग्राम की कल्पना पूरी हो सके।

(xix) Need to continue with the present system of admission to Bachelor of Veterinary Sciences and Animal Husbandry Course in Tamil Nadu

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): In Tamil Nadu, 85 per cent of the seats of Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry courses are filled on the basis of marks obtained in the Higher Secondary Examination, rest 15% are filled under the All India Quota. The entrance examination is conducted by the Veterinary Council of India. Most of the students pursuing this course are from rural areas of Tamil Nadu. Now the Veterinary Council of India has asked for concurrence of the State Government for conducting a National Pre-Veterinary Eligibility Test (NPVET) for admission to BVSc & AH courses.

Hence, I urge upon the Central Government to allow Tamil Nadu to continue with the existing system.

(xx) Need to promote cultivation of millet crop in the country

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Millets are grown for hundreds of years by a large section of farmers belonging to dalit and other communities in different parts of the country. Millets are served not only as their food and nutritional security but also as fodder for their cattle.

There is a need to ensure increase of millet growing area. Millet contributes to climate change, water conservation and nutrition bonus. There is a need to ensure and recognize millet farmers' knowledge as science and be introduced in educational system.

There is all the more necessary to safeguard the heritage and indigenous system of millet growing in the country. It is bounden duty to safeguard the heritage and indigenous knowledge systems such as millet growing in the context of global trade and negotiations at the WTO and other international levels by ensuring our control over intellectual property rights of millets.

Hence, I would like to strongly urge the Government to not only increase the millet area but also to procure and supply millets to be distributed through PDS and also for the implementation of National Food Security Act. Government should ensure that both civil supplies and agriculture departments work hand in hand to frame policies which would eventually help small farmers to cultivate millets in dry land regions of the country and result in enhancement of millet growing area.

(xxi) Regarding rising healthcare cost in the country

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): The huge costs associated with healthcare in India have become a serious concern in our country. According to a Times of India report, patients are overcharged by billions of rupees every year. It is noted that manufacturing cost of a syringe is around Rs 1.50 to Rs 2 but patients buy it at five times the cost. Likewise, the import price of a popular hip implant is Rs 8,906, but it costs around Rs 1.29 lakh for a pateint. Every year millions of syringes and eye lenses are sold at inflated prices. One of India's most commonly used knee implant costs Rs 46,000 to patients but is imported at only Rs 9,264. This affects the poor. Therefore, I urge the Government to take appropriate action to ensure that prices in the healthcare are regulated and made affordable.

(xxii) Need to provide affordable houses to workers and pensioners of Mumbai Port Trust

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): It is understood that the Mumbai Port Trust is planning to develop approximately 1800 acres on the east cost of the land-starved Mumbai. Under the proposed plan Government is looking to develop this land exclusively for financial institutions, a convention centre, marine entertainment zone and cruise terminal. The land earmarked is spread between Colaba to Navi Mumbai which is believed to be one- eighth of the total area of Mumbai. The 142 years old Mumbai Port Trust was considered a premier harbour. Its employees nearly one third of the total staff are working across India's 13 major ports but handles only 10% of the total traffic. There were several proposals floating around for real estate development. This includes rented accommodation and affordable housing scheme.

While Union Minister of Transport is looking to explore the MBPT land for various development projects, people are demanding a share to construct low cost housing. The people from MBPT have opposed the plans to open up port property unless they are given a share of land. The various Unions from docks have demanded about 70 acres of land for construction of low cost housing for 11,000 members and around 37,000 pensioners under the proposed plan. The workers have given their sweat and blood for the port and for building its infrastructure. The poor workers deserve housing with amenities on the port land. It is learnt that the Ministry is giving 350-400 sq. ft size houses to the workers in Kalyan or nearby areas which is not agreeable to the workers.

My submission to the Government is that Government should take care of the interest and right of the workers and pensioners of MBPT and they should not be ignored for allotment of affordable houses in the proposed plan.

(xxiii) Need to set up a Central University in Rayalseema region and a Tribal University in Vizianagaram in Andhra Pradesh

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, the Government of India had promised to Andhra Pradesh a new Central University, as well as, a new Tribal University. The demand of the people of Andhra Pradesh is that the Central University should be set up at Rayalaseema and the Tribal University at Vizianagaram.

As the House knows, the untimely bifurcation of erstwhile Andhra Pradesh had deprived the State from many Central institutions of learning and has caused a significant setback to the youth of my State. Setting up new institutions, as promised in the Andhra Pradesh Reorganization Act, will facilitate the progress and development of my new State.

Further, I wish to state that Vizianagaram district has the highest population of Tribals in the State to the extent of 14.55%. There can be no better place for setting up a Tribal University in the district as the city brings the beneficiaries directly to the University’s doorstep. Vizinagaram district is the most backward district in the State.

Similarly, Rayalaseema is also the most backward region in the State. By setting up a Central University in Rayalaseema region, it would not only boost education in the region but at the same time, it would provide employment opportunities to the youth of that region.

In June 2016, the then Hon’ble HRD Minister, had promised to the Hon’ble Chief Minister of Andhra Pradesh all help in pursuing these projects which were announced during 2014. I humbly submit that the Union Government should fulfill these promises by setting up a Central University in Rayalaseema and a Tribal University at Vizianagaram at the earliest.

(xxiv) Regarding granting of special category status to Andhra Pradesh

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): It is three years since people of Andhra Pradesh are screaming, appealing and requesting Government of India to implement assurance given in uncertain terms by PM in Rajya Sabha on granting special category status to Andhra Pradesh.

It was announced by Government of India earlier that NITI Aayog would study about giving special category status to AP. Now, NITI Aayog submitted its Report to PM. I requested Aayog to provide me a copy of Report or lay it on the Table so that people of Andhra Pradesh would know the recommendations made by Aayog with regard to giving special category status. But, neither they are willing to share it with me nor replying under RTI. They are also not keen to lay it on the Table.

Last year, Finance Minister announced special development package to AP and it was approved by Cabinet last week. But, if one looks at it closely, there is hardly any benefit as major announcements under special development package are part of AP Reorganisation Act. So, people of AP rejected special development package and stick to their demand for special category status.

So, I demand for laying of Report of NITI Aayog on the Table and, irrespective of recommendations of NITI Aayog, grant special category status to AP immediately.

(xxv) Need to start domestic flight service from Bhagalpur, Bihar

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): बिहार राज्य के भागलपुर को **"स्मार्ट सिटी"** घोषित किया गया है। इस दृष्टि से भागलपुर को सभी सुविधा उपलब्ध कराना केन्द्र सरकार का दायित्व है। **स्मार्ट सिटी** को अन्य शहरों से जोड़ने के लिए सबसे पहले सुविधाजनक आवागमन होना चाहिए। भागलपुर शहर रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है लेकिन हवाई मार्ग से अभी तक नहीं जुड़ पाया है। भागलपुर हवाई अड्डे के विकास तथा घरेलू विमान सेवा के परिचालन के लिए सदन के माध्यम से मैंने पहले भी केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। बिहार राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से हवाई अड्डे के विकास लिए पहल की है साथ ही लैंडिंग चार्ज को मामूली शुल्क के रूप में परिवर्तित कर दिया है जिसके चलते विमानन कंपनियों को राहत मिलेगी। इस संबंध में डीपीआर भी तैयार करा लिया गया है। भारत सरकार विमान कंपनी को भागलपुर से घरेलू विमान सेवा प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित तथा आकर्षित करने की पहल करे।

अतः भारत सरकार से मेरी माँग है कि **स्मार्ट सिटी** भागलपुर से घरेलू विमान सेवा प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क कर सकारात्मक कदम उठाने का कार्य करें।

(xxvi) Need to replicate environment-friendly water treatment model of Punjab all over the country

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : पंजाब के कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी इलाके में नदियों के गंदे जल के शोधन से संबंधित प्रणाली सीवरेज और अन्य गंदे पानी को बिना सहायता के साफ करके जिस तरीके से सिंचाई में इस्तेमाल किया जा रहा है, काबिले तारीफ है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी गाँवों में पक्का नाला और पक्की नीली बनाने का कार्य किया है। यह बाबा बलवीर सिंह सींचेवाल मॉडल है। इनमें बर्बाद होने वाले पानी का सदुपयोग होता है। पर्यावरण-विद् बाबा बलवीर सिंह सींचेवाल को इस वर्ष जलशोधन के कार्यों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पंजाब में गाँव के घर-घर का इस्तेमाल किया हुआ पानी भूमिगत नाले के माध्यम से एक तालाब में एकत्र होता है। यहाँ से नलकूप के माध्यम से पानी को ट्रीटमेंट के बाद दुसरे तालाब में भेजा जाता है। उस तालाब से पानी को खेतों तक पहुँचाया जाता है। इससे घरों के इस्तेमाल किया हुआ पानी सिंचाई के काम में आता है। दूसरा फायदा इसका यह है कि वहाँ भूमिगत पानी का स्तर अधिक नीचे नहीं आता है।

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार जी ने यह घोषणा की है कि जल निकासी के लिए बिहार में सींचेवाल मॉडल लागू होगा। पंजाब की कालीबेन नदी 160 किमी. लंबी नदी में जल प्रवाह बंद हो गया था। इसका जीर्णोद्धार बाबा बलवीर सिंह सींचेवाल ने लोगों की मदद से किया। वहाँ गाँवों में जल निकासी और फिर उस जल का उपयोग सिंचाई में करने की जो देसी विधि है, वह अद्भुत है। सीवरेज के पानी को एक जगह एकत्र करके उसका नेचुरल ट्रीटमेंट किया जाता है।

मैं यह माँग करता हूँ कि पर्यावरण-मित्र मॉडल और भूमिगत जलस्तर की वृद्धि करने वाले इस तरह के मॉडल को देशभर में लागू किया जाए ताकि जिस प्रकार चिंताजनक रूप से भूजल स्तर नीचे जा रहा है, उसे बचाया जा सके।

(xxvii) Need to construct the road connecting District Headquarters with National Highway in Idukki district of Kerala

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): The development of the National Highway Nos. 8 No. 85,183 and 185 is very much essential for ensuring hasslle-free travel to the hill stations of Idukki district and also for interstate travel between Kerala & Tamil Nadu. On NH 85, 2 new byepasses at Muvattupuzha and Kothamangalam are very much required and the land had been demarcated with a width of 30 meters in the year 2006. Now the Government has appointed Consultancy service for preparing the DPR for the said byepasses on NH 85, NH 183 & 185. NH185 has been sanctioned for connecting district headquarters to NH 85 & NH 183. But the road connecting district headquarters has been left out and the proposal for including the stretch connecting Headquarters is pending. Hence, I urge upon the Government to intervene for effective action.

12.59 hours

FINANCE BILL, 2017 ... Contd.

HON. SPEAKER: Now, further discussion on the Finance Bill, 2017. Shri Nishikant Dubey to continue.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, जीडीपी ग्रोथ के बारे में हमारे मित्र दीपेन्द्र हुड्डा साहब ने चर्चा शुरू की थी। डेटा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं, वे अपनी ही नीतियों को कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। "हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या"। यह जो जीडीपी का डेटा है, वर्ष 1980-81 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया कि यह डेटा प्रत्येक दस साल के बाद चेंज होगा और उसके आधार पर जीडीपी ग्रोथ तय होगी। आपको ध्यान हो, क्योंकि कांग्रेस के बारे में हमेशा कहा जाता है कि 'मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है'। 1980-81 का जो डाटा 1993-94 में घोषित होना चाहिए, वह 1999 में घोषित हुआ। यह हमने नहीं किया।

13.00 hours (Shri Hukum Singh *in the Chair*)

आपने 1980-81 का डाटा 1999 में घोषित किया। 1993-94 से 1999-2000 का जो डाटा था, वह 2006 में घोषित हुआ। आपने 2006 के बाद 2010 में यह कहा कि चूंकि इकोनॉमी बहुत जोर से बढ़ रही है, तो अब दस साल के ऊपर जीडीपी ग्रोथ का डाटा नहीं दिया जाएगा, पांच साल के ऊपर दिया जाएगा। यह आप ही की सरकार का फैसला है। आपने हद कर दी कि 2006 में भी जीडीपी के पूरे मापदंड को बदल दिया, उसी तरह 2010 में बदल दिया। जो पांच साल में बदलना चाहिए, वह जनवरी, 2010 में बदला। अब हम 30 जनवरी, 2015 में पांच साल बाद बदल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जीडीपी का डाटा ही गलत है। आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? मेरा कहना है कि आज पूरी दुनिया में प्रधान मंत्री मोदी जी और इस सरकार की नीतियों की बड़ाई हो रही है।

मैं जी-20 की मीटिंग का क्वोट करता हूं --

> "Obama lauds India's PM, Narendra Modi for ushering bold tax reforms."

यह न्यूज़ 4 सितम्बर, 2016 की है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक की 'डुइंग बिजनस' की रिपोर्ट है। 25 अक्टूबर, 2016 को वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ओवर ऑल रैंकिंग 2015 में जो 142 थी, वह अब 130 पर आ गई है और 2017 में इसे और नीचे जाने की आवश्यकता है। उसी तरह हमारे मित्र हुड्डा साहब ने ओईसीडी की रिपोर्ट का जिक्र किया। ओईसीडी कहता है, जिसमें 35 कंट्रीज हैं और

उनकी रिपोर्ट है। मैं डीमॉनिटाइजेशन के बाद 28 फरवरी, 2017 की रिपोर्ट क्वोट कर रहा हूं। उन्होंने जो प्रैस रिलीज जारी की, उसमें कहा --

> "The implementation of the landmark GST (Goods and Services Tax) reform will contribute to making India a more integrated market. By reducing tax cascading, it will boost competitiveness, investment and job creation. The GST reform - designed to be initially revenue-neutral - should be complemented by a reform of income and property taxes, the Survey said."

उसकी अगली लाइन है --

> "Recent changes in India's federalism model have given states more freedom and incentives to modernise regulations and tailor public policies to local circumstances. Ranking states on the ease of doing business…"

यह ओईसीडी की रिपोर्ट है। पूरी दुनिया हमारे जीडीपी को मान रही है, लेकिन कांग्रेस है जिसे सर्जिकल स्ट्राइक पर जवाब चाहिए, जीडीपी पर भी जवाब चाहिए। जो कानून भारत सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने बनाया, उसमें हमारे ऊपर प्रश्न कर रहे हैं जिससे दुनिया की इन्वैस्टमैंट रुके।

दूसरा, जो कल उन्होंने कहा, इन्वैस्टमैंट का जो प्रपोजल है, उसमें एमएसएमई सैक्टर को उन्होंने बहुत ध्यान में रखा। मैं आपको बताऊं कि टैक्स 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत क्यों हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर उनका एक बड़ा प्रश्न था कि यह करके भारत सरकार ने क्या काम किया। बेसिकली हमारी परेशानी क्या है, हम क्यों 25 प्रतिशत करना चाहते हैं? हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। सबको पता है कि एमएसएमई सैक्टर ही जॉब ग्रोथ बढ़ाता है। हमारे एक्सपोर्ट का लगभग 45 से 50 प्रतिशत हिस्सा एमएसएमई सैक्टर पर है। सबसे ज्यादा इम्प्लॉयमैंट यदि कहीं है तो वह एमएसएमई सैक्टर में है। टैक्स प्रोपोजल के नाते उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है, लेकिन जॉब क्रिएशन होगा। आप कह रहे हैं कि एमएसएमई सैक्टर में जो 96 प्रतिशत कम्पनियां हैं, उनका 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत टैक्स क्यों किया। हम बहुत ज्यादा डाटा क्वोट नहीं करते। हमारा एशियन कंट्रीज में जो कॉम्पीटिशन है, हम केवल उसके टैक्स कम्पैरिजन को बताते हैं कि भारत आज भी उससे मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि चाइना ने आपकी पूरी इंडस्ट्री को चौपट कर दिया।

आज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री खत्म है, इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्री खत्म है, पहले यहां टॉय बनते थे अब वह खत्म है, गारमेंट सेक्टर में आपको पूरी दुनिया से कम्पटीशन मिल रहा है। फाइनेंस बिल में उसके लिए 30 परसेंट से 25 परसेंट टैक्स कर दिया, उससे आपको समस्या है। कम्बोडिया में कॉरपोरेट टैक्स कितना है,

वह 20 परसेंट है। आपका मुकाबला एशिया में है, चीन में 25 परसेंट, हांगकांग में केवल 5 परसेंट, इंडिया में 30 परसेंट, इंडोनेशिया में 12.5 परसेंट, जापान में 25 परसेंट, कोरिया में 11 परसेंट, लाओस में 24 परसेंट, मलेशिया में 25 परसेंट और सिंगापुर में 17 परसेंट, जहां मैडम सुप्रिया सुले जी काफी दिनों तक रही हैं। पूरे एशियन कंट्रीज के मुकाबले में आप खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं, यदि भारत सरकार ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में 30 परसेंट से 25 परसेंट कॉरपोरेट टैक्स करना चाहती है, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए करना चाहती है तो इसमें कांग्रेस के मित्रों को परेशानी है। उन्होंने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में डायरेक्ट टैक्स ज्यादा क्लैकशन होता है और इनडायरेक्ट टैक्स कम होता है, जबकि हिन्दुस्तान में इसका उलट है। हिन्दुस्तान में डायरेक्ट टैक्स कम हो रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो रहा है। हमारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली होती है, हमारे परिवार में एक आदमी कमाता है, उसी से उसे बच्चों की पढ़ाई करानी है, उसी से बच्चों की शादी करनी है, माँ-बाप की सेवा करनी है, परिवार को देखना है, रिलेशन को देखना है, एक आदमी कमाने वाला है और सारे लोग खाने वाले हैं। आप किससे मुकाबला करना चाहते हैं? यदि आप की ही बात मान लें कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होना चाहिए, आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स में पसर्नल इनकम टैक्स का रेट 40 परसेंट है, यूरोप में 42 परसेंट, चीन में 45 परसेंट, जापान में 56 परसेंट, आप क्या चाहते हैं कि हम ज्वाइंट फैमिली के कन्सेपट को तोड़ दें और आपकी थ्योरी को मानते हुए डायरेक्ट टैक्स का कम्पोनेंट ज्यादा होना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स का कम्पोनेंट कम होना चाहिए, तो क्या हम इसे इस तरह से कर दें? इस कंट्री में हम 50 परसेंट टैक्स देंगे तो क्या वर्ष 1970 जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी, क्या ब्लैक मनी नहीं हो जाएगा? हम किससे मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं? यदि भारत सरकार ने डायरेक्ट टैक्स को कम किया हुआ है और इनडायरेक्ट टैक्स के कम्पोनेंट को कह रही है।

हमारा मुकाबला कहां से है, डायरेक्ट टैक्स कहां कम है? दुबई में टैक्स शून्य है, सिंगापुर में 9 परसेंट है। आप पहले एशियन कंट्री से कम्पटीशन कर लीजिए, तब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात कीजिए, लेकिन बिना किसी थ्योरी के यह कहना, वह विदेश में पढ़े हैं, कांग्रेस के स्पोकपर्सन को देश के बारे में कम आइडिया है क्योंकि वह कद्दू और पोटैटो भी दस किलो, बीस किलो और पचास किलो का उगाते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने उसी तरह की थ्योरी दे दी। उन्होंने किस तरह से देश को गुमराह किया। उन्होंने कल इनकम टैक्स की बात की, इनकम टैक्स में भारत सरकार ने एक बड़ा संशोधन किया है। इनकम टैक्स में इतना बड़ा संशोधन हो गया कि कोई एसेसमेंट ऑफिसर किसी के यहां जाएगा और वर्ष 1962 का टैक्स खोल देगा। उन्होंने 131 और 132 का जिक्र किया। संयोग से श्री महताब यहां बैठे हुए हैं, हम लोग जब इस चीज को स्टैन्डिंग कमेटी में पूछा कि देश में यह मैसेज जा रहा है कि इनकम टैक्स

ऑथरिटी को हमने इतना पॉवर दे दिया कि वह वर्ष 1962 के बाद से जितने भी टैक्स प्रोपोजल हैं, उसको खोल सकते हैं, उसको स्क्रुटिनाइज कर सकते हैं, दस साल के ऊपर के टैक्स को खोल सकते हैं, उनको किसी भी कोर्ट में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस कमेटी में हमने इसे पूछा, संयोग से महताब जी यहां बैठे हुए हैं और यह उन्हीं का क्वेश्चन था इसलिए मैं उस जवाब को देखना चाहूंगा। दो विषय एग्रीकल्चर और टैक्स का था। भारत सरकार ने क्या किया, इन्होंने बजट प्रपोजल को बढ़िया से नहीं पढ़ा।

वित्त मंत्री जी ने जब बजट का एनाउनसमेंट किया तो उन्होंने कहा कि हम इंडियन रेवेन्यू सर्विस के आदमी को एकाऊन्टेबल बनाएंगे। पिछले 70 सालों में किसी भी सरकार ने बजट प्रोपोजल में नहीं कही कि एकाउन्टेबिलिटी होगी क्योंकि कांग्रेस का टैक्स टेररिज्म था। टैक्स टेररिज्म से पूरा देश बर्बाद हो रहा था, परेशान था, उसे खत्म करने के लिए सरकार आगे आई। टैक्स टेररिज्म न हो, इसलिए वित्त मंत्री ने ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाऊस कहा कि एकाउन्टेबिलिटी होगी। हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि रेवन्यू अफसर की जो अप्रैजल रिपोर्ट बनती है, उसने किस तरह के जजमेंट्स दिये, किस तरह के सर्च किये, किस तरह के सर्वे किये, इस बारे में जब तक अससेमैंट नहीं होगा, हम अफसरों का अप्रैजल नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो बात कही, इस देश में कितनी गड़बड़ है, मैं रेवन्यू सैक्रेट्री को क्वोट कर रहा हूं:--

> "There was the issue of Section 131 and Section 132 regarding satisfaction note required.
>
> In fact, there is a misnomer about it. I would like to put on record that we are not saying that search officer will not draw up any satisfaction note. It is absolutely a must to draw up a satisfaction note. He has to write all the reasons for why he is going in for a search. He has to also probably write about the information he has got and the informer from whom he has got it. All this is a part of the confidential satisfaction note. But over a period, we found that disclosure of satisfaction note to every single authority was misused by people by declaring that satisfaction note itself is illegal. They were trying to get favorable dispensation in Commissioner and ITAT. That is why, we had to do this. It does not mean that we are not there to disclose the satisfaction note to anyone. We have to disclose to the High Court."

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : निशिकांत दुबे जी, आपने जो लास्ट लाइन पढ़ी है, उसे दोबारा पढ़ें। आईटीएटी और इसके ऊपर रेवन्यू सैक्रेट्री को भरोसा नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं उस बारे में बताऊंगा कि क्यों भरोसा नहीं है? ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: आप उसे दोबारा पढ़ लीजिए। हमारे काबिल मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे भी समझ जायेंगे। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: सभापति महोदय, कमिश्नर अपील के पास अभी इनकम टैक्स के तीन लाख से ऊपर केसेज पेंडिंग हैं। यह जो केस आईटीएटी और अपील में चलता है, उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। इस कारण विसल ब्लोअर का जो कान्सैप्ट है कि हमें इन्फार्मर के बारे में नहीं बताना है, तो सब लोग सर्टिफिकेशन नोट मांग रहे हैं। अब तीन लाख से ऊपर केसेज हैं, इसलिए महताब भाई, यह आपके लिए भी समझने वाली बात है। उस विसल ब्लोअर को, जो इन्फार्मर है, उसे वह आदमी मैनेज कर रहा है। वह मैनेज वहीं हो रहा है, क्योंकि कमिश्नर अपील के पास जा रहा है और अभी तीन लाख से ऊपर केसेज हैं। इस तरह से सर्टिफिकेशन नोट के आधार पर वह सारा डिपार्टमैंट के खिलाफ जा रहा है। जब इन्फार्मर ही मैनेज हो गया, जब इन्फार्मर की आइडेंटिटी ही मैनेज हो गयी, अभी कल धनबाद में बहुत बड़ा मर्डर हो गया, तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार ने यह कहा कि हम अपील और आईटीएटी के स्तर पर ये सर्टिफिकेशन नोट नहीं करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस देश में मांगेगा, क्योंकि उसकी जो लाइन है कि :-

> "We have to disclose it to the High Court and whenever the Courts ask for it, we will definitely disclose it. If there is an internal Department Inquiry… "

जिसके बारे में मैंने कहा। जो वित्त मंत्री ने दिया और माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि उसके एप्रेज़ल में जायेगा कि :-

> "If there is an internal Department Inquiry against an officer saying that he has harassed anybody, the Department will also look into the satisfaction note prepared by such officer and we will be able to pin him down as to whether he had enough reason to search somebody or not."

क्या इस तरह का कानून आज तक किसी ने बनाया है? क्या इस बारे में किसी ने बंधन बांधने की कोशिश की है? आप देश को गुमराह कर रहे हैं कि कोर्ट की खत्म हो गया। इस देश में कोर्ट के मामले को कौन खत्म कर सकता है? मेरा यह कहना है कि इस तरह की बातों के आधार पर हमने जो असेसमैंट स्टार्ट किया है, उस असेसमैंट को रोकने की आवश्यकता है। कांग्रेस का हाल यही है कि 'सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को।' मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अभी आधार के साथ लिंक किया है। कई प्रश्न होते हैं

कि हमने आधार के साथ क्यों लिंक किया, पैन को क्यों लिंक किया, इनकम टैक्स को क्यों लिंक किया? मैं आपको केवल दो रिपोर्ट्स दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में क्या हुआ? यह सीएंडएजी की रिपोर्ट है और बहुत इम्पोर्टैंट रिपोर्ट है। हमारी फाइनेंस कमेटी इसे देखेगी। It says about fictitious sale and purchase by shell companies and hawala operators".

During financial year 2008-09, the Maharashtra Sales Tax Department disclosed before the Mumbai High Court that it had investigated about 1,555 hawala operators involving about 39,488 beneficiaries/dealers who during the course of previous three years had passed an input tax credit. The *modus operandi* was to claim and obtain input tax. The MSTD started putting the list of suspicious dealers who had issued false bills without delivery of goods. उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। आपको आश्चर्य होगा। We examined the records pertaining to 2009-10 to 2013-14 having PAN in bogus purchase list of MSTD. पैन नम्बर था ही नहीं। पूरे देश में हवाला का काम कैसे होता था, वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2013-14 तक ऐसा होता रहा। उस सरकार ने इस लूपहोल को कभी कसने की जरूरत महसूस नहीं की। अब हमारी सरकार आधार को मैंडेटरी बनाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से टीडीएस में हो रहा हैं। मैं आपको बता रहा हूं यह सरकार किस तरह काम कर रही है। यदि आप टीडीएस के मामले को देखेंगे तो उसके बारे में भी सीएंडएजी की रिपोर्ट है, मैं उसे कोट नहीं करना चाहता हूं। वह रिपोर्ट कहती है कि जो "नो योर कस्टमर " की बात है, आज भी इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि कोई जेनुइन "नो योर कस्टमर " दिखाई देता हो। टीडीएस में जब उसकी फाइल खुलती है, जब वे चीजें खुलती हैं तो 35 प्रतिशत केसेज में कोई कस्टमर दिखाई नहीं देता है। मैं आपसे कहूंगा कि इस सरकार ने जो चेंजेज किए है, वह बहुत बड़े हैं। जैसे पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ करते थे। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): उनको अच्छी डिबेट करनी होती है, उनकी गलतियों को सुधारना पड़ता है, इसलिए माननीय सदस्य को ज्यादा टाइम दीजिए, हम उनकी बात सुनेंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री भर्तृहरि महताब : अगर आप यह दर्शा रहे हैं कि पैन गलत है तो पैन को हटा दीजिए और आधार को परमानेंट कर दीजिए। पैन के साथ आधार को जोड़ने की क्या जरूरत है? इसे थोड़ा समझाइए। अगर पैन

गलत है और सीएंडएजी की रिपोर्ट यह दर्शा रही है कि उसकी वजह से काफी हवाला होता है, तो पैन को हटा दीजिए। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Mahtab, you have to speak on this issue. You can raise all these points when you speak. Let him conclude.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let him conclude now. He is going to conclude. Let him conclude.

श्री निशिकान्त दुबे: मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यदि आधार मैंडेटरी हो जाएगा तो बैंक में किसका एकाउण्ट है, किसने किसको पैसा दिया, क्या बिल ऑफ इंट्री है, ये सब पता चलेगा। इस सरकार में अभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बहुत बातें होती हैं। देखिए किस तरह से चेंजेज होते हैं। ये हमेशा जीडीपी बढ़ाने की बात कहते हैं। हमारी कमेटी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के मामले को अभी देख रही है। आपको आश्चर्य होगा कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जीडीपी की डेढ़ से दो प्रतिशत ट्रांजैक्शन कॉस्ट बर्बाद हो जाती है, उसकी कोई टाइमलाइन नहीं थी। प्रति वर्ष डेढ़ लाख करोड़ रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक बर्बाद होते थे। यदि यह पैसा हमारे पास बच जाए तो हम इसे देश की जीडीपी में खर्च कर सकते हैं। इस सरकार ने उसकी एक टाइमलाइन निर्धारित कर दी कि एक एक दिन के अंदर बिल ऑफ इंट्री फाइल करनी है। इम्पोर्टर को यह सुविधा दी गयी कि आप उसका असेसमेंट कर दीजिए। साथ ही, इम्पोर्टर को यह सुविधा दी गयी कि आप सेम डे उस बिल को जमा कर सकते हैं। इस तरह के संशोधनों के बारे में किसी ने सोचा नहीं था।

दूसरी बात यह है कि सभी सरकारों ने काम किया है, सभी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत में जो काम हो रहे हैं, जिस तरह के टैक्स रिफार्म्स हो रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से मेघवाल जी काम कर रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी बढ़ने का बहुत बड़ा रास्ता बना है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि वे जनता को गुमराह करना बन्द करें, उल्टे-सीधे वक्तव्यों से देश में जो माहौल बन रहा है, उसे खत्म करें और इस देश के विकास में सहयोग करें।

"ऊँ सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विावहै।।"

छोटे लोग, गरीब लोग, किसान, महिला, पुरुष, युवा एवं अन्य आम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में और देश को बनाने में मोदी जी का सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Mr. Chairperson, Sir, The object of the Finance Bill, as you know, is to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-18.

The root of dharma is finance and the good financial health is prerequisite to discharge the duties in a state. The growth of the economy represents the expansion of the potential GDP of a nation and the growth of the economy occurs when the production possibilities of a nation shifts outside. A number of countries, and our country too follow its own path for the economic growth. England pioneered industrial revolution. Japan took route of technology imitation. Later, tremendous expertise took place in manufacturing and electronics. Various countries in the world used to take their own path for economic development. But one thing is distinctly clear that the path may differ but the common trait of all the rapid developing countries is to ride on the four wheels of growth. And those four wheels consist of capital resources, human resources, natural resources and technology. They are the fundamental fulcrum on which an economy could prosper.

Yes, issues have been discussed here over the weeks because the Budget has been presented, thereafter, Supplementary Demands for Grants , Demands for Grants, etc. were discussed. Most of the issues have already been discussed in the House. I know that we have some paucity of time. We do not enjoy the plenty of time like Dubey *ji.* Therefore, I would like confine myself to two or three issues. First of all, I would ask my friend, Shri Arjun Meghwal *ji* this. Your senior, Shri Arun Jaitley was the author of tax terrorism. May I ask you that the Budget, the Financial Bill that have been submitted by you, by which parameter it is distinct from tax terrorism. What are the distinctive features of this Bill away from tax terrorism? Already the Government has displayed that the Government prefers to run like a rampaging element in order to implement its own whims and fancies. We are observing a spasmodic syndrome being betrayed by this Government. After demonetization, scores of norms and regulations were altered. Even after

introducing the Finance Bill, you are again bringing amendments. Everything shows your tentative approach. You are yourself proving that you are suffering from indecision. Again, you slash the cash transaction ratio from Rs.3 lakh to Rs.2 lakh. You have made Aadhar mandatory for IT returns and for PAN. My esteemed friend, Shri Dubey *ji* was elaborating on it.

मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि हम सभी को 'आधार' से लिंक कर दें? कांग्रेस सरकार के समय हमारी इस सोच का आपने पुरजोर विरोध किया था, लेकिन अब हमें यह बात अच्छी लग रही है कि आज आप कांग्रेस के तय किए गए रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे मजबूरी में ही क्यों न चल रहे हों। उस समय यह आपका चुनावी और सियासी जुमला था, लेकिन जब सत्ता में आए तो आप स्वयं देख रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के अलावा देश को किसी अन्य नीति द्वारा आगे नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए 'आधार' आपको लाना पड़ा। आज आप जिस ढंग से इसे ला रहे हैं, आप इससे हमें दूर रखना चाहते हैं। You are pursuing a disruptive policy while the Congress was pursuing an adaptive policy. You are pursing a coercive policy while the Congress was pursuing a persuasive policy. This is the fundamental difference between you and us. आप दिल्ली के घर-घर में जाइए। क्या हर घर में लोगों के पास 'आधार' है? यह सरकार की जिम्मेदारी है कि आप स्वयं लोगों से कहो कि 'आधार' बनाओ। यह बात ऐसे नहीं हो सकती है कि आप किसी कम्पनी को कहें कि मेरे घर में सिम कार्ड भेज दो, तो कम्पनी आपके घर सिम कार्ड भेज देगी। आपके पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। आज जबरदस्ती 'आधार' को थोप रहे हैं। मेरा कहना है कि यह ओप्शनल होना चाहिए, स्वैच्छिक तौर पर होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की राय भी शायद आपको मालूम होगी। हिंदुस्तान की आम जनता पर आप कुछ मत थोपिए।

महोदय, कल उत्तर प्रदेश से हमारे दोस्त योगी आदित्यनाथ जी आए थे। वे यूपी के मुख्य मंत्री बन गए हैं। उन्होंने वहां घोषणा की है कि 36 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया जाएगा। मैं मेघवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आपके सूबे के किसानों का इस बारे में क्या कहना है, क्या वे अपना कर्जा माफ नहीं कराना चाहते हैं? हिंदुस्तान के दूसरे सूबों के किसान क्या कर्जा माफ कराना नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं कि 'सबका साथ सबका विकास' लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि जहां चुनाव में फायदा होगा, केवल वहीं के लिए आप कुछ करेंगे। आपको अपना रवैया बदलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 'यूपी के साथ और बाकी हिंदुस्तान बाद'। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के किसानों का कर्जा

माफ क्यों नहीं हो रहा है? यदि आप दूसरे प्रदेशों के किसानों से कहेंगे कि यह राज्य की सरकार कर रही है, तो देश का कोई भी किसान इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि राज्य में किसी भी सरकार का मुख्य मंत्री हो सकता है, लेकिन यह सबको मालूम है कि सभी को मोदी जी के निर्देशों पर चलना होता है। अगर आपने कर्ज माफ करना है, तो हिंदुस्तान के सभी किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इकोनोमिक सर्वे में लिखा है कि

> "Despite making remarkable progress in bringing down poverty from about 70 per cent at independence to about 22 per cent in 2011-12."

However, we have failed to wipe out every tear from every eye. इकोनोमिक सर्वे ने यह दावा किया है कि

> "Universal Basic Income is a radical and compelling paradigm shift in thinking about both social justice and a productive economy. A universal basic income is, like many rights, unconditional and universal: it requires that every person should have a right to a basic income to cover their needs, just by virtue of being citizens."

मैं पूछना चाहता हूं कि निशिकांत जी, क्या यूनीवर्सल बेसिक इनकम नहीं चाहिए? ठाकुर साहब क्या यूनीवर्सल बेसिक इनकम नहीं चाहिए? अगर यूनीवर्सल बेसिक इनकम चाहिए तो आप क्यों नहीं सदन में सवाल उठाते हैं? कल आपके चीफ व्हिप ने कहा कि हमने डिजिटल इकोनॉमी बना दिया, केन्या को देखो, वहां बन गया। केन्या को दुनिया में एक करप्ट कंट्री की हैसियत से भी जाना जाता है। इसलिए फाइनैंस बिल के साथ जो कानून लाया गया है, वह तानाशाही का दूसरा रूप है। आज नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते हैं। आप दिल्ली के जंतर-मंतर पर देखिए, वहाँ लोग मृतकों की खोपड़ी लेकर धरना दे रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हमारा कर्ज माफ करो। ...(व्यवधान)

अंत में, मैं हिन्दुस्तान के नौजवानों से कहना चाहूँगा-

नज़र चाहती है दीदार करना,
दिल चाहता है प्यार करना,
क्या बताएं इस दिल का आलम,
नसीब में लिखा है इंतजार करना।

इसलिए सबको इंतजार करना पड़ेगा।

SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): Hon. Chairman, Sir, first of all, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2017, which was placed before the Parliament yesterday by the hon. Finance Minister.

Basically and fundamentally, by definition, a Finance Bill is a money bill as defined by article 110 of the Constitution, which describes that 'the proposals of the Government for levy of new taxes, modification of the existing tax structure or continuance of the existing tax structure beyond the period approved by Parliament are submitted to Parliament through this bill.'

The date for the presentation of the Union Budget has been advanced by one month to 1st February from this year. In this context, the hon. Finance Minister has revised the General Financial Rules, 2017. The aim of these rules, which have been revised, is to provide a framework within which an organization manages its business in a financially prudent manner without compromising its flexibility to deal with varied situations. New GFRS 2017 will enable an improved, efficient and effective framework of fiscal management while providing the necessary flexibility to facilitate timely delivery of services. This is done by our Government, which believes in the professionalism.

Professionalism is the key to our stable growth in today's highly competitive world, and in some major economies, the growth is actually shrinking.

A Government, which is true to its people and is interested in the long-term welfare of the people, therefore, needs to adopt a professionalism as a core principle.

The GFRS are the rules and orders dealing with matters involving public finances. The GFRS were issued for the first time in 1947. These, subsequently, have been modified and issued as GFRS 1963 and GFRS 2005.

Now, there was a need to revise the GFRS because there was a change in the budgeting pattern like removal of distinction in Plan and Non-Plan Expenditure and also merger of Railway Budget into the General Budget. This is

a historic revision, and it is only the third one -- after they were first introduced in the year 1947.

Sir, the revised General Financial Rules will enhance the efficiency and professionalism in the system, which will benefit all of us.

The narrative across the world is changing fast with uncertainty rising in the back of protectionism and rhetoric gaining ground. For example, if you historically see in the context, the first Parliament was formed in this country in 1952. The first two decades were in sync with the global economy. The Indian economy was also following communism and a little bit of socialism.

From 1972 to 1992, it was more of socialism and more of populism. Then, from 1991, when the hon. Narasimharao's Government, took over, it started Economic Reforms. There came the era of liberalisation, privatisation and globalisation. The Indian economy was also in sync with the global economy.

But ultimately, what happed in the last two decades from 1992 to 2012? If there was only one State, which made use of this liberalisation, privatisation and globalisation, it was the State of Gujarat. The then Chief Minister hon. Narendra Modi ji had visualised and took advantage of LPG or liberalisation, privatisation and globalisation to make a vibrant Gujarat. After 2012, you can see that aspect in the entire world economy. We have entered into a phase of de-globalisation in the name of tariffs or in the name of concessions which have been given. The Free Trade Agreements have been cancelled. You can see everywhere that a lot of de-globalisation is happening.

The other day, you must have seen that US Senate is not going to provide any concessions or the tariffs because they are also on the verge of make-in-America. It was visualised by hon. Narendra Modi ji when he came to power. He visualised Make-In-India, Startup India, Digital India and other things to have a demographic dividend and make the country develop faster. He has made some historic tax reforms such as GST, Bankruptcy and Insolvency Code, ease of doing

business. This all has been done just to get rid of policy paralysis which would spur the growth of the Indian economy.

I would like to mention here about five components of demand namely consumption and expenditure, investment expenditure, Government expenditure, exports and imports. The most important component of the demand is consumption expenditure which was explaining 70 per cent of nation's income in 2016. Generating and sustaining income would, therefore, call for strategies that would generate income. So, to generate more consumer demands, our hon. Finance Minister has announced that persons having an annual income of up to Rs. 3 lakh will not have to pay tax. Persons having an annual income up to Rs. 5 lakh will have to be charged with five per cent tax instead of 10 per cent tax. This will give an additional income of Rs. 13,000 crore in the hands of consumers. In order to increase the income of consumers, the Seventh Pay Commission will also play a major role in generating more consumer demands.

As far as instances of tax evasion are concerned, the Finance Minister has stressed the need of digital economy, big data analytics and data mining to catch tax evaders. You might have seen in the newspaper the other day that ED has caught hold of *hawala* traders and operators who were making entries to the tune of Rs. 11,000 crore. So, our Government is doing all the necessary things in order to give a stimulus policy growth. The Government is adopting some measures to stimulate the growth namely concessional withholding rate of 5 per cent for interest received by foreign entities on loans given in India to be continued for another 3 years beyond 30.6.2017; Start-ups to get two relaxations under the scheme of Income Tax holiday given last year; and as far as the Corporate Tax is concerned, income tax to be reduced from 30 per cent to 25 per cent for companies with turnover upto Rs.50 crore. There are also other tax proposals as far as maintenance of the book of accounts, capital gains on the property; affordable housing; and political funding is concerned.

Our Government believes in transparency. We are also thinking to limit the political funding. The political parties' limit for accepting cash donations has been reduced from Rs. 20,000 to Rs. 2,000. The Budget proposes that electoral bonds to be issued by banks, which may be purchased by an individual through a cheque or an electronic means, can be used for donation for political parties. Details of such donors need not be disclosed by the parties. Limit on cash transaction and tax waiver to the start-ups are done to promote 'ease of doing business'.

Yesterday, Satpathy *sahib* was talking about the Indian economy vis-à-vis the last Government and the present Government. I was going through a book the other day which reminded me Mr. Satpathy. According to that book, we are on the cusp of a wave of inventions and innovations that can vastly improve our lives. Although these inventions and innovations will also replace countless jobs and thereby dry down the wages of the vast majority – a process that has already started in the advanced nations. We have already organised capitalism so the gains are shared widely. We have optimism and we need not be victims of impersonal market forces over which we have no control. The market is a human creation. It is based on the rules that human beings devise. The central question is that who shares those rules and for what purpose. Over the last three decades, the rules have been shared by the large corporations and wealthy individuals in order to channel a large portion of the nation's total income and wealth to themselves. If they continue to have influence over the rules, they control the assets at the core of the new wave of innovations and they gain control of the assets at the core of the new wave of innovations and they will end up with almost all the wealth, all the income and all the political power. That result is more in their interest than in the interest of the rest of the population because under such conditions, an economy and society cannot endure.

The coming challenge is not to technology or to economics. It is a challenge to democracy. The critical debate for the future is not about the size of

the Government. It is about for whom the Government is for. The central choice is not between the free market and the Government.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI SHIVKUMAR UDASI: I will conclude in one minute.

It is between a market organized for the broadly based prosperity and one designed to deliver almost all the gains to a few top. The pertinent issue is not how much is to be taxed. It is how to design the rules of the market so that the economy generates what most people would consider a fair distribution on its own without necessitating the large re-distribution. The vast majority of the nation's citizens do have the power to alter the rules of the market to meet their needs but to exercise that power, they must understand what is happening and where their interest lie and they must join together. We have done so before. If any common friend has any sway, we will do so again. It is in this context our Government under the visionary leadership of Shri Narendra Modi Ji is working hard in a professional, transparent and honest way on the principle of 'for the poor, by the poor and to the poor'.

And with these few words, I will conclude.

Thank you very much.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति जी, मैं इस बिल पर अपने कुछ प्वाइंट्स और राय रखना चाहूंगी। बहुत सारी बातें निशिकांत जी, हुड्डा साहब और शिवकुमार जी ने कही हैं। हम आंकड़ों में तो बहुत जा रहे हैं कि इतनी जीडीपी हो गयी है, इतनी ग्रोथ हो रही है। इस बारे में एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है। सब अच्छे से चल रहा है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम सदन में अपनी बातों पर तालियां बजाकर वाहवाही ले रहे हैं, लेकिन इस बजट से किसान, महिलाएं, युवा, खिलाड़ी और बेरोजगार ठगे से महसूस कर रहे हैं। हम बिजनेस और इकोनॉमी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन गरीब को क्या मिल रहा है? मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग और बीपीएल वर्ग के लोगों को निराशा मिली है। हम भााणों में प्वाइंट्स के माध्यम से सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन किसानों और महिलाओं को क्या मिला है?

मैं कुछ बातें यहां रखना चाहूंगी, महिलाओं के बारे में खास तौर से बहुत बड़ी-बड़ी बातें यहां कही गयीं कि गर्भवती महिला के लिए छः हजार रुपये कर दिए गए हैं। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, ममता और मिड-डे मील में काम करने वाले रसोइए को साढ़े बारह सौ रुपये मिलते हैं। आशा बहन को जब अस्पताल बुलाया जाता है तो पांच-दस रुपये चाय और बिस्किट के लिए दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय तीन हजार और पन्द्रह सौ रुपये है। बहुत सारे राज्यों ने अपनी तरफ से बोनस दिया है, लेकिन बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे बहुत से गरीब प्रदेश हैं, जो नहीं दे सकते हैं। वे नहीं दे सकते, कुछ देते हैं, कुछ नहीं दे सकते। आप एक तरफ "बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ" का नारा देते हैं, लेकिन माँ को ही पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। दूसरी तरफ आंगनबाड़ी केंद्र के पौटिक आहार के लिए आप जो 15,500 से 16,000 रुपये देते हैं, उसमें करप्शन भी यहीं से आता है। महिला व बच्चे का ऐनिमिक होना भी यहीं से आता है, कुपोषण भी यहीं से आता है। क्या बजट में इस बात पर बारीकी दी गई कि पौष्टिक आहार की राशि बढ़ाई जाए, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका की राशि बढ़ाई जाए, आशा, ममता और रसोईया की राशि को बढ़ाया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहूंगी कि 6,000 रुपये में कौन सी ऐनिमिक माँ खुद को व अपने बच्चे को कितना मजबूत कर पाएगी। आप सबको मालूम होगा जो गाँव से जुड़े हुए हैं। वह 6,000 रुपये सिर्फ महिला नहीं खाती है, उसके अकाउन्ट में डलवाते हैं और उसका पूरा गरीब परिवार उन 6,000 रुपयों पर नजर रखता है, यह आपको अच्छी तरह से मालूम होगा।

आपने किसान की बात कही, आपने किसान की आमदनी के लिए बोल दिया कि हम दोगुनी कर देंगे, लेकिन कैसे? यह नहीं बताया गया। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि 15 परसैन्ट एम.एस.पी.

पॉसिबल नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उसकी आमदनी को बढ़ा दिया जाएगा। मैं इस पर दो प्वाइंट्स बोलना चाहूंगी। एक यह कि जो आपने कृषि बीमा योजना शुरू की है, आपने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है, जो वर्ष 2010 की हमारी ही योजना थी। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूं कि कृषि बीमा योजना, किसान फसल बीमा योजना के बारे में प्रधान मंत्री जी ने भी कहा कि यह बहुत अच्छी योजना है। इससे किसान बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। अक्टूबर-नवम्बर 2016, में अनाउन्समेंट हुआ कि किसान अपनी फसल का बीमा करवाए। बिहार में मैं अपने जिले का एक उदाहरण देती हूं कि सिर्फ 15 दिन की मौहलत दी गई और उसमें मात्र 2,700 किसान फसल बीमा योजना करा पाए। फिर 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया और उमसें उन मात्र 2,700 किसानों ने ही कराया जो सिर्फ के.सी.सी. लोनी हैं। आपने उसमें संशोधन किया कि के.सी.सी. लोनी और दूसरे लोग भी कर सकेंगे, आपने उसे 40,000 रुपये प्रति हैक्टेयर कर दिया यदि 100 प्रतिशत क्षति होगी। मैं आपसे कहती हूं कि आपने बजट दे दिया, पैसा दे दिया, लेकिन क्या इस बारीकी को देखा कि आखिर फसल बीमा योजना क्यों सक्सेज नहीं हो रही थी। फसल बीमा की राशि किसान तक पहुंचने के लिए 3 महीने लगते हैं, उसके बाद जांच होती है। 100 प्रतिशत का तो नहीं होता है, 75 या 50 प्रतिशत अगर मिलती है तो उसका उपज, मैन पॉवर और जो उसका मुनाफा होता है, वह भी उसे नहीं मिलता है। 3 महीने में मुनाफा तो दूर की बात लागत का 50 प्रतिशत भी नहीं आता है। क्या इसमें यह बारीकी रखी जाएगी कि उसको तुरंत फसल बीमा कि राशि मिले।

आपने के.वी.के के बारे में, प्राइस, पुरस्कार और वैज्ञानिकों के बारे में कहा, लेकिन के.वी.के. बढ़ाना चाहिए। आप उसमें बजट बढ़ाएं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम दो के.वी.के. होने चाहिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। किसानों के पास जो बीज की डिमाण्ड है, उससे बहुत कम बीज ही किसानों को मिल पाता है। उनके पास वैज्ञानिकों की बहुत ज्यादा कमी है, उनके पास पैसों की कमी है। जो किसान सलाहकार होते हैं, वे सिर्फ किसानों को सब्सिडी के बारे में ही बताते हैं। जैविक खाद क्यों यूज करें, कौन सी मॉडल खेती करें, आपकी खेती क्यों लगातार डाउन हो रही है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। यह बहुत जरूरी है कि बारीकी से के.वी.के. को बढ़ाया जाए। उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। उनको वैज्ञानिकों के लिए राशि दी जाए न कि पुरस्कार राशि दी जाए।

मैं स्पोर्ट्स की बात कहूंगी। मैं खुद भी एक खिलाड़ी रही हूं। हर बार बजट आता है, उसमें लिखा होता है कि ऐतिहासिक बढ़त हुई है, इसमें 350 करोड़ रुपये बढ़ा दिए गए हैं। पिछली बार यह साढ़े तेरह सौ था, इस बार एक हजार नौ सौ कुछ रुपये कर दिया गया। मैं भी खिलाड़ी हूं, मेरे बच्चे भी खिलाड़ी हैं। मैं बहुत सारे खिलाड़ियों को देखती हूं। मैं आपकी नॉलेज में लाऊंगी कि बास्केट बॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, अगर क्रिकेट को छोड़ दें, तो यहां पर इतना करप्शन है, आप खेलो इण्डिया योजना लेकर आए।

हमारे बच्चे भी खेलने के लिए गए। उसमें सरकार की तरफ से 51,000 रुपये प्राइस मनी दी गई। हर बच्चा हमारी तरह नहीं है। उनको तुरंत पैसे की जरूरत होती है। अब मई में उनको पैसे मिलेंगे। आपने सिर्फ अपना फर्ज निभा दिया, पैसे दे दिए। लेकिन वह पैसा खिलाड़ी तक तुंरत कैसे पहुंचेगा, जिससे खिलाड़ी को फायदा होगा, इसकी सोच भी सरकार को रखनी बहुत जरूरी है। बास्केटबाल नेशनल कैम्प लगा होता है, तीन घंटे प्रैक्टिस कराकर पौष्टिक आहार में बच्चों को क्या दिया जाता है - कुरकुरे और फ्रूटी। क्या ये हमारी सोच है, क्या इतना कॉमनसैंस कोच नहीं लगाते हैं कि उन्हें पौष्टिक आहार के रूप में पारले बिस्कुट, कुरकुरे और फ्रूटी चाहिए या किस तरह का फूड चाहिए? ये बारीकी जानना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि स्पोर्ट्स में प्राइज मनी को डायरेक्ट बच्चे के लिए बढ़वाना बहुत जरूरी है। जो भत्ता होता है, जो आप ग्रामीण क्रीड़ा कराते हैं, उसमें बहुत मिनिमम भत्ता है, आप उसमें बजट को बढ़ाइये। क्रिकेट के अलावा जो हमारे नेशनल गेम्स हैं, प्लेयर को यह सिक्युरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं इंटरनेशनल गेम न भी खेलूं और अगर नेशनल गेम भी खेल रहा हूं तो मेरे पास इतने पैसे आ सकते हैं कि पेरेन्ट्स इतने आश्वस्त रहें कि हमारा बच्चा दो पैसे कमा रहा है।

इसके बाद मैं एम.पी.लैड की बात करूंगी, जो मैंने जीरो ऑवर में भी कहा। बजट से बहुत उम्मीद थी कि आप एम.पी.लैड का पैसा बढ़ायेंगे। मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि या तो एम.पी.लैड को बंद करा दिया जाए या पी.एम.जी.एस.वाई, ग्रामीण सड़क योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है। उसमें सौ करोड़ रुपये एम.पी. की रिकमैंडेशन से सड़क बनाने के लिए दे दीजिए। उससे करप्शन नहीं होगा और सड़कें भी बनेंगी। उसमें 95 करोड़ रुपये हर साल सड़क बनाने के लिए दे दिये जाएं, अन्यथा इस फंड को बंद कर दिया जाए। इससे क्या होगा, जो एम.पी. गांव-गांव में घूमते हैं, एक-एक सड़क बन सकती है और पांच साल में तकरीबन साढ़े चार सौ किलोमीटर रोड बनाने में सफल हो जायेंगे। यह बहुत जरूरी है, अन्यथा मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि प्लीज आप इस फंड को बंद कर दीजिए। मुखिया का फंड हम लोगों से ज्यादा है। अतः इसे बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये किया जाए।

इसके बाद मैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर बोलना चाहूंगी। आपने स्वास्थ्य और शिक्षा में बजट को थोड़ा बहुत बढ़ाया है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि इसकी बारीकी पर जाइये, आप डायलेसिस की बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती रंजीत रंजन: आपने कहा कि जो गंभीर बीमारियां हैं उनमें एक लाख रुपये और 60 साल से ऊपर वाले को 30 हजार रुपये एक्सट्रा दिये जायेंगे। मैं कहती हूं कि जो प्रधान मंत्री कोष से बड़े अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं, उन्हें 60 से 70 परसैन्ट दिया जाता है। उसे 100 प्रतिशत कर

दीजिए। इससे ट्रांसपेरेन्सी भी रहेगी और तीस प्रतिशत के लिए भी लोगों को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है, वह नहीं होगा। इसलिए इस पर बजट बढ़ाना चाहिए था।

शिक्षा के क्षेत्र में आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आप शिक्षकों की बहाली करा लें, क्वालिटी एजूकेशन करा लें, तब उसके बाद डिजिटल करें। कल कीनिया के बारे में चर्चा की जा रही थी, लेकिन आपने यह चर्चा नहीं की कि अमरीका पूरा डिजिटल होने के बावजूद केवल 10 परसैन्ट डिजिटल पेमेन्ट करता है, इसकी क्या वजह है?

माननीय सभापति : श्री अभिषेक सिंह जी, आप बोलिये।

श्रीमती रंजीत रंजन: सर, इसके साथ ही मैं अपनी बात कंक्लूड करती हूं।

श्री अभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : सभापति महोदय, जब देश का बजट प्रस्तुत होता है तो उसके दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं - एक फाइनेंस बिल और दूसरा एप्रोपरिएशन बिल। फाइनेंस बिल इस देश के टैक्सेशन में जो नये टैक्स आ रहे हैं या जो वर्तमान टैक्स हैं, उनके परिवर्तन का एक लेखा-जोखा है। एप्रोपरिएशन बिल के तहत सरकार को यह ताकत मिलती है कि कंसोलिडेटिड फंड ऑफ इंडिया से अपने खर्चे के लिए वह फंड विदड्रा कर सके।

महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज हम न सिर्फ अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों पर नजर डालें, बल्कि पूरे विश्व में जो हो रहा है, उस पर नजर डालते हैं तो यह देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में कई अनिश्चितताएं इस देश और विश्व के सामने आई हैं। चाहे वह चाइना जैसे देश का स्लो डाउन हो या फिर यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने की एक अनिश्चितता और उसके साथ जापान जैसे देश लगातार स्लो डाउन से जूझ रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में एक नई सरकार बनी है और कई देशों में एक प्रोटेक्शनिस्ट एनवॉयरनमैन्ट का क्रिएशन हुआ है। इसके तहत भारत जैसे देश में भी यह समय आने वाले साल को लेकर कई अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इन सबके बावजूद भी यदि हम भारत की ओर ही निगाह डालते हैं तो पिछले दो सालों मे भारत की अर्थव्यवस्था पर कमज़ोर मानसून का भी असर पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार ने और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिस कार्यकुशलता का परिचय दिया है, उसका प्रमाण है कि विश्व बैंक डाटा के आधार पर यह कहता है कि सन् 2016-17 में भारत की जीडीपी सात प्रतिशत रहेगी, और आने वाले समय में सन् 2017-18 में जीडीपी 7.6 प्रतिशत रहेगी और सन् 2018-19 में जीडीपी 7.8 प्रतिशत रहेगी।

महोदय, विश्व में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के आधार पर भारत पहले नौवें नंबर पर था, जो आज अपनी पोजिशन को बेहतर करते हुए छठवें नंबर पर आ रहा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी मंहगाई की दर लगातार पांच प्रतिशत के आस-पास स्थिर रही है। यह इस सरकार की आर्थिक नीतियों का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत करता है, हमारा फिस्कल डेफिसिट, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस देश की सरकार कैसे अपने अर्थतंत्र को इस्तेमाल कर रही है। हमारा फिसकल डेफिसिट पिछले साल जो 3.5 प्रतिशत के आस-पास था, उसे इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री जी ने 3.2 का टारगेट रखा है। मैं उनको भी इस विषय के लिए बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ।

भारत की अर्थव्यवस्था की मज़बूती की एक बड़ी वजह है, जिसने विश्व में चल रहे इन असंतुलनों से बचाने का एक कुशन दिया है, वह है भारत देश की अन्तर्निहित मांग। हमारी जीडीपी का 60 प्रतिशत इंटरनल डिमांड कंजंप्शन से आता है। इस देश के बजट में और वित्त विधेयक में इस बात का ध्यान रखा गया है कि आने वाले समय में हम अपने देश की विशेषताओं को ध्यान में रख कर कैसे अपनी नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं कि हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित एवं शोषित वर्ग की आर्थिक उन्नति बेहतर से बेहतर और कम से कम समय में हो सके।

महोदय, इस देश के वातावरण में, इस देश की नीतियों में कुछ बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं और उसका उदाहरण हमको देखने को मिला, जब इस बार का बजट 28 फरवरी को न प्रारंभ हो कर, 01 फरवरी को माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी के प्रयासों से हुआ। मैं पूरे सदन की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह मानसून के पहले हमारे बजट का पारित हो जाना, इस देश को और इस देश की सरकार को समय देता है कि हम अपने बजट में क्रियान्वयन की दिशा में मज़बूती से आगे बढ़ सकें। अन्यथा मानसून के बाद आपा-धापी में इस सरकार के द्वारा बजट का क्रियान्वयन किस तरीके से होता था, उसकी वजह से इस देश की और सरकार की क्या दुर्दशा होती थी, पिछले 15 सालों में हमने देखा है।

इस बार रेलवे और जनरल बजट को मर्ज किया गया। प्लान नॉन-प्लान को हटा कर रेवन्यु और कैपिटल एक्सपेंडीचर पर फोकस किया गया है। इस देश की जनता सरकार के हर फैसले के साथ मज़बूती के साथ खड़ी हुई है। इस देश की जनता को विश्वास है कि भारत की यह सरकार तुष्टिकरण की राजनीति पर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित की राजनीति के साथ आगे बढ़ रही है और इस देश की जनता का विश्वास आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मज़बूती से है।

महोदय, इस देश ने पिछले साल कई महत्वपूर्ण बदलावों को देखा है, मज़बूत किया है और अंगीकार किया है। जब पांच सौ और एक हज़ार के नोटों को बदलने की एक क्रांतिकारी व अभूतपूर्व घोषणा माननीय प्रधान मंत्री जी ने की, तो तमाम आर्थिक पण्डित चाहे हॉवर्ड के ज्ञानी हों या फिर जो इस देश के राजनैतिक पण्डित थे, अधिकतर लोगों का कहना था कि यह पॉलिटिकल सुसाइड है। लेकिन इस देश ने जिस भाव से माननीय प्रधान मंत्री जी की इस सोच का सम्मान किया है और उसको अंगीकार किया है, उसका परिणाम यदि कहीं हमको एक जगह परिलक्षित होते दिखता है, तो उस चर्चा के दौरान ये बातें आईं कि आने वाले समय में जो राज्यों में और पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, कहीं न कहीं जनता का एक जनमत उसके सामने प्रस्तुत होगा। आज यदि हम इस सदन में बातचीत कर रहे हैं तो हमको दिखता है

कि चाहे ओडिशा के चुनावों की बात हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनावों की बात हो या हाल ही में चार राज्यों में जो परिणाम आए हैं, उनकी बात हो।

14.00 hours

उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व जनमत मिला है, उसका एक स्पष्ट परिणाम यह हुआ है कि बाकी सारी बातें एक तरफ रह गईं, डीमोनेटाइजेशन को लेकर जो चर्चा हो रही थी, कम से कम अपोजिशन डीमोरेलाइज्ड हो गया। इस देश की जनता ने प्रधान मंत्री जी के साथ खड़े होने का जो फैसला लिया है, मैं उस देश की जनता को भी कोटि-कोटि बधाई और शुभकामनायें देता हूँ।

महोदय, एक और बेहद क्रान्तिकारी कदम, जीएसटी का इस देश में क्रियान्वयन करने की एक मजबूत पहल माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। इस देश के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, सबने इस बात को स्वीकारा है कि आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार की ओर जीएसटी का यह कदम इस देश को लेकर जायेगा। ऐसा नहीं है कि इस जीएसटी को लाना इस सरकार के सामने कोई आसान विषय था। यह एक गम्भीर चुनौती थी। भारत के संघीय ढाँचे में अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। उनका टैक्सेशन, राजनीतिक परिस्थितियाँ और उसके बावजूद यदि जीएसटी को लेकर इस देश को सहमत होना था तो उसमें इस देश की सरकार के साथ-साथ राज्यों की एक अहम भूमिका होनी थी।

मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी कार्य-कुशलता से, उनकी संवेदनशीलता से, उनके सामंजस्य से और माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व से इस देश की सरकार ने सभी राज्यों को, सभी यूनियन टेरिटोरीज को साथ में लेते हुए विश्व के सामने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह बताया है कि भारत जैसे 125 करोड़ की आबादी वाले देश ने अपने अन्तर्निहित मतभेदों को हटाकर इस देश के विकास में सहयोग देने का फैसला किया है। आज इस सदन से मैं इस देश की सरकार को और इस देश के हर राज्य की सरकार को और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के उन सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने जीएसटी के पालन में, क्रियान्वयन में सकारात्मक सहयोग दिया है। यह सदन इस भाव का स्वागत करता है, सम्मान करता है।

महोदय, कुछ विषय मैं रखना चाहूँगा और दो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पहलुओं पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टैक्स टू जीडीपी रेश्यो एक बड़ा महत्वपूर्ण आर्थिक आँकड़ा होता है और साथ ही पब्लिक एक्स्पेन्डिचर टू जीडीपी रेश्यो भी बहुत महत्वपूर्ण आँकड़ा होता है। भारत जैसे देश में जहाँ हम यह मानते हैं कि हमारी 65 प्रतिशत आबादी 35 र्वा की आयु से कम की है।

महोदय, मुझे पाँच मिनट का समय और दीजिए, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

माननीय सभापति: समय सबके लिए बराबर है। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अभिषेक सिंह: हमारी 65 परसेंट आबादी अभी 35 वर्ष की आयु से कम की है। इस देश की सामाजिक परिस्थिति को यदि हम ध्यान में रखें तो इस देश का जो आर्थिक एक्स्पेन्डिचर है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में था, वह इस देश के अन्य विकसित क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम था। हम यदि यू.एस. की बात करें तो वहाँ 25 परसेंट, जापान 30 प्रतिशत, इमर्जिंग मार्केट्स का जो एवरेज है, वह 21 प्रतिशत है, ओ.ई.सी.डी. कन्ट्रीज का एवरेज 34 प्रतिशत है, लेकिन भारत जैसे देश का जो टैक्स जीडीपी रेश्यो था, वह लगभग 13 टू 17 परसेंट की रेंज में लगातार बना रहा। हमारे उत्पादन में, जीडीपी में तो ग्रोथ हुई, लेकिन पब्लिक एक्स्पेन्डिचर हम सामाजिक क्षेत्र में कर सकें, वह ताकत सरकार को नहीं मिली, क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेश्यो में उतनी वृद्धि नहीं हो पायी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस देश में, इस सरकार ने इस फाइनेंस बिल के तहत जो महत्वपूर्ण बुनियादी बदलाव किये हैं, 5 लाख रुपये तक की आय का यदि कोई व्यक्ति है, तो उसे लगभग 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अभिषेक सिंह: जिन लोगों की आय 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र इस देश की 95 प्रतिशत से अधिक कम्पनियों को रखता है और उनको रोजगार उत्पन्न करता है, उनका टैक्स का बर्डन कम किया है।

महोदय, अन्त में मैं कहना चाहूँगा, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आता हूँ और यह राज्य लगातार लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म की परेशानियों से जूझ रहा है। मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इस देश के जितने भी एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्र और राज्य हैं, जिस तरीके से भारत सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट को डेवलप करने के लिए अपने बजट में एक अलग प्रावधान रखा है और उसकी बात की है। लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म से प्रभावित वह क्षेत्र है, जो लगभग ट्राइबल क्षेत्र है। देश के अन्य भागों के मुकाबले वहां पर सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत गैप्स हैं।

मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि एल.डब्ल्यू.ई. से प्रभावित हमारे सभी विकास खण्डों, यदि हमें उसमें जिले को शामिल नहीं करना है तो विकास खण्डों को ध्यान में रखते हुए उनके विकास को लेकर एक अलग से नीति और प्रावधान करें।

अन्त में, एक कविता के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं -

आगाज़ कुछ नया-सा है, विश्वास कुछ नया-सा है,
लोग पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है,
मैंने उनसे कहा कि यह प्रधान कुछ नया-सा है।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सर, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे फाइनैंस बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया।

सर, जब यह सरकार आई तो प्राइम मिनिस्टर का वादा था कि 'अच्छे दिन' सबके लिए आएंगे, महंगाई कम होगी, उसे हम कंट्रोल करेंगे। 'अच्छे दिन' कितने आए, यह हिन्दुस्तान के सब लोगों को पता है। हम इसकी उम्मीद रख रहे हैं, हम नाउम्मीद नहीं हैं। लेकिन, जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आज महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया है। प्याज, दाल, सब्जी और दूसरे खाने-पीने की चीज़ों की क़ीमत आसमान को छू रही है। सब्जी और फलों की क़ीमतें भी आसमान को छूती नज़र आती हैं। साठ और सत्तर रुपए में मिलने वाली दाल की क़ीमत 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। अब वह मार्केट में 140-150 रुपए में मिल रही है। एक गरीब आदमी दाल भी खरीद कर खाने के लायक नहीं रहा, उसकी ताकत नहीं रही।

सर, इसी तरीके से, पेट्रोल, डीज़ल और गैस की क़ीमतें रोज़ाना बढ़ रही हैं। हर महीने, दो महीने के अंदर एक मर्तबा क़ीमत बढ़ा दी जाती है। आपको मालूम है कि इंटरनेशनल मार्केट में इन चीज़ों के रेट्स कम हो रहे हैं और हमारे मुल्क़ में रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले हमारे प्रधान मंत्री जी का वादा था कि मैं इन सब चीज़ों के दाम नीचे लाकर दिखाऊंगा, इसे कंट्रोल करके दिखाऊंगा। आपको मालूम है कि ये ऐसी कॉमोडिटीज़ हैं, जिनसे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, गरीबों के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। हम नॉर्थ-ईस्ट के रहने वाले हैं, असम के रहने वाले हैं। जब तक वहां सामान पहुंचता है, उसकी क़ीमत बहुत बढ़ जाती है। गरीब आदमी आज दाल भी खाने के लायक नहीं रह पाता है।

इसी तरीके से, ट्रेन के भाड़े में भी इतना इज़ाफा हो गया है कि यह 14 प्रतिशत से बढ़कर इतनी बढ़ गयी है कि कहीं-कहीं इनकी क़ीमतें हवाई जहाज़ की टिकटों के बराबर हो गयी हैं। पूरे हिन्दुस्तान में गरीब आदमी सबसे ज्यादा ट्रेनों से ही सफर करता है। आज उसके लिए उसे भी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है।

इसी तरीके से, मुल्क़ में बड़े-बड़े कॉरपोरेट हाउसेज को करोड़ों रुपए उधार में दे दिए गए और उसमें से बहुत-से लोग मुल्क़ छोड़ कर भाग गए। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि हम काले धन को वापस लाएंगे, ऐसे काले धन वाले गोरे लोगों को वापस लाने की जरूरत है। हमारी पार्टी की डिमांड है कि इन गोरे लोगों को वापस लाया जाए। वे लोग वहां बैठ कर चैलेंज कर रहे हैं, वे मज़े उड़ा रहे हैं, टी.वी. वगैरह पर इंटरव्यू दे रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें जल्द से जल्द वापस इस घर में बुलाने की जरूरत है, उन्हें सज़ा देने की जरूरत है।

इसी तरीके से, कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में यह बताया जा रहा है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन करो। लेकिन, जब बारीक़ी में जाकर देखा जाता है तो हर आदमी कैशलेस ट्रांजैक्शन करने को तैयार है। यह सबूत है कि छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी भी लाइन में जाकर कैशलेस ट्रांजैक्शन करना चाहता है। लेकिन, जब वह कोई चीज़ खरीदता है तो उसे यह नहीं मालूम कि जब वह दस रुपए की कोई चीज़ खरीदता है तो घर जाकर वह चीज़ दस रुपए की नहीं, बल्कि चौदह रुपए की पड़ जाती है।

इन सब बातों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ तो प्रधान मंत्री जी का यह नारा है कि यह गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए है, और दूसरी तरफ आम गरीब आदमी की परेशानी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

सर, मुसलमानों की आबादी इस देश में 14 प्रतिशत है। इस कम्युनिटी की जो बदतरीन हालत है, उससे पूरा देश वाक़िफ़ है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमीशन और बहुत सारी दूसरी रिपोर्ट्स हैं कि मुसलमानों की मुआशी, सामाजिक, तालिमी और हेल्थ केयर के एतबार से इन्तेहाई पिछड़ा हुआ है। वह एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है। ये सभी चीजें बहुत ही सीरियस हैं। जब एक कम्युनिटी आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, सभी लोग आगे बढ़ेंगें, सबका साथ और सबका विकास होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का यह नारा है और हमें इसके ऊपर पूरी उम्मीद हैं कि वे सबको साथ लेकर चलेंगे, इसमें कोई भेदभाव मजहब के आधार पर नहीं होगा। यह हमें पूरी उम्मीद है।

हमारे देश में माइनोरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई है, इसमें छह कम्यूनिटी के लोग हैं। इस संबंध में हमारा यह कहना है कि हिन्दुस्तान के माइनोरिटी के लिए सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में 4195 करोड़ रूपये की राशि रखी है, जो बहुत ही कम है। इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे बजट की पूरी राशि भी खर्च नहीं हो पाती है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो इम्पलिमेंटेशन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। इस पर संजीदगी से गौर करने और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है।

सर, बहुत ही अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि मुसलमानों की तरक्की के लिए माइनोरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई है, उनकी स्कीम्स इम्पलिमेंटेशन करने में बहुत ज्यादा डिसक्रिमिनेशन हो रही है, खास कर हमारे असम राज्य में। असम में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 016-17 में कुल 164245 घर दिया गया है, इसमें से 98547 घर एस.सी तथा एस.टी के लोगों को दे दिया गया, 62562 घर माइनोरिटी के लोगों को दिया गया, 3136 घर जनरल लोगों को दिया गया।

सर, मैं तुरंत खत्म कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि इन सब चीजों में फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने बहुत ख्याल रखा है, वहां हमारे असम के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं रखा है। मेरी मांग है तथा आपको यह जानकर हैरत होगी कि पूरे असम में प्रति वर्ष फ्लड आती है और इसकी वजह से, अफिशियल रिकॉर्ड के

अनुसार वर्ष 1997 से 2007 तक एक हजार पचास किलोमीटर यानि 1,27,245 हेक्टेयर्स लैंड इरोडेड हो गया। इसकी वजह से जो तबाही आई है, हमारे किसान तबाह होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि फाइनैंस मिनिस्टर साहब इस मामले में ध्यान दें। हमारे असम का सबसे बड़ा मुद्दा फ्लड और इरोज़न है। ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल करना है। इसके लिए अलग से फंड रखना चाहिए। इसके साथ ही मेरा बार-बार डिमांड रहा है कि धुबरी-फुलबारी ब्रिज को पूरा किया जाए। मुझे उम्मीद है कि हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब इन चीजों पर ध्यान देंगे। आपने हमें बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूं।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे वित्त विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया। जो हमारी सरकार की मंशा है, प्रधान मंत्री जी की मंशा है कि कोई भी निर्णय वोटों के लिए न हो, राजनीति और वोट के हिसाब से न हो, बल्कि देश के हित के हिसाब से हो।

दूसरा, ईमानदार टैक्स पेयर को कहीं भी तकलीफ न हो और कालेधन वाले कहीं भी नहीं बचें, यह मंशा हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की है। इसी हिसाब से फाइनैंस बिल यहां पर पेश हुआ है। फाइनैंस बिल में जो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू है, इसको गाइड करता है। हम लोग इसको देख सकते हैं कि वर्ष 2015-16 में जो ग्रोथ टैक्स रेवेन्यू का था, 14 लाख 55 हजार 641 करोड़ रूपये था, उसको वर्ष 2017-18 में 19 लाख 11 हजार 579 करोड़ करने का टारगेट रखा गया है, यानि दो साल के अंदर 25 पर्सेंट की बढ़ोतरी करने का लक्ष्य है। इसका केवल एक कारण है कि इसमें जो कर चोर है, उसके लिए स्ट्रीक्ट कानून है और जो ईमानदार टैक्स पेयर है, उसे रिलीफ देने का काम हुआ है।

जो टैक्स स्लैब ढाई लाख से पाँच लाख तक की थी, उसमें टैक्स 10 पर्सेंट था, उसको घटाकर पांच पर्सेंट किया है, ताकि सभी करदाताओं को इसका बेनिफिट मिले। आज जो आम मानस में चल रहा है कि कालाधन सबसे ज्यादा पोल्टिकल पार्टियों के पास है या चुनाव में खर्च होता है। यह सब की धारणा बनी हुई है। इसी धारणा को तोड़ने के लिए इस फाइनेंस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि सभी पार्टियों को, जो भी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबको इंकम टैक्स रिटर्न टाइमली भरना जरूरी है। यह प्रावधान इस बार किया गया है। इसके साथ ही इन पार्टियों को कहा है कि आप पर बंदिश यह होगी कि दो हजार रुपये से ज्यादा आप कोई डोनेशन, चंदा लेंगे, तो आपको जो इन्कम टैक्स की छूट मिली हुई, जो पॉलिटिकल पार्टियों पर लागू नहीं है, इन्कम टैक्स के सेक्शन 13, ए के तहत इन्कम टैक्स में छूट मिली हुई है, वह छूट समाप्त हो जाएगी, अगर आपने 2 हजार रुपये से ज्यादा कैश किसी से डोनेशन लिया। यह एक बहुत बड़ा कदम है।

कुछ ही दिनों पहले अखबार में आपने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि किसी पार्टी का 95 पर्सेंट डोनेशन कैश से है। कैश भी क्या, 20 हजार रुपये से नीचे, ताकि उसमें कोई डिटेल नहीं देनी पड़े। एक रसीद 19 हजार, 20 हजार रुपये से नीचे की थी, उसकी डिटेल नहीं देनी पड़ती थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन द्वारा यह तय नियम है कि बीस हजार रुपये से ऊपर जिसका भी चंदा आता है, उसकी पूरी डिटेल पालिटिकल पार्टी को इन्कम टैक्स कमिश्नर को देनी पड़ती है। यह नया कानून उन्होंने चेंज किया है। उसके पीछे एक उद्देश्य है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज काले धन को बढ़ावा दे रही हैं, उस पर रोक लग सके।

महोदय, जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, इनको जो प्रैक्टिकल में दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए, मैंने पिछली बार भी बोला था कि ट्रांसफर प्राइसिंग में जो छोटे-छोटे व्यापारियों को दिक्कतें आ रही थीं, यह बात हमने माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखी भी थी। छोटे व्यापारी को जो दिक्कतें आ रही थीं, वह प्रावधान इस बार इन्होंने हटा दिया, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

कैपिटल गेन टैक्स, इंडिविजुअल को लगता है, पर्सनल को लगता है, आदमियों को लगता है। इसमें जो लांग टर्म कैपिटल गेन है, वह तीन साल की जगह दो साल कर दिया है, क्योंकि लांग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स की दर कम होती है, इसलिए इसको तीन साल की जगह दो साल कर दिया है। इससे काफी लोग जो अपना पुराना मकान बेचकर नया लेने वाले हैं, उनको फायदा होने वाला है। इसके साथ ही कैपिटल गेन टैक्स में एक बड़ी अड़चन थी। पहले इसकी बेस ईयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.4.84 थी, उसकी जो एक्विजिशन की प्राइस है, वह 1 अप्रैल, 2001 से आगे मानी जाएगी। इससे जो बढ़ोत्तरी मुद्रास्फीति के कारण हुई है, उस पर टैक्स न लगे, इस दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह प्रावधान किया। उसके अलावा, स्माल स्केल, मीडियम स्केल, जिन व्यापारियों या कंपनियों की सेल 50 करोड़ से कम है, उनके लिए टैक्स रेट भी इन्होंने कम किए हैं। टैक्स रेट 25 पर्सेंट कर दिया है, जिनकी 50 करोड़ रुपये से कम सेल है। 2 करोड़ रुपये तक व्यापार करने वाले छोटे व्यापारी 8 पर्सेंट प्रिजम्पटिव टैक्स जमा कराके व्यापार कर सके हैं। उन्होंने तय किया कि दो करोड़ की रिसिप्ट बैंक के चेक द्वारा या इलेक्ट्रानिक डिवाइस के द्वारा ट्रांसफर्ड है, तो उस पर 8 की जगह 6 पर्सेंट माना जाएगा और उसको एक तरह से रिलीफ देने की कोशिश की है।

अगर कोई व्यापारी पहले बीस हजार रुपये से ज्यादा कैश में खर्च करता था तो वह खर्च इन्कम टैक्स में एलाउड नहीं होता था, लेकिन उसकी सीमा अब उन्होंने दस हजार रुपये तय कर दी है कि अगर कोई भी व्यापारी दस हजार रुपये से ज्यादा खर्च क्लेम करना चाहता है, तो उसको पेमेंट चेक से ही देना पड़ेगा, वह उसे कैश नहीं दे सकता है। यह प्रावधान पहले केवल खर्च में था, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदते थे, जिसमें इंकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मिलता था, उसमें यह प्रावधान नहीं था, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स नकद भी खरीद सकते थे और उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते थे, लेकिन इस बार फाइनेंस बिल में यह प्रोविजन लाया गया है कि कैपिटल एसेट्स जो भी खरीद रहे हैं, वह भी अगर 10 हजार रुपये से ऊपर नकद में दिया तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा निर्णय माननीय वित्त मंत्री जी ने इस फाइनेंस बजट में दिया।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से एक और मुख्य बात कहना चाहता हूं। अधिकतर कर निर्धारण अधिकारी ठीक हैं, लेकिन 10-20 प्रतिशत गलत हैं जो जान-बूझकर ईमानदार टैक्सपेयर को परेशान करते हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित जरूर करना चाहिए क्योंकि वे टैक्सपेयर को परेशान करने के लिए जान-बूझकर एडिशन कर देते हैं। ईमानदार करदाता को परेशान करने के लिए डिमांड खड़ी कर देते हैं। वह अपील में हाई कोर्ट जाता है, एपेलेट ट्रिब्युनल में जाता है, तो उसे वहां से रिलीफ मिलता है। उस पर अधिकारी अननैसेसरी बर्डन डालते हैं ताकि वह उनकी कुछ अनुचित मांग पूरी कर सके। मेरा आग्रह है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि ऐसे अधिकारी जो जान-बूझकर ईमानदार करदाता को परेशान करते हैं, उन्हें चिन्हित करके पब्लिक डीलिंग से हटाकर ऑफिस का कार्य दिया जाए। ऐसी शिकायतें काफी जगह से आ रही हैं जबकि कोर्ट ने निर्णय कर दिया है कि यह ऐग्जैम्प्शन है, इसमें कुछ नहीं है।

अभी 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन के बारे में प्रावधान आया है। जो व्यक्ति कैश रिसीव करेगा, उस पर सौ प्रतिशत के बराबर टैक्स लगेगा। यह पहले 3 लाख रुपये था, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अमैंडमैंट पेश किया, उसमें 3 लाख रुपये की जगह 2 लाख रुपये कर दिए। मेरा आग्रह है कि बैंक से जो कैश विदड्रॉल है, उसमें क्लीयरली कहा जाए क्योंकि अभी कानून की जो धारा है, उसमें क्लीयर नहीं है कि बैंक से विदड्रॉल को रसीद माना जाएगा या नहीं। इस मामले में क्लीयर गाइडलाइन्स दी जाए कि बैंक की रसीद पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा।

मैं एक बार पुन: आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो अधिकारी गलत हैं, जान-बूझकर ईमानदार टैक्सपेयर को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए जिन्होंने कोई एडिशन कर दिया जो पहली या दूसरी अपील में उठ गया, उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, आपने मुझे फाइनैंस बिल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि माननीय मेघवाल साहब गरीब घर से आते हैं, इन्होंने गरीबी देखी है और भोगी भी है। ये इतने ऊंचे पद पर आए हैं। एक कहावत है – जिसके पांव न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। दुखिया का हाल दुखिया ही जानता है। हम शोषित, पीड़ित, लाचार, बेबस, बैकवर्ड, पिछड़े और दलित हैं। यह हमने नहीं बनाया, समाज में जिन लोगों ने बनाया हो, लेकिन खड़ी रेखा बनाई है। उसे समतामूलक और पड़ी रेखा बनाना हमारा और आपका धर्म है। यही लड़ाई चल रही है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा है कि संघर्ष करते रहिए, संगठित रहिए और अपनी लड़ाई को तेज रखिए, कभी उसे कमजोर मत होने दीजिए, उदासीन कभी मत होइए, तुम्हारा समय आएगा। मानव की आबादी इतनी ज्यादा है जिसमें गरीब भी ज्यादा हैं। तभी एक भारत बनेगा, श्रेष्ठ भारत बनेगा। बजट में गांव, गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, उपेक्षित, किसान और नौजवानों की झलक होनी चाहिए। इस बजट में वह झलक दिखाई नहीं पड़ती। बजट के आधार पर योजनाओं का रोड मैप बनना चाहिए, कालबद्ध योजना कि इस योजना को कब पूरा करेंगे। कालबद्ध योजना नहीं है, हम पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, हेतु-हेतु मतभूत वाली बात है। इसका असर समाज में जमीनी हकीकत के साथ नहीं जाता।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने बिहार के लिए विशेष पैकेज के बारे में घोषणा की कि एक लाख 67 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उस पैकेज का आज तक अता-पता नहीं है। यह ठीक है कि तेलंगाना बंटा तो आंध्र प्रदेश को मिला। इसके लिए हमें खुशी है। झारखंड बना और बिहार बंटा, तो बिहार के लिए स्पैशल पैकेज के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की। हमारी मांग है कि बिहार को स्पैशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, उस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, हम इसकी बार-बार मांग उठा रहे हैं, उसमें न कोई अध्यक्ष है, न मेंबर है, एससी/एसटी की सारी योजनाओं पर पानी फिर जाता है। आरक्षण जिसे बाबा साहेब ने दिया है, यदि बाबा साहेब नहीं होते तो आरक्षण नहीं मिलता। गरीबों की मौत ही मौत होती है, लेकिन मैं बाबा साहेब को नमन करता हूं, बाबा साहेब ने कहा कि जो शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनकी आवाज संविधान में है। यदि कोई भी उस पर ऊंगली उठाएगा तो उठने वाला ऊंगली नीचे गिर जाएगा, लेकिन आरक्षण को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। यह हमारा संवैधानिक अधिकार और दायित्व है।

आज दिल्ली विश्वविद्यालय में ओबीसी के छात्रों के साथ शोषण किया जा रहा है। एससी/एसटी के छात्रों के साथ शोषण किया जा रहा है। एसिस्टेंट प्रोफेसर को एडहॉक पर रखा गया है, उनको सीटें नहीं

दी जा रही हैं। वर्ष 2007 में ओबीसी रिजर्वेशन केन्द्रीय विश्वविद्यालय में लागू किया गया। यूजीसी ने इसे स्थायी करने के लिए कहा, लेकिन इसे आज तक स्थायी नहीं किया जा रहा है। मंडल कमीशन वर्ष 1993 में लागू हुआ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय में यह वर्ष 2007 में लागू हुआ, लेकिन उसके आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आज जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी का मतलब - जी मतलब गैस, डी मतलब डीजल और डी मतलब पेट्रोल, आज इन तीनों चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मेघवाल साहब बताएंगे, अभी हंस रहे हैं कि जय प्रकाश जी सही सही बात बोलते हैं। पहले 90-10 का रेशियो था जोकि आज 60-40 का हो गया। एनएचआई की राशि बिहार को नहीं दी जा रही है, पथ निर्माण विभाग में राशि नहीं दिया जी रही है, बिहार को राशि दी जाए और पीएमजीएसवाई और मनरेगा की राशि बढ़ाई जाए। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाया जाए, चाहे बांका हो, भागलपुर हो, मुंगेर हो, जमुई हो, राजगीर हो, नालंदा हो। नमामे गंगे की स्वच्छता के लिए विशेा कार्यक्रम चलाएं जाएं। हमारे क्षेत्र में सुल्तानगंज है, भागलपुर है, मुंगेर है। बांका में एम्स दिया जाए।

माननीय सभापति : मान्यवर, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: सभापति महोदय, अंग और भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में दर्ज किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, प्रधानमंत्री कृषि योजना है, इसमें बेहतर तरीके से इंतजाम नहीं हो रहा है। आपने नोटबंदी कर दी, हम बिहार में शराबबंदी करते हैं, आप नोटबंदी करते हैं। गरीब का पलायन होता है और काला धन का मगरमच्छ मस्त होकर घूम रहा है और हम लोग नोटबंदी पर ताली बजा रहे हैं।

> सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से
> खुशबू आ नहीं सकती जो सत्ता में बैठे हैं।

बीजेपी जो सत्ता में बैठे हैं इनसे कभी खुशबू नहीं आ सकती है। यही कह कर हम अपनी बात खत्म करते हैं। इनकी कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना होता है। नमस्कार।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपने फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। जब हम फाइनेंस बिल की बात करते हैं, यह बहुत अह्म हिस्सा है क्योंकि सरकार इस बिल के माध्यम से पूरे साल का लेखा जोखा तय करती है। सरकार ने एक बड़ा अह्म कदम उठाया कि जो ढ़ाई से पांच लाख रुपये तक के टैक्सपेयर्स थे, उनको टैक्स रिबेट दिया, कहीं न कहीं 10 से 5 परसेंट करने का काम किया। देश में एक इम्पोर्टेंट सेक्टर भी है, जिसे मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा आज पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक टैक्स भरने वाले लोग हैं, उनके ऊपर सरकार 20 परसेंट स्लैब लगाती है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 5 से 10 लाख के टैक्सपेयर्स मेजोरिटी सीनियर सिटीजन्स हैं। जो पूरी जिंदगी काम करते हैं और जब रिटायरमैंट के करीब पहुंचते हैं और उनकी पैंशन आती है, तब वे उस स्लैब में आते हैं। सरकार इसे जरूर संज्ञान में ले कि कहीं न कहीं हमें सीनियर सिटीजन्स के बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार को इस 20 परसेंट को कम करने का काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, पिछले साल इस सदन ने जीएसटी को कांस्टीट्यूशनल अमेंडमैंट के तहत पारित किया। सरकार कब तक यह सोच रखती है कि जीएसटी को हम इस देश में पूरी तौर से लागू कर पायेंगे? अगर हम इस सदन में लायेंगे, तो क्या टैक्स स्लैब मेरे जैसे वर्ग के लोगों के लिए होंगे? हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो वहां पर सेल टैक्स लगाया जाता है, फिर सर्विस टैक्स लगाया जाता है और कुल मिलाकर वह टैक्स 17 परसेंट क्रॉस कर जाता है। उसमें अलग-अलग तरह के सेस लगते हैं। क्या सरकार जीएसटी के बाद उन सारे सेस को कोलेब्रेट करने का काम करेगी? इस बिल के माध्यम से सरकार ने इंसपेक्टर राज को बढ़ावा देने का काम किया है। अगर हम सैक्शन 133 इनकम टैक्स की बात करें, तो सरकार ने कहा है कि प्रिंसिपल डायरेक्टर के पास जो पावर्स थीं, वहीं पावर्स अब जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के पाल चली गयी है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम पावर्स को जितना डिवाइड करके निचले स्तर पर लाने का काम करेंगे, उतना मुश्किल होगा। जैसे जो एक्शन डिस्ट्रिक्ट में एसपी लेता है, उसे हम हवलदार तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो हवलदार भी रात को अपने आपको एसपी समझकर मुकदमे दर्ज करने लग जायेगा।

मैं मांग करूंगा कि कहीं न कहीं हमें यह संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर हम पावर्स को इतना डीसैंट्रलाइज कर देंगे, तो आने वाले समय में आम आदमी को इंसपेक्टर राज के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग तंग करेगा। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि डिमॉनेटाइजेशन के बाद बड़ी मात्रा में नोटिसेज भेजे गये हैं। माननीय मंत्री जी सदन को बताने का काम करें कि कुल मिलाकर कितने नोटिसेज डिमॉनेटाइजेशन के दौरान भेजे गये और उनमें से कितने नोटिसेज क्लीयर हुए? जो पेंडिंग नोटिसेज हैं, उन्हें सरकार कब तक

क्लीयर करवायेगी, क्योंकि आज भी हमारे इनकम टैक्स के महकमे के अंदर मेनपावर की बहुत किल्लत है।

सरकार के रेवन्यू सैक्रेट्री का बयान है कि अगर हमने कॉरपोरेट टैक्स से 30 परसेंट से 25 परसेंट किया है तो हर साल उस रिडक्शन की वजह से काफी नुकसान होगा। अगर हम एक परसेंट रिडक्शन करते हैं, तो सरकार को 19 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इस तरह पांच परसेंट का रिडक्शन लगभग 95 हजार करोड़ रुपये का नुकसान सरकार को होगा। सरकार उसकी भरपाई कैसे करेगी? आज हम किसान के कर्ज माफी की बात करते हैं। वहां पर माननीय मत्री जी खुद लिखित में देते हैं कि हमने आरबीआई से पूछा, तो वह कहती है कि किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते। दूसरी ओर हम पूंजीपतियों को 95 हजार करोङ रुपये का बेनीफिट दे रहे हैं। इस ओर सरकार का मकसद क्या है ? क्या सरकार आने वाले समय में इसे रिवाइज करेगी? इस बारे में सरकार सदन में बताये। अगर हम कर्जे की बात करें, क्योंकि जीएसटी के बाद सरकार कहती है कि रेवन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन स्टेट्स को जायेगा, जिन्हें लॉसेज होंगे। मैं हरियाणा प्रदेश की बात करना चाहता हूं कि 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्जा हमारे प्रदेश पर है। उन स्टेट्स, जिन पर बड़े-बड़े रेवेन्यू लॉसेज हैं, जैसे पंजाब हैं, जिनके पास रेवेन्यू लिमिटेड हैं, क्या सरकार उन्हें ऑल्टरनेटिव बेनीफिट देने का काम करेगी। सरकार के इस बजट में हरियाणा प्रदेश में सतलुज-यमुना लिंक के लिए एलोकेशन का कोई प्रोविजन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि केन्द्र सरकार इसका निर्माण पूरा करे।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इस बजट में आप सतलुज-.यमुना लिंक के लिए एलोकेशन कीजिए, ताकि उसका निर्माण वर्ष 2017 में पूरा हो सके। मैं मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा कि आज हमने बैंकिंग सैक्टर को बहुत ज्यादा लिबर्टी देने का काम किया है। आपने खुद डिमॉनेटाइजेशन के दौरान देखा कि हमारे बैंकिंग कर्मचारियों ने देर रात तक बैठकर उस समस्या से, जो लोगों को कतारों में खड़े होकर मिल रही थी, कहीं न कहीं स्टेबेलाइजेशन लाने का काम किया। मगर पहली बार उन बैंकिंग सैक्टर के कर्मचारियों पर एक दाग भी लगा। हम हमेशा मानते थे कि बैंक में बैठा हुआ कर्मचारी ईमानदार है, मगर पहली बार हमें देखने को मिला कि डिमॉनेटाइजेशन के दौरान पिछले दरवाजे से नोट बदले गए। इस तरह से हमें बैंकिंग सेक्टर में भी भ्रष्टाचार देखने को मिला।

आज हम छोटी-छोटी ट्रांजैक्शन्स के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि बैंकिंग सेक्टर की मॉनीटरिंग की व्यवस्था हो और बैंकिंग सेक्टर रिफार्म्स के बड़े कदम उठाने का काम करें, जिससे यह जो एक मिसिंग लिंक है, उसे आने वाले समय में पूरा कर सकें।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है, वह चार प्रतिशत ब्याज पर तीन लाख रुपये है। सरकार बिना कोलेटरल के इस लिमिट को तीन लाख रुपये करे और चार

प्रतिशत ब्याज पर इसे आठ लाख रुपये तक बढ़ाने का काम करे, जिससे हमारे किसान समृद्ध हों और छोटे किसान भी मजबूत हों। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय - फाइनेंस बिल पर बोलने का अवसर दिया है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देती हूं, जिन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर करने के लिए काम किया है और लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस को उठाने के लिए इतने काम किए हैं, जिससे सारी दुनिया उनकी चर्चा कर रही है। Everybody is appreciating us. मैं इस अवसर पर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी को भी बहुत बधाई देती हूं। आप इंटरनेशल एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट पढ़ें या आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ें, everybody is saying that the financial steps which have been taken by the Modi Government are brave steps. सब हमारे साहसी कदम की तारीफ कर रहे हैं। ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि टैक्स चोरी को रोकने के लिए, ब्लैक मनी पर काबू पाने के लिए, हमारी सरकार जो कोशिश कर रही है, उसके रिजल्ट आने वाले वर्षों में सभी को देखने को मिलेगा और इसका असर भी बहुत अच्छा होगा। नोट बैन के बारे में काफी कुछ कहा गया था कि लोग परेशान हैं, बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन पूरे देश की जनता से इसका सपोर्ट किया है। यह बहुत अच्छी बात है। ब्लैक मनी के बारे में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनी थी, उसने लास्ट यह बताया कि नोटबंदी के दौरान जिन लोगों ने बैंकों में हजारों-करोड़ों रुपये जमा किए हैं, उस पर टैक्स से सरकार के खजाने में 6000 करोड़ रुपये आए हैं। फाइनेंस बिल में डिजीटल इकोनोमी की बात की गयी है। डिजीटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स अब हमारे देश के लोगों की लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मोदी जी ने भीम एप लाँच किया है, लोग उसे बहुत यूज कर रहे हैं। नेशनल पेमेंट कमीशन ने बताया है कि अब तक एक करोड़ 91 लाख लोग इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं। इतने कम समय में यह एप हिट हो गया है, यह बहुत अच्छा काम है। मुझे बताया गया है कि छोटे शॉपकीपर्स उसे यूज कर रहे हैं। छोटे-छोटे वेंडर्स भी भीम एप से पेमेंट ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा देश डिजीटल इकोनोमी को एडॉप्ट कर रहा है। हमारी सरकार ने रुपे कार्ड लाँच किया है। I am very happy to tell that more than 20 crore RuPay cards have been issued so far. इसलिए मैं फाइनेंस बिल में डिजीटल इकोनोमी को लेकर सरकार का समर्थन करती हूं। हम जितने ज्यादा डिजीटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स करेंगे, उतना हम ब्लैक मनी पर रोक लगा सकेंगे। जितनी ब्लैक मनी कम होगी, हम उतना ज्यादा विकास कर सकेंगे। आज पूरे देश में विकास की जरूरत है, खासतौर से रूरल एरिया और स्माल टाउन्स में।

मैं मथुरा क्षेत्र से सांसद हूं, मुझे वहां के विकास के लिए स्पेशल फण्ड्स की जरूरत है। मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की नगरी है, यहां पर बहुत से भक्त देश-विदेश से आते हैं, लेकिन वहां की स्थिति इतनी

सुंदर नहीं है। उसे अच्छा करने के लिए बहुत फण्ड्स की जरूरत है। यहां पर 84 कोस परिक्रमा होती है, वृन्दावन और गोवर्धन परिक्रमा होती है। इन सब जगहों को बहुत सुंदर बनाना है, इसके लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए ताकि लोग आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकें। हमारे प्रधान मंत्री जी ने रिलीजियस ट्यूरिज्म डवलप करने के लिए जोर दिया है। जो रिलीजियस इम्पोर्टेन्स उन्होंने दी है, हमें अपने रिलीजियस सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाना है, साफ-सुथरा रखना है। अगर इन सिटीज को हमें साफ-सुथरा रखना है तो हमें सोलिड-वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। जगह-जगह पर इसका इम्प्लांट करना जरूरी है। मंदिर के आसपास जगहों पर तभी साफ-सफाई रह सकती है। कर्मचारियों की कमी होने की वजह से इन सब जगहों पर बहुत गंदगी फैली हुई है। खास मंदिरों की जगह पर वाई-फाई की सुविधा की जरूरत है और धार्मिक स्थलों पर स्थायी पुलिस बल के साथ स्पेशल रिलीजियस ट्यूरिज्म पुलिस फोर्स की नियुक्ति भी यहां की जानी चाहिए जिससे लाखों की तादाद में आई हुई पब्लिक को संभाला जा सके। मैं यहां पर बहुत ही स्टैंडर्ड का एक कृष्णा थीम पार्क भी बनाना चाहती हूं जिसके लिए भी एक बहुत बड़ा बजट चाहिए होगा और मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से मुझे यह मिलेगा।

मेरे मथुरा में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बहुत जरूरत है। गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए केन्द्रीय विद्यालय ही चाहिए। हमारे यहां बी.एस.एफ. है। सी.आर.पी.एफ. और सिविलियन्स हैं। मैं सरकार से मांग करती हूं कि मथुरा में सरकार हमें तीन केन्द्रीय विद्यालय दे और इसके लिए मैं जानती हूं कि सरकार को बहुत खर्च करना पड़ेगा। मथुरा में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की बहुत जरूरत है। मथुरा में इतना अच्छा कोई अस्पताल नहीं है और वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स गांव-गांव में होने चाहिए। मथुरा के 80 प्रतिशत ट्रैफिक जोन में आने की वजह से वहां पर इंडस्ट्रीज सब बंद हैं और वहां पर बहुत सारी बेरोजगारी फैली हुई है।

मथुरा में हम इस जगह को खूबसूरत रख सकते हैं। ताज की खूबसूरती को मेनटेन करते हुए, हम इस इंडस्ट्री को ऐसे ओपन कर सकते हैं जो पोल्यूशन रहित हो, मैं इसकी मांग भी करती हूं। मथुरा में सड़कें बहुत खराब हैं। इसमें भी बहुत धनराशि खर्च होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। बिजली की भी वहां पर बहुत समस्या है। 24 घंटे वहां पर बिजली नहीं मिलती है। इसलिए बलदेव क्षेत्र में 5 मेगावॉट का एक प्लांट लगाने जा रहे हैं जिसके लिए मैं मांग करती हूं कि वह 100 मेगावॉट से ज्यादा हो क्योंकि मथुरा क्षेत्र में इससे बहुत हैल्प मिल सकती है। इसके अलावा यमुना शुद्धिकरण बहुत ही जरूरी है। यमुना में जल प्रवाह हमेशा होने के लिए सरकार को यहां के लिए बहुत बड़ा बजट देना पड़ेगा।

Now I want to talk about agriculture. The agricultural sector is very important for the nation’s growth. I would request the hon. Finance Minister to re-

visit the definition of agricultural income under the Income Tax Act. I have been informed that a few agricultural activities are not covered under this definition.

The corporate houses should be encouraged to be a participant in the agricultural activities by including agriculturists or group of agriculturists as shareholders. This will encourage a collective and large scale farming and also create infrastructure, marketing and modernisation of all allied activities.

I belong to film industry. So, I would like to say a few things about it. It gives me immense pleasure to know that the Bollywood is doing so well. All over the world, people are so crazy about our Hindi films as also the artists. It is so wonderful to know that the Government also earns crores of rupees from this industry. One gets to know that certain actor paid so much tax. He is a very big taxpayer. The Income Tax Department also honours them. So, it is all very nice about it. But there are some sad scenarios also. We need to think about those actors who have lost their stardom. I am talking about technicians like camera man, light man, sound assistant, dress assistant, etc. who work for 24 hours behind the camera. Their work-life is very limited. These people need social security and benefits in the form of Government aid to help them so that they can live with dignity.

So, I would request the Government to do something about it. My humble suggestion is that the Government should give the film industry, the status of industry. It should help these people acquire the benefits which they deserve.

Lastly, I want to talk about the performing artists. I would like the Government to address the problems of the performing artists. These performing artists are actually the brand ambassadors of our Indian art and culture worldwide. Today if the world is so aware of our so great nation's classical and folk art in the form of dance, music, the traditional instruments played by them and various other aspects, it is because these artists have made our performing art this popular worldwide. But these treasurers of our culture receive no benefit from the Government for their dedication towards spreading art and culture. I would once

again humbly request the Government not to levy taxes on the income of these performing artists with the kind of taxes that are levied on other business and financial institutions. These artists live a very humble life and their earnings are not as high as the Bollywood artists. So, for them art is just a *Sadhana*. Why not honour these brand ambassadors of Indian art and culture with some tax benefit?

I would once again like to congratulate our hon. Prime Minister and our Finance Minister for this wonderful Finance Bill which have been brought forward which aims at supporting the poor people and the farmers.

Thank you.

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, I wish to concentrate on four important issues – after effects of demonetization; NPAs of the Public Sector Banks; price rise and the natural calamity which especially affects the State of Kerala.

Sir, it was on the night of 8th November, 2016 that the hon. Prime Minister announced to the nation his decision of demonetization. This is not the first time demonetization has been announced and implemented by Governments at various times. But this is the first time when demonetization has been announced with fanfare, firework and drum beating. It is an untimely, unplanned and a decision of one man and that is the hon. Prime Minister. Some of my colleagues while participating in the discussion said that the recent elections in five States have amply proved that the people of this country have supported the decision of the hon. Prime Minister. Is it so?

We have had elections in five States. The BJP has won in the State of Uttar Pradesh. The Congress Party has not been in power in Uttar Pradesh for a long time. The BJP has won the State of Uttarakhand. But the Congress is the second largest party there. The Congress party is in power in the State of Punjab. In the States of Goa and Manipur we are the single largest party. I have been a Member of this House since 1984. There were a number of deliberations on anti-defection. We passed an Anti-Defection Law. But this Government, at midnight, after the election results were announced, both in Goa and in Manipur, used the power of the Government to snatch the power and undermine the decision of the country....*

When the hon. Prime Minister announced the decision of demonetization on 8th of November, 2016, I would like to quote, "rights and interests of honest hardworking people will be fully protected. Persons holding old notes of Rs. 500 and Rs. 1000 can deposit these notes in their banks or post office accounts till 30th December, 2016 without any limit. They can go to the specified offices of RBI

---

* Not recorded.

upto 31st March, 2017 to deposit the notes after submitting declaration forms." I request the hon. Finance Minister that, when he goes today to his house, he may please have a look at the RBI office in Delhi. There are thousands of NRIs queuing up before the Parliament Street. Is it the credit of the Government? The hon. Prime Minister of India has promised the people of this country that all the 500 rupee notes and 1000 rupee notes which are with the people of this country will be exchanged either in the banks or RBI offices.

I am from Kerala. There are a large number of Keralites staying abroad. I have got some journalist friends abroad. They were telling me that they have written to the Prime Minister that thousands of Keralites who come to Kerala occasionally want to exchange their old 500 rupee notes and 1000 rupee notes. Where should they go? Should they go to Chennai for exchanging them? Should they go to Mumbai? So, the hon. Prime Minister has promised the people of this country not to worry about it and that people can wait upto the end of March, 2017. After the declaration of demonetisation, how many times have you changed the norms and rules?

When presenting the Budget in this House, the hon. Finance Minister said that we can have cash transactions for Rs. 3 lakhs. Today we hear from the press that it has been reduced to Rs. 2 lakhs. Am I holding the right on my money in the banks? Then you say that we may go in for e-transactions. Are we ready for e-transactions? Is our system competent enough and are our cyber laws competent enough to tackle it? There are a large number of cases where people have been cheated. So, this decision of the hon. Prime Minister on demonetisation is just to cheat the people of the country.

He has made a number of declarations during the election campaign and after it. He has said that black money will be brought back. In his speech also he has said that it is for the elimination of black money, destroying fake currencies and destructing funds for terrorist groups. We welcome it if that it is so.

Now, hon. Finance Minister, six months have passed since then. Why cannot you tell the people of this country as to how much currency notes have come back to our banks? What is the problem in telling us? In many sittings of the Parliament Committees, officials of the RBI and the Ministry of Finance were present. They have been asked as to how much currency notes have come back? Why are you hiding it? The answer which they sometimes give is that they are counting them. Are they putting people to count the notes which have come to the banks? Who will believe it? What is the problem in having a transparent mechanism by which we know how much money has come back and how much is fake money?

Another problem which I wish to bring before your attention is about the Non-Performing Assets of the banks. There are about six to seven lakh crores worth of NPAs in this country. Out of this, about five to six lakh crores is with the corporate houses of the country. It is not with the farmers; it is not with the students and it is not with small traders. It is with the corporate houses. What action are you taken on them? If a farmer becomes a defaulter, you publish his picture in the newspapers. If a student becomes a defaulter, you send police men to him. What are you doing regarding corporate houses who have become major defaulters? I do not want to name some of the defaulters who are abroad and lavishly staying in the resorts of Europe. I do not want to name them but you know who they are. What action have you taken against them? When strong action is taken against the farmers, traders and students, what action are you taking against those people who have gone away from the country? Are you serious and sincere to bring out black money into this country?

The third issue is the price rise. I have got the details about the prices of essential commodities as per yesterday. … (*Interruptions*) This is as per the prices prevailing in Delhi. The price of *Chenna dal*, during the same day of 2015 was Rs. 55; but it is Rs. 84 now. Yesterday Shri Kharge raised that issue. When the prices are going up in the market, when the farmers are producing more, there is a

mechanism of procurement. The farmers are not getting a reasonable Minimum Support Price. The price of groundnut oil was Rs. 145 during the same day of 2015. Now, it is Rs. 165. So, the prices are rising.

The next issue pertains to my State. We are facing acute drought. The Kerala Government, under the leadership of the Chief Minister, wanted to send a team to meet the Prime Minister. That is being denied. In a democratic system, in a federal system, how can the Prime Minister deny like that?

I was the Food Minister here. We had allotted 16 lakh tonnes of food grains to Kerala every year. Now, under the Food Security Bill, they can get 14.5 tonnes of food grains. There are about 30 or 40 lakh non-Malayalees from other States who are in Kerala. So, you can allot another two lakh tonnes. So, the State of Kerala is entitled to 16.45 lakh tonnes of food grains which was allotted to Kerala in the last five years. Our State is known for its efficient Public Distribution System. So, Kerala should be helped to overcome the drought situation.

SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT): Sir, I am deeply grateful to you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill. I am also deeply grateful to our hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee. Due to her only I have come here.

On the Finance Bill, 2017, I would like to say four points for the consideration of the House to be included in the Bill and to accordingly amend the Bill.

Firstly, in comparison to the 'market-based' personal consumption expenditure with basic price index year 2005-06, in this Bill the Central Government proposes to waive only Rs. 1,000 per month for the individual tax payer, who earns Rs. 25,000 per month. This means, basic income tax exemption has not been reduced for the general people and so I request the Government to raise the limit of total income per person per annum from Rs. 2.50 lakh to Rs. 3.50 lakh for the age group up to 60 years, and Rs. 4 lakh for senior citizens up to the age of 80 years.

Secondly, the maximum ceiling for monthly income scheme deposit in the post office for individual may also be raised from Rs. 4.50 lakh to Rs. 15 lakh and Rs. 9 lakh to Rs. 35 lakh for joint account.

15.00 hours

Thirdly, there is a long cherished demand and hope of the Press people that during their PIB accreditation, they are entitled to get CGHS medical facilities, but while on retirement they and their family members are not getting any medical facilities from CGHS as per the pensioners. All the CGHS beneficiaries during their co-terminus tenure may kindly be included in the CGHS pensioner scheme after their termination or on retirement.

We totally oppose the strategic disinvestment plan and the process of the Mini Ratna Central Public Sector Undertakings, particularly which are profit-making in the last five years. Under the present employment and slowdown economic scenario, we request the Governmemnt to stop disinvesting, closure and sale of CPSEs. With these words, I conclude.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मैं सदन में हमेशा किसान और मजदूरों की आवाज उठाता रहता हूं। देश की 72 परसेंट जनसंख्या कृषि पर आधारित है। खेतिहर किसान, मजदूर, महिलाएं खेती पर निर्भर करते हैं, किन्तु मानसून जब साथ नहीं देता है तो देश की 75 प्रतिशत आबादी घोर आर्थिक संकट से गुजरती है। यहीं से सारी परेशानी चाहे किसान की आत्महत्या की हो, खेतिहर मजदूरों का शहरों की ओर पलायन हो, यह प्रश्न उठता है कि इस तरह की विकट परिस्थिति के लिए क्या आप कोई कदम उठा रहे हैं? महोदय, इस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। हमेशा ही किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की मांग होती रही है। आप इसकी व्यवस्था जरूर करेंगे।

बिहार के मुख्य मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही जीएसटी का समर्थन किया है। जीएसटी के किसी भी प्रारूप का अभी तक लोगों के सामने मसौदा नहीं आया है। यह चिंता का विषय है। उद्योग जगत को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए किन्तु सरकार उत्साहित नजर नहीं आ रही है। आप जीएसटी कानून का प्रारूप, रेट एवं जीएसटी के बारे में जागरूकता अभियान लेकर जनता के पास कब तक आएंगे? जीएसटी में क्या आपने गरीब राज्यों के लिए कोई व्यवस्था की है जिससे उन राज्यों में उद्योग धंधे लग सकें। पिछड़े राज्यों बिहार, झारखण्ड और ओडिशा इत्यादि के हित के लिए जीएसटी में क्या प्रावधान किए हैं, जिससे बिहार जैसे राज्य में उद्योग धंधे लग सकें? कृपया मंत्री जी अपने जवाब में जरूर बताएं।

महोदय, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए राज्य की सरकार एवं जनता पिछले दस वर्षों से पुरजोर मांग करती रही है। वैसे भी बिहार राज्य अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे रहा है। बिहार भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारणों से हर वर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ की चपेट में रहता है। राज्य को एक सीमित राजस्व की प्राप्ति होती है जिसके कारण अपने बल पर पूर्ण विकास सम्भव नहीं है, अतः केन्द्र की मदद नितान्त आवश्यक है। किन्तु केन्द्र सरकार राज्य सरकार से राजनीतिक भेदभाव कर रही है और बिहार के हितों की उपेक्षा की जा रही है। बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने एवं उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना अतिआवश्यक है।

गंगा नदी पर फरक्का बांध के कारण बिहार में गंगा नदी में अत्यधिक गाद जमा हो गयी है। इसकी निकासी अति आवश्यक है, अन्यथा प्रतिवर्ष बरसात में गंगा अपना विकराल रूप धारण करती है और उसका पानी पूरे बिहार में फैलता है। इस गाद की समस्या से निदान पाने के लिए राज्य को पूर्ण आर्थिक मदद की आवश्यकता है। आप एक टीम भेज कर इस समस्या से निदान के लिए सर्वेक्षण कराएं।

महोदय, मध्यम वर्ग को बजट में इनकम टैक्स में राहत देने के लिए कम से कम पांच लाख रुपये की आमदनी तक पूर्ण कर की छूट मिलनी चाहिए।

मैं एक और विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज ईमानदार टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स विभाग नोटिस पर नोटिस देकर उनसे सैकड़ों प्रश्न पूछते हैं। मैं मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी एक कानूनविद हैं। उक्त प्रश्नों से सहमत नहीं होंगे। आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। टैक्स पेयर्स को परेशान करने से देश को क्या फायदा होगा?...(व्यवधान) सभापति महोदय, 2-3 मिनट और दे दीजिए।

माननीय सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: महोदय, सरकार प्रतिवर्ष एक करोड़ युवाओं को नौकरी देने का प्रलोभन देकर सत्ता में आई, किंतु मंत्री जी क्या देश को बताएंगे कि क्या आपने पिछले तीन वर्षों में तीन करोड़ युवाओं को नौकरी दी? बेरोजगारी चरम पर है। नौजवान रोजी-रोटी की तलाश में भटक रहे हैं। आप कौशल विकास का ख्वाब उन्हें दिखा रहे हैं। आप उन्हें रोजगार दीजिए।

महोदय, एन.पी.ए. का खेल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि 31 मार्च, 2017 तक बैंकों का एन.पी.ए. लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

माननीय सभापति : कौशलेन्द्र जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। पिछले तीन वर्षों में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का एन.पी.ए. माफ कर दिया गया। आप जनता की गाढ़ी कमाई को अमीरों में बांट रहे हैं। इस तरह अमीर और गरीब के बीच की खाई कभी कम नहीं होगी। आप एन.पी.ए. को वसूलने के लिए अन्य तरीके क्यों नहीं अपनाते हैं। पूर्व की सरकार ओ.टी.एस. योजना लाई थी, उसमें काफी ऋण वसूली हुई। आज भी लोग अपने मूल ऋण को चुकाना चाहते हैं, किंतु बैंक नहीं चाहते हैं कि ऋण वसूली हो।

माननीय सभापति : कौशलेन्द्र जी, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, यह सरकार राजनीति में शुचिता लाने की बात कहती है, आप कार्पोरेट फंडिंग बंद करने की बात करते हैं। ...(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को यह हक नहीं है कि वह जनता के पैसे को किसी राजनीतिक दल को चंदे में दे।

डॉ. यशवंत सिंह (नगीना) : सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

महोदय, बजट देश का ऐसा दस्तावेज है, जिसके माध्यम से देश का वित्त मंत्री देश के टैक्स पेयर्स की अदा की गई राशि एवं विभिन्न संसाधनों से प्राप्त की गई धनराशि को देश की विभिन्न योजनाओं के सुचारु एवं सफल क्रियान्वयन हेतु आबंटित करता है। एक अच्छे वित्त मंत्री की खासियत भी यही होती है कि वह देश के लोगों की आवश्यकताओं को देखे, देश की योजनाओं को देखे और आवश्यकताओं के हिसाब से धन आबंटन करते हुए देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाए। आजादी के बाद से अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने आज तक गरीब की तरफ ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि इस देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है। यहां गरीब, गरीब होता जा रहा है और अमीर, अमीर होता जा रहा है। यह देश बहुत सारी विविधताओं से बटा हुआ देश है। यहां पर जाति-पाति के आधार पर भी लोगों में भेदभाव होता है। यहां पर क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर भी लोगों में भेदभाव होता है।

मान्यवर, मैं अपने प्रधान मंत्री जी को एवं इस देश के वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के गरीबों के लिए जन-धन योजना के तहत 23 करोड़ लोगों के खाते खुलवाकर न सिर्फ उन्हें बैंक जाने का रास्ता दिखाया। उसके साथ-साथ 12 रुपये में उन्हें प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना के आधार पर उनके बीमे की व्यवस्था की। इसके साथ ही मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इन गरीबों की आवश्यकताओं को समझते हुए एक डेबिट कार्ड इश्यू किया, जिसके माध्यम से वह गरीब आदमी चार हजार रुपये बैंक से लोन ले सकता है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश का गरीब ईमानदार व्यक्ति होता है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि किसी भी गरीब ने आज तक देश में घोटाला नहीं किया, किसी भी गरीब ने अपहरण नहीं किया, किसी भी गरीब ने किसी का धन नहीं लूटा। इसलिए गरीबों पर विश्वास करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि गरीबों को जहां चार हजार रुपये दिये जाते हैं, उस चार हजार रुपये की राशि को बढ़ाया जाए। अगर उसे अपनी बेटी की शादी करनी हो, उसे कठिन समय में जब अपनी बेटी की शादी करनी होती है तो उसे दस प्रतिशत की ब्याज दर पर पैसा उठाना पड़ता है। मैं वित्त मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 25 हजार रुपये किया जाए। जिससे गरीब आदमी जरूरत के समय अपनी बेटी की शादी कर सके या अपने बच्चों की बीमारी या पढ़ाई में उस पैसे का उपयोग कर सके।

महोदय, बहुत बड़े-बड़े लोगों पर एन.पी.ए. के हजारों करोड़ रुपये बकाया हैं। अभी मेरे साथी बता रहे थे कि 12 लाख करोड़ रुपये एन.पी.ए. हो चुका है। इसमें समाज का एक भी गरीब व्यक्ति नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुद्रा योजना के तहत गरीबों का अपना कार्य शुरू करने के लिए, अपना रोजगार शुरू करने के लिए योजना चलाई है, उसके लिए भी मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज वे लोग खुश हैं, लेकिन बिना किसी गारंटी के पचास हजार रुपये की राशि मिलना किसी भी उद्योग या कारोबार को चलाने के लिए बहुत कम हैं। मेरी मांग है, क्योंकि इस बार माननीय वित्त मंत्री जी को 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपये की ज्यादा प्राप्ति हुई है, इसलिए वह जरूर ध्यान देंगे कि गरीबों की इस पचास हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाए, ताकि वह अपने उद्योग को सुगमता से चला सके। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्टैंड अप योजना के तहत इस देश की अनुसूचित जाति एवं महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिये हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को, इस देश की महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक का लोन देकर उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उन्हें व्यापार करने की श्रेणी में लाया जाए। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें बैंकों में कार्यरत जितने भी अधिकारी हैं, उनकी कोई रुचि दिखाई नहीं देती है। अभी तक दिये गए लोन की संख्या लगभग नगण्य है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कानून में प्रावधान किया जाए कि जितने भी अधिकारी हैं, उनकी प्रोन्नति इस लोन की अदायगी पर सुनिश्चित की जाए।

महोदय, स्टैंड अप योजना के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा जो 520 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उस पर भी मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। यह भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, यहां करोडों की संख्या में लोग रहते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लोग और महिलाएं रहती हैं। उनके लिए 520 करोड़ रुपये की राशि बहुत कम हैं। इसे बढ़ाकर कम से कम बीस हजार करोड़ रुपये किया जाए।

हमारे प्रधान मंत्री जी के द्वारा प्रदेशों के विकास के लिए इस वर्ष 94,764 करोड़ रुपये की अधिक धनराशि आबंटित की गई है। लेकिन यह देखा गया है कि जो केंद्र का केंद्रांश प्रदेशों को दिया जाता है, उसका सदुपयोग नहीं किया जाता है। इस बार उत्तर प्रदेश में लगभग 40 हज़ार करोड़ रुपये, जो केंद्र से गया था, उसका उपयोग नहीं किया गया।

मान्यवर, इससे जनकल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, वे प्रभावित होती हैं। गरीबों के लिए मिलने वाली योजनाएं प्रभावित होती हैं। मेरा मानना है कि केंद्र द्वारा इस पर एक अच्छी निगरानी रखी जाए।

महोदय, देश की बड़ी आबादी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी है, इन लोगों के विकास के लिए, अनुसूचित जाति के विकास हेतु, बजट में 5114 करोड़ रुपये, तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास हेतु, 3490 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दुख की बात तब होती

है, जब इस राशि का सदुपयोग नहीं होता है। राष्ट्रमण्डल खेल हुए, एससीपी के फण्ड से, स्टेडियम बनाए गए, एससीपी के फण्ड को सड़कों पर लगा दिया जाता है और जिस जनकल्याण के लिए, जिस मद के लिए यह पैसा होता है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए इस पैसे का उपयोग नहीं किया जाता है। इस पर निगरानी की आवश्यकता है। कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, गरीब की आवश्यकता होती है कि जिंदगी में उसके सर पर एक छत हो। मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय प्रधान मंत्री जी को कि उन्होंने इस देश के गरीबों के लिए प्रधान मंत्री आवास बनाने के लिए 23 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 23 हज़ार करोड़ रुपये से उन्होंने इस देश के गरीबों को उनका सपना पूरा करने की एक आशा जगाई है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यह भी मांग करना चाहता हूँ कि यह राशि और बढ़ाई जाए क्योंकि देश का गरीब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आँख उठा कर देख रहा है।

मान्यवर, मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि इस देश में ट्रस्टों द्वारा बढ़ रहे भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। प्रत्येक शहर में बड़े-बड़े ट्रस्टों द्वारा जमीनें खरीदी जा रही हैं, जिसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। आजकल हम टीवी पर देखते हैं, कुछ महात्मा एलोवीरा का एडवर्टाइज़मेंट सुबह से शाम तक करते चले जाते हैं। जबकि साइंटिफिक कोई रीज़न एलोवीरा में नहीं दिखाई देता है। एक एलोवीरा के नाम पर वह हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति इकट्ठा करते हैं और ट्रस्ट के माध्यम से टैक्स नहीं देते हैं। मान्यवर, इस तरह से बढ़ने वाले शिक्षण संस्थानों के ट्रस्टों पर भी ध्यान दिया जाए। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सर, ये अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन ज़रा नाम बताइए कि वे कौन हैं, क्या जाने वाला है, सबको मालूम होना चाहिए ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: यशवंत जी, अब आप समाप्त करें। ...(व्यवधान)

डॉ. यशवंत सिंह: सर, आप जानते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे एक नहीं ये बहुत हैं, ये पंजाब में फिल्म भी बना रहे हैं, इसलिए इन सब पर ध्यान दिया जाए। इस देश की प्रगति के लिए इनसे भी बराबर का टैक्स वसूला जाए। धन्यवाद।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Mr. Chairman, Sir.

I rise to oppose the Finance Bill, 2017, presented by the hon. Finance Minister. Nowadays, the Finance Bill has become a protective umbrella to make legislations without having a detailed scrutiny in the pretext of Money Bill. The objections have already been stated and I am not going into those objections.

I am directly coming to the Finance Bill, 2017. When a uniform tax regime is going to come into effect from 1st July, 2017, the Indirect Taxation proposals do not have any significance in this Finance Bill because the Indirect Taxation proposals are coming in the GST Bill in the near future. Therefore, I am directly coming to the Income Tax proposals. I fully welcome the Government's decision to reduce the 10 per cent Income Tax rate to five per cent for those who are having income up to Rs. 5 lakh.

I also fully support the imposition of surcharge for those who are having an annual income of more than Rs. 50 lakh. But the only reservation which I would like to make in respect of income tax is instead of giving rate of tax, those who are having an income of more than Rs. 50 lakh, you are imposing a surcharge and you are not imposing a rate of tax. Why is it so Sir? It is because if you are imposing a rate of tax against the amount which is more than Rs. 50 lakh, then that will go to the divisible pool. So, the States will also get a share out of the income tax. So, in stead of imposing the rate of tax, you are imposing the surcharge. The entire purpose is to avoid the sharing of Central taxes with the State tax for which I raise my objection. That has to be reviewed. That is the submission which I would like to make.

You may also kindly see that the surcharge and cess will not come within the purview of the divisible pool. Last time after the 80th Constitution Amendment, all the taxes which are accrued to the Government of India have to be shared except the surcharge and the cess. So, up to 2015-16, it was up to 5-6 per cent gross tax revenue which was cess and surcharge. Now, it has become

around 9 per cent of the gross tax revenue. That means the States are only getting 35 per cent of the gross tax revenue of the Centre and instead of 42 per cent, they are only getting 35 per cent. That has to be corrected. That is the point which I would like to make.

My second point is with regard to the Customs Duty. Sir, kindly see in the last year's Budget, you have imposed five per cent Customs Duty on imported raw cashew nuts. Cashew industry is a traditional industry which is providing employment to 10 lakhs of workers. Out of the 10 lakhs of workers, 95 per cent belongs to the women category and they belong to socio-economically backward communities. Very downtrodden people are working in the cashew industry. It is a traditional industry and it is fetching foreign exchange to the tune of Rs. 5,500 crore per annum. After imposing five per cent of Customs Duty on raw cashew nut and Special Additional Duty plus cess, it will come to around 9.36 per cent. So, as a part of this, around 60 per cent of the processing industries have been closed and as a result, five lakh workers have lost their employment.

Sir, since 9.36 per cent of the Duty on importing of raw cashew nuts will make the cashew industry unviable, therefore, I demand that the Government should withdraw the five per cent of Customs Duty on raw cashew nuts.

Sir, I do agree that there is a provision for exporters to import raw cashew nuts free of Duty under advanced authorisation scheme. But the point is that the unattainable SION norms, that is, Standard Import Export Output norms, makes it unviable for the industry. I urge upon the Government to withdraw the import Duty on raw cashew nuts. That is with regard to the Customs Duty.

Regarding the Customs Duty of titanium dioxide pigment, in order to protect the indigenous production and the indigenous industry like KMML and TTP in our country, I demand that the Government should enhance the Customs Duty from 10 per cent to 20 per cent. That is another demand.

Coming to another point and that is with regard to FRBM review and Debt GDP ratio. That is fiscal responsibility budget management review and the debt

GDP ratio. After demonetisation, States are under high financial stress. States' revenue has declined like anything because of the demonetization. The existing debt GDP ratio is 20-27 per cent. Now, the proposal to limit the debt GDP ratio as 20 per cent to States and 40 per cent to Centre is not acceptable. The NK Singh Committee report to review the FRBM Act states that the debt GDP ratio is to be limited to 20 per cent. This will be costing much burden upon the States. So, the borrowing powers of the State have to be increased. The debt GDP ratio has to be increased. That is another point.

Now, I am coming to the demonetization. I am confining to that point. So far, how much tax revenue we have earned out of this demonetization process is not yet clear. So, I demand that a white paper be issued in respect of the demonetization process as a whole.

Coming to the last point regarding transparency in the political funding also, I do fully support transparency in the political funding.

Chairman Sir, you may be remembering the most powerful Election Commissioner of India Mr. T.N. Seshan. He has once said that:

> "The corruption begins from the date of filing nomination. So, electoral reform is the need of the hour."

I urge upon the Chair and also the Speaker to have a special Session to discuss about the electoral reforms to be implemented in our country.

With these words, I conclude.

Thank you very much.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I congratulate the Government on taking various steps and making various reforms to reduce the agony of the common man.

<u>15.25 hours</u> (Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

Coming to small and medium enterprises, five per cent point reduction in the tax rate and companies with annual turnover up to Rs.50 crore, this will benefit small and medium enterprises which were mainly affected during demonetization. The Finance Minister says 96 per cent of the SMEs will benefit from this and it will accelerate growth and job creation. Small and medium enterprises are the backbone of industry and job creation.

Coming to additional surcharge of 10 per cent, it is a very welcome step. On the individual taxable income from Rs.51 lakh to Rs.1 crore, additional surcharge of 10 per cent has been introduced which will add to the revenue Rs.2,700 crore to the Government's kitty.

Coming to personal income tax, there is no tax up to Rs.2.50,000. It is a very welcome step by the Government that tax has been reduced from 10 per cent to five per cent on the income from Rs.2.5 lakh to Rs.5 lakh, which is a good step taken by the Government, giving much of a relief. But after the Seventh Pay Commission, I think every Government employee will get at least Rs.50,000 per month which comes to around Rs.6 lakh per annum. So, if this would have been reduced from 10 per cent to five per cent for the income up to Rs.5 lakh to Rs.10 lakh, it would have given much more relief.

It is a very good news for the startups that the existing provision of Section 80-IAC of the Income Tax Act is being amended. It says that the deduction under Section 80-IAC can be claimed by an eligible startup for any three consecutive years for the first seven years since its incorporation which will boost the Startup Programme and also help in creating jobs.

Exemptions given for the income of Chief Minister's Relief Fund is also a very welcome step.

Coming to agriculture, regarding increasing of farmers' income, the Budget has laid special emphasis on agriculture sector and the target for agricultural credit has been fixed at Rs.10 lakh crore.

Also, the Government has made special efforts for additional income generation to farmers in dairy farming, and a corpus of Rs.8,000 crore for three years in NABARD has been announced.

Under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the Government has set a target to cover crop insurance up to 40 per cent in 2017-18 and 50 per cent in 2018-19 to save farmers' losses in case of crop failure. Seriously, these measures are welcome steps to boost the morale of farmers.

I also wish to take this opportunity to place on record some important issues that need urgent attention. Farmers across the country are suffering from multiple issues like drought, lack of storage facilities, burden of debt, frequent price shocks leading to farmers' suicide. One of the major reasons for the suicide is debt burden. In Maharashtra alone, 8,000 suicides have taken place in the last two years. Agriculture plays a very important role in Maharashtra's economy and Maharashtra plays a very pivotal role in running India's economy. Therefore, we must take immediate steps to stop our farmers from committing suicide.

Coming to doubling of farmers' income, which is also a very welcome step, the Government has repeatedly emphasized on doubling of farmers' income in the next five years, by 2022, and in order to achieve this ambitious target, the Government has planned to invest in various schemes.

In this year's Budget, the target of agriculture credit is set at Rs.10 lakh crore. I congratulate and thank the Finance Minister for this ambitious target. However, effort must be made to make the bank lend to the poorest of the poor farmers. Therefore, I urge the hon. Finance Minister to take strict measures to compel banks to achieve the target set in the Budget. Otherwise, farmers will be at the mercy of private money lenders, which is also a very big issue all over India. The figures are frightening. There is 40 per cent increase in the private money

lending alone in Maharashtra, and in India it is 25 per cent. This is because of lack of access to institutionalised agro-credit. To reduce this proportion and to bring farmers out of clutches of the moneylenders, we have to see that the banks play a very pivotal role in this.

For crop insurance scheme in the form of Prime Minister Fasal Bima Yojana, the target is 40 per cent in 2017-18 and 15 per cent in 2018-19. This is a welcome step taken by the Finance Minister to boost the morale, but the need of the hour is to bring the farmers out of this debt trap. The only immediate solution is the loan-waiver.

There is a high demand for loan waiver in Maharashtra which is heavily dependent on agriculture where 51 per cent of the population depend on agriculture and allied activities. Maharashtra's 10 per cent GDP come from agriculture. There is one suicide per day due to debt burden. Maharashtra Assembly could not function for nine consecutive days because of this loan waiver issue. We should lend a helping hand to the farmers. It is because of the farmers that we are here, discussing this issue. Our party chief, hon. Uddhav Thakerayji, has been insisting upon complete loan waiver. The Chief Minister of Maharashtra is also positive about this, but the State Government alone cannot shoulder this burden of Rs. 30,000 crore.

Last week the Chief Minister and other Ministers from Shiv Sena met the hon. Finance Minister and hon. Agriculture Minister. Maharashtra Government has already expressed its willingness for loan waiver and to share the responsibility. Therefore, it is high time for the Government of India to take immediate steps to announce a loan waiver scheme.

We speak about the need to strengthen the health system, yet every year's Budget fails to give adequate priority to this sector. Currently, India spends less than 1.5 per cent of its GDP on health sector. Germany spends around 11 per cent. China spends 5.5 per cent. Even our neighbour, Bangladesh spends around three per cent of its GDP on health. Now, the new National Health Policy aims to

increase the spending on health from the current 1.4 per cent to 2.5 per cent of GDP. However, no deadline has been set to achieve this target. So, there is every reason to be sceptical about this new National Health Policy which was unveiled after a gap of 15 years.

The budgetary provision gives us more reasons to be pessimistic about achieving this target. Hon. Finance Minister has stated in his Budget Speech that every year, more than Rs. 3,00,000 crore are spent on the development of rural areas. If we look at the Budget provision for health-related scheme, namely, National Rural Health Mission, an allocation of only Rs. 21,189 crore has been made which comes to less than ten per cent of what we spend on the rural areas.

On the one hand, we keep on saying that India is rapidly urbanising and on the other, the provision for the National Urban Health Mission has been reduced from Rs. 950 crore in 2016-17 to Rs. 752 crore in 2017-18.

Hon. Finance Minister has spoken in his Budget Speech on the need to strengthen our tertiary health centres, yet the provision for the same is unchanged at Rs. 725 crore from the last year's BE.

Currently, India is short of at least five lakh doctors and additional five lakh post-graduate seats are needed. All I can say is that at least the beginning has been made, but we need to step up these efforts. More and more seats need to be added every year to reduce the doctor-patient ratio, which is now 1:2000, to 1:1000. Therefore, the challenge is to double the number of doctors in a time bound manner. Therefore, I urge the hon. Finance Minister to increase allocation to health sector substantially.

Coming to demonetisation and digital economy, I welcome the Government's initiative to curb the cash economy and encourage the digital economy. The hon. Prime Minister announced demonetisation of Rs. 500 and Rs. 1,000 currency notes on 8th November, 2016. Eight-five per cent of India's economy is cash economy. So, it impacted a large section of the economy and hit the common man the hardest. According to ASSOCHAM Report, 40 lakh jobs

were gone due to demonetisation. Daily labourers in various fields lost their jobs. There were long queues for more than two months and more than 200 people died. Remonetisation process has not been completed.

Hon. Finance Minister has stated in his Budget Speech the surplus liquidity in the banking system due to demonetisation will lead to increased access to credit. Various Ministers keep writing to the Members of Parliament to help reach various government schemes to the common man. I ran a campaign of MUDRA loan in my constituency which got a tremendous response. Over 2,000 applications are lying in the lead banks for the past six months and not a single loan has been sanctioned. The reason given by the bank is demonetization. This is the ground reality.

It is not enough to put restrictions on cash transactions to encourage digital transactions. In the original Budget, the Finance Minister has proposed to fine for cash transaction over Rs. 3 lakh. Now, you have proposed to bring down this ceiling to Rs. 2 lakh in the Finance Bill that you have presented yesterday. However, this is in vain if the Government does not incentivize the digital transaction. Today, every digital transaction is being charged in some or the other may be at the Railway reservation through Debit / Credit Card or payment through e-wallets. Now, even banks have decided to levy hefty charges over frequent withdrawals. People are being charged to use their own legitimate money, which has already been accounted and taxed. This is gross injustice to the ordinary tax payer of this country.

Maharashtra, in its recent Budget presentation, has proposed to do away with the 13.5 per cent VAT on card swipe machines. I would request the hon. Minister to take similar measures, which should not only help ease the use of digital gateway, but also will benefit the end-user.

Lastly, coming to GST, it looks like GST will be implemented from 1st July this year. It is touted to be the most radical tax reform this country has ever seen, but the truth in its impact can be known only after its implementation. The States

and especially the Urban Local Bodies are going to lose their economic freedom as they are going to be dependent on the State and the Centre for their share of funds. Such fears have been raised in the past also. I am sure that this issue must have been considered and resolved by the wise minds in the GST Council. However, I would request the hon. Finance Minister, through you, Sir, to put in place a mechanism whereby the share of Urban Local Bodies is deposited directly in the kitties so that they would not have to be dependent on the State / Central Government and the financial autonomy is not compromised.

With this, I extend my support to the Finance Bill. Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Chairman, Sir. When we discuss about the Finance Bill, normally the revenue side of the Budget is scrutinized and that is to understand if the Government is being realistic about revenue generation in 2017-18. Clearly, in the Finance Bill and in the Budget that we have already discussed and passed and the Finance Bill that is before us for consideration, there is clearly over-optimism given that economic growth will be slow; too much is expected from voluntary disclosure; and penalties while incentives are not in place.

Let us not forget that the Union Budget of 2017-18 was presented under the shadow of the impact of demonetization. The consensus among most economists is that demonetization will impose a significant cost on the economy and the *Economic Survey* itself recognizes this. The *Survey* says and I quote : “Short-term costs have taken the form of inconvenience and hardship specially those in the informal and cash-intensive sectors of the economy who have lost income and employment”.

The *Survey* recognizes that the informal sector has suffered substantially more than the formal sector. We are aware that the ability of the Government is measured as it meets the expenditure targets by generating revenues as has been envisaged in the Budget, and to go into this aspect, the major attack that has been done by this Government is taxation of black money. The Government hoped to raise Rs. 30,000 crore as taxes from Rs. 65,000 crore declared under the Income Disclosure Scheme that ended in September 2016. It is likely that Rs. 30,000 crore may not be realized as taxes if the black income declarant is able to explain the source of his income.

Meanwhile, the Government has enacted one more Taxation Law (Second Amendment) Act, 2016. It was passed in this House as a follow-up measure to the demonetization announced on 8 November 2016. As per the amendment, a tax payer may declare undisclosed income, and whether the black-money holder would volunteer to disclose or not depends, of course, on the incentives that they

expect. But what is the probability that their undisclosed income would be discovered at all?

Can the Finance Minister tell us how much black money has been disclosed voluntarily during the last eleven months? As for the benefit of demonetisation, little is known, of course, leaving aside the result of Uttar Pradesh which is being touted as the effect of demonetisation.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: That has nothing to do with this.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: That has nothing to do with this but it is being touted. No numbers have been disclosed on how much of the demonetized currency notes have come back to the Reserve Bank of India. Government have conveyed to the Supreme Court that between a quarter and a third of the demonetized currency notes would not surface. You had given this in writing. That assessment was almost certainly wrong. The explanation of silence on the actual numbers is that counting is still going on. Today is the 81st day - I counted it from 1st January – which is after the last day for handing over old notes. We do not know how much black money and counterfeit currency have been unearthed and how much voluntary disclosure scheme will yield.

We do know that roughly two-thirds of the 1.8 million people who handed in cash of, at least, Rs. 5 lakh each have not responded to tax inquiries. This was the information that was shared with us rather I gathered from somewhere. Government's step to curb the menace of unaccounted or black money is being appreciated. What would like to be appraised about the extent of unaccounted income is that that has been detected.

As has been said by my friend, Mr. Premachandran, I would also reiterate that demand that Government should also present a white paper to Parliament indicating all the details on unaccounted money and wealth stashed abroad and also the generated income concealed within the country and the extent to which Justice M. B. Shah Task Force recommendations have been implemented.

Sir, relating to the identifying sources of political funds, a great attempt has been made in this Budget and also through the Finance Bill. The other day when I had mentioned about the lack of transparency in political funding, the Finance Minister had said to find solutions to the problem instead of finding problem to every solution. These were his words the other day. I believe that if problem is identified, solution can also be found. The German basic law contains very elaborate provisions regarding political funding. Section 21 of the basic law enjoins the political parties shall publicly account for the sources, the use of their funds and for their assets. Our party, Biju Janta Dal, believes that transparency in funding of political parties in a democracy is the norm and must be promoted in public interest. Any money that a political party gets should be made public. Why anonymous donations? There was a time after emergency when the country went for election. There was crowd sourcing of finance to run the political party to contest election. But, today I believe that the time has come because after the statement of the Finance Minister in public domain that is there that very little money is actually coming from the rural areas as political donations to political parties. It is the big companies and corporate sector who are giving donations to the political parties in a huge number. Therefore, I would insist that, it is better, every pie or every rupee that is being donated to a political party should be in public domain.

Sir, I would also like to mention here regarding tax on agriculture. Last year, when I had posed this question to the Finance Minister, he said, "as we all know, we are under the same impression. Agriculture is not taxable, agriculture is a State subject and agriculture income is not taxable". That is the impression which I always had. My chartered accountant informed me, "Sir, Rs. 2 lakh which is the income from your agriculture is now being taxed". I asked him, since when? He said, "since this Government has come to power. So, I told him, "Give me those details. Let me find out. I will also check up with the Finance Ministry". I had posed that question. … (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): This is an anti-farmer Government.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I am happy that at least you have realized it now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: No, we have realized this long back.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: He has at least realized now and that is why he is happy.

The question I had asked was: What is the tax treatment of 'agricultural income' under the provisions of the Income-Tax Act? Is 'agricultural income' completely exempt or not? I got the answer; the Standing Committee on Finance got the answer. The Chairman is very much present here in this House. The short point out of three paragraphs is, "This exemption to agricultural income under the Act is due to a scheme of the Constitution of India." This is mentioned. 'Agriculture' is a State subject. It is not to be taxed. Further, "In the Scheme of Direct Taxes at present, income from agriculture is considered for rate purpose only in case where the income from other sources exceeds the income not chargeable to tax and net agricultural income exceeds Rs. 5,000."

What does this mean? If I have an income of around Rs. 50,000 or Rs. 1,00,000 which is 'agricultural income' only, I will not be taxed. However, if I have other sources of income, and these specific words are added to it 'for rate purpose', it will be added and the income-tax will be imposed. This has come since when? It was inserted in 2014 Finance Bill. We are in 2017 and the tax for the accounting year of 2016-17 is being deposited now. Is this the recommendation of some committee? Or did the Government, in its wisdom, decided ….

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: He is just starting and he is a senior Member, Sir.

HON. CHAIRPERSON: He is making points. He is one of the most learned Members, I know that. However, we should understand the time constraint also.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : This House should discuss this.

HON. CHAIRPERSON: I agree that whatever is being said is important.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I will wind up on this issue. There are two other points also on which I need to elaborate.

This is the methodology which this Government has adopted that they will be taxing a part of the income of the agriculturist and that they will not be taxing a part of the income of the agriculturist. I do not know whether this was an issue when they went to elections in Punjab. … (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY: That is why they have lost the elections.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Shri Nishikant Ji is taking my time, Sir.

श्री निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, यही क्वेश्चन मैंने रेज किया था। मैं कह रहा हूं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वेतन लेते रहिए और कहीं यदि नौकरी करते हैं, तब भी वेतन लेते रहिए। यदि आप एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं देते हैं तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्पटेड है, लेकिन इसके अलावा भी यदि कहीं काम करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, आप दो-दो बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? दुनिया में कोई दो बेनिफिट नहीं ले सकता है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Mr. Chairman, Sir, Nishikant Ji represents a rural constituency and he goes around rural areas. People have five acres of land and yet they have a shop in the town. They file income-tax returns. Their annual income may not be Rs. 5 lakh or Rs. 10 lakh, but if it will be more than Rs. 2 lakh, and agricultural income will be another Rs. 50,000 or Rs. 60,000. Is he not going to be taxed for income-tax?

HON. CHAIRPERSON: There should be no cross talking. The Finance Minister will reply to him. Please continue and wind up quickly, Shri Bhartruhari Mahtab Ji.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : They are disturbing him.

HON. CHAIRPERSON: They are not disturbing. I have allowed him to continue his speech.

श्री भर्तृहरि महताब: खेती की इनकम के साथ मिला दिया गया है, यही दिक्कत है। यह स्टेट के इंट्रेस्ट पर ट्रेम्पल कर रहा है जो पॉवर कंस्टीट्यूशनली स्टेट को दिया गया है। यह दूसरी चीज है। Agriculture income can only be taxed by the State. लेकिन आप यह क्लब करके, इनको बढ़ा-दिखाकर ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: ओके, थैंक्यू।

श्री भर्तृहरि महताब: ओके नहीं है। ...(व्यवधान) यह बिल्कुल ओके नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने आपको ओके थैंक्यू बोला है।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: यही दिक्कत है और अब तक इस बारे में अच्छी तरह से चर्चा नहीं हुई है। I would request the Finance Minister to clarify this.

क्लैरीफाई करें कि आप कांस्टीट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं और यह तीन साल से हो रहा है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, you please wind up.

… (*Interruptions*)

श्री भर्तृहरि महताब: यह जो डिसक्रिमिनेशन हो रहा है कि आप कुछ लोगों से टैक्स लेंगे और कुछ लोगों से नहीं लेंगे, तो यह आपके अधिकार में नहीं है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Shri Thota Narasimham. I have no other option. You know the time constraint.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, the option is there. It is not 4.00 p.m yet. I had raised a major issue. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There is a list of Members who have to speak.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Shri Nishikantji was mentioning about the deliberations in the Standing Committee on Finance. At the time when the amendment that has been moved yesterday after 2 o' Clock when this Finance Bill was taken into consideration, amendments of around 40 Departments were

circulated. The provision of the Parliament is that we can give amendments to those amendments within 3 o' Clock. I checked up. There was no announcement. I was also present in this House. There was no announcement saying that we can give our amendments till 5 o' Clock or we can give our amendments till 10.00 a.m. of the next day, that means today. I have that amendment. Of course, I have submitted it. I was told that it could not be accepted because it was not in due time. I agree. At the time when the Finance Minister will be moving those amendments, I would also be raising that issue again with the permission of the Chair. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: O.K. Thank you. Shri Thota Narasimhamji.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: You are not allowing me to complete my point.

HON. CHAIRPERSON: You have completed your point. I am sorry.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I am shortening it. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I do not want to say that your Party does not have the time.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I understand that the Party does not have time. But, I have a point to make. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have given you 15 minutes. Please understand this. You have a point. Many people also have the points to make. You conclude in one minute. I can allow you one minute.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: The issue is relating to Aadhar being linked to PAN Card. This is something which was un-thought of. I fail to understand as to why Aadhar card is being linked to PAN card. This has not been discussed in the House till now. I do not know whether other Members have raised it or not.

HON. CHAIRPERSON: O.K. Thank you. Now, Shri Thota Narasimhamji.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Let me complete. … (*Interruptions*) आपने पैन कार्ड के बारे में कहा है, तो दस साल से पैन कार्ड हमारे पास है। …(व्यवधान) Why do you want PAN cards to be linked to Aadhar? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Thota Narasimhamji to start.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I am a genuine income-tax payee. I do not have an Aadhar card. I do not want to take any benefit from the Government. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Thota Narasimhamji, you continue.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Let the Chair decide as to who should speak.

HON. CHAIRPERSON: Shri Thota Narasimhamji.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Then I will be again raising it at the time when the amendment will be moved. This is a notice which I give.

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of Shri Thota Narasimhan will go on record.

…(Interruptions)… *

---

* Not recorded.

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Hon. Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2017.

I fully support the Finance Bill on behalf of the Telugu Desam Party. First of all, I would like to thank the Finance Minister for producing such a progressive and a pro-active Budget after the successful implementation of demonetization. I would also like to thank the Government for integration of the Railway Budget with the General Budget, breaking the stereo-type which has been there in vogue since Independence. It is a big step towards harmonizing the rail network with roads, air and water transport.

The Union Budget 2017-18 has focused on infrastructure, consumption growth and support ecosystem for industries, increase in competition and fund flows, transparency concentration on farmers, rural economy, energizing youth, poor and under-privileged, infrastructure financial sector, digital economy, public service, prudent fiscal management and tax administration. The availability of land, labour and power at a reasonable rate is sure to bring in more investors to Andhra Pradesh for 'ease of doing business'. About 33 start-ups are being promoted in the two incubation towers in the State.

The State Government of Andhra Pradesh is exceptionally thankful to the Centre for fulfilling its commitments under Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 and for supporting the development oriented vision of the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh. This Central Government has reaffirmed its commitment for Andhra Pradesh in the form of a special package with all its legal sanctity. The Special Package is complete in itself which would give Andhra Pradesh a more beneficial and advantageous position than what Special Status would have given it.

The formation of a new Railway Zone becomes crucial because the headquarters of the South Central Railway is at Secunderabad which is now in the state of Telangana and there is urgent need for a separate Railway Zone for Andhra Pradesh at Visakhapatnam. The connectivity that the new zone will

provide benefit to less-developed regions of Andhra Pradesh and will boost the overall growth of the State.

As per the March 15, 2017 Union Cabinet approval, the Centre approved financial assistance for bifurcated Andhra Pradesh by way of special dispensation in funding of externally aided projects (EAPs) and also the irrigation component of Polavaram project.

Andhra Pradesh has sought for an increase in the number of Legislative Assembly seats from 175 to 225. The Central government is requested to consider looking into the matter carefully as delimitation will allow for a more proportionate representation of the people of Andhra Pradesh people and therefore, better administration of the State of Andhra Pradesh.

Under this Budget, a one-time exemption from capital gains tax to the farmers who have pooled their land for the creation of the Andhra Pradesh capital Amaravati has been provided which is limited to first sale in three years. The Central Government is requested to remove the restraints of first-time sale, and provide exemption for legal heirs who receive the land as inheritance.

As per Section 94 of the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014, the Centre must provide special financial support for creation of essential facilities in the new capital city of Amaravati that includes essential infrastructure. But, according to the note issued by Union Finance Minister in September 2016, an amount of Rs.2,500 crore had already been paid as support for creation of new capital and a balance of Rs. 1,000 crore would be paid in due course. Of this, Rs. 450 crore was recently released, leaving a balance of Rs. 550 crore to be paid. The Centre is requested to sanction more funds.

Sir, I would like to know the progress of Hardware Park project at Kakinada announced by our hon. Finance Minister in his Budget 2014-15 which people of my Constituency Kakinada are eagerly awaiting. Likewise, many significant educational institutions were promised to the newly bifurcated Andhra Pradesh under the Andhra Pradesh Reorganization Act and many of them have

found a mention under the 2017-18 Budget. However, the Central Government is requested to provide clarifications regarding allocations for NIPER. Four new NIPERs (National Institutes of Pharmaceutical Education and Research) are sought to be established including one in Sabbavaram, Visakhapatnam. The 2017-18 Budget shows a combined allocation of Rs. 127.73 crore for all NIPERS, the seven existing ones and four proposed ones. Hence, I request the Government to clarify the allocation details of amounts to Andhra Pradesh.

Finally, I would request the Government of India to enhance the MPLADS from Rs.5 crore to at least Rs.15 crore per year. Huge development activity is going on by both Central and State Governments.

With this, I would once again thank the Government for giving a growth-oriented budget. Sir, I thank you for giving me this opportunity to put forth my viewpoints on budget and raise issues of my state Andhra Pradesh.

16.00 hours

श्री धर्मवीर (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : माननीय सभापति जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तीन साल से आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से यह सरकार बनी है और बजट का प्रबंधन माननीय जेटली जी के हाथ में आया है, ऐसे हालात में जब दुनिया के विकसित देश भी खासकर आर्थिक तौर पर चिन्तित थे, हमारे इस देश को उन्होंने न केवल बचाया बल्कि हम हर साल आगे बढ़ रहे हैं। हिन्दुस्तान आगे बढ़ रहा है। इस बजट में भी जिस प्रकार से रोड, रेल कनैक्टिविटी के नाम पर आपने जो पैसा रखा है, हम जहां चार घंटे में अपना सफर तय करते थे, आज दो घंटे में पहुंच जाते हैं।

यही हालात रेलवे के भी हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि नेशनल हाईवेज का बजट थोड़ा सा और जरूर बढ़ाएं। हमारे देश के प्रधान मंत्री जिनको बहुत बड़ी चिन्ता है कि देश के किसान की आमदनी दुगुनी कैसे हो, लेकिन इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि देश का किसान सबसे पहले पानी मांगता है। हमारा यह एजेंडा भी था, परंतु देश की नदियों को जोड़ने में एक बहुत बड़ी अड़चन है कि देश के प्रदेश अलग अलग एक-दूसरे से झगड़ा करते हैं। कोई इस प्रकार से फैसला हो कि पानी स्टेट का सबजेक्ट न होकर सेंटर का विषय जब तक नहीं होगा, तब तक हम इन सब झगड़ों को खत्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस देश का वह पानी जो बर्बाद होकर समुद्र में चला जाता है, उस पानी को रोकना जरूरी है वर्ना सूखे और बाढ़ के कारण इस देश के किसानों और मजदूरों के हालात खराब हैं।

हमारा भी एक प्रोजेक्ट शारदा-यमुना का जिसे हम कई सालों से देख रहे हैं, हालांकि केन्द्र की सरकार ने 99 प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लिये, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा शारदा प्रोजेक्ट जिसका पानी मुम्बई तक जाना था, सारे राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को क्रॉस करके जाना था, अभी तक हम उसकी शुरुआत नहीं कर पाये हैं। मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि किसी प्रकार से जल संसाधन मंत्रालय के तहत इस प्रोजेक्ट को भी टेक-अप करें। इसी प्रकार से अगर हमें किसान को आगे जीवित रखना है वर्ना इस देश का किसान धीरे-धीरे खेतीबाड़ी का काम छोड़कर दूसरे धंधे में लिप्त होता चला जा रहा है जिसकी वजह से आने वाले समय में खाद्यान्न पदार्थों की कमी होगी। खासकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं, जब खेत में किसान पैदा करता है, चाहे वह चने की बात हो, मटर की बात हो, तब उसके दाम 4200 रुपये होते हैं लेकिन जैसे ही वह व्यापारी के हाथ में जाएगा, उसके दाम दुगुने हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब तक सब्जियों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू नहीं करेंगे, पिछले दिनों आलू, टमाटर, प्याज एक रुपया किलो तक के किसानों को सड़क पर डालना पड़ा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि हमें तीन साल होने जा रहे हैं, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूर लागू करें।

मैं तीन चार छोटी छोटी बातें और बताना चाहता हूं क्योंकि हमारा प्रदेश और प्रदेशों की तुलना में कहीं मनरेगा, कहीं मिड-डे मील इत्यादि कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनके तहत हम प्रदेशों से न पैसा ले पाते और न हमें मिलता है। इन स्कीम्स का पैसा कोई और तरह चेंज करके क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा मिनिमम रेट ज्यादा होने के बावजूद भी वह पैसा हम नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए इस पैसे की भरपाई करके हमें दूसरे हैड में यह पैसा दिया जाए।

इसी प्रकार से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना जो बहुत अच्छी स्कीम है, परंतु हमारे प्रदेश हरियाणा को आज से 45 साल पहले हर गांव को बिजली से जोड़ दिया गया, लेकिन हमें उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। हमारी आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से भी प्रार्थना है कि इस पैसे को हमारी ध्याड़ियों में जोड़ने के लिए कोई स्कीम लागू की जाए ताकि उन जगहों पर हमें फायदा मिल सके। किसानों को बचाने के लिए मेरी एक प्रार्थना है, क्योंकि बीमारियों ने देश को घेर लिया। जिस प्रकार से हार्ट जैसी बीमारियों के लिए आपने उसको सस्ते दर पर इलाज शुरु करवाया है। कैंसर एक ऐसी भयंकर बीमारी है जिससे परिवार नष्ट हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी किसी तरह से प्रदेश और केन्द्र उसके खर्चे को वहन करे ताकि गरीब आदमी जिंदा रह सके और ये सारी बीमारियां यदि किसी वजह से फैलती हैं तो जो यह रसायन खाद हम खेतों में डालते हैं, इससे ये सारी बीमारियां गेहूं, चना, सरसों और सब्जियों में फैल रही हैं। इसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि किसी प्रकार से अगर कोई आर्गेनिक खाद की खेती करे, फसल बोये तो उसका कम से कम पांच हजार प्रति एकड़ उस किसान के खेत, उस किसान के खाते में जाए चाहे वह प्रदेश की सरकार दे या केन्द्र की सरकार दे, ताकि वह अपना सिस्टम बदल ले और इस देश के आम 125 करोड़ आदमियों को बचाया जा सके।

महोदय, मेरा एक छोटा-सा सुझाव है। मैं इनकम टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं, जो माननीय वित्त मंत्री जी का महकमा है। जिस प्रकार से इनकम टैक्स अधिकारियों को छूट दी है कि चाहे जितने पिछले समय के खातों की जांच की जा सकती है, ऐसा करने से भ्रटाचार बढ़ने का बहुत अंदेशा है। वे अधिकारी पहले ही व्यापारियों और उद्योगपतियों को नोटिस देते हैं कि तुम्हारे यहां छापा पड़ेगा, इसलिए वे डरते हुए पैसा देने की कोशिश करते हैं। इस प्रावधान को हटाने का काम मंत्री जी को करना चाहिए।

महोदय, डिजिटल लेन-देन का प्रावधान किया है, क्योंकि देश में कैशलेस सोसायटी बनाना जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरा इस संबंध में एक सुझाव है। बड़े पूंजीपतियों के पास बहुत पैसा है, उन्हें इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनकी आमदनी बहुत कम है, केवल दिन में तीन सौ रुपए कमाते हैं, जो महीने का केवल दस हजार रुपए खर्च करते हैं, उनके लिए अलग से ऐसा बैंक कार्ड बनाने की जरूरत है, जिस पर टैक्स न लगे और उनके लिए

लिए अलग से टैक्सलेस कार्ड बने, जिससे आम आदमी जिंदा रह सके। अगर ऐसा नहीं होगा, तो रेहड़ी वाला, रिक्शे वाला, छोटा किसान, आम आदमी इस बात से तंग हो कर रह जाएगा। मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस प्रकार का कार्ड लागू करवाएं।   महोदय, एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सांसदों की समस्या है कि एमपी लैड फंड को बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। महोदय, यूपीए सरकार और एनडीए सरकार, दोनों सरकारों के बजट को देखता आया हूं और मुझे हर बार वही बातें, वही भाषण, वही प्रोग्राम कभी किसी नाम से और कभी किसी नाम से दिखाई देते हैं। किसी भी देश में विकास के दो स्रोत होते हैं - एक मैटीरियल स्रोत और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। इन दोनों रिसोर्सेस का प्रोपर यूटीलाइजेशन करना, विकास करना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत अनिवार्य है। पिछले लम्बे समय से, विशेषकर वर्ष 1991 से उदारवादी नीतियों के आने के बाद ह्यूमन और मैटीरियल रिसोर्सेस का बुरी तरह से शोषण भी हो रहा है और दोहन भी हो रहा है। मैटीरियल रिसोर्स चाहे खदाने हों, तेल हो, गैस हो, कोयला या दूसरे खनिज पदार्थ हों, उनकी कोरपोरेट लूट हो रही है, बल्कि उन्हें रियायतें दे कर आम आदमी के टैक्स के पैसे को लूटने का बढ़ावा दिया जा रहा है। जो नॉन परफार्मिंग असेट्स छह लाख करोड़ रुपए के करीब हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है। आने वाले समय में पूरी संभावना है कि कोरपोरेट सैक्टर को, जो पहले ही आम लोगों से बहुत ऊपर है, देश के स्रोतों पर कब्जा किए बैठा है, उसे और ज्यादा रियायतें देने की सरकार की नीतियां हैं, वे देश के लिए अच्छी नहीं हैं।

जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका भी बुरा हाल है। देश में रोजगार की बहुत समस्या है। कहा जाता है कि हमारा देश विश्व में सबसे यंग नेशन है। अगर पिछले 50-60 सालों के बजटों को देखें और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो भारत विकासशील देशों की बहुत निचली कतार में आता है। इतने अच्छे बजट पेश करने के बावजूद, इतनी अच्छी योजनाओं के अगर देश की यह दशा हो रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है और काम करने के घंटे किसी समय आठ हुआ करते थे, आज करीब दिन में 18 घंटे काम हमारी नौजवान पीढ़ी कांट्रेक्स सिस्टम, आउट सोर्सिंग के जरिए करने को मजबूर है। आज हमारे नौजवान मानसिक रूप और शारीरिक रूप से बीमार हुए जा रहे हैं। नौजवानों को 35 साल की उम्र तक कोरपोरेट सैक्टर निचोड़ लेता है और बाद में नई भर्ती कर लेता है। सर, इस देश में दो तरह की इम्प्लॉयमेंट है। एक गवर्नमेंट के अपने फायदे के लिए है, इनकम टैक्स, एक्साइज़ डिपार्टमेंट, पैरा-मिलिट्री फोर्सेज़ आदि में रेगुलर भर्तियाँ हो रही हैं, इनकी पोस्ट पेंशनेबल है। लेकिन सर्विस सेक्टर में, चाहे वह हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वहाँ एडहोकिज्म है, सारी भर्तियाँ कांटैक्ट सिस्टम है, आउटसोर्सिंग है, वहाँ कोई रेगुलर भर्ती नहीं हो रही है। यह नौजवानों के लिए बहुत ही घातक स्थिति है। इससे डिमांड साइड प्रभावित होगी और इंडस्ट्री भी प्रभावित होगी। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें डिमांड नहीं होगी, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी और इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाएगी। मेरी यह धारणा है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान पीढ़ी है, उसके एजुकेशन की तरफ, उसके स्वास्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी मेरी उम्र 65 वर्ष है, लेकिन जब हम छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, देश नया-नया आज़ाद हुआ था, तब हमारे स्कूलों में अध्यापक थे, हमारे स्कूलों में शिक्षा थी, हमारे यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर्स थे, वहाँ दवाइयाँ थी। लेकिन आज 70 वर्षों के विकास के बाद आज न स्कूलों में शिक्षा है, न स्कूलों में अध्यापक हैं, न अस्पतालों में डाक्टर्स हैं, न ही वहाँ दवाइयाँ हैं। हमारे देश की आबादी की यह हालत है। अंत में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर नीचे गिरा है, शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, सेहत का स्तर नीचे गिरा है, उसका भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है। इन दोनों पैरामीटर्स के होते हुए इस देश का विकास संभव नहीं है। नौजवानों का विकास संभव नहीं है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एमपीलैड फण्ड को बंद कर दिया जाए । 15 सौ गांव हैं, 10 छोटे-बड़े शहर हैं, इसके तहत धनराशि नाकाफी है, जिससे कुछ नहीं किया जा सकता है। हम से लोग आशाएं करते हैं। इसलिए इसे या तो बंद कर दिया जाए या इसे बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया जाए।

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Kindly allow me to speak from here, Sir.

Sir, I have got only three quick points to mention. With regard to making Aadhar number mandatory for PAN and filing Income Tax returns, I would like to say that in a State like Meghalaya only 30 per cent of the population has been enrolled and has been issued Aadhar Card. The original contractor has been cancelled and a new one has to be appointed. So, it is not possible to make the Aadhar number mandatory for Meghalaya. I would request the Minister to look into this matter and issue a separate notification for Meghalaya on this issue.

Secondly, there is a proposal for merging seven tribunals. I do not know the rationale behind replacing certain tribunals. For example, the TDSAT may not have the expertise to adjudicate the matters related to the pricing of airport services. Similarly, it is unclear if the NCLAT which deals with the matters related to company disputes and governance will have the expertise to deal with matters related to anti-competitive practices which are currently managed by the Competition Appellate Tribunal. Therefore, I would request the minister to explain as to why this has been done and that too at the last moment.

Another issue is regarding donation to the charitable institutions. More than 10,000 FCRA have been cancelled by the Government. Many of these NGOs belong to Christian minority. One of the main NGOs is the Compassionate Internationals which has more than 547 centres all over India and more than 1.5 lakh students, who have been sponsored by the NGOs, will now suffer because of the cancellation of FCRA. The FCRA of Catholic Bishops' Conference of India has been cancelled for small reasons. You have given the slogan of '*sab ka sath sab ka vikas'* but I think there is something behind the cancellation of this NGO. I would request you to look into the matter and not to harass all these people for small-small mistakes.

There is a provision of search and seizure. You have been giving broad, sweeping powers that too without accountability to the tax men. This provision is

very dangerous in terms of the tax men who have a free will to go wherever they want without any accountability. So, I think the Minister should look into it. There are always various restrictions on the taxman for search and seizure. So, I think suddenly giving them so much power may have problem in the future.

With these words, I conclude. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: Shri Rajesh Ranjan.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वे एमपीलैड्स को कंप्लीटली बंद करें। केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, उनमें एम.पी. की रिक्मंडेशन को कंपलसरी कर दीजिए। ...* आपने देश में क्रांति लाने की जो यह जिम्मेदारी ली है। इस क्रांति के लिए आपने जो हिम्मत दिखाई है, वैसी ही हिम्मत आप इसमें भी दिखाइए।

महोदय, मेरा दूसरा आग्रह यह है कि आप जब तक हिन्दुस्तान में स्कूलों में कंप्लसरी कॉमन और फ्री एजुकेशन लागू नहीं करते हैं और जब तक आप बी.पी.एल. फैमलीज के गरीब परिवारों के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कठोर कानून नहीं बनाते हैं कि वे मजदूरी नहीं करेंगे बल्कि स्कूल जाएंगे, तब तक आप अपनी मिड डे मील की योजना को भी बंद करिए। यह मिड डे मील गरीबी और एजुकेशन के लिए एक मजाक बन गया है। इसको भी बंद किया जाए, नहीं तो जो खाना मंत्री और एम.पी. का बेटा खाता है, उस खाने को आप वहाँ दीजिए और वहाँ एजुकेशन को कंप्लसरी कीजिए।

महोदय, गाँवों और शहरों के अस्पतालों में देश के 120 करोड़ कॉमन पीपल को लूटा जाता है। उनको जाँच घरों में लूटा जाता है। आप प्राइवेट जाँच घरों को बंद कर के पंचायत स्तर पर एक जाँच घर का निर्माण करवाइए। उसमें से आप अमीर और गरीब का मुद्दा हटा दीजिए। यदि डॉक्टर जाँच लिखना ही बंद कर देगा, तो लोगों का शोाण होना बंद हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा देश में पंचायत स्तर पर जाँच घरों को कंप्लसरी किया जाए।

महोदय, हम यहाँ बैठकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आज देश में 74 फीसदी दलित लड़के और 41 फीसदी लड़कियाँ कक्षा दसवीं तक जाते-जाते बैक हो जाते हैं। 2001 की जनगणना में 23 फीसदी लोग बेरोजगार थे। 2011 की जनगणना के अनुसार 28 फीसदी लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 2015-16 के आई.सी.डी.सी. शिक्षा बजट में इतनी कटौती की गई है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में इकोमॉमिक टाइम्स ने यह खबर दी है कि आपने उसमें 9885 करोड़ रुपये की कटौती की है।

सर्व शिक्षा अभियान के लिए आपने 8390 करोड़ रुपये घटाकर केवल 2000 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए हैं। आपने पिछले साल इसके लिए 9175 करोड़ रुपये का बजट रखा था। आज स्वास्थ्य की स्थिति सबसे निचले 1.0 प्रतिशत के स्तर पर है। इस बार आपने इसमें 6000 करोड़ रुपया घटा दिए हैं। मैं कभी-कभी यह सोचता हूँ कि यह कितनी दुखद बात है। इस विषय पर मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है। आज एक और बड़ा मामला हमारे सामने है।

---

* Not recorded

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आज पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट घरानों के पास सिमटी हुई है। क्या उसका विकेंद्रीकरण नहीं किया जा सकता है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ऊपर हो जाए। आज सारी अर्थव्यवस्था कुछ ही कॉरपोरेट घरानों के हाथों में है। आज 64 लाख करोड़ कॉरपोरेट लोन है, जिसमें से 14 लाख करोड़ रुपया बैड डैट्स में जा चुका है। आर.बी.आई. के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन ने एक स्टेटमेन्ट में कहा था कि पिछले सालों में कॉरपोरेट घरानों का 1,61,000 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट लोन माफ किया गया है। यह रकम बैड डैट्स और नॉन पर्फोमिंग ऐसेट यानी एन.पी.ए. से माफ की गई। यदि यह पैसा हमारे देश में कृषि, स्वास्थ्य और एजुकेशन पर लगा होता, तो हमारे देश का कायाकल्प हो गया होता।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से यह भी कहना चाहूँगा कि आज देश में 13 करोड़ लोग खेती पर आधारित हैं और 17 करोड़ लोग बट्टेदार हैं। आज 40-50 करोड़ लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। हिन्दुस्तान के मजदूर के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने सवा लाख करोड़ रुपये देने की बात कही थी। आपने आंगनवाड़ी पर ध्यान नहीं दिया, आपने आशा और ममता पर ध्यान नहीं दिया। आशा और ममता कर्मियों के मानदेय को बढ़ाया जाए। उप-स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति सबसे बदतर है, उनकी स्थिति सुधारी जाए। सरकारी शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है कि गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाएगा। शिक्षकों के मानदेय को आप क्यों नहीं बढ़ाते हैं? जब तक आप टीचर के मानदेय को 40 हजार रुपये से 70 हजार रुपये नहीं करेंगे, वह पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे।

16.21 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

जनवितरण प्रणाली के माध्यम से सबसे ज्यादा चोरी होती है। आप भी इस बात को जानते हैं। हम पीडीएस सिस्टम को कॉर्पोरेट स्थिति में कब तक ला पाएंगे?

माननीय अध्यक्ष : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन: मैडम, मैं एक मिनट में कनक्लूड कर दूंगा। आप हमारी संरक्षक हैं, इस पर हमें गर्व है। मेरा आग्रह है कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। आपने रोड और कृषि के लिए बिहार को कुछ नहीं दिया है, आपने आर्सेनिक और आयरन पानी के लिए बिहार को कुछ नहीं दिया है। बिहार से सबसे ज्यादा पलायन मजदूर करता है, उसको रोकने की व्यवस्था आपने नहीं की है। बिहार में स्वास्थ्य के लिए एम्स की आवश्कता है। कई बार घोषणा हुई है और मैं मानता हूं कि बिहार सरकार भारत सरकार को जमीन नहीं दे रही है। मैं चाहता हूं कि कोसी और सीमांचल क्षेत्र में एम्स की स्थापना की जाए। मेरा आग्रह है कि ग्रामीण

सड़क योजना के लिए बिहार सरकार को ज्यादा पैसा देने की जरूरत है। आपने खेल के लिए कुछ नहीं दिया है।

मेरा अंतिम आग्रह है कि आप खेल को प्राथमिकता दीजिए, एजुकेशन और हेल्थ को कम्प्लसरी कीजिए। आपने कृषि को दरकिनार कर दिया है। बिहार के पास सबसे ज्यादा मैन पावर और माइंड पावर है।...(व्यवधान)

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 के फाइनैंस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखने में यह बिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाहे वह गरीबी उन्मूलन हो, चाहे पर्यटन क्षेत्र हो, नयी सामाजिक पहल हो, ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन की बात हो या फिर संसाधन जुटाने का प्रश्न हो अथवा प्रबंधन प्रणालियों में गुणात्मक सुधार की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने अपनी दूरदर्शिता, नियोजन क्षमता, नेतृत्व एवं अद्भुत परिपक्वता का परिचय दिया है। यह बजट अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करते हुए एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर टिका है।

महोदया, मेरा मानना है कि किसी भी महत्वकांक्षी योजना के लिए एक स्पट दृष्टिकोण, कार्य-योजना सृजन और क्रियान्वयन की अत्यंत आवश्यकता होती है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका बेहतर समावेश कैसे हो। इस बजट में इन चीजों को विशिष्ट समन्वय स्थापित कर माननीय वित्त मंत्री जी ने समृद्ध राष्ट्र निर्माण के सपनों को साकार करने की अनूठी पहल की है।

आज जब पूरा विश्व अनिश्चित्तता एवं निराशा के वातावरण में जाने को मजबूर है, भारत विश्व परिदृश्य में एक नयी आशा और उमंग के नये उत्साह का संचार करता नजर आ रहा है। विश्व के मशहूर आर्थिक विशेाज्ञों ने भारत की तुलना दैदीप्यमान केन्द्र के रूप में कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र ""सबका साथ, सबका विकास " को लेकर समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने की कवायद रंग ला रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदया जी, जहां एक ओर हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई सकल घरेलू उत्पाद दर पर गर्व कर सकते हैं, वहीं आर्थिक सुधारों का परिणाम है कि आज हम चीन को भी पीछे छोड़ने में सक्षम हुए हैं। महंगाई नियंत्रित करने में हमने अभूतपूर्व सफलता पाई है, गरीबों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को अपना उद्यम लगाने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदया, जी डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम में गाँव-गाँव तक ले जाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अगले तीन वर्षों में लगभग 6 करोड़ ग्रामीण लोगों को लाभान्वित करने की योजना है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार दिए जाने हेतु पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत रोजगार प्रमाणन विकास एजेंसी एवं राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी। महोदया, इतिहास इस बात का साक्षी है कि पहली बार भारत में अविस्थापना विकास को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि जिसमें पिछली सरकार के 10 वर्षों का कार्यकाल हमारी सरकार के लगभग 3 वर्षों के कार्यकाल के सामने फीके हैं। यह महज सहयोग नहीं, बल्कि यह हमारी सरकार के दिन-रात परिश्रम का नतीजा है कि लगभग 3 वर्षों में यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि समृद्ध किसान, समृद्ध भारत का आधार है। देश की प्रगति में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं।...(व्यवधान) हमारी सरकार ने इस अवधि में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया है, सर्वाधिक बिजली उत्पादित एवं वितरित की है तथा देश में एल.ई.डी. बल्बों का वितरण कर बिजली की बचत भी की है।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री रामचरण बोहरा: माननीय अध्यक्ष महोदया, पहली बार बोलने का मौका मिला है, मुझे दो मिनट और दे दीजिए।

महोदया, हमारे देश के करोड़ों लोगों के पास रहने के लिए अपनी छत नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने न केवल इस समस्या को गंभीरता से महसूस किया, बल्कि इसके निराकरण हेतु एक रोड मैप भी तैयार किया है। भारत में करोड़ों बेघर लोगों सिर के ऊपर छत उपलब्ध कराने के लिए एन.डी.ए. सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ की हैं। सभी के लिए आवास के क्रियान्वयन के लिए संकल्पबद्ध है।...(व्यवधान) इस योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 2022 तक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरी ग्रामीण विकास के लिए सभी लोगों को अपना आवास उपलब्ध हो सके। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। मध्यम आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु हाउसिंग ऋणों में सरलीकरण एवं टैक्स में छूट देने की योजना इस बजट में बनाई गई है। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय आवास बैंक के क्षेत्र का विस्तार किए जाने की योजनाएं लाए हैं। अंत में इन्ही शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, यहां पर वित्त मंत्री उपस्थित हैं, चूंकि वित्त मंत्री जी अभी रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं रक्षा स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मैं अपनी बात यहां पर रखना चाहूंगा। पिछले 3 साल में जब से यह सरकार आई है, वर्ष 2014-15 में जी.डी.पी. के परसेंटेज के हिसाब से डिफेंस पर आपने 2.6 प्रतिशत खर्च किया, वर्ष 2015-16 में 1.96 प्रतिशत खर्चा रहा, वर्ष 2016-17 में 1.65 प्रतिशत यह खर्चा रहा है और पिछले 30-40 साल में सबसे कम खर्चा, यदि हम जी.डी.पी. के प्रतिशत में देखें तो इस साल हम रक्षा पर कर रहे हैं। हम जी.डी.पी. के सिर्फ 1.56 प्रतिशत खर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान हमसे कहीं ज्यादा जी.डी.पी. के अनुपात में डिफेंस पर खर्चा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी क्षमता होने के बावजूद भी हम खर्च नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्षमता नहीं होने के बावजूद भी वह ज्यादा खर्चा कर रहा है। यदि हम डिफैंस की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखें तो आर्मी ने 42 हजार करोड़ रुपये का कैपिटल प्रोजैक्शन किया था, उनको आपने सिर्फ 25 हजार करोड़ रुपये दिये। नेवी ने 27 हजार करोड़ रुपये का कैपिटल प्रोजैक्शन किया था, उनको आपने 18 हजार करोड़ रुपये दिये। एयरफोर्स ने 62 हजार करोड़ रुपये का कैपिटल प्रोजैक्शन किया था, उनको आपने 33 हजार करोड़ रुपये दिये हैं। इसका मतलब यह है कि 55 हजार करोड़ रुपये की कैपिटल एलोकेशन में आपने कमी की है। इसका सबसे ज्यादा असर अगर कहीं हो रहा है तो वह हमारी डिफैंस फोर्सेज के माडर्नाइजेशन पर हो रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मेरी सरकार से विनती है कि आपने जो सैस लगाया है, आप डिफैंस के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी सैस लेकर आइये, हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन डिफैंस प्रिपेयर्डनैस में हम कहीं कम न रह जाएं, इस बारे में हमें देखने की जरूरत है।

दूसरा पाइंट मैं यहां रखना चाह रहा हूं कि महताब साहब ने एग्रीकल्चर टैक्स की बात की थी। पिछली बार फाइनैंस बिल पर जब वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया था, तब आपने कहा था कि हम एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स लगाना नहीं चाहते और आपने महताब जी को भी यह बताया था कि आप भी मत लगाइये। लेकिन मंत्री जी यह बात सामने आई है कि आपने एग्रीकल्चर पर टैक्स का प्रावधान किया है और वह बात ठीक नहीं है, उससे देश के हजारों, करोड़ों किसानों को तकलीफ होने वाली है।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने यहां स्टेटमैन्ट दिया था कि किसानों की कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए। उस बात का हम खंडन करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एस.बी.आई. के चेयरमैन अगर इस बारे में ऐसा स्टेटमैन्ट देंगे तो यह किसानों की खिलाफत की बात है।

एक तरफ आप यूपीए में कह रहे हो कि किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए और उसके बाद एस.बी.आई. के चेयरमैन इस प्रकार की बात करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि यू.पी. में कर्ज माफी हो तो देश के बाकी राज्यों में कर्ज माफी क्यों नहीं होनी चाहिए। यहां यह सवाल भी उठता है कि एक तरफ बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से कर्जा मिलना चाहिए, वह कर्ज नहीं मिल रहा है। अभी भाजपा के किसी सांसद ने एम.एस.पी. बढ़ाने की बात की, परंतु आप एम.एस.पी. भी नहीं बढ़ा रहे हो। हमारे सांसद श्री नाना पटोले और अन्य लोग यहां बैठे हैं, जब यह एम.एल.ए. थे, जब आत्महत्या होती थी तो ये दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कहते थे। इस हिसाब से दफा 302 के तहत 15 हजार मुकदमे इस सरकार के खिलाफ दर्ज करने की यहां जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है।

महोदया, आखिरी बात मैं युवाओं के बारे में सदन में रखना चाहूंगा। जब सरकार आने की बात थी, तब आपने कहा था कि दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस हिसाब से अभी तक छः करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन अनइम्पलायमैन्ट रेट जिस प्रकार से गिरा है, यह टोटल पांच प्रतिशत पर गया है। एस.सी. का पांच प्रतिशत बढ़ा है, एस.टी. का 4.4 प्रतिशत पर गया है, ओ.बी.सी. का 5.2 प्रतिशत पर गया है। यह सरकार का जवाब है कि पिछले तीन सालों में अनइम्पलायमैन्ट का रेट बढ़ा है, आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाये हो। इसीलिए ये सब बातें हम कह रहे हैं।

इसके अलावा जिस प्रकार से इनकम टैक्स के एक्ट अंडर सैक्शन 132 में सरकार बदलाव लाई है कि किसी को भी आप रेड करने की परमीशन दे रहे हो, उसमें कोई जस्टिफाइएबल कारण भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से यह सरकार कहीं न कहीं टैक्स टैररिज्म की तरफ बढ़ने की दिशा में जा रही है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपको किसानों और युवाओं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और डिफैंस फोर्सेज का मॉडर्नाइजेशन हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यही बात मैं आपके सामने यहां रखना चाहता हूं और अंत में सरकार के लिए सिर्फ दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

> "हम मन की बात बहुत मन लगाकर सुनते हैं और पिछले तीन सालों से काम की बात का इंतजार भी करते हैं, शायद इस सरकार को काम ही याद नहीं आता, शायद वह जुमले बड़े शानदार बोलते हैं।"

धन्यवाद।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): माननीय अध्यक्ष जी, बजट के ऊपर चर्चा पहले समाप्त हो चुकी है, अभी फाइनेंस बिल के ऊपर चर्चा चल रही है और इसलिए जो मुद्दे बजट की चर्चा में आ चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें दोहराने का प्रयास न करूं। लेकिन कई बार कुछ चीजें बार-बार कही जाती हैं, जिसका संदर्भ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। अभी यहां कहा गया और महताब जी ने भी कृषि के ऊपर टैक्स लगने का विषय उठाया। मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का यह संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, यह राज्यों का अधिकार है, इसलिए पिछली बार मैंने आपको सलाह दी थी कि अपनी राज्य सरकार को कहिये कि वह टैक्स न लगाये। इसलिए यह भ्रम पैदा करना, जो अभी अंत में भी कहा गया कि यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह लैजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं है आय कर के सैक्शन-10 में बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं लगेगा। इनकम कैलकुलेटिंग परपज़िस के लिए जो एंट्रीज़ होती हैं, उसमें टोटल इनकम कैलकुलेट होगी, उसमें से कितनी एग्ज़म्प्ट होगी उसकी एक प्रक्रिया है। कृषि पर टैक्स नहीं लगता है और न लगने वाला है। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : सर, आप सन् 2014 से फाइनेंस बिल में यह अमेंडमेंट ले कर आए हैं। सन् 2014 से ही यह लागू हुआ है कि क्लब कर के एग्रीकल्चर इनकम और अदर इनकम, एक रेट फिक्स होती है और वह तो टैक्स ही है। ...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : रेट फिक्सेशन में आता है। कृषि के ऊपर नहीं लगता है, यह स्पष्ट रहे। यह एग्ज़ेम्प्टिड है और पार्लियामेंट लैजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है। यह भी स्पष्ट रहे। बार-बार किसी ने एक लेख लिख दिया कि इनकम टैक्स को अधिकार मिल गया कि बिना कारण बताए किसी पर रेड कर सकता है, ऐसा नहीं है। अब परिस्थिति क्या है? सैक्शन-132 (ए) यह कहता है कि किसी भी सर्च को करने से पहले, सर्च अधिकारी को जो सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति के पास अनडिसक्लोज़्ड इनकम है, वह सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन क्या है, उसकी प्राइमा-फेसी सच्चाई क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से उस व्यक्ति के खिलाफ सर्च होनी चाहिए। यह उस ऑर्डर में लिखना पड़ता है, पहले भी लिखना पड़ता था और आज भी लिखना पड़ेगा, यह आवश्यक है। जो सैटिसफैक्शन नोट है, वह रिकॉर्ड में लिखा जाएगा।

इस सदन में एक भी सदस्य नहीं होगा, जो यह चाहेगा कि किसी प्रकार से टैक्स चोरी करने वाले की सहायता हो। लेकिन मौजूदा व्यवस्था यह थी कि कोई व्यक्ति उसको चुनौती देता था तो किसने सूचना दी और क्या सूचना दी, वह सूचना रिकॉर्ड पर लानी पड़ती थी, उसकी कॉपी, जिसके खिलाफ सर्च हुई, उसको देनी पड़ती थी, जितने सोर्सेज़ ऑफ इनफॉर्मेशन थे, वे ड्राइ-अप करने लगे। कोई भी अगर सूचना देगा तो वह डरता था कि मेरी कंपनी का मालिक अगर टैक्स की चोरी करता है तो मैं उसके

खिलाफ जानकारी दूंगा तो कल को मेरा नाम के साथ उसी मालिक को सैटिसफैक्शन नोट की कॉपी दी जाएगी। संशोधन केवल यह हुआ है कि अदालत या कोर्ट चाहे उस कागज़ को देख सकती है, किसी अन्य व्यक्ति को उस कागज़ को देना आवश्यक नहीं है। इस बात की बार-बार दुहाई दी जा रही है कि इतना बड़ा अन्याय हो गया कि जिसके खिलाफ सर्च हो रहा है, उसको आप कागज़ नहीं देंगे। जिसके खिलाफ सर्च हो रहा है, उसको हम पहले बताएं कि तुम्हारे खिलाफ यह खबर किसने दी थी, तुम्हारे किस कर्मचारी ने दी थी तो इसके साथ तो टैक्स विभाग की व्यवस्था चल नहीं सकती है। इसलिए बार-बार यह कहना, क्योंकि एक कॉलमिस्ट ने लिख दिया कि यह तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो गई, यह केवल प्रत्यक्ष रूप से टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति की सहायता करने का एक तर्क था और उसको हम बार-बार दोहराते रहें कि बड़ा अन्याय हो रहा है कि देखिए, जिसके खिलाफ जांच हो रही है, उसको यह नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ जानकारी किसने दी, इसलिए यह आर्टिकल-132(ए) के अमेंडमेंट का केवल इतना अभिप्राय है। इसलिए इन विषयों को ले कर कभी न कभी कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए।

दीपेंद्र हुड्डा जी ने चर्चा का आरंभ किया था। उन्होंने यह कहा कि प्रधान मंत्री जी ने डीमॉनिटाइज़ेशन का इनिशेटिव लिया, तो शायद केवल देश में टैक्स कलैक्शन कम हो गई, छह प्रतिशत बढ़ी। वे आंकड़ा दे रहे थे। मैंने भी किसी मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन में इस तरह का विशलेषण पढ़ा था। पिछले दो वर्षों से टैक्स बॉएंसी सुधरी है। जैसे ही विकास दर बढ़ती है तो वह बढ़ती है। मौजूदा वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा। इस वर्ष अपेक्षा यह थी, जब पिछले साल का बजट पेश किया गया था कि 16 लाख 25 हजार करोड़ रुपया टैक्स (डायरेक्ट और इनडायरेक्ट) केन्द्र सरकार इकट्ठा करेगी। हम लोगों ने उस टारगेट को रिवाइज किया और 16 लाख 25 हजार करोड़ रुपये के स्थान पर रिवाइज्ड टारगेट को 17 लाख करोड़ रुपये कर दिया। अभी वर्ष का अन्त आना है, क्योंकि 31 तारीख तक इनडायरेक्ट टैक्सेज आते रहते हैं और इस वक्त जो आँकलन है, कि उस रिवाइज्ड टारगेट को भी हम लोग अचीव करेंगे, जो कि एक रिकॉर्ड टारगेट है। इसलिए टैक्स कलेक्शन धीमा हुआ, कहीं अगर यह गलत खबर पढ़ ली, यह गलत भ्रान्ति जो हुड्डा जी के मन में 6 परसेंट की थी, वह नहीं होनी चाहिए।

अगले वर्ष में जिसके लिए बजट पेश किया गया था और जिसमें फाइनेंस बिल में जो प्रावधान किये गये हैं, हम 19 लाख पाँच हजार करोड़ रुपये का टारगेट तय कर रहे हैं। हुड्डा जी ने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेज, क्योंकि गरीब और अमीर को बराबर देने पड़ते हैं, वे कम होने चाहिए, वे बढ़ते जा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेज उसे देने पड़ते हैं, जिसकी आमदनी ज्यादा होती है। इसे भी हम लोगों ने मद्देनजर रखा और आने वाले वर्ष में हमारा जो टारगेट है, कि 9.8 लाख करोड़ रुपये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है और 9.25 लाख करोड़ रुपये इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। यह आने वाला वर्ष जो होगा, वह अपने आप में

एक परिवर्तन का वर्ष भी इसलिए टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट (अप्रत्यक्ष) टैक्सेज की जो व्यवस्था है, हम अपेक्षा करते हैं कि पहली जुलाई से उसमें एक बड़ा परिवर्तन आयेगा।

मैं इसमें माननीय सदस्यों को बतला दूँ कि हम लोगों ने पिछले वर्ष जीएसटी का संविधान संशोधन दोनों सदनों ने पारित किया था। वह संविधान संशोधन सर्वसम्मति से दोनों सदनों ने पारित किया था। हर एक राजनीतिक दल ने उसमें सहयोग दिया था और उसका समर्थन किया था। उसके पश्चात जीएसटी के संविधान संशोधन के तहत एक जीएसटी काउन्सिल का गठन हुआ। उस जीएसटी काउन्सिल में केन्द्र के मंत्री भी रहते हैं, हर राज्य के मंत्री भी रहते हैं और दो ऐसे यूनियन टेरिटोरी जिसमें असेम्बली है दिल्ली और पुडुचेरी, उनके वित्त मंत्री भी उसके सदस्य हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो अधिकार है, उस संविधान संशोधन में हमने उस जीएसटी काउन्सिल को दे दिया है। उसी कानून को राज्य सरकारों ने भी पारित किया और एक बहुत बड़ा परिवर्तन केन्द्र और राज्यों ने मिलकर उसका किया था। अभी तक लगभग 12 मीटिंग्स जीएसटी काउन्सिल की हो चुकी हैं और जितने भी विवादित मुद्दे हैं, जिनके ऊपर काउन्सिल को निर्णय लेना था, लगभग उन सबके ऊपर कन्सेन्सस या सर्वसम्मति से जीएसटी काउन्सिल ने निर्णय किया है। क्योंकि पहली बार काउन्सिल का गठन हुआ और फेडरल पॉलिटिक्स में एक प्रकार से कहें, this is India's first federal institution where collective decision making takes place. माननीय प्रधान मंत्री जी का भी यह मार्गदर्शन यह था कि पूरा प्रयास यह रहे कि वोटिंग के माध्यम से हम निर्णय न करें। वोटिंग के माध्यम से चाहते तो निर्णय सम्भव था, लेकिन एक के बाद एक चर्चा, लम्बी चर्चा, चर्चा के बाद परिवर्तन, परिवर्तन के बाद आम राय और उसके बाद सर्वसम्मति और एक प्रकार से चर्चा के माध्यम से लोकतान्त्रिक फैसला हो जाये, तो it was an exemplary exercise in deliberative democracy and federalism in action, कि सभी निर्णय लगभग सर्वसम्मति से अभी तक जीएसटी काउन्सिल ने किये हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्या तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने मिलकर लिया?

श्री अरुण जेटली : सब ने मिलकर किया। तमिलनाडु के माननीय सदस्य यहां नहीं हैं। तमिलनाडु सरकार एकमात्र सरकार थी, जिन्हें रिज़र्वेशंस थीं। लेकिन, जब संविधान संशोधन लागू हो गया और वह सारे देश पर लागू होता है, तो तमिलनाडु सरकार का भी उसमें बहुत एक्टिव और पॉजीटिव पार्टीसिपेशन रहा और उन्होंने सुझाव दिए। किसी भी स्टेज पर, चाहे वह वेस्ट बंगाल था या तमिलनाडु राज्य था, किसी भी राज्य ने, निर्णय रोके जाएं, इसका प्रयास नहीं किया। खड़गे जी का जो राज्य है कर्नाटक, उसकी तो बहुत ही पॉजीटिव भूमिका रही।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह बिल तो हमारा बिल है। हम पहले से ही इस पर पॉजीटिव हैं।

श्री अरुण जेटली : उसमें जितने निर्णय थे, उसमें पांच कानून काउंसिल को बनाने हैं। संविधान संशोधन के तहत उनमें से चार कानून ऐसे होंगे, जिन्हें संसद को पारित करना है और एक कानून ऐसा होगा, जिसे सभी विधानसभाओं को पारित करना पड़ेगा। उन पांचों कानूनों को जी.एस.टी. काउंसिल ने सर्वसम्मति से पारित कर दिए हैं और कुछ ही दिनों में संसद के समक्ष उन चारों कानूनों को हम लोग लाने वाले हैं। एक पांचवां कानून होगा, जिसमें एक्साइज़ और कस्टम्स एक्ट में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम लोग उसी के साथ संसद में लाएंगे।

संविधान संशोधन के तहत जी.एस.टी. इम्प्लीमेंटेशन की जो अंतिम तारीख है, वह 15 सितम्बर है, लेकिन काउंसिल का निर्णय यह है कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पहली जुलाई से यह लागू हो जाए।

डिमॉनेटाइजेशन के संबंध में बार-बार ज़िक्र आता है। डिमॉनेटाइजेशन का निर्णय सरकार ने किया और उस निर्णय पर जो जनता का राजनीतिक फैसला था, वह तो आप लोगों के समक्ष आ चुका है। लेकिन, आप एक चीज़ स्पट रूप से समझ लें कि डिमॉनेटाइजेशन का क्या लाभ हुआ। जो भी पैसे के साथ जुड़ी हुई एक प्रकार की एनॉनिमिटी और गुमनामी थी और यह व्यवस्था थी कि सिर्फ कैश में ही ट्रांजैक्ट करना है, उस व्यवस्था को बहुत बड़ी चोट लगी है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका असर पड़ने वाला है। अब तरह-तरह के तर्क दिए जाते हैं कि क्या भ्रटाचार समाप्त हो जाएगा? टेरेरिज्म कम हुआ, लेकिन क्या यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा? क्या आगे से ब्लैक मनी नहीं होगी? इसके ऊपर पूरे विश्व के अंदर सैद्धांतिक तौर पर पहले शोध हुए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगले पांच-सात सालों में भारत के अनुभव के ऊपर खूब शोध होंगे और लेख लिखे जाएंगे। Crime does not end. But is cash a great incentiviser in crime? Does it incentivise crime? पूरी दुनिया में जो शोध हुए हैं, उसके संबंध में बार-बार यह कहा गया कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में कैश ज्यादा आ जाए तो उसके माध्यम से टैक्स इवेज़न अधिक होता है, क्राइम उसके माध्यम से फैसिलिटेट होता है और जैसे ही भारत के अन्दर रिमॉनेटाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी और लगभग समाप्त-सी हुई है। पूरे विश्व में जितने लोग अधिकृत रूप से लिखते हैं, उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं। मैं केवल एक छोटी-सी टिप्पणी के बारे में कहूंगा। इकोनॉमिक अफेयर्स पर शायद वे दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रेटेड राइटर्स हैं। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इकोनॉमिक अख़बार 'फाइनैंशियल टाइम्स' में वे हर सप्ताह लिखते हैं, उनका नाम है मार्टिन वूल्फ।

उन्होंने अभी दो-तीन सप्ताह पहले भारत के डिमॉनेटाइजेशन के ऊपर अपना विश्लेषण दिया और शायद इनसे ज्यादा प्रतिठित नाम इकोनॉमिक्स अफेयर्स पर लिखने वाले दुनिया में बहुत कम है।

Sir, Martin Wolf writes: "India's bold experiment with cash" उन्होंने आर्थिक तथ्यों के साथ इसको एनालाइस किया है। He says:

> "The short-run costs are evident. (छोटे अवधि काल में इसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी, वह भी स्पष्ट है।) As the Economic Survey puts it laconically, these costs have taken the form of "inconvenience and hardship", especially for those in the "informal and cash-intensive sectors of the economy". Since hundreds of millions of Indians are very poor, this cannot be trivialised. "

इसके बाद वे पूरे विश्लेषण में जाते हैं।...(व्यवधान) मैं पहले आपको सेटिसफाई कर दूं, क्योंकि कैश का क्या-क्या कंशिक्वेंशेस हैं, आपके राज्य में भी लोग इसको भुगत रहे हैं।

Martin Wolf further says:

> "In analyzing short-run costs, the analysis emphasizes three shocks: to aggregate demand, due to the decline in cash and the permanent loss of wealth for those who chose not to declare their cash holdings; to aggregate supply, due to the role of cash as an input into production. "

वे पूरा एनालाइस करते हैं। **He** further says:

> Yet even in the short run, there will also be benefits. The analysis suggests that as much as two per cent of GDP was held in notes reflecting black economic activities. Some of this ill-gotten wealth will have vanished and some will have been taxed. This is so because the holders had to declare unaccounted wealth and pay penal taxes, lose it, or launder it. Overall, the policy allowed the government to tax black money, at least as a one-off and possibly permanently, given the enhanced risks of holding cash. Overall, there is a transfer of wealth from criminals to the Government. It is hard to be sorry for these victims."

इतनी कड़वी भाषा मार्टिन वुल्फ जैसा व्यक्ति इस्तेमाल करता है। He further says:

"A significant result might be increased "digitalization" of finance, though this would require complementary reforms, notably ones that make it easy for Indians

without smart phones to make digital payments. Another would be effective taxation. Against all this must be set the recklessness of the action. What might a Government that dares to do this not dare? "… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, a lawyer always quotes the rulings, which are in his favour… (*Interruptions*)

अपने आर्ग्युमेंट के लिए जो रूलिंग फेवरेबल होता है, वही कोट करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने कोट किया तथा जिसको हमने यहां पर कहा, उसको भी आप बोलिये। लॉयर्स उस रूलिंग को कभी नहीं देते हैं, अपनी आर्ग्युमेंट्स के लिए जो फेवरेबल होता है, उसको देते हैं, बाकि हम लोग जो आठ-नौ कोट करके दिए हैं, उसको तो आपने डिनाए कर दिया।

श्री अरुण जेटली : श्री खड़गे जी, बेहतर होता कि इस तर्क को आप कंट्राडिक्ट करते, क्योंकि वजन तर्क में होता है। वे आखिरी तर्क क्या देते है? It is often hard to draw the line between decisive leaders who take unpopular decisions for the benefit of their country and those who make arbitrary decisions for the benefit of themselves.

विश्व का जो सबसे सेलिब्रेटेड कॉलमिस्ट है, वह कहता है कि दो तरह के नेता होते हैं। एक वह होता है, जो देश की खातिर कठोर निर्णय लेता है और दूसरा ऐसे निर्णय लेता है, जिससे उसको स्वयं को लाभ हो। यह लिखने के बाद वे कहते हैं - Historians may judge the shock of demonetisation as an example of the former. That is still uncertain. Let us see what Mr Modi dares to do next. ...(व्यवधान) आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि आज के युग में जब पूरी दुनिया डिजिटाइज्ड इकॉनामी की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया टैक्स हैवेन्स के खिलाफ है, पूरी दुनिया टैक्स इवैजन के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़े, यह प्रयास कर रही है। इनफार्मल इकॉनामी, पैरलल इकॉनामी, शैडो इकॉनामी समाप्त हो और फार्मल इकॉनामी बढ़े, उस दिशा में जा रही है, उस परिस्थिति में कोई राजनीतिक दल, कैश इकॉनामी के गुण क्या हैं, वर्च्यूज ऑफ कैश इकॉनामी, उसके आधार के ऊपर राजनीतिक तर्क बना लेते हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि आपका तर्क जो लोग बनाते हैं, उन सलाहकारों को भी अब बदलने की आवश्यकता है। देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी 2 पर्सेंट गिर जाएगी, 7 महीने तक वैकल्पिक करेंसी नहीं छपेगी, 10 वर्ष तक जिन लोगों के हाथ में इस देश का आर्थिक संचालन रहा, यही पाठ उन लोगों ने आपको पढ़ाया था और उसके आधार पर आपने अपनी पोजीशन तय की और असर देख लिया कि जो परम्परागत वोट आपके साथ जुड़ता था, उसने भी आपकी इस नीति को अस्वीकार कर दिया।

डीमोनेटाइजेशन में कितना कैश आएगा, पहले रिजर्व बैंक इसका एक एस्टीमेट देता था। आज एक-एक रुपया करेंसी का वे गिन रहे हैं। उसमें से फेक करेंसी को वे अलग करेंगे। जब उनके पास उसका पूरा एक्युरेट आंकड़ा आएगा, तो उन्होंने कहा है कि वे उसे रिलीज करेंगे। …(व्यवधान) आज आप व्यवस्था देखिए। कुछ लोगों को गलतफहमी थी कि इस देश के अंदर क्या कार्रवाई करेंगे। मैंने पिछली बार बजट के दौरान पूरी सूची बतायी थी कि ब्लैक मनी के खिलाफ इस सरकार ने क्या-क्या कार्रवाई की है, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा।

अभी रीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जितनी डेटा माइनिंग सीबीडीटी और टैक्सेशन विभाग ने की है, उसके पहले विश्लेषण में कोई छोटे नहीं, 2-3 लाख रुपये वाले नहीं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी राशि जमा करायी हैं और जो उनकी इन्कम प्रोफाइल के साथ मेल नहीं खाते हैं, प्रिलिमिनरी जांच में उनके पास इस छोटी सी अवधि काल में 18 लाख ऐसे नाम आ गए। इन 18 लाख को ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से, कोई टैक्स का नोटिस नहीं कि यह जानकारी में है कि आपने इतना पैसा जमा कराया है, जो कि आपकी आमदनी के साथ मेल नहीं कर रहा है, इसके बारे में आप जो जानकारी देना चाहते हैं, वह दीजिए।

17.00 hours

18 लाख में से लगभग 8 लाख 71 हजार लोगों ने उसका जवाब भी दिया है, अपनी एक्सप्लेनेशन्स दे रहे हैं। जिन्होंने नहीं दिया, उनके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट में जांच करने की जो कार्यवाही है, वह होगी। स्वाभाविक है कि इस देश का टैक्स का जो पूरा नैट है, जो लोग आज तक उससे बाहर जीवित रहते थे …(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Two-thirds of them have not responded to that.

श्री अरुण जेटली : जिन्होंने रिस्पांड नहीं किया, उनके खिलाफ निश्चित रूप से विभाग कार्रवाई करेगा। महताब जी, आप इसका अर्थ समझिए। हर सदस्य चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का हो, देश के किसानों के लिए, मनरेगा, सिंचाई के लिए, राज्यों को पैसा देना है। डिफैंस के लिए भी कहा गया कि ज्यादा खर्च कीजिए, एक चिन्ता व्यक्त करता है। सरकार की ज्यादा खर्च करने की क्षमता कैसे बनेगी। सरकार के राजस्व का एक ही तरीका है। If we remain a largely tax non-compliant society and if a campaign is launched against every effort which is there to improve upon that standard … (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I have not said that.

SHRI ARUN JAITLEY: You may not be saying. Your party was supportive of the demonetization measures. I acknowledge that.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : But today, he opposed it.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I have asked some specific questions. Today is the 81st day since the demonetization return of old currencies has stopped. How much money has actually come in?

SHRI ARUN JAITLEY: I have already told you. The Reserve Bank will inform … (*Interruptions*)

Kharge Ji, he is disowning you. …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यहां हर सदस्य की बात का जवाब नहीं होता।

…(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : अगर देश का साधन बढ़ाना है, तो जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपने कहा कि दो-तिहाई ने जवाब नहीं दिया, तो स्वाभाविक है कार्यवाही होगी। देश की सुरक्षा, देश के सैनिक, देश की आर्मी प्रिप्येर्डनैस, देश का किसान, देश का ग्रामीण क्षेत्र, यह सारा पैसा उसके लिए खर्च होना है। इसीलिए मार्टिन वूल्फ ने यह कहा कि जो व्यक्ति टैक्स की चोरी कर रहा है, वह देश के हित के पैसे की चोरी कर रहा है। कोई भी राजनीतिक दल अपने आपको इस परिस्थिति में डाल ले कि एक प्रकार से टैक्स इवेजन अपने आप में वरच्यू बन जाए, इसे कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार का उद्देश्य था कि इस पैसे की गुमनामी को समाप्त करना। यह पैसा बैंकों में पहुंचे और उसके बाद एक व्यवस्था बढ़े जिससे डिजिटाइजेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और बैंकों की क्षमता बढ़े। देश अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

हमने इस फाइनैंस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन लाने की कोशिश की, यह कहा गया कि इस देश के अंदर एमएसएमई सैक्टर को ताकत देने की जरूरत है। 50 करोड़ रुपये तक की जितनी भी कम्पनीज़ हैं, हमने बहुत बड़ा कदम उठाया और कहा कि उनका टैक्सेशन 5 प्रतिशत कम होगा, 25 प्रतिशत कर दिया। देश की लगभग 96 फीसदी कम्पनीज़ जिसमें छोटी, मिडल साइज़ कम्पनीज़ कवर्ड हुई हैं, इससे प्रोत्साहित होकर जो लोग इन्फार्मल सैक्टर में काम करते हैं, अगर इसका लाभ उठाना चाहेंगे तो वे भी अपने आप को कॉरपोरेटाइज़ करेंगे, बैलैंस शीट्स बनाएंगे, अपने ट्रांसपेरैंट एकाउंटिंग सिस्टम बनाएंगे जो देश की अर्थव्यवस्था के हित में जाता है। व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे टैक्स नैट में आएं। इसके लिए छोटे टैक्सपेयर के लिए कम टैक्स हो ताकि वह टैक्स नैट में आए, इस बार हमने इसके लिए भी प्रयास किया है। इसलिए 10 प्रतिशत का 5 लाख रुपये तक का जो लोएस्ट स्लैब था, ढाई लाख रुपये तक टैक्स नहीं, ढाई हजार रुपये की छूट है, इसका मतलब 3 लाख रुपये तक टैक्स नहीं है। वृद्ध और अतिवृद्ध लोगों के लिए यह सीमा और अधिक है, उसके बाद उन लोंगों के लिए जिन्हें टैक्स देना पड़ेगा, उसे भी 10 परसेंट से 5 परसेंट कर दिया यानी आधा कर दिया, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग में पहले जो बिल्ट अप एरिया केलकुलेट होता था, उसे कारपेट एरिया कर दिया, जिसका प्रयास यह है कि दो बेड रूम का घर भी एर्फोडेबल हाऊसिंग में गिना जाए, इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल गया। कम्पलीशन की अवधि तीन से पांच वर्ष कर दी, लॉंग टर्म कैपिटल गेन केलकुलेट करना, 36 महीने के स्थान पर 24 महीने कर दिया।

अभी आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य कह रहे थे क्योंकि आंध्र प्रदेश के अमरावती के किसानों ने एक उदाहरण सेट किया उन्होंने बिना लैंड एक्विजिशन किए लैंड पूलिंग के माध्यम से अपनी जमीन कैपिटल बनाने के लिए दे दी। लैंड एक्विजिशन एक्ट में कैपिटल गेन का एडवान्टेज मिलता है, यह लैंड पूलिंग पर मिले, हमने उन किसानों के लिए निर्णय लिया। डिजिटल इकोनॉमी प्रोत्साहित हो और कैश डिस्करेज हो। मैंने बजट में प्रस्तावना की थी कि 3 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, उसको अब संशोधन के माध्यम से 2 लाख रुपये कर रहे हैं।

इलेक्टोरल फंडिग के संबंध कहा गया, इलेक्टोरल फंडिग क्लीन और ट्रांसपरेंट तरीके से हो, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया। वह चेक के माध्यम से हो, डिजिटल डोनेशन के माध्यम से हो, कैश डोनेशन केवल 2000 रुपये तक हो, इलेक्ट्रोरल बांड हो जो स्कीम के माध्यम से आएगा। मैं विशेष रूप से माननीय खड़गे जी से आग्रह करूंगा कि यह केवल एक पार्टी का विषय नहीं है। हम लोग जो भी स्कीम बनाएंगे, हम चाहेंगे कि जिसके भी सुझाव हों, चूंकि आप बड़ी पार्टी हैं इसलिए आप सुझाव औपचारिक रूप से भी दें तो स्कीम को बनाते समय हम उसे मद्देनजर रखना चाहेंगे। इलेक्टोरोल फंडिग एक

ऐसा विषय है जो सभी राजनीतिक दलों से संबंध रखता है। सभी राजनीतिक दल सिस्टम को क्लीन करने के लिए अपने सुझाव दें, यह अपने आप में आवश्यक होगा। व्यापारियों और प्रोफेशनल्स, जिस व्यापारी की टर्नओवर दो करोड़ रुपये है, उसको बुक्स ऑफ एकाउन्ट मेन्टेंन न करनी पड़े, अगर वह कैश में काम करता है तो उसकी इनकम 8 परसेंट मानी जाएगी, अगर चेक से काम करता है तो उसकी इनकम 6 परसेंट मानी जाएगी, इसमें प्रिजेम्पिटव टैक्स की व्यवस्था की गई है। जिन प्रोफेशन्लस की आमदनी 50 लाख रुपये की है, उनका 50 परसेंट खर्च और 50 परसेंट इनकम का नियम बनाया है ताकि इन लोगों को बुक्स ऑफ एकाउन्ट मेन्टेन करने से मुक्त किया जा सके। जो अमेंडेंट्स आई हैं, वह मूल अमेंडमेंट्स है। आज लगभग 40 ट्राइब्यूनल्स हैं जिसमें जज हेड होते हैं और सदस्य होते हैं, उसे हमने मर्ज किया है। उनकी कॉमन सर्विस कन्डीशन बना दी है ताकि सरकारी खजाने के ऊपर इसका बोझ कम हो और एफिशिएंसी बढ़े। आधार के संबंध में कहा गया कि इसे टैक्स के साथ मैनडेटरी क्यों किया गया? एक-एक व्यक्ति ने पांच-पांच पैन कार्ड बनाए हुए हैं। आपके पास दो पैन कार्ड होंगे क्योंकि उसके दो एन्टिटी होंगे। इस तरह के भी केसेज हैं जहां पांच-पांच पैन कार्ड बनाये हुए हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदया, अगर मैं आधार न बनाऊ तो दोनों पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे I am being forced. सुप्रीम कोर्ट ने र्वा 2015 से अभी तक अपना निर्णय नहीं दिया है। So you are forcing the citizen.

SHRI ARUN JAITLEY: Yes, we are.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: You are forcing the citizen of this country to have Aadhaar which is still being disputed in the Supreme Court. That is the point of concern.

श्री अरुण जेटली : अगर एक व्यक्ति पांच-पांच पैन कार्ड बना ले और उसको टैक्स इवेजन के लिए इस्तेमाल करे इसलिए उसके लिए आधार जरूरी माना है। इस देश में 98 परसेंट एडल्ट्स के पास आधार कार्ड हैं। आज 108 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड इश्यू हो चुके हैं। जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है, उसका पैन बेकार नहीं होगा। इसी में प्रावधान किया गया है कि वह अपना आधार नम्बर दे दे या यह कह दे कि मैंने उसके लिए एप्लाई किया हुआ है। अगर कोई जिद्द ठान ले कि मैं आधार कार्ड नहीं लूंगा और पांच-पांच पैन कार्ड बनाऊंगा, फिर टैक्स चोरी करूंगा, तो उस रास्ते की अनुमति हम नहीं देने वाले हैं। ...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Aadhaar is a benefit provided by the Government. सरकार जो बेनिफिट देना चाहती है, वह आधार के जरिये लोगों के पास पहुंचे। लोग इनकम टैक्स अपने आप सरकार को दे रहे हैं। इनकम के ऊपर जो टैक्स आता है, वह सरकार को दे रहे हैं। आप उसमें आधार को जोड़ने की बात कह रहे हैं। अगर कोई धांधली कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन पैन को डाउटफुल बनाकर आधार को उसमें जोड़ना ठीक नहीं लग रहा है।

श्री अरुण जेटली : यूनीक आइडेंटिटी की कल्पना यूपीए के जमाने में आयी। उसका एक स्वाभाविक लाभ हम लोगों ने भी स्वीकार किया और सरकार बनने के बाद औपचारिक रूप से हमने उसे स्वीकार किया। यह दूसरी बात है कि आपकी पार्टी उससे थोड़ा डिस्टेंस करने लग गयी। अगर वह टेक्नोलॉजी, जो केवल इस देश में उपलब्ध है और जिसका इतना बड़ा नेटवर्क है कि 108 करोड़ लोग उसे ले चुके हैं, इसमें 98 परसेंट एडल्ट पापुलेशन का कवर हो चुका है, लगभग हर टैक्स पेइंग हाउसहोल्ड उसमें इन्वाल्ड है। वह अपनी रिटर्न के साथ आधार नम्बर देगा, तो स्पष्ट आ जायेगा कि यह व्यक्ति फर्जी नाम से नहीं दे रहा, क्योंकि उसके बायोमीट्रिक्स आयेंगे। कोई दूसरा, तीसरा या चौथा रिटर्न फाइल नहीं करता। ऐसे उदाहरण आये हैं कि पांच-पांच पैन कार्ड एक व्यक्ति बना लेता है। इस प्रकार के फ्रॉड की गुंजाइश इससे कम होती है, तो उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इससे टैक्स इवेशन अपने आप कम होगा और टैक्स फ्रॉड्स अपने आप में कम होंगे। ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : जिन लोगों ने पांच-पांच पैन काड्र्स बनाये हैं, वह धांधली की गयी है और गलत तरीके से बनाये गये हैं। आपके पूरे तंत्र में अगर पैन कार्ड जाली बनता है और उसके खिलाफ अरेंजमैंट करने में आपको परेशानी है, तो फिर आधार कार्ड का भी गलत प्रयोग हो सकता है। जो साइंटिफिक तकनीक है, उसकी आप जांच करेंगे, but the concept behind UID was unique. आपको पच्चीस किस्म के काड्र्स, जैसे पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड आदि की जरूरत नहीं थी। आप एक ही नम्बर से यूनीक आधार करते। लेकिन वह नहीं हो रहा। यूआईडी मतलब आप यूनीक आइडेंटिटी नम्बर दीजिए और सब काम के लिए उसका प्रयोग कीजिए।

श्री अरुण जेटली : सलीम साहब, आपका सुझाव सच में ठीक है। एक स्टेज आ सकती है कि यूनीक आइडेंटिटी अपने आप में एकमात्र कार्ड हो जाये। दुनिया के देशों में ऐसी स्थिति है। सोशल सिक्योरिटी नम्बर अमेरिका में होता है। इसका काउंटर पार्ट है आधार कार्ड में मिसयूज होना, क्योंकि उसमें बायोमीट्रिक डिटेल्स हैं, आपका अंगूठा है, आंखें हैं, इसलिए उस टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। जब इस देश को जो लोग टेक्नोलॉजी के बेसिस पर सुझाव दे रहे थे, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को

डेवलप किया है, उन्होंने इतना बड़ा तंत्र इस देश के हाथ में दिया है। टैक्स इवेशन और फ्रॉड को रोकने के लिए उसका प्रयोग किया जाये, इसे लेकर हाहाकार होने की गुंजाइश कहां है? यह एंटी इवैशन मीज़र है और देश के हित में मीज़र है, इसलिए सरकार इस मीज़र को लागू करने के लिए अपने आप में ठीक मानती है।

अध्यक्ष जी, यही विषय इस फाइनेंस बिल में हैं। बाकी विषय बजट की डीबेट में आ चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने बहुत दीर्घ उत्तर दिया, लेकिन आपने बार-बार मार्टिन बुल, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा था, उसका उल्लेख करके आपने डिफेंस लिया। लेकिन दूसरे लोगों ने भी डिमॉनेटाइजेशन के डीमैरिट्स के बारे में लिखा है। इस बारे में आप चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने यहां पर कहा कि किसानों, मजदूरों, अनआर्गनाइज्ड वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और छोटे-मोटे व्यापारियों को इससे नुकसान हुआ है और यह एक इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा, बल्कि भारत के हर पेपर में लिखा गया है। रीसेंटली ऑस्ट्रेलिया के एक इकोनोमिस्ट ने इसके बारे में लिखा है, एक अन्य इकोनोमिस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। जैसे आप क्वोट कर रहे हैं, मैं भी दस-पन्द्रह नाम क्वोट कर सकता हूं।...(व्यवधान) जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आपको जोश कुछ ज्यादा होता है। वह नहीं रहते हैं, तब ऐसा नहीं होता है। ...(व्यवधान)

मैडम, मेरा कहना है कि जो गलत चीज है, आप बार-बार उसका समर्थन मत कीजिए। ऐसा होता है कि खाया, न पिया, गिलास तोड़ा बारह आने का।...(व्यवधान) डिमॉनेटाइजेशन से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। आपने इसे एक प्रेस्टिज इश्यू बना लिया है और इसके लिए आप हर चीज डिफेंड करते जा रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: मैडम, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पहला इश्यू उठाया था, वह एग्रीकल्चर इनकम को लेकर आया था। अगर आप इंटरनेट पर जाएं, जब आप इंटरनेट पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें लिखा जाता है - Other source of income नहीं, इसमें है - liability of agricultural income post amendment by Finance (No. 2) Act, 2014. इसमें दो चीजें हैं - net agriculture income exceeds Rs. 5,000 per annum and total income excluding net agriculture income exceeds Rs. 2,50,000. उसके बाद अगर कुछ एड होता है तो वह एक स्लैब में आ जाता है। इसमें कहा गया है कि first, include the Agricultural income while computing your Income Tax liability. Example, let us say that an individual

assessee has a total income of around Rs. 7,50,000 excluding agricultural income and a net agricultural income of around Rs. 1,00,000. Then, as per this step, tax shall be computed on Rs. 7,50,000 plus Rs. 1,00,000, that is, Rs. 8,50,000. Thus, Income Tax amount as per this step shall be Rs. 95,000. अगर इनकम साढ़े सात लाख रुपये तक होती तो यह 95,000 रुपये नहीं होगा। इसलिए मैं बार-बार यही कह रहा हूं कि वर्ष 2014 से, आपकी सरकार आने के बाद से एग्रीकल्चर इनकम को जोड़कर इनकम टैक्स लिया जा रहा है। जो बात आपने कही, we are not satisfied. We are not satisfied with the reply. Please convince us because this is the law today. आज जो लॉ है, यही है और यही कम्प्यूटर में फीड होता है, क्योंकि जब भी कोई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो ऐसा होता है।...(व्यवधान) यह एक ऐसी बात है, जिसके लिए we are not satisfied with the reply of the Finance Minister, Madam. We are walking out.

HON. SPEAKER: Okay.

17.18 hours

(At this stage, Shri Bhartruhari Mahtab and some other hon. Members left the House.)

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Madam, I will express sincere thanks to Shri Narendra Modi ji, hon. Prime Minister of India; Shri Arun Jatiley ji, hon. Minister of Finance; and all Union Council of Ministers for Cabinet approval for the special assistance measure for the State of Andhra Pradesh.

I would like to ask some specific questions with regard to the pending issues of AP Reorganization Act, 2014. My specific questions would be as follows. What are the specific reasons for delay in fulfilling the assurances made with regard to establishment of a separate Railway Zone at Visakhapatnam; setting-up a Steel Plant at Kadapa; development of new major port at Duggirajupatnam, Nellore; and increasing seats in AP Legislative Assembly as contained in the AP Reorganization Act, 2014? Has any time-line been fixed to fulfill all the assurances made in the AP Reorganization Act, 2014?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, माफ कीजिए, मैं बार-बार आपको तकलीफ दे रहा हूं।

मैडम, प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं, जेटली साहब यहां हैं, कृषि मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जैसे आपने उत्तर प्रदेश में किसानों के लोन वेवर की घोषणा की है, वैसी ही घोषणा सारे देश के किसानों के लोन को वेव करने के लिए कीजिए। जेटली साहब ऐसा कर सकते हैं। एक्साइज आदि चीजों में जेटली साहब को इतना पैसा मिला है और आपने खुद ही बोला है कि कम से कम दो लाख करोड़ रुपये आपको ज्यादा मिले हैं। आप इसकी घोषणा कीजिए। आज प्रधान मंत्री जी भी यहां हैं, सभी लोग यहां हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-18 be taken into consideration."

The motion was adopted.

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं कोई जबर्दस्ती कर सकती हूं क्या? I am sorry.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Income tax

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of section 2

Amendment made:

Page 6, *for* line 4, *substitute*-
'3. In section 2 of the Income-tax Act, -
(I) in clause (24), after sub-clause (xvii), the following sub-clause shall be inserted, namely: -
"(xviia) any sum of money or value of property referred to in clause (x) of sub-section (2) of section 56;";
(II) in clause (42A), -'. (16)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 3, as amended, was added to the Bill.

… (*Interruptions*)

Clause 4 Amendment of section 9

Amendment made:

Page 6, *for* lines 21 to 29, *substitute*-

'Amendment of section 9

4. In section 9 of the Income-tax Act, in sub-section (1), in clause (i), in *Explanation* 5,-
(i) the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2012, namely.-
"Provided that nothing contained in this *Explanation* shall apply to an asset or capital asset, which is held by a non-resident by way of investment, directly or indirectly, in a Foreign Institutional Investor as referred to in clause (a) of the *Explanation* to section 115AD for an assessment year commencing on or after the 1st day of April, 2012 but before the 1st day of April, 2015:";
(ii) after the first proviso as so inserted, the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2015, namely:-

"Provided further that nothing contained in this *Explanation* shall apply to an asset or capital asset, which is held by a non-resident by way of investment, directly or indirectly, in Category-I or Category-II foreign portfolio investor under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.". (17) 15 of 1992.'.

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 4, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 4, as amended, was added to the Bill.

… (*Interruptions*)

17.21 hours

(At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.)

Clauses 5 to 28 Amendment of section 9A,10, 10AA, 11, 12A, 12AA 13A, 23, 35AD, 36, 40A, 43, 43B, 43D, 44AA, 44AB, 44AD, 45, 47, 48, 49, 54CA, 54CC and 55

HON. SPEAKER: The question is:

"That clauses 5 to 28 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clauses 5 to 28 were added to the Bill.

Clause 29 Amendment of section 56

Amendment made:

Page 13,-
(i) in line 1, *after* "under", *insert* "section 12A or";
(ii) in line 7, *after* "section 47", *insert* "or";
(iii) *after* line 7, *insert*-
"(X) from an individual by a trust created or established solely for the benefit of relative of the individual.". (18)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 29, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 29, as amended, was added to the Bill.
Clauses 30 to 37 were added Bill.

Clause 38 Amendment of section 87A

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury – Not present.

The question is:

"That clause 38 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 38 was added to the Bill.

Clause 39 Amendment of section 90

Amendment made:

Page 14, in line 34, *for* "any explanation", *substitute* "explanation, if any,". (19)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 39, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 39, as amended, was added to the Bill.

Clause 40 Amendment of section 90A

Amendment made:

Page 14, in line 41, *for* "any explanation", *substitute* "explanation, if any,". (20)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 40, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 40, as amended, was added to the Bill.

Clauses 41 and 42 were added to the Bill.

Clause 43 Insertion of new section 94B

Amendment made:

Page 15, in line 29, *for* "pays interest or similar consideration", *substitute* "incurs any expenditure by way of interest or of similar nature". (21)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 43, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 43, as amended, was added to the Bill.

Clause 44 Amendment of section 115BBDA

Amendment made:

Page 16, in line 19, *after* “under”, *insert* “section 12A or”.
(22)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 44, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 44, as amended, was added to the Bill.

Clauses 45 and 46 were added to the Bill.

Clause 47 Amendment of section 115JB

Amendment made:

Page 18, in line 1, *omit* “equity component of compound financial instruments,”. (23)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 47, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 47, as amended, was added to the Bill.

Clauses 48 and 49 were added to the Bill.

Clause 50 Amendment of section 132

HON. SPEAKER: Amendment Nos. 1 to 5, Shri Tathagata Satpathy – Not present; Amendment Nos. 10 and 11, Shri Adhir Ranjan Chowdhury – Not present.

The question is:

"That clause 50 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 50 was added to the Bill.

Clause 51 Amendment of section 132A

HON. SPEAKER: Amendment No. 6, Shri Tathagata Satpathy – Not present; Amendment No. 12, Shri Adhir Ranjan Chowdhury -- Not present.

The question is:

"That clause 51 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 51 was added to the Bill.

Clauses 52 to 55 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 24 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 24 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 55A Insertion of new section 139AA

Amendment made:

"Page 20, *after* line 4, *insert*—

'Insertion of new section 139AA.	55A. After section 139A of the Income-tax Act, the following section shall be inserted, namely:-
Quoting of Aadhaar number	139AA. (1) Every person who is eligible to obtain Aadhaar number shall, on or after the 1st day of July, 2017, quote Aadhaar number— (i) in the application form for allotment of permanent account number; (ii) in the return of income: Provided that where the person does not possess the Aadhaar Number, the Enrolment ID of Aadhaar application form issued to him at the time of enrolment shall be quoted in the application for permanent account number or, as the case may be, in the return of income furnished by him. (2) Every person who has been allotted permanent account number as on the 1st day of July, 2017, and who is eligible to obtain Aadhaar number, shall intimate his Aadhaar number to such authority in such form and manner as may be prescribed, on or before a date to be notified by the Central Government in the Official Gazette:

	Provided that in case of failure to intimate the Aadhaar number, the permanent account number allotted to the person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply, as if the person had not applied for allotment of permanent account number. (3) The provisions of this section shall not apply to such person or class or classes of persons or any State or part of any State, as may be notified by the Central Government in this behalf, in the Official Gazette. *Explanation*.—For the purposes of this section, the expressions— (i) "Aadhaar number", "Enrolment" and "resident" shall have the same meanings respectively assigned to them in clauses (a), (m) and (v) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016; (ii) "Enrolment ID" means a 28 digit Enrolment Identification Number issued to a resident at the time of enrolment.'. (24)
18 of 2016	

(Shri Arun Jaitley)

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, we are opposed to this amendment No. 24. It makes Aadhaar Number compulsory for obtaining PAN Card. Earlier, our State Government had objected when Aadhaar was made compulsory. This is a draconian law. With all the forces at our command, we oppose this amendment moved by the Finance Minister. … (*Interruptions*)

17.28 hours

(At this stage, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members left the House.)

HON. SPEAKER: The question is:

"That new clause 55A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New Clause 55A was added to the Bill.

Clause 56 was added to the Bill.

Clause 57 Amendment of section 143

Amendment made:

Page 20, after *line* 27, *insert—*

'(c) in sub-section (3), for the portion beginning with the w*ords, "*On the day specified in the notice" and ending with the words, brackets and letters "issued under clause (ii) of", the words "On the day specified in the notice issued under" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of June, 2016.'.
(25)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 57, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 57, as amended, was added to the Bill.
Clauses 58 to 70 were added to the Bill.

Clause 71 Amendment of section 206G

Amendments made:

Page 23, *for* lines 50 to 54, *substitute –*

'(a) sub-section (1D) shall be *omitted;*

(b) sub-section (1E) shall be *omitted;*

(c) in sub-sections (2), (3), (3A) and sub-section (9), the words, brackets, figure and letter "or sub-section (1D)" wherever they occur, shall be *omitted;*

(d) in sub-section (6A), in the first proviso, the words, brackets, figure and letter ", other than a person referred to in sub-section (1D)," shall be *omitted;*

(e) in sub-section (7), in the proviso, the words, brackets, figure and letter ", other than a person referred to in sub-section (1D)," shall be *omitted*;'

(26)

Page 24, in line 1, *for* "(c)", *substitute* "(f)".

(27)

Page 24, *for* lines 3 and 4, *substitute* –

"(1) sub-clause (ii) shall be *omitted*;".

(28)

Page 24, *after* line 12, *insert* –

"(C) in clause (c), for the words, brackets, figures and letters "or sub section (1D) are sold or services referred to in sub-section (1D) are provided", the words "are sold" shall be *substituted*.".

(29)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 71, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 71, as amended, was added to the Bill.

Clauses 72 to 82 were added to the Bill.

Clause 83 Insertion of new section 269ST

Amendment made:

Page 26, line 39, *for* "three", *substitute* "two".

(30)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 83, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 83, as amended, was added to the Bill.

Clauses 84 to 105 were added to the Bill.

Clause 106 Amendment of section 127G

Amendments made:

Page 31, *for* lines 4-9, *substitute* –

"106. In the Customs Act, in section 127C, after sub-section (5), the following sub-section shall be *inserted*, namely: --".

(31)

Page 31, line 11, *omit* "may".

(32)

Page 31, lines 13-14, *omit* "or Principal Additional Director General of Revenue Intelligence or Additional Director General of Revenue Intelligence".

(33)

Page 31, lines 19-20, *omit* "or Principal Additional Director General of Revenue Intelligence or Additional Director General of Revenue Intelligence".

(34)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 106, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 106, as amended, was added to the Bill.

Clauses 107 to 116 were added to the Bill.

Clause 117 Amendment of section 32F

Amendments made:

Page 32, *for* lines 9-13, *substitute* –

"(i) in sub-section (1), the words, brackets and figure "sub-section (1) of shall be *omitted*;".

(35)

Page 32, lines 18-19, *omit* "or Principal Additional Director General of Central Excise Intelligence or Additional Director General of Central Excise Intelligence".

(36)

Page 32, lines 24-25, *omit* "or Principal Additional Director General of Central Excise Intelligence or Additional Director General of Central Excise Intelligence".

(37)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 117, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 117, as amended, was added to the Bill.

Clauses 118 to 126 were added to the Bill.

Clause 127 Insertion of new sections 104 and 105

Amendment made:

Page 33, line 23, *for* "2016", *substitute* "2017".

(38)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 127, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 127, as amended, was added to the Bill.

Clauses 128 to 136 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 39 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 39 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 136A

Amendment made:

Page 34,	*after* line 39, *insert* --	Insertion of new Part IV-A in Chapter VI

'PART IV-A

AMENDMENT TO THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) ACT, 1956

Amendment of section 23J	**136A.** In the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, in section 23J, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -- "*Explanation,* -- For the removal of doubts, it is clarified that the power of an	42 of 1956.	136A (NEW)

	adjudicating officer to adjudge the quantum of penalty under sections 23A to 23C shall be and shall always be deemed to have been exercised under the provisions of this section.".'.	

HON. SPEAKER: The question is:

"That new clause 136A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause 136A was added to the Bill.

Clauses 137 to 144 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 40 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 40 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 144A

Amendment made:

40. *Page 36, after line 3, insert—* 144A (New)

Amendment of Section 15 J	'144A. In section 15J of the principal Act, the following *Explanation* shall be inserted, namely:- "*Explanation.*—For the removal of doubts, it is clarified that the power of an adjudicating officer to adjudge the quantum of penalty under sections 15A to 15E, clauses (b) and (c) of section 15F, I5G, 15H and 151—IA shall be and shall always be deemed to have been exercised under the provisions of this section.".'.

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

> "That new clause 144A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause 144A was added to the Bill.

Clause 145 was added to the Bill

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 41 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 41 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 145A

Amendment made:

41. *Page 38, after line 32, insert—* Insertion of new Part VII- A in Chapter VI.

'PART VII-A

AMENDMENT TO THE DEPOSITORIES ACT, 1996

Amendment of section 19-I.	145A. In the Depositories Act, 1996, in section 19-I, the following *Explanation* shall be inserted, namely:— *22 of 1956.*	145A (New)
	"Explanation.— For the removal of doubts, it is clarified that the power of an adjudicating officer to adjudge the quantum of penalty under sections 19A to 19F shall be and shall always be deemed to have been exercised under the provisions of this section.".'.	

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That new clause 145A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause 145A was added to the Bill.

Clauses 146 to 149 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its

application to the Government amendment No. 42 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 42 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 149A

Amendment made:

42. *Page 39, after line 12, insert—* Insertion of New Part in Chapter VI.

''PART IXA
AMENDMENTS TO THE COMPANIES ACT, 2013

Amendment of Act 18 of 2013

149A. In the Companies Act, 2013, in section 182— Amendment of section 182

(i) in sub-section (1),—

(a) first proviso shall be *omitted*;

(b) in the second proviso, —

149A (New)

(A) the word "further" shall be *omitted*;

(B) the words "and the acceptance" shall be omitted;

(ii) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) Every company shall disclose in its profit and loss account the total amount contributed by it under this section during the financial year to which the account relates.

(3A) Notwithstanding anything contained in subsection (1), the contribution under this section shall not be made except by an account payee cheque drawn on a bank or an account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account:

> Provided that a company may make contribution through any instrument, issued pursuant to any scheme notified under any law for the time being in force, for contribution to the political parties.".

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

> "That new clause 149A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause 149A was added to the Bill.

Clause 150 was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clauses to which it relates, in its application to the Government amendment No. 43 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clauses to which it relates, in its application to the Government amendment No. 43 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clauses 151 to 184

Amendment made:

43. *Page 39, after line 20, insert—* New Part

'PART XI
AMENDMENTS TO CERTAIN ACTS TO PROVIDE FOR MERGER OF TRIBUNALS AND OTHER AUTHORITIES AND CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRPERSONS, MEMBERS, ETC.

A.— PRELIMINARY

Commencement of this Part. 151. The provisions of this Part shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Part and any reference in any provision to the commencement of this Part shall be construed as a reference to the coming into force of that provision. 151(New)

Definitions. 152. In this Part, unless the context otherwise requires,— 152 (New)

(a) "appointed day", in relation to any provision of this Part, means such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;
(b) "Authority" means the Authority, other than Tribunals and Appellate Tribunals, specified in the Eighth Schedule or Ninth Schedule, as the case may be;
(c) "notification" means a notification published in the Official Gazette;
(d) "Schedule" means the Eighth Schedule and Ninth Schedule appended to this Act.

B.—AMENDMENTS TO THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

AND THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1952.

Amendment of Act 14 of 1947.

153. In the Industrial Disputes Act, 1947,— 153 (New)

(a) in section 7A, *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(1A) The Industrial Tribunal constituted by the Central Government under sub-section (1) shall also exercise, on and from the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, the jurisdiction, powers and authority conferred on the Tribunal referred to in section 7D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952."; 19 of 1952

(b) *after* section 7C, the following section shall be *inserted*, namely:—

Qualifications, terms and conditions of service of Presiding Officer.

"7D. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation and removal and other terms and conditions of service of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal appointed by the Central Government under subsection (1) of section 7A, shall, after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, be governed by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the Presiding Officer appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come

	into force.".	
Amendment of Act 19 of 1952.	154. In the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952,— (a) in section 2, for clause (m), the following clause shall be substituted, namely:— '(m) "Tribunal" means the Industrial Tribunal referred to in section 7 D;'; (b) for section 7D, the following section shall be substituted, namely:—	154 (New)
Tribunal.	"7D. The Industrial Tribunal constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 shall, on and from the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, be the Tribunal for the purposes of this Act and the said Tribunal shall exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under this Act.",; (c) sections 7E, 7F, 7G ,7H, 7M and 7N shall be omitted; (d) for section 18A, the following section shall be substituted, namely:—	14 of 1947
Authorities and inspector to be public servant.	"18A.The authorities referred to in section 7A and every inspector shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code."; (e) in section 21, in sub-section (2), clause (a) shall be omitted.	45 of 1860
	C.—AMENDMENTS TO THE COPYRIGHT ACT, 1957 AND THE TRADE MARKS ACT, 1999.	
Amendment of Act 14 of 1957.	155. In the Copy Right Act, 1957,— (a) for the words "Copyright Board", wherever they occur, the words "Appellate Board" shall be substituted; (b) in section 2, after clause (a), the following clause shall be inserted,	155 (New)

namely:—
'(aa) "Appellate Board" means the Appellate Board referred to in section 11';
(c) for section 11, the following section shall be substituted, namely:—

Appellate Board.

"11. The Appellate Board established under section 83 of the Trade Marks Act, 1999 shall, on and from the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, be the Appellate Board for the purposes of this Act and the said Appellate Board shall exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under this Act."; 47 of 1999

(d) in section 12, sub-sections (3) and (4) shall be *omitted*;
(e) in section 78, in sub-section (2), clause (a) shall be *omitted*.".

Amendment of Act 47 of 1999.

156. In the Trade Marks Act, 1999,– 156 (New)
(a) for the word "Chairman" or "Vice-Chairman", wherever it occurs, the word "Chairperson" or "Vice-Chairperson" shall be *substituted*;
(b) in section 83, after the words "under this Act", the words and figures "and under the Copyright Act, 1957" shall be *inserted*; 14 of 1957
(c) after section 89, the following section shall be *inserted*, namely:—

Qualifications, terms and conditions of service of Chairperson, Vice Chairperson and Member.

"89A. Notwithstanding anything in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and other terms and conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Appellate Board appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act:
Provided that the Chairperson, Vice-

Chairperson and other Members appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017, had not come into force.".

D.—AMENDMENTS TO THE RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL ACT, 1987 AND THE RAILWAYS ACT, 1989.

Amendment of Act 54 of 1987

157. In the Railway Claims Tribunal Act 1987,— 157 (New)

(a) in section 3, after the words "under this Act", the words, letters and figures "and under Chapter VII of the Railways Act,1989" shall be inserted; 24 of 1989

(b) after section 9, the following section shall be substituted, namely:—

Qualifications, terms and conditions of service of Chairman, Vice Chairman and Member.

"9A. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and other terms and conditions of service of the Chairman, Vice-Chairman and other Members of the Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the Chairman, Vice-Chairman and Members appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017, had not come into force.";

(c) in section 13, after sub-section (IA), the

following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1B) The Claims Tribunal shall also exercise, on and from the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, the jurisdiction, powers and authority conferred on the Tribunal under Chapter VII of the Railways Act,1989."; 24 of 1989

(d) in section 15, for the words, brackets, figures and letter "sub-sections (1) and (1A)", the words, brackets, figures and letters "sub-sections (1), (1A) and (1B)" shall be substituted;

(e) in section 24, in sub-section (1), for the words, brackets, figure and letter "or, as the case may be, the date of commencement of the provisions of sub-section (1A)", at both the places where they occur, the words, brackets, figures and letters "or the date of commencement of the provisions of sub-section (1A), or, as the case may be, the date of commencement of the provisions of sub-section (1B)" shall be substituted.

Amendment of Act 24 of 1989.

158. In the Railways Act, 1989,— 158 (New)

(a) in section 2, for clause (40), the following clause shall be *substituted*, namely:— 24 of 1989

'(40) "Tribunal" means the Tribunal referred to in section 33;';

(b) in Chapter VII, for the heading, the following heading shall be *substituted,* namely:—

"TRIBUNAL";

(c) for section 33, the following section shall be *substituted*, namely:—

Tribunal.

"33. The Railway Claims Tribunal established under section 3 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 shall, on and from the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, be the Tribunal for the purposes of this Act 54 of 1987

and the said Tribunal shall exercise the jurisdiction, authority and powers conferred on it by or under this Act.";

(d) sections 34 and 35 shall be *omitted*;

(e) in section 48, in sub-section (2), clause (a) shall be *omitted*.

E.—AMENDMENTS TO THE SMUGGLERS AND FOREIGN EXCHANGE MANIPULATORS (FORFEITURE OF PROPERTY) ACT, 1976 AND THE FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT, 1999.

Amendment of Act 13 of 1976.

159. In the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976,— 159 (New)

(a) in section 12, in sub-section (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) by the Adjudicating Authorities, Competent Authorities and the Qualifications, Special Director (Appeals) under the Foreign Exchange Management Act, 1999."; 42 of 1999

(b) after section 12, the following section shall be inserted, namely:—

Qualifications, terms and conditions of service of Chairperson and Member.

"12A. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the other terms and conditions of service of the Chairperson and other members of the Appellate Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the Chairperson and other members appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and

the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.".

Amendment of Act 42 of 1999.

160. In the Foreign Exchange Management Act, 1999,— 160 (New)

(a) in section 2,—

(i) for clause (b), the following clause shall be *substituted*, namely:—

'(b) "Appellate Tribunal" means the Appellate Tribunal referred to in section 18;';

(ii) in clause (zc), for the word and figures "section 18", the word and figures "section 17" shall be *substituted*;

(b) for section 18, the following section shall be *substituted*, namely:—

Appellate Tribunal.

"18. The Appellate Tribunal constituted under sub-section (1) of section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976, shall, on and from the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, be the Appellate Tribunal for the purposes of this Act and the said Appellate Tribunal shall exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under this Act."; 13 of 1976

(c) section 20 shall be *omitted*;

(d) for section 21, the following section shall be *substituted*, namely:—

Qualifications for appointment of Special Director (Appeals).

"21. A person shall not be qualified for appointment as a Special Director (Appeals) unless he—

(a) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade I of that Service; or

(b) has been a member of the Indian Revenue Service and has held a post equivalent to a Joint Secretary to the Government of India.";

(e) section 22 shall be *omitted*;

(f) for section 23, the following section shall be *substituted*, namely:—

Terms and conditions of service of Special Director (Appeals).

"23. The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the Special Director (Appeals) shall be such as may be prescribed.";

(g) sections 24, 25 and 26 shall be *omitted*;

(h) for section 27, the following section shall be *substituted*, namely:—

Staff of Special Director (Appeals).

"27. (1) The Central Government shall provide the office of the Special Director (Appeals) with such officers and employees as it may deem fit.

(2) The officers and employees of the office of the Special Director (Appeals) shall discharge their functions under the general superintendence of the Special Director (Appeals).

(3) The salaries and allowances and other terms and conditions of service of the officers and employees of the office of the Special Director (Appeals) shall be such as may be prescribed.";

(i) sections 29, 30 and 31 shall be *omitted*;

(j) in section 32,—

(i) for the words and brackets "Appellate Tribunal or the Special Director (Appeals), as the case may be", at both the places where they occur, the words and brackets "Special Director (Appeals)" shall be *substituted*;

(ii) in sub-section (1), for the words and brackets "Appellate Tribunal or the Special Director (Appeals)", the words and brackets "Special Director (Appeals)" shall be *substituted*;

(k) for section 33, the following section shall be *substituted*, namely:—

Officers and

"33. The Adjudicating Authority,

employees, etc. to be public servant. Competent Authority and the Special Director (Appeals) and other officers and employees of the Special Director (Appeals) shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code."; 45 of 1860

(1) in section 46, in sub-section (2),—

(i) in clause (e), for the words and brackets "Chairperson and other Members of the Appellate Tribunal and the Special Director (Appeals)", the words and brackets "Special Director (Appeals)" shall be substituted;

(ii) in clause (f), for the words and brackets "Appellate Tribunal and the office of the Special Director (Appeals)", the words and brackets "office of the Special Director (Appeals)" shall be substituted.

F.—AMENDMENTS TO THE AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA ACT, 1994 AND THE CONTROL OF NATIONAL HIGHWAYS (LAND AND TRAFFIC) ACT, 2002.

Amendment of Act 55 of 1994. 161. In the Airports Authority of India Act, 1994,— 161 (New)

(a) in section 28-I, in sub-section (1), after the words "under this Act", the words, brackets and figures "and the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002" shall be *inserted*; 13 of 2003

(b) after section 28J, the following section shall be *inserted*, namely:—

Qualifications, terms and conditions of service of Chairperson. "28JA. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the other terms and conditions of service of the Chairperson of the Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179

of that Act:

Provided that the Chairperson appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.".

Amendment of Act 13 of 2003.

162. In the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002,—

(a) in section 2, for clause (1), the following clause shall be *substituted*, namely:—

' (1) "Tribunal" means the Airport Appellate Tribunal referred to in sub section (1) of section 5;';

(b) in Chapter II, for the heading, the following heading shall be *substituted*, namely:—

"HIGHWAYS ADMINISTRATION AND TRIBUNALS, ETC.";

(c) in section 5,—

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) The Airport Appellate Tribunal established under section 284 of the Airports Authority of India Act, 1994 shall, on and from the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, be the Tribunal for the purposes of this Act and the said Tribunal shall exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under this Act."; 55 of 1994.

(ii) in sub-section (2), for the words, brackets and figure "shall also specify, in the notification referred to in sub-section (1)", the words "shall specify, by notification in the Official Gazette", shall be *substituted*;.

(d) sections 6,7,8,9,10,11,12 and 13 shall be *omitted*;

(e) for section 44, the following section shall be *substituted*, namely:—

Officers of Highways Administration to be public servant.

"44. The officer or officers constituting the Highways Administration and any other officer authorized by such Administration under this Act, shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code."; 45 of 1860

(f) in section 45, for the words "the Presiding Officer of the Tribunal or any other officer of the Central Government or an officer or employee of the Tribunal", the words "any other officer of the Central Government" shall be *substituted*;

(g) in section 50, in sub-section (2), clauses (b), (c), (d) and (e) shall be *omitted*.

G.—AMENDMENTS TO THE TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA ACT, 1997, THE INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 AND THE AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA ACT, 2008.

Amendment of Act 24 of 1997.

163. In the Telecom Regulatory Authority of India Act,1997,— 163 (New)

(a) in section 14, after clause (b), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(c) exercise jurisdiction, powers and authority conferred on— 21 of 2000

(i) the Appellate Tribunal under the Information Technology Qualifications, Act, 2000; and 27 of 2008

(ii) the Appellate Tribunal under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008.";

(b) after section 14G, the following section shall be *substituted*, namely:—

Qualifications, terms and conditions of service of Chairperson and Member.

"14GA. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the other terms and conditions of service of the Chairperson and other Members of the Appellate Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the Chairperson and Member appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.".

Amendment of Act 21 of 2000.

164. In the Information Technology Act, 2000,— 164 (New)

(a) for the words "Cyber Appellate Tribunal", wherever they occur, the words "Appellate Tribunal" shall be substituted;

(b) in section 2, in sub-section (1),—

(i) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

' (da) "Appellate Tribunal" means the Appellate Tribunal referred to in sub-section (1) of section 48;';

(ii) clause (n) shall be omitted;

(c) in section 48,—

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Appellate Tribunal";

(ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal established under section 14 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 shall, on and from the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, be the Appellate Tribunal for the purposes of this Act and the said Appellate Tribunal shall exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under this Act.". 24 of 1997

(iii) in sub-section (2), for the words, brackets and figure "shall also specify, in the notification referred io in sub-section (1)", the words "shall specify, by notification" shall be substituted;

(d) sections 49, 50, 51, 52, 52A, 52B, 52C, 53, 54 and 56, shall be omitted;

(e) for section 82, the following section shall be substituted, namely:—

Controller, Deputy Controller and Assistant Controller to be public servants.

"82.The Controller, the Deputy Controller and the Assistant Controllers shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code."; 45 of 1860

(f) in section 84, for the words "the Chairperson, Members, adjudicating officers and the staff of the Cyber Appellate Tribunal", the words "and adjudicating officers" shall be *substituted*;

(g) in section 87, in sub-section (2), clauses (r), (s) and (t) shall be *omitted*.

Amendment of Act 27 of 2008.

165. In the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008,— 165 (New)

(a) in the long title, the words "and also to establish Appellate Tribunal to adjudicate disputes and dispose of appeals" shall be omitted;

(b) in section 2, for clause (d), the following clause shall be *substituted*, namely:—

'(d) "Appellate Tribunal" means the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal referred to in section 17;';

(c) in section 17,—

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be *substituted*, namely:—

"APPELLATE TRIBUNAL"

24 of 1997

(ii) for the portion beginning with the words "The Central Government" and ending with words "Appellate Tribunal", the words and figures "The Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal established under section 14 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 shall, on and from the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, be the Appellate Tribunal for the purposes of this Act and the said Appellate Tribunal shall exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under this Act" shall be *substituted*;

(d) sections 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27 shall be *omitted*;

(e) in section 51, in sub-section (2), clauses (i), (j) and (k) shall be *omitted.*

H.—AMENDMENTS TO THE COMPETITION ACT, 2002 AND THE COMPANIES ACT, 2013.

Amendment of Act 12 of 2003.

166. In the Competition Act, 2002,— 166 (New)

(a) in section 2, for clause (ba), the following clause shall be *substituted,* namely:—

'(ba) "Appellate Tribunal" means the National Company Law Appellate Tribunal referred to in sub-section (1) of section 53A;';

(b) in Chapter VIIIA, for the heading, the

following heading shall be *substituted*, namely:—

"APPELLATE TRIBUNAL";

(c) for section 53A, the following section shall be *substituted*, namely:—

Appellate Tribunal.

"53A. The National Company Law Appellate Tribunal constituted under section 410 of the Companies Act, 2013 shall, on and from the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, be the Appellate Tribunal for the purposes of this Act and the said Appellate Tribunal shall— 18 of 2013

(a) hear and dispose of appeals against any direction issued or decision made or order passed by the Commission under sub-sections (2) and (6) of section 26, section 27, section 28, section 31, section 32, section 33, section 38, section 39, section 43, section 43A, section 44, section 45 or section 46 of this Act; and

(b) adjudicate on claim for compensation that may arise from the findings of the Commission or the orders of the Appellate Tribunal in an appeal against any finding of the Commission or under section 42A or under sub-section (2) of section 53Q of this Act, and pass orders for the recovery of compensation under section 53N of this Act.";

(d) sections 53C, 53D, 53E, 53F, 53G, 53H, 53-I, 53J, 53K, 53L, 53M and 53R shall be *omitted*;

(e) in section 63, in sub-section (2), clauses (mb), (mc) and (md) shall be *omitted*.

Amendment of Act 18 of 2013.

167. In the Companies Act, 2013,— 167 (New)

(a) in section 410, for the words "for hearing appeals against the orders of the Tribunal", the terms and following shall be substituted, conditions of namely:—

"for hearing appeals against,—

(a) the order of the Tribunal under this Act; and 12 of 2003

(b) any direction, decision or order referred to in section 53N of the Competition Act, 2002 in accordance with the provisions of that Act.";

(b) after section 417, the following section shall be inserted, namely: —

Qualifications, terms and conditions of service of Chairperson and Members.

"417A. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and other terms and conditions of service of the Chairperson and other Members of the Appellate Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the Chairperson and Member appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.".

I.—AMENDMENT TO THE CINEMATOGRAPH ACT, 1952

Amendment of Act 37 of 1952.

168. In the Cinematograph Act, 1952, after section 5D, the following 1952. section shall be *inserted*, namely:— 168 (New)

Qualifications, terms and conditions of service of Chairman and Members.

"5E. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the other terms and conditions of service of the Chairman and other members of the Appellate Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed

by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the Chairman and member appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.".

J.—AMENDMENTS TO THE INCOME-TAX ACT, 1961

Amendment of Act 43 of 1961.

169. In the Income Tax Act, 1962,— 169 (New)

(a) after section 245-O, the following section shall be *inserted*, namely:—

Qualifications, terms and conditions of service of Chairman, Vice Chairman and Members.

"245-OA. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the other terms and conditions of service of the Chairman, Vice-Chairman and other Members of the Authority appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the Chairman, Vice-Chairman and Member appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.";

(b) after section 252, the following section shall be *inserted*, namely:—

Qualifications, terms and conditions of

"252A. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and

service of President, Vice President and Member.	allowances, resignation, removal and the other terms and conditions of service of the President, Vice-President and other Members of the Appellate Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act: Provided that the President, Vice-President and Member appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.";	
	K.—AMENDMENT TO THE CUSTOMS ACT, 1962	
Amendment of Act 52 of 1962.	170. In the Customs Act, 1962, in section 129, after sub-section (6), the following sub-section shall be *inserted*, namely:— "(7) Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the other terms and conditions of service of the President, Vice-President or other Members of the Appellate Tribunal appointed after the commencement of Part X1 of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act: Provided that the President. Vice-President and Member appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the	170 (New)

provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.".

L.—AMENDMENT TO THE ADMINISTRATIVE TRIBUNALS ACT, 1985

Amendment of Act 13 of 1985.	171. In the Administrative Tribunals Act, 1985, after section 10A, the following section shall be *inserted*, namely:—	171 (New)
Qualifications, terms and conditions of service of Chairman and Member.	"10B. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the other terms and conditions of service of the Chairman and other Members of the Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act: Provided that the Chairman and Member appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.".	

M—AMENDMENT TO THE CONSUMER PROTECTION ACT, 1986

Amendment of Act 68 of 1986.	172. In the Consumer Protection Act, 1986, after section 22D, the following section shall be *inserted*, namely:—	172 (New)
Qualifications, terms and conditions of service of President and	"22E. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the other terms and conditions of service of the	

member.

President and other members of the National Commission appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the President and member appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.".

N.—AMENDMENT TO THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ACT, 1992

Amendment of Act 15 of 1992.

173. In the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, after section 15Q, the following section shall be inserted, namely:— 173 (New)

Qualifications, terms and conditions of service of Presiding Officer and Member.

"15QA. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the other Member, terms and conditions of service of the Presiding Officer and other Members of the Appellate Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the Presiding Officer and Member appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance

Act, 2017 had not come into force.".

O.—AMENDMENTS TO THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1993

Amendment of Act 51 of 1993.

174. In the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993,— 174 (New)

(a) after section 6, the following section shall be *inserted*, namely:—

Qualifications, terms and conditions of service of Presiding Officer.

"6A. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the other terms and conditions of service of the Presiding Officer of the Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the Presiding Officer appointed before the terms and commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.";

(b) after section 15, the following section shall be *inserted*, namely:—

Qualifications, terms and conditions of service of Chairperson.

"15A. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the terms and conditions of service of the Chairperson of the Appellate Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that

Act:

Provided that the Chairperson appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.".

P.—AMENDMENT TO THE ELECTRICITY ACT, 2003

Amendment of Act 36 of 2003.

175. In the Electricity Act, 2003, after section 117, the following section shall be *inserted*, namely:— 175 (New)

Qualifications, terms and conditions of service of Chairperson and Member.

"117A. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the other terms and conditions of service of the Chairperson and other Members of the Appellate Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the Chairperson and Member appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.".

Q.—AMENDMENT TO THE ARMED FORCES TRIBUNAL ACT, 2007

Amendment of Act 55 of 2007.

176. In the Armed Force Tribunal Act, 2007, after section 9, the following section 176 (New)

shall be *inserted*, namely:

Qualifications, terms and conditions of service of Chairperson and Member.

"9A. Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and terms and conditions of service of the Chairperson and other Members of the Appellate Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the Chairperson and Member appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.".

R.—AMENDMENT TO THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010

Amendment of Act 19 of 2010.

177. In the National Green Tribunal I 77 Act, 2010, after section 10, the following section shall be *inserted*, namely:— 177 (New)

Qualifications, terms and conditions of service of Chairperson, Judicial Member and Expert Member.

"10A.Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and other terms and conditions of service of the Chairperson, Judicial Member and Expert Member of the Tribunal appointed after the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall be governed by the provisions of section 179 of that Act:

Provided that the Chairperson, Judicial

Member and Expert Member appointed before the commencement of Part XI of Chapter VI of the Finance Act, 2017, shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the provisions of section 179 of the Finance Act, 2017 had not come into force.".

S.—CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF TRIBUNALS, APPELLATE TRIBUNALS AND OTHER AUTHORITIES

Application of section 179.	178. Notwithstanding anything to the contrary contained in the provisions of the Acts specified in column (3) of the Eighth Schedule, on and from the appointed day, provisions of section 179 shall apply to - the Chairperson,-Vice-Chairperson, Chairman, Vice- Chairman, President, Vice President, Presiding Officer or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, other Authorities as specified in column (2) of the said Schedule: Provided that the provisions of section 179 shall not apply to the Chairperson, Vice-Chairperson, Chairman, Vice-Chairman, President, Vice President, Presiding Officer or, as the case may be, Member holding such office as such immediately before the appointed day.	178 (New)
Qualifications, appointment, term and conditions of service, salary and allowances, etc. of Chairperson,	179. (1) The Central Government may, by notification, make rules to provide for qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and the other terms and conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson, Chairman, Vice Chairman, President, Vice-President, Presiding	179 (New)

Vice Chairperson, and Members etc., of the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities.

Officer or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, other Authorities as specified in column (2) of the Eighth other Schedule:

Provided that the Chairperson, Vice-Chairperson, Chairman, Vice-Chairman, President, Vice President, Presiding Officer or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or other Authority shall hold office for such term as-specified in the rules made by the Central Government but not exceeding five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment:

Provided further that no Chairperson, Vice Chairperson, Chairman, Vice-Chairman, President, Vice-President, Presiding Officer or Member shall hold office as such after he has attained such age as specified in the rules made by the Central Government which shall not exceed,—

(a) in the case of Chairperson, Chairman or President, the age of seventy years;

(b) in the case of Vice-Chairperson, Vice-Chairman, Vice-President, Presiding Officer or any other Member, the age of sixty-seven years:

(2) Neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of Chairperson, Vice-Chairperson, Chairman, Vice-Chairman, President, Vice-President, Presiding Officer or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, other Authority may be varied to his disadvantage after his appointment.

T.—MISCELLANEOUS

Transitional provisions.

180. (1) Any person appointed as the Chairperson or Chairman, President or Vice-Chairperson or Vice-Chairman, Vice- 180 (New)

President or Presiding Officer or Member of the Tribunals, Appellate Tribunals, or as the case may be, other Authorities specified in column (2) of the Ninth Schedule and holding office as such immediately before the appointed day, shall on and from the appointed day, cease to hold such office and such Chairperson or Chairman, President, Vice-Chairperson or Vice Chairman, Vice-President or Presiding officer or Member shall be entitled to claim compensation not exceeding three months' pay and allowances for the premature termination of term of their office or of any contract of service.

(2) The officers and other employees of the Tribunals, Appellate Tribunals and other Authorities specified in column (2) of the Ninth Schedule appointed on deputation, before the appointed day, shall, on and from the appointed day, stand reverted to their parent cadre, Ministry or Department.

(3) Every officer or other employee of the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities specified in column (2) of the Ninth Schedule employed on regular basis, by such Tribunal, Appellate Tribunal or other Authorities shall become, on and from the appointed day, the officer and other employee, of the corresponding Tribunal, Appellate Tribunal or other Authorities specified in column (3) of the said Schedule with same rights and privileges as to pension, gratuity and other like benefits as would have been admissible to him if he had continued to serve the Tribunal, Appellate Tribunal or other Authorities specified in column (2) of the said Schedule until his employment is duly terminated or until his remuneration, terms and conditions of employment are duly altered by such corresponding

Tribunal, Appellate Tribunal or other Authorities, as the case may be, specified in column (3) of the Ninth Schedule or until the expiry of a period of one year from the appointed day if such officer or other employee opts not to continue to be the officer or other employee of such Tribunal, Appellate Tribunal or other Authorities within such period.

(4) Any appeal, application or proceeding pending before the Tribunal, Appellate Tribunal or other Authorities specified in column (2) of the Ninth Schedule, before the appointed day, shall stand transferred to the corresponding Tribunal, Appellate Tribunal or other Authorities specified in column (3) of the said Schedule and the said Tribunal, Appellate Tribunal or other Authority shall, on and from the appointed day, deal with de novo or from the stage at which such appeal, application or proceeding stood before the date of their transfer and shall dispose them in accordance with the provisions of the Act specified in column (2) of the said Schedule.

(5) The balance of all monies received by, or advanced to the Tribunal, Appellate Tribunal or other Authorities specified in column (2) of the Ninth Schedule and not spent by it before the appointed day, shall, on and from the appointed day, stand transferred to an vest in the Central Government which shall be utilized for the purposes stated in sub-section (7).

(6) All property of whatever kind owned by, or vested in, the Tribunal, Appellate Tribunal or other Authorities specified in column (2) of the Ninth Schedule before the appointed day, shall stand transferred to, on and from the appointed day, and

	shall vest in the Central Government. (7) All liabilities and obligations of whatever kind incurred by the Tribunal, Appellate Tribunal or other Authorities specified in column (2) of the Ninth Schedule and subsisting immediately before the appointed day, shall, on and from the appointed day, be deemed to be the liabilities or obligations, as the case may be, of the corresponding Tribunal, Appellate Tribunal or other Authorities specified in column (3) of the Ninth Schedule; and any proceeding or cause of action, pending or existing immediately before the appointed day by or against the Tribunal, Appellate Tribunal or other Authorities specified in column (2) of the Ninth Schedule in relation to such liability or obligation may, on and from the appointed day, be continued or enforced by or against the corresponding Tribunal, Appellate Tribunal or other Authority specified in column (3) of the Ninth Schedule.	
General Power to make rules.	181. Without prejudice to any other power to make rules contained elsewhere in this Part, the Central Government may, by notification, make rules generally to carry out the provisions of this Part.	181 (New)
Power to amend Eighth Schedule.	182. (1) If the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may by notification published in the Official Gazette, amend the Eighth Schedule and thereupon the said Schedule shall be deemed to have been amended accordingly. (2) A copy of every notification issued under subsection (1) shall be laid before each House of Parliament as soon as may be after it is issued.	182 (New)

Rules to be laid before Parliament.	183. Every rule made under this Part shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.	183 (New)
Removal of difficulties.	184. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Part, the Central Government, may by general or special order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Part as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of three years from the appointed day. (3) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each Houses of Parliament.'.	184 (New)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That new clauses 151 to 184 be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clauses 151 to 184 were added to the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आपके स्कूल में भी इतनी उठक-बैठक नहीं हुई होगी।

FIRST SCHEDULE

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury-- not present.

The question is:

"That the First Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

First Schedule was added to the Bill.

SECOND SCHEDULE

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker Madam, I beg to move:

Page 51, *after* line 3,- Second Schedule

insert "(c) In Chapter 8, for the entry in column 4 occurring against tariff item 08013100, the entry 'Nil' shall be substituted."

Madam, you may please take two minutes' rest.

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचंद्रन जी, आपने बहुत अच्छे से बोला है, अब दोबारा क्यों बोल रहे हो।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, this is entirely a different issue. My amendment is in respect of imposition of import duty on raw cashewnuts. My point is that till 2015-16, no import duty was imposed on raw cashewnut, considering it as a traditional industry providing employment to more than 10 lakh workers. Out of these 10 lakh workers, 90 per cent are women belonging to the

socially and economically backward classes; 60 per cent of the processing industry is closed. Many hon. Members of Parliament including BJP delegations and leaders like Shri Yeddyurappa have come to you regarding this issue. My appeal to the hon. Finance Minister as well as the hon. Prime Minister is to kindly withdraw import duty on raw cashewnut for which I am moving this amendment. Please accept this amendment and create a new precedent.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 7 to the Second Schedule moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

माननीय अध्यक्ष : काजू नहीं खाना चाहते।

The question is:

"That the Second Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Second Schedule was added to the Bill.
Third to Seventh Schedules were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the Schedules to which it relates, in its application to the Government amendment No. 44 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the Schedules to which it relates, in its application to the Government amendment No. 44 to the Finance Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

NEW SCHEDULES 8 AND 9

Amendment made
Page 57, after line 11, insert—

Eighth Schedule (New)

‘‘THE EIGHTH SCHEDULE”
[See sections 178 and 179]

S. No	Tribunal/Appellate Tribunal/Board/Authority	Acts
(1)	(2)	(3)
1.	Industrial Tribunal constituted by the Central Government	The Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947)
2.	Income —Tax Appellate Tribunal	Income —Tax Act, 1961 (43 of 1961)
3.	Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal	The Customs Act, 1962 (52 of 1962)
4.	Appellate Tribunal	The Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property Act, 1976 (13 of 1976)
5.	Central Administrative Tribunal	The Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985)
6.	Railway Claims Tribunal	The Railway Claims Tribunal Act, 1987(54 of 1987)
7.	Securities Appellate Tribunal	The Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)
8.	Debts Recovery Tribunal	The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993)
9.	Debts Recovery Appellate Tribunal	The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993)
10.	Airport Appellate Tribunal	The Airport Authority of India Act, 1994 (55 of 1994)
11.	Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal	The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997)
12.	Appellate Board	The Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999)

13.	National Company Law Appellate Tribunal	The Companies Act, 2013 (18 of 2013)
14.	Authority for Advance Ruling	The Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)
15.	Film Certification Appellate Tribunal	The Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952)
16.	National Consumer Disputes Redressal Commission	The Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)
17.	Appellate Tribunal for Electricity	The Electricity Act, 2003 (36 of 2003)
18.	Armed Force Tribunal	The Armed Force Act,2007 (55 of 2007)
19.	National Green Tribunal	The National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010).

Ninth Schedule (New)

"THE NINTH SCHEDULE"

[See section 180]

S.No.	Tribunal/ Appellate Tribunal under the Acts.	Tribunal/Appellate Tribunal/ Authority to exercise the jurisdiction under the Acts.
(1)	(2)	(3)
1.	The Employees Provident Fund Appellate Tribunal under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.	The Industrial Tribunal constituted by the Central Government under the Industrial Disputes Act, 1947.
2.	The Copyright Board under the Copyright Act, 1957.	The Intellectual Property Appellate Board under the Trade Marks Act,
3.	The Railway Rates Tribunal under the Railways Act, 1989.	The Railway Claims Tribunal under the Railway Claims Tribunal Act, 1987.
4.	The Appellate Tribunal for Foreign Exchange under the Foreign Exchange Management Act, 1999.	The Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976.
5.	The National Highways Tribunal under the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002	The Airport Appellate Tribunal under the Airport Authority of India Act, 1994.

6.	(A) The Cyber Appellate Tribunal under the Information Technology Act, 2000; (B) The Airports Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008	The Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.
7.	The Competition Appellate Tribunal under the Competition Act, 2002	The National Company Law Appellate Tribunal under the Companies Act, 2013.".

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That new Schedules 8 and 9 be added to the Bill."

The motion was adopted.

New Schedules 8 and 9 were added to the Bill.

Clause 1, Enacting Formula and Title

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Hon. Members, in the Finance Bill which we have just passed, 29 Government amendments have been adopted, providing *inter alia* for insertion of 38 new Clauses and two new Schedules in the Bill. I, therefore, direct that the subsequent Clauses and Sub-clauses may be re-numbered accordingly and consequential changes, wherever required, may be made in the Bill.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अभी पौने छः बजे हैं। सुबह के जीरो ऑवर में पांच-छः माननीय सदस्य बचे हैं, उन्हें बोलने का मौका देते हैं। दुष्यंत चौटाला जी चले गये। श्री जनक राम जी, आप बोलिये।

श्री जनक राम (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज, बिहार में हथुआ, सवेया हवाई अड्डा, जो सारण प्रमंडल में बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हवाई अड्डा है तथा गोपालगंज के अलावा बेतिया, मोतिहारी, सीवान, छपरा एवं उत्तर प्रदेश राज्य के कई जिले इस हवाई अड्डे के बहुत करीब हैं और चीन, नेपाल का बार्डर भी बहुत नजदीक है। गोपालगंज सवेया हवाई अड्डा से सन् 1962 में चीन से युद्ध लड़ा गया था। युद्ध में चीन को परास्त भी भारत के द्वारा किया गया था। खाड़ी देश एवं विदेशों से हजारों यात्री रोज़गार के लिए देश और विदेश में यात्रा करते रहते हैं, जिसके लिए दिल्ली मुंबई एवं कोलकाता जाना पड़ता है। मज़दूरी के लिए बिहार में कोई कारखाना नहीं है। इसकी वजह से खाड़ी देशों में बिहार के नौजवान साथी जाते हैं। मैं स्थानीय सांसद होने के नाते आपके माध्यम से माननीय नागर विमानन मंत्री श्री आशोक गजपति राजू जी से आग्रह करता हूँ कि तत्काल सवेया या हवाई अड्डा कम से कम घरेलू विमान दे कर चालू कराया जाए।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री लखन लाल साहू को श्री जनक राम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Madam Speaker, we welcome the demonetisation move but I need to draw the attention of the Government to the difficulties being faced by the general public due to cash shortage, especially in Andhra Pradesh and Telangana States.

There is no cash available in many of the ATMs in Hyderabad and other centres. Even those who visit banks for withdrawing cash are not given cash stating that there is no cash. The agricultural labour, construction workers, and those in unorganised sector are the worst affected as they are not being paid daily wages due to shortage of cash.

Though the people of this country have sacrificed a lot in the process of demonetisation, the Government should ensure that people are not put to any more difficulties. I request the Government to take immediate steps to deploy adequate cash so that the problem can be mitigated.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सर, मैं आज बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के लोगों और बिहार के बाहर रहने वाले लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जिस समय आज बिहार दिवस मन रहा है, उस समय बिहार लगातार घोटालों का प्रदेश होता जा रहा है। बिहार में बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसमें दस एम.एल.ए. और छह मंत्रियों के नाम आए हैं, उसमें लगातार कई आई.ए.एस. जेल जा चुके हैं। एक आई.ए.एस. सुधीर कुमार जेल गए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के पास 70 साल की आजादी के बाद भी प्रश्न पत्र छापने की मशीन नहीं है। अगर प्रश्न पत्र छापने का टेंडर करेंगे तो दुनिया जान जाएगी कि मेरा प्रश्न पत्र कहां छप रहा है। यदि रुपया छपता है तो हम टेंडर नहीं कर सकते हें तो प्रश्न पत्र छपने के लिए अपना प्रेस होना चाहिए। गुलज़ार बाग में अपनी प्रेस है, वह बंद पड़ी है। इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन लगातार कई घोटाले, सन् 1990 के बाद कई चेयरमैन जा चुके हैं। ... *जो आज घोटाले में शामिल है, जिसकी पत्नी को नितीश कुमार जी ने टिकट दिया है, आपने ऊषा सिन्हा को टिकट दिया है। यहां पर गृह मंत्री राजनाथ जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे इस घोटाले के लिए सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। आज प्रतिभावान गरीब लड़कों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। पूरी की पूरी स्थति खराब है। पैसे वाले सिर्फ क्वेश्चन लिख कर के एग्जाम दे रहे हैं, मैं आपसे मांग करता हूँ कि बिहार बीएससीसी घोटाले में सीबीआई की जांच हो। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़वा जिला के अंतर्गत नगर ऊंटारी अनुमंडल में बंशीधर मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर में राधा कृाष्ण की साढ़े चार फुट ऊंची और बत्तीस मन वजनी मूर्ति है। यह एक अद्भुत मूर्ति भूमि में गढ़े शेषनाग के फन पर निर्मित चौबीस पंखुड़ियों वाले विशाल कमल पर विराजमान है। नगर उंटारी राज परिवार के संरक्षण में यह वंशीधर मंदिर देश-विदेश के पर्यटकों के आकार्षण का केंद्र रहा है। कई दशकों से यहां प्रतिवर्ष फागुन के महीने में आकर्षक एवं विशाल मेला लगता है। जैसा इतिहासकारों का कहना है, यह मूर्ति मराठों ने बनवाई थी और मुगलों के डर से उन्होंने इस मूर्ति

---

* Not recorded.

को एक कंदरा में छुपा रखा था। रानी को एक सपना आया और उसके बाद इस मूर्ति को उठा कर लाया गया और इस मंदिर में स्थापित किया गया। मेरा सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध है कि स्वदेश दर्शन के अंतर्गत इस बंशीधर मंदिर का चयन किया जाए और कृष्ण सर्किट में इसको शामिल किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एव श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री विष्णु दयाल राम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : महोदया, मैं आज शून्य काल के माध्यम से आपकी कृपा से उनके बारे में आवाज उठाना चाहता हूँ जो सबकी आवाज उठाते हैं, लेकिन अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। मजीठिया वेज बोर्ड पत्रकार मित्रों के लिए लाया गया, 11 नवम्बर 2011 को वह अधिसूचित हो गया है, लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया गया। उसके कारण आज पत्रकारों के सामने असुरक्षा की भावना है, सर्विस की, जीवन की और सुविधाओं की चिन्ता है। मेरा अनुरोध होगा कि इस देश में इस पत्रकार जगत की जो सुविधायें हैं, हमारे प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी के शासनकाल में सभी वर्गों की सुरक्षा और सभी वर्गों के हितों की चिन्ता हो रही है। मैं आग्रह करूँगा कि पत्रकारों के जीवन की सुरक्षा हो और उनको सुविधायें मिलें, ताकि वे सबकी आवाज बनकर सही तरीके से काम कर सकें। उनकी रोज छंटनी होती है। मेरा अनुरोध होगा कि मजीठिया वेज बोर्ड की जो सिफारिश है, उसको इस देश में लागू करवाने के लिए सरकार पहल करे। यह बहुत ही आवश्यक होगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री अश्विनी कुमार चौबे, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ओम बिरला (कोटा) : मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में भारत सरकार का राजकीय उपकरण इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड 31-11-2016 को बन्द कर दिया गया है।

महोदया, मेरा निवेदन है कि वहाँ पर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनका बकाया वेतन/ग्रैच्युएटी और एरियर का भुगतान किया जाये। इसके साथ-साथ जो वर्तमान कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को वर्ष 2014, वर्ष 2015 और वर्ष 2016 की विभागीय पदोन्नति और वर्ष 1957 का पे-रिवीजन को दिया जाये।

महोदया, मेरा निवेदन है कि तुरन्त प्रभाव से सरकार निश्चित समय अवधि पर इन वर्तमान कर्मचारियों को और रिटायर्ड कर्मचारियों को, जिनकी 6 वर्ष से ज्यादा अवधि की सेवा हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : इस देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली बलरामपुर रही है। वर्ष 1957 में पहली बार इस गरिमामयी सदन में भेजने का गौरव बलरामपुर वासियों को प्राप्त है। उन्होंने लगातार 15 सालों तक बलरामपुर में काम किया- वर्ष 1957 से 1972 तक। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय रेल मंत्री जी का जो उनके द्वारा शिलान्यास की गई गोंडा-बढ़नी ब्रॉडगेज का काम जो यूपीए के शासनकाल में रोक दिया गया था, उसको द्रुत गति से पूर्ण कर उसका शुभारम्भ किया और देश के भू-भाग से जोड़कर बलरामपुर के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। बलरामपुर वासियों के अन्दर विकास की एक नयी उम्मीद जगाने का काम किया है। बलरामपुर वासी चाहते हैं कि बलरामपुर स्टेशन का नाम अटल जी के नाम पर रखा जाये, उसे आधुनिक साज-सज्जा से परिपूर्ण कर उसे अटल आदर्श स्टेशन बनाया जाये।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दद्दन मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : मैं आपके माध्यम से माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से एक माँग करना चाहता हूँ कि आज हमारा देश मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टॉर्ट-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया के बारे में आगे बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से यह माँग करता हूँ कि मेरे गुजरात में, खासकर मेरे क्षेत्र में अभी तक एफ.एम. रेडियो की सुविधा नहीं है। मैं बार-बार माननीय प्रसारण मंत्री जी से माँग कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से माँग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी यह माँग पूरी नहीं हुई है।

मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि हमारे यहाँ एफ.एम. रेडियो जल्द से जल्द चालू किया जाये।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : मेरे गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आगरा डिविजन के खानूडीह रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों के जमाने में जो यार्ड का निर्माण हुआ था, 60-70 के दशक में यहाँ कोयले की लोडिंग होती थी, लेकिन इसके बाद से इसको बन्द कर दिया गया है, जिससे वहाँ के लोकल लोग, जिनकी जमीन गयी, वे नौजवान लोग आज बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मुहैया हो सकेगा। साथ ही साथ हमारी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि इसे अविलम्ब चालू करवाया जाये। यह एन.एच. 32 के भी नजदीक है और यह फोर लेन से भी जुड़ा हुआ है। अगर खानूडीह स्टेशन पर हॉल्ट देकर कोयला

लोडिंग फिर से शुरू हो जाये तो यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यही आपसे अनुरोध है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं यहां से बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : बोलिए।

श्री विद्युत वरन महतो : अध्यक्ष महोदया, हमारा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर पूरा औद्योगिक क्षेत्र है और यहां पर एक ही ई.एस.आई.सी. अस्पताल है। इसमें लगभग एक लाख 75 हजार कर्मचारियों का रजिस्टर्ड आई.पी. है और अस्पताल मात्र 50 बेड्स का है। पिछले साल माननीय मंत्री द्वारा 100 बेड्स का शिलान्यास किया गया था, लेकिन वह अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि नियमानुसार 250 बेड्स होने चाहिए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मज़दूरों के व्यापक हित में लगभग 250 बेड्स का अस्पताल बनाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री विद्युत वरन महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर शहर में पुराने सदर अस्पताल को विगत पांच वर्षों से बंद करके शहर से काफी दूर सुनसान ज़गह में नया सदर अस्पताल स्थापित किया गया है, जिससे शहरवासियों को चिकित्सा कराने में भारी संकट का सामना करना पड़ता है।

मेरे आग्रह पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पूर्व में चयनित 'शहरी स्वास्थ्य केन्द्र' सदर अस्पताल बक्सर में खोलने का निर्णय लिया गया था। किन्तु, राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अनावश्यक लम्बे अर्से से विलम्ब किए जाने के कारण शहरवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतएव, केन्द्र सरकार इसमें पहल कर वहां अविलम्ब अत्याधुनिक सुविधायुक्त अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस की शाखा खोल कर समुचित चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराए। साथ ही, केन्द्र सरकार की सहायता से एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेन्टर सहित मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी बक्सर में शीघ्र कराई जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Thank you, Madam. This is with regard to the plight of anganwadi teachers and workers in the country.

Madam, anganwadi teachers and workers are working for ICDS, which is a Central Government project. Their service condition is very bad. In fact, they are getting meagre salary. For the last four days in Karnataka in Bengaluru city, more than 20,000 anganwadi teachers and workers are protesting in the streets along with their children. Earlier, the Government of India was giving 90 per cent of the contribution. Now, they have reduced it to 60 per cent. I urge upon the Union Government to increase their salary by 90 per cent and restore the same as it was earlier. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Shri D.K. Suresh is permitted to associate with the issue raised by Shri S.P. Muddahanume Gowda.

श्री अनन्तकुमार हेगड़े (उत्तर कन्नड़) : मैडम, 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना' को हमारे प्रधान मंत्री जी ने महत्वाकांक्षा के साथ शुरू किया था, लेकिन उसे सही ढंग से अमल में नहीं लाया जा रहा है। ग्राम पंचायत से लेकर तालुका पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, किसी को भी पता नहीं है कि पी.एम.के.एस.वाई. योजना को कैसे बनाया गया है और इसमें क्या काम चल रहा है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि सही ढंग से इसकी जांच की जाए और इसे पुनः परिशीलन किया जाए।

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Madam, thank you very much for giving me the opportunity to speak on the important issue of my constituency Paradip in Jagatsinghpur, Odisha. The Paradip Port came into existence in the year 1962. After that, so many other units like PPL, IFFCO, Carbon, Cargill and Indian Oil Corporation have come up. Many people are coming from other States and abroad also. There are only two hospitals namely, Port Hospital and State Hospital. But, modern techniques are not available there. A number of people are dying everyday because of this. So, it is my request to have a super-specialty hospital in the area. Thank you very much.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदया, आयुर्वेद भारत की विश्व को अनुपम देन है। मानव शरीर का समग्र रूप से विचार, प्रकृति के साथ उसका जैविक संबंध तथा उसके आधार पर दोनों में समन्वय स्थापित करते

हुए निरोगी एवं स्वस्थ जीवन की सिद्धि को आयुर्वेद ने अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया है। सुस्वास्थ्य की कामना के साथ अपने जीवन को प्रकृति के अनुकूल बनाते हुए बड़ी संख्या में व्यक्ति आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति का आश्रय ले रहे हैं। विश्व भर में आयुर्वेद की हानिरहित सम्पूर्ण चिकित्सा के प्रति आकर्षण बढ़ा है तथा उसके प्रति जिज्ञासा भी निरन्तर बढ़ रही है।

अध्यक्ष जी, भारत की ऋषि परंपरा ने अनेक अद्‌भुत दार्शनिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक देन विश्व को प्रदान की हैं। योग के समान ही आयुर्वेद का उनमें विशेष महत्व है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रयास से योग अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हो चुका है। आयुर्वेद के संबंध में भी सरकार के प्रयास अभिनंदनीय हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के आधार पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का निर्णय सरकार कर चुकी है। आयुर्वेद पर अनुसंधान करने वाले विभिन्न छोटे-बड़े सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रयास भी देश में चल रहे हैं। परन्तु, आयुर्वेद के सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की अभी भी आवश्यकता है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आयुर्वेद को समर्पित एक विशाल राष्ट्रीय संग्रहालय तथा अनुसंधान केन्द्र का निर्माण किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Respected Madam Speaker, one of the main reasons for huge road accidents in India is the poor road condition and the design of National Highways. It has been decided to use 10 per cent of the Central fund to repair National Highways' black spots. The Government has revised its guidelines. In my constituency, National Highway No. 66 from Puducherry to Krishnagiri, covers five districts.

<u>18.00 hours</u>

The road is very badly damaged. I would like to know whether the Government has any plan to use this fund for repair of major district roads in the States and also in my Constituency.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से यह विषय उठाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र की एस.डी.एस.एन. के तहत सतत् विकास की ताजा वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट, 2017 में नार्वे ने डेनमार्क को हटाकर दुनिया का सबसे खुशहाल देश का दर्जा हासिल किया है। इस 155 देशों की

सूची में भारत का स्थान 122वाँ है। अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान इस सूची में भारत से आगे हैं। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में लोगों की खुशहाली का ख्याल रखने के लिए अलग से एक मंत्रालय की व्यवस्था की गई है।

मेरा आपके माध्यम से कहना है कि भारत जैसे प्रगतिशील देश में भी इस तरह की एक मंत्रालय की व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्षा जी, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा एवं चित्रकूट में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। यहाँ से लोग बड़ी मात्रा में पलायन कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन ट्रेनों एवं बसों में भरकर बाहर जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहां पर लोगों की खेती से आमदनी नहीं है, लोगों के घरों में ताले लटके हैं। ऐसी विषय परिस्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में बड़ा उद्योग लगाने के लिए और वहां पर जो बंद पड़े उद्योग हैं, जैसे बाँदा की कताई मिल और बरगढ़ की फ्लोर ग्लास लिमिटेड को शुरू कराने की कृपा करे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet on Thursday, the 23rd March, 2017 at 11.00 a.m.

18.01 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 23, 2017/Chaitra 2, 1939 (Saka).